चतुर्थ माला, खंड 25, अंक 11
FourthSeries, Vol. XXV No. 11

सोमवार, 3 मार्च, 1969/12 फाल्गुन, 1890 (शक)
Monday, March 3, 1969/Phalguna 12, 1890 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK-SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 25 में अंक 11 से 20 तक है
Vol. XXV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक-11, सोमवार, 3 मार्च, 1969/12 फाल्गुन 1890 (शक)
No. 11—Monday March 3, 1969/Phalguna 12, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAE ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. संख्या./S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
242 वैस्ट किदवई नगर (नई दिल्ली) के निकट झुग्गियों के निवासियों को वैकल्पिक निवास स्थान	Alternative accommodation to Jhuggi Dwellers near West Kidwai Nagar (New Delhi) ...	1–7
243 बिड़ला हाउस नई दिल्ली को राष्ट्रीय स्मारक बनाना	Conversion of Birla House, New Delhi into National Monument ...	7–11
244 फरक्का बांध के बारे में भारत-पाकिस्तान समझौता	Indo Pak. Agreement on Farakka Barrage ...	11–16
245 विदेशी सहयोग	Foreign Collaborations	16–19
अ. सू. प्र./S.N.Q.		
1. इण्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Staff of Indian School of International Studies	20–27
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTION	
ता. प्र. सं./S. Q. Nos.		
241 सरकारी उपक्रमों का पूंजी ढांचा	Capital structure of Public Sector Undertakings	27–28
246 'दी मिस्ट्री आफ बिड़ला हाउस' नामक पुस्तक	Book entiteld the Mystry of Birla House ...	28
247 सरकारी उपक्रमों को हुई हानि तथा लाभ	Profit or los incurred by public undertakings	28–29

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता.प्र.संख्या /S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
248 राजस्थान में तापीय विद्युत संयंत्र	Thermal Plants in Rajasthan	29-30
249 योजना के लिये केन्द्र तथा राज्य क्षेत्र संसाधन	Central and State Sector Resources ..	30
250 भारत में विदेशी विनियोजन	Foreign Investment in India	30-31
251 आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मंजूरी तथा मंहगाई भत्ते का मिलाया जाना	Need, based minimum wages and merger of D.A.	31
252 सरकारी कर्मचारियों के अधिकतम तथा न्यूनतम वेतन के बीच अनुपात	Ratio between maximum and minimum salary of Government employees	31-32
253 प्रशुल्क नियमों का उल्लंघन	Violation of customs rules ...	32-33
254 राज्यों को रिगों का दिया जाना	Allocation of rigs to states	33
255 हल्दिया में प्रस्तावित उर्वरक कारखाना	Proposed fertilizer plant at Haldia	33-34
256 केरल तट पर समुद्र द्वारा भूमि का कटाव	Sea Erosion on Kerala Coasts ..	34
257 महलनबीस समिति का प्रतिवेदन	Mahalanobis committee's Report ...	34
258 तरल अमोनिया के उत्पादन के लिये ईरान के साथ सहयोग	Collaboration with Iran for production of Liquid ammonia ..	35
259 न्यू स्टेण्डर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	New Standard Engineering Company Ltd., Bombay	35-36
260 प्रादेशिक प्रचार निदेशालय के लिये हिन्दी टाइप-राईटर	Hindi typewriters for Regional publicity Directorate ...	36
261 वित्तीय वर्ष बदलना	Change in Financial Year ...	36-37

ता. प्र. संख्या/S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
262 विदेशी सहायता की संभावनाएं	Prospects of Foreign Aid ... —	37
263 केरल में तापीय बिजली संयंत्र	Thermal Power Plant in Kerala	37-38
264 चांदी का निर्यात	Export of Silver ..	38-39
265 भारत का औद्योगिक विकास बैंक	Industrial Development Bank of India	40-41
266 अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में भाई भतीजावाद तथा अनियमितताएं	Irregularities and Nepotism in all India Institute of Medical Sciences New Delhi	41-42
267 भारत में डाक्टर-रोगी अनुपात	Doctor Patient ratio in India ...	42-43
268 दिल्ली के लिये आवास बोर्ड	Housing Board for Delhi ...	43
269 थ्येटर कम्यूनिकेशन्स एरिया, कनाट प्लेस, नई दिल्ली का गिराया जाना	Demolishing of Theatre Communications Area, Connaught Place, New Delhi ...	43
270 सिंचाई आयोग	Irrigation Commission	43-44
अता. प्र. सं. /U. S. Q. Nos.		
1492 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के लाभ	Pensionary Benefits to Central Government Employees	44
1493 निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास विभाग के प्रतिवेदनों का प्रकाशन	Publication of Reports of Department of Works, Housing and Urban Development	44-45
1494 संयुक्त पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के हिमाचल प्रदेश को दिये गये कर्मचारी	Employees of Composite Punjab State Electricity Board allocated to Himachal Pradesh —	45
1495 मैसर्स परमानैन्ट मेगनट लिमिटेड में श्री कान्ती लाल देसाई के शेयर	Shri Kantilal Desai's Shares in M/s Permanent Magnets Ltd.	45-46

1497 निरोध के लिये यूनियन कारबाइड इण्डिया लिमिटेड के साथ करार — Agreement with Union Carbide India Ltd. for Nirodh ... -- 46-47

1498 महाराष्ट्र के सेवाग्राम में मेडिकल कालेज का खोला जाना — Opening of Medical College in Sewagram of Maharashtra 48

1499 बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋण — Loans given to Farmers by Banks .. 48

1500 महाराष्ट्र में पनगंगा सिंचाई परियोजना — Upper Panganga Irrigation project in Maharashtra ... 48

1501 दिल्ली राज्य अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति लिमिटेड — Delhi State Teachers Co-operative Housing Society Ltd. 48-49

1502 हरियाणा में औषध निर्माण (फारमेस्युटिकल) फैक्टरी — Pharmaceutical Factory in Haryana -- 49-50

1503 अनुभाग अधिकारी (इलैक्ट्रिकल) — Sectional Officers (Electrical) in C. P. W. D. -- 50-51

1504 टेंडर देने वालों को वास्तुकला तथा सरचनात्मक रेखा चित्रों की सप्लाई — Supply of Architectural and Structural Drawings to the Tenderers 51

1505 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलैक्ट्रिकल विंग के कर्मचारियों को 'निरापत्ति पत्र' — No Objection Certificates to C.P.W.D. Staff of Electrical Wing 51-52

1506 कुछ राज्यों में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों का स्थापित किया जाना — Establishment of Industries in Public Sector in certain States -- ... 52-53

1508 मध्य प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के अधीन बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण — Loans given by Reserve Bank to Banks to under Cooperative Societies in Madhya Pradesh 53-54

अता. प्र संख्या/ U. S. Q. Nos. प्रश्नों के लिखित	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
	उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.	
1509	महाराष्ट्र में नागपुर के निकट कोराड़ी सुपर तापीय बिजली घर / Koradi Super Thermal Station near Nagpur in Maharashtra	54
1510	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन / Pension of Central Government Employees ..	54–55
1511	पंजाब और हरियाणा को केन्द्रीय सहायता / Central Assistance to Punjab and Haryana ...	55
1512	अमृतसर सीमा पर तस्करी / Smuggling on Amritsar Border	55–56
1513	सिनकोना उत्पादन / Cinchona Production	56
1514	कम्पनियों द्वारा पूंजी का जुटाया जाना / Raising of Capital by Companies	56–57
1515	संसाधनों पर आधारित योजना तैयार करना / Formulation of Resources based Plan ...	57
1516	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड / Hindustan Housing factory Ltd.	57–58
1517	मोहन सिंह मार्केट, दिल्ली में रेस्तरां के एलाटमेंट के लिये टेण्डर / Tenders for allotment of a Restaurant in Mohan Singh Market, Delhi	58–59
1518	नई दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को बोनस तथा उनके लिये मकान / Bonus and residential aecommodation for N. D. M. C. Employees	59
1519	रसायन उद्योग को राहत / Relief of Chemical Industry	59–69
1520	दिल्ली के गांवों में नेत्र चिकित्सकों के रूप में नीम हकीमों का दौरा / Quacks as Eye Specialists in Villages in Delhi ...	60
1521	भारतीय तेल निगम की कार्य-पद्धति का मूल्यांकन / Assessment of working of Indian Oil Corporation	60–61
1522	वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशों में भेजे गये शिष्टमंडल / Delegations sent abroad by the Ministry of Finance	61

1523 जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया कार्य — Business transacted by lifeCorporation Insurance 61-62

1524 मालाबार फर्टीलाइजर्स, मंगलौर — Malabar Fertilizers, Mangalore ... 62-63

1525 श्रीलंका में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों के बीमों के दावे — Insurance Claims of Indian Nationals in Insurance Ceylon 63-64

1526 विदेशी तेल शोधक कम्पनियों की क्षमता में विस्तार — Expansion of capacities by Foreign owned Refineries ... 64

1527 बिड़ला समूह की कम्पनियों द्वारा कर और उत्पादन शुल्क का अपवंचन — Evasion of Taxes and Excise Duty by Birla Concerns 64-65

1528 मैसर्स टर्नर मोरीसन एण्ड कम्पनी पर करों की बकाया राशि — Taxes due from M/s Turner Morrison & Co. .. 65

1529 महापौरों का सम्मेलन — Mayor's Conference 66

1530 बिक्री कर का उत्पादन केन्द्रों के स्तर पर ही वसूल किया जाना — Realisation of Sales Tax at production source.. 66

1531 तस्करों से माल का पकड़ा जाना — Seizure of goods from Smugglers .. 66-67

1532 दो कमरों वाले क्वार्टरों का निर्माण — Construction of Two Room Quarters ... 67-68

1533 हिन्दुस्तान आरगेनिक कैमिकल्स लिमिटेड — Hindustan Organic Chemicals Ltd. 68-69

1534 एच० पी० वाटर्स द्वारा उत्पादित बिजली की रायल्टी में भाग की हिमाचल प्रदेश सरकार की मांग — Demand of Himachal Pradesh Government for sharing of Royalty on Power Generated from H. P. Waters ... 69

अता. प्र सं./U.S.Q.Nos. प्रश्नों	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
	लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.	
1536	विवाह - योग्य आयु का बढ़ाया जाना / Bill for Raising Marriageable Age	69–70
1536	करों की बकाया राशि / Arrears of Taxes ...	70–71
1537	अमरीकी सहायता / U. S. Aid	71–72
1538	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का जांच अधिकारी, नेताजी नगर, नई दिल्ली / C. P. W. D. Enquiry Office, Netaji Nagar, New Delhi	72
1539	आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के पैट्रोलियम निक्षेप / Petroleum Deposits in East and West Godavari District, Andhra Pradesh	72–73
1540	परिवार नियोजन के लक्ष्य प्राप्त न करने के कारण उत्तर प्रदेश के लेखापालों के विरुद्ध कार्यवाही / Proceedings against Lekpals of U. P. for not achieving Family Planning Targets ...	73–74
1541	उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में उठाऊ सिंचाई योजना / Lift Irrigation Scheme, in Banda District, U.P.	74
1542	आंध्र प्रदेश में बिजली परियोजनाओं का सर्वेक्षण / Survey of Power Projects in Andhra Pradesh ..	74–75
1543	दिल्ली/नई दिल्ली में हृदय रोगों में वृद्धि / Increase in Cardiac Disceases in Delhi/New Delhi	75
1544	परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये नये प्रोत्साहन / New Incentives for Family Planning Programme	75–76
1545	दिल्ली में यमुना के दूसरे पुल के निकट सहकारी गृह-निर्माण समितियों को भूमि देना / Allotment of land to House Building Cooperative Societies near Second Jamuna Bridge, Delhi	76–77
1546	विदेशी मुद्रा की स्थिति / Foreign Exchange Position	77
1547	उत्तर प्रदेश के लिये सहायता / Assistance to U.P.	77

1548	नेफा में कामेंग परियोजना	Kameng project in NEFA	77-78
1549	विदेशी प्रकाशनों का आयात करने के लिये भारतीय-मुद्रा की विनिमय दर	Exchange rate of Indian Currency for import of foreign publications	78
1550	आसाम में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का भर्ती केन्द्र	Recruiting centre for ONGC in Assam	78
1551	गौहाटी तथा बरौनी तेल शोधन कारखानों का विस्तार	Expansion of Gauhati and Barauni Refineries...	79
1552	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से सहायता	Aid from International Development Association ...	79-80
1553	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	Oil and Natural Gas Commission ... —	80
1554	विदेशों में खोले हुए अनधिकृत खाते	Unauthorised Accounts Maintained Abroad ...	80-81
1556	नर्मदा जल विवाद	Narmada Water Dispute —	81
1557	दिल्ली में पीने के जल की कमी	Shortage of Drinking Water in Delhi	81-82
1558	मंत्रियों से बकाया राशि की वसूली	Recovery of Dues from Ministers	82
1559	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा कालेज	Medical Colleges in Fourth Plan ...	82-83
1560	विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा प्रेषित धन	Money Remitted to India by Indians Settled Abroad ...	83
1561	राज्यों की वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States	83-84
1562	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	Oil and Natural Gas Commission ...	84

अता. प्रश्न संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
1563 गुजरात में स्वर्णकारों को सहायता	Assistance to Goldsmiths in Gujarat	84-85
1564 गुजरात में पैट्रो रसायन उद्योग समूह	Petro Chemical Complex in Gujarat	85
1565 उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड के विरुद्ध कृषकों की शिकायत	Complaints of Farmers against Electricity Board, U.P.	85–86
1566 उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings under Health Department of U.P.	86
1568 पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Schedule Castes/Tribes in Ministry	86
1569 उर्वरक कारखाना, गोरखपुर के प्रबन्धकों से श्रमिकों की मांग	Workers' Demand on the Management of Fertilizers Factory. Gorakhpur	86–87
1570 भाखड़ा नहरों की मरम्मत	Repairs of Bhakra Canals ... –	87
1571 राजस्थान नहर को पूरा करने में विलम्ब	Delay in completion of Rajasthan Canal ...	87
1572 नेफ्था के लिये मांग	Demand for Naphtha	88
1574 उड़ीसा में गृह–निर्माण योजना	Housing Schemes in Orissa	88–89
1575 आसाम में गैस नष्ट होना	Wastage of Gas in Assam ...	89
1576 आसाम में गैस का जलना	Burning of Gas in Assam	89
1577 गोहाटी तेल शोधक कारखाने द्वारा कोक की बिक्री	Sale of Coke by Gauhati Refinery	89–90
1578 प्रधान मंत्री के वर्तमान निवास के परिवर्द्धन आदि पर व्यय	Expenditure on Improvement in Present Residence of the Prime Minister	90–91

अता प्र. सं./U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
1579 कोक तथा मोम का मूल्य	Price of Coke and Wax ...	91
1580 भारतीय औषधि तथा होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद्	Indian Medicine and Homoepathic Central Council .. –	91–92
1581 बंगला नम्बर 10 जनपथ, नई दिल्ली	Bungalow No. 10 Janpath, New Delhi	92–93
1582 राष्ट्रीय आर्थिक आयोग	National Economic Commission	93–94
1583 वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी उपक्रमों का सभापति पद	Chairmanships of Financial Institutions and Public Undertakings	94
1584 आसाम में ब्रह्मपुत्र पर नियंत्रण	Harnessing of Brahmaputra in Assam	94
1585 नार्थ तथा साउथ ब्लाक, नई दिल्ली पर से ब्रिटिश ताज का हटाया जाना	Removal of British Emblems from North and South Blocks, New Delhi	95
1586 भारतीय उर्वरक निगम का आयोजन तथा विकास डिवीजन	Planning and Development Division of Fertilizers Corporation of India	95
1587 बिहार में 1968–69 में ग्रामीण आवास योजना	Rural Housing Schemes for Bihar in 1968–69 –	95–96
1588 कोचीन में तस्करी के सोने और घड़ियों का पकड़ा जाना	Seizure of contraband Gold and Watches at Cochin	96–97
1589 कोचीन के निकट तस्करी की वस्तुओं तथा सोने का पकड़ा जाना	Smuggling of Goods and Gold near Cochin ...	97–98
1590 चौथी योजना के लिये उर्वरक कार्यक्रम	Fertilizer Programme for Fourth Plan	98
1591 विदेशी भागीदारी वाली कम्पनियां	Companies with Minority Foreign Participation	98–99
1592 खम्भात क्षेत्र में तट दूर तेल का निकाला जाना	Off shore oil drilling in Cambay region . –	99

अ.प्र. संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
1593 मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा मुंगेर (उत्तर बिहार) जिलों में गंगा पर बांधों को सुदृढ़ करना	Strengthening of Bunds of Ganga in Districts Muzaffarpur, Dharbhanga and Monghyr, North Bihar ... —	100
1594 लक्कादीव द्वीपसमूह के सरकारी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर	Doctors in Government Hospitals and Health Centres in Laccadive Islands	100–101
1595 लक्कदीव में सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगीवाहन की व्यवस्था	Provision of Ambulance in Government Hospitals and Health Centres in Laccadives	101
1599 उर्वरकों के उत्पादन की लागत	Cost of Production of Fertilizers	101–102
1600 अवधि पूरी होने वाली पालिसियों का भुगतान	Payment of Matured Policies — ...	102–103
1602 क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय ग्रिडों की स्थापना	Setting up of Regional and National Grids ..	103–105
1603 इटावा, उत्तर प्रदेश, का परिवार नियोजन विभाग	Family Planning Department Etawah (U.P.)	105
1604 गोआ में उर्वरक का कारखाना	Fertilizer Plant in Goa	105
1605 'निर्माताओं द्वारा स्वयं उत्पादन शुल्क जमा करवाने की प्रक्रिया' आरम्भ करने से उत्पादन शुल्क की वसूली में कमी	Leakage of Excise Revenue on Introduction of self removal procedure ... —	106
1606 सरकारी बस्तियों में पार्कों की देखभाल	Maintenance of Park in Government Colonies	106
1607 सरकारी क्वार्टरों का पारी से बाहर नियतन	Out of turn allotments	107
1608 नई दिल्ली के पार्कों में झूले और 'स्लिपरीज' (फिसलने वाला खेल)	Jhulas and Slipperies in Parks in New Delhi	107–108

1609 कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन	Income Tax Evasion by Companies	108
1610 सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर जवाहरात और विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Jewellery and Foreign Exchange at Santa Cruz Airport	108–109
1611 बैंकों में प्राप्त जाली नोट	Fake currency notes received by Banks ...	109
1612 दिल्ली में नल कूपों से बिजली की मोटरों की चोरी	Theft of Electric Motors from Tube-wells in Delhi Territory	109
1613 बैंक कर्मचारियों को मकानों का आवंटन	Allotment of Accommodation to the Bank Employees	109–110
1614 उत्तर बंगाल में बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Aid for Anti flood work in North Bengal	110
1615 श्री संजय गांधी को छोटी कार बनाने के लिये ऋण	Loan to Shri Sanjay Gandhi for Manufacture of Small Cars	111
1616 पाकिस्तान सरकार द्वारा भारतीय बैंकों को अपने हाथ में लेना	Take over of Indian Banks in Pakistan ...	111
1617 कलकत्ता के विकास के लिये सी० एम० पी० ओ० परियोजना	C.M.P.O. Project for Development of Calcutta ...	112–113
1618 दरभंगा मेडिकल कालेज	Darbhanga Medical College	113
1619 अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण	All India Rural Credit Survey	113–115
1620 केरल में उर्वरक के डिपो	Fertilizers Depots in Kerala	115
1621 बैंक द्वारा जमा राशि से अधिक राशि निकालना	Overdrafts by Banks	115–116
1622 दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा भवन-निर्माण परियोजनाओं तथा विकास योजनाओं के लिये बांड जारी करना	Issue of bonds by Delhi development Authority for housing projects and development schemes	116

1623	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	Bihar State E ectricity Board —	116
1624	विमानों के ईंधन पर बिक्री कर	Sales tax on aviation fuel ... —	117
1625	भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे कारखाने का विस्तार	Expansion of fertilizer unit at Trombay —	117-118
1626	चौथी योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के देहातों में बिजली का लगाया जाना	Rural electrification in Uttar Pradesh in Fourth Plan ... —	118
1627	सिंचाई दरों को युक्ति-संगत करना	Rationalisation of the Irrigation rates ...	118-119
1628	खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वालों के नाम	Names of food adulterators	119
1629	कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली तथा मद्रास में आय-कर सम्बन्धी छापे	Income tax raids in Calcutta, Bombay, Delhi and Madras ... —	120-121
1630	आयकर विभाग के निरीक्षण निदेशालय का गुप्तचर विभाग	Intelligence Wing of Directorate of Inspection of Income Tax Department	121
1631	कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम, कलकत्ता	Calcutta Electric Supply corporation Calcutta	121-123
1632	गृह-निर्माण समितियों का पंजीयन	Registration of Housing Building Societies ...	123-124
1633	विदेशी ऋण	Foreign Debts — ...	124
1634	जापान को नेफ्था का निर्यात	Export of Naphtha to Japan	124-125
1635	राज्यों में विद्युत के उत्पादन में वृद्धि	Growth of Power Generation in States ...	125

अता.प्र.संख्या./U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
1636 राज्यों में ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम में मदद	Help by Voluntary Institution of States to Family Planning programme	126
1637 केन्द्रीय सरकार द्वारा देश भर में विद्युत के उत्पादन कार्य को नियंत्रणाधीन लेना	Taking over the power Generation work all over the country by the Central Government ...	126-127
1638 राजस्थान नहर	Rajasthan Canal ...	127
1640 कपड़ा उद्योग के संम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया का कार्यकारी दल	Working group of Reserve Bank on India Textile Industry	127-128
1641 कोयना बांध के निकट भूचाल के झटके	Earth Tremors near Koyna Dam ...	128-129
1642 विद्युत परियोजना के लिये राजस्थान को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Rajasthan for Power Projects	129
1643 परमाणु शक्ति केन्द्र, कोटा के लिये बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity from Atomic Energy Station, Kotah ...	129-130
1644 ग्रामीण आवास एककों का निर्माण	Construction of Rural Housing Units ...	130-131
1645 राज्यों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Provision of Drinking Water in States	131-132
1646 राज्यों में वाणिज्यिक सिंचाई कार्य	Commercial Irrigation works in States ...	132
1647 पीने के पानी की समस्या	Drinking Water Problem ...	132-133
1648 पानी की दर बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to increase Water Rates ...	133
1650 उत्तर बंगाल में पुनर्वास उपायों के लिये सहायता	Assistance for Rehabilitation Measures in North Bengal ...	133

तारा.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी/WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS–Contd.		
1651 रवीन्द्र रंगशाला में स्टेज पर प्रकाश तथा ध्वनि उपकरण	Stage lighting and acoustical equipment at Rabindra Rangshala	134
1652 राज्यों में संक्षिप्त एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम लागू करना	Introduction of condensed M.B.B.S. Course in States	134–135
1653 नेपाल में निर्मित वस्तुओं का आयात	Import of Goods Manufactured in Nepal ...	135
1654 मध्य प्रदेश में मातातीला बांध	Matatila Dam in Madhya Pradesh	135–136
1655 सोने तथा चांदी का तस्कर व्यापार रोकने के लिये अध्यादेश	Ordinance to prevent smuggling of Gold and Silver	136–137
1656 नये पद बनाना	Creation of New Posts	137
1657 राज्यों द्वारा निर्धारित धन-राशि से अधिक धन-राशि का निकाला जाना	Overdrafts by States	137–138
1658 मनीपुर अस्पताल का चिकित्सा निदेशालय	Medical Directorate of Manipur Government Hospital	138
1659 एक अमरीकी फर्म के सहयोग से बम्बई में गर्भ-निरोधकों का उत्पादन	Production of Contraceptives in Bombay and Collaboration of an American Firm ...	138–139
1660 गंडक तथा पश्चिम कोसी नहर परियोजना	Gandak and Western Kosi Canal Projects ...	139
1661 विश्व बैंक मिशन का भारत दौरा	World Bank Mission's Visit to India	139–140
1662 चौथी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में विद्युत जनन कार्यक्रम	Power Generation Programme in West Bengal in Fourth Plan	140

1663	विश्व बैंक मिशन द्वारा राज्यों का दौरा	World Bank Mission to States	140-141
1664	नगरीय समुदाय विकास परियोजना, मनीपुर	Urban Community Development project, Manipur — ...	141-142
1665	नई दिल्ली स्थित विलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों में काम करने वाले तकनीशनों के वेतनमानों में भिन्नता	Variation in pay scales of Technicals Working in Willingdon and Safdarjung Hospitals, New Delhi	142
1666	सार्वजनिक प्रयोग के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस गैस आयोग द्वारा गैस की सप्लाई	Supply of Gas by ONGC for public utility purposes	142-143
1667	दिल्ली पुलिस कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाना	Extension of C.G.H.S. to Delhi Police Employees	143
1668	यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के यूनिटों का विक्रय तथा पुनर्क्रय मूल्य	Sale and Re-purchase prices of Units of Unit Trust of India	143-144
1669	बोराक परियोजना	Borak Project — ...	144
1670	मनीपुर लोक निर्माण विभाग, में कार्यभारित पद	Work charged posts in PWD Manipur ...	144-145
1671	चौथी योजना में बड़ी और मध्यम नदी घाटी योजनायें	Major and Medium River Valley Projects during Fourth Plan ... —	145
1672	विद्युत जनन तथा वितरण प्रणाली का अध्ययन करने के लिये समिति	Comittee for studing of system of power Generation and Distribution ..	145-146
1673	चौथी योजना में ग्रामीण आवास	Rural Housing in the Fourth Plan	146-147

1674 जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में बाढ़ पीड़ितों को मकान बनाने के लिये ऋण	Housing Building loans to flood Sufferers in Jalpaiguri West Bengal	147
1675 किराये के मकानों में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालय	C.G.H.S Dispensaries in Rented Buildings ...	147
1676 कोलार स्वर्णखानों का कार्य संचालन	Working of Kolar Gold Mines	148–149
1677 एस० जे० टी० बी० अस्पताल की विवाहित नर्सों के लिये निवास स्थान	Residential Accommodation to Married Nurses of S.J.T.B. Hospital, Delhi... ...	149
1679 आयकर अधिनियम की धारा 141-क के अन्तर्गत कर की राशि वापस दिये जाने की अनुमति	Refund allowed under Section 141–A of Income Tax Act	149
1680 तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की भर्ती सम्बन्धी नीति	Recruitment Policy of Oil and Natural Gas Commission	149–150
1681 पूर्वी क्षेत्रों में एस्सो द्वारा मिट्टी के तेल की सप्लाई बन्द किया जाना	Suspension of supply of Kerosene oil by Esso in Eastern Region	150–151
1682 नवकेतन हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी	Navaketan House Building Co-operative Society	151
1683 उर्वरक उत्पादन के लिये योजना	Plan for Fertilizer Production	151
1684 सालंदी सिंचाई परियोजना	Salandi Irrigation Project	151–152

अता. प्र संख्या/ U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
1685 कोलार स्वर्ण खान उपक्रम में सहकारी समितियां	Cooperative Societies in Kolar Gold Mines Undertakings	152
1686 नेफा और डुमा में तेल की खोज के लिये सहायता देने का बर्मा आयल कम्पनी का प्रस्ताव	Offer of Assistance by Burmah Oil Company for Oil Exploration in NEFA and Duma ...	152–153
1687 पटसन उद्योग को विकास छूट	Development Rebate to Jute Industry ...	153–154
1688 आवास गणना	Housing Census	154
1689 मैसूर में सिंचाई परियोजनाओं के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds for Irrigation Projects in Mysore	155
1690 सोने का रक्षित कोष	Gold Reserves	155
1691 मध्यावधि चुनावों के लिये सरकारी उपक्रमों में कर्मचारी	Personnel in public Undertakings for mid-term elections	156
ध्यान आकर्षण सूचना के बारे में (प्रश्न)	Calling Attention Notice (Query)	156
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	157–160
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को वापस बुलाने की आवश्यकता	Need to Recall the Governor of West Bengal	157
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	160
महाराष्ट्र टाइम्स के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege Against Maharashtra Times.	161
सभा का कार्य	Business of the House	161–162

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	162–164
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	164
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक	Bills, as passed by Rajya Sabha	164
(1) लोक नियोजन (निवास सम्बन्धी आवश्यकता) संशोधन विधेयक, 1969	Public Employment (Requirement as to Residence) Amendment Bill, 1969	164
(2) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1969	Payment of Bonus (Amendment) Bill, 1969 ...	164
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	164
28 वां प्रतिवेदन	Twenty-eighth Report ...	164
श्रीनगर में पाकिस्तान समर्थक तत्वों के पकड़े जाने के बारे में ध्यान आकर्षण सूचना के उत्तर में दिए गए वक्तव्य में दी गई जानकारी में शुद्धि	Correction of information given on calling attention notice Apprehension of pro-pakistani elements in Srinagar	165
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y.B. Chavan	165
चाय 'संशोधन' विधेयक	Tea (Amendment) Bi ...	165
महाराष्ट्र टाइम्स के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against Maharashtra Times	165–173
रेलवे आय–व्ययक, 1969–70– सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1969–70 General Discussion	173
श्री नरदेव स्नातक	Shri Nar Deo Snatak	173
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes ...	175
श्री रो० ला० चतुर्वेदी	Shri R.L. Chaturvedi	176
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	178
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh ...	181
श्री परिमल घोष	Shri Parimal Ghosh	1 2

श्री कृ० मा० कौशिक	Shri K.M. Koushik	... ...	186
श्री रा० कृ० बिड़ला	Shri R.K. Birla	...	189
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghubir Singh Shastri	... ...	190
श्री पी० एम० मेहता	Shri P.M. Mehta	...	191
आधे घंटे की चर्चा	Half an hour discussion	... ...	192
फिजी की स्वतंत्रता	Independence of Fiji	... ..	192
श्री कामेश्वर सिंह	Shri Kameshwar Singh	.. ...	192
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	.. ...	193

लोक-सभा
LOK-SABHA

सोमवार, 3 मार्च 1969/ 12 फाल्गुन, 1890 (शक)
Monday, March 3, 1969/ Phalguna 12, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

वेस्ट किदवई नगर (नई दिल्ली) के निकट झुग्गियों के निवासियों को वैकल्पिक निवास स्थान

*242. श्री म० ला० सोंधी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली के निकट नाले के किनारे पर बनी झुग्गियों को गिराया जा रहा है और उनमें रहने वालों को जो नई दिल्ली नगर-पालिका तथा निकट के निजी मकानों में सफाई कर्मचारी का काम करते हैं; वैकल्पिक स्थान नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन हरिजन परिवारों को सहायता देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग): ये प्रश्न नहीं उठते ।

श्री म० ला० सोंधी : मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख होता है कि मेरे चुनाव क्षेत्र, नई दिल्ली में सरकार द्वारा हरिजनों के साथ विशेष रूप से इतना अधिक बुरा व्यवहार किया जा रहा है कि उन्होंने मुझे बताया है कि गांधी शताब्दी वर्ष में राष्ट्र की राजधानी में ही उनकी स्थिति द्वितीय श्रेणी, बल्कि कि तृतीय श्रेणी के नागरिकों जैसी है। संसद के समीप के तीन उदाहरण तो मेरे मस्तिष्क में ही हैं। पहली तो गांधीजी की प्रसिद्ध हरिजन बस्ती का दूसरा और तीसरा निजामुद्दीन और किदवई नगर का है, जो तीनों ही मानव-कष्ट का उदाहरण हैं। वास्तव में निजामुद्दीन में कटरा अहीरां में हरिजनों के शान्तिपूर्ण घरों को हाल ही में नष्ट करने का उत्तरदायित्व एक केन्द्रीय मंत्री पर है, जबकि उनका नगरीय विकास से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं इस विभाग के नये मंत्री की शुभ कामना करता हूं और मैं चाहता हूं कि वे कहें कि हरिजन विरोधी ये कार्यवाहियां बन्द कर दी जायेंगी। ये हरिजन नई दिल्ली में रहते हैं और यहां ही काम धन्धे करते हैं और इनका एक विशेष वर्ग है। ये लोग घरों अथवा कार्यालयों में काम करते है और यदि इनको यहां से दूर भेज दिया गया, तो वे इन सरकारी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिये सफाई आदि की सुविधायें देने में असमर्थ हो जायेंगे। क्या आदरणीय मंत्री सदन को आश्वासन देंगे कि किदवई नगर के झुग्गिवासियों को अचानक एक दिन अर्धरात्रि में घेर कर वहां से हटाया नहीं जायेगा बल्कि उनके लिये बिजली, पानी और शौचालयों की अत्यावश्यक सुविधायें तुरन्त प्रदान की जायेंगी ?

श्री के० के० शाह : मेरे माननीय मित्र ने अनेक बातें कही हैं, जिनका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक झुग्गी-झौपड़ी निवासियों का प्रश्न है, इस विषय में वर्ष 1960 से सरकार की नीति विदित है। जिन्होंने वर्ष 1960 के पश्चात् भी भूमि पर कब्जा किया था उन्हें हकदार न होने पर भी वैकल्पिक भूमि दे दी गई है और इसके बाद ही उनसे वहां से जाने के लिये कहा जाता है। इस स्थान से भी 1966 में उनको दो बार हटाया गया और उनको वैकल्पिक आवास दिया गया परन्तु पुनः वे इसी क्षेत्र मे आ गए हैं। अब भी जब तक हम उनके लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था नहीं करते उन्हें यहां से हटने के लिए नहीं कहेंगें। इससे अधिक और मेरे मित्र क्या चाहते हैं ?

श्री म० ला० सोंधी : मुझे बताया गया है कि मेरे तथ्य सही नहीं है। मंत्रिमण्डल स्तर के एक मंत्री द्वारा निजामुद्दीन में कटरा अहीर में एक शान्तिप्रिय गांव को उजाड़ दिया गया। मैं सदन में यह आरोप लगाता हूँ कि ये हरिजन जिन्हें उजाड़ा गया है .....

श्री कंवरलाल गुप्त : केन्द्रीय मंत्री का नाम बताइए।

श्री म० ला० सोंधी : उनका नाम श्री फखरुद्दीन अली अहमद है। क्योंकि मुझसे पूछा गया है इसलिए मैंने नाम बताया है। इसका प्रभाव तो स्पष्ट है कि जब आप नई दिल्ली में हरिजनों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो आंध्र प्रदेश में उनके गांवों को जलाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं उत्तेजित तो नहीं होना चाहता परन्तु यह मामला ही ऐसा है। हमें इन लोगों में सामाजिक समानता और सुरक्षा की भावना पैदा करनी है। यहां माननगर, शाननगर, विनयनगर आदि नामक बस्तियां हैं। इस प्रकार के भेदभाव हमने पहले से ही बना रखे हैं। सामाजिक समानता की भावना पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि

हरिजनों को दूर न भेजकर उन्हें उसी समाज में जहां वे कार्य करते हैं, आवास देने के लिये ठोस कार्यवाही की जाये। मैं जानना चाहता हूं कि कम लागत वाली गृह निर्माण योजना आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे किदवई नगर और नई दिल्ली में ऐसी ही दूसरी जगहों में रहने वाले हरिजन और उनकी स्त्रियां उसी क्षेत्र में घरों आदि की सफाई का अपना दैनिक काम कर सकें, जिसके लिए समाज को उनका आभार मानना चाहिए ? क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या सरकार तुरन्त ही, यह 1966 अथवा 1976 की बात नहीं है बल्कि अभी और यहां ही हरिजनों के लिए नियमित रूप में भूमि तथा नियमित निवास देने की घोषणा करेगी, जिसके लिये वे किश्तों में भुगतान करने के लिये तैयार हैं ? इसका बिल्कुल स्पष्ट उत्तर होना चाहिए।

श्री के० के० शाह : मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि नई दिल्ली में घर भी बनाये गए हैं। 80 वर्ग गज और 25 वर्ग गज के भूमि खण्ड भी दिए गए हैं। 80 वर्ग गज के घर और 25 वर्ग गज के भूमि खण्डों को मिलाकर अब तक कुल 37,393 की व्यवस्था की गई है और अधिक की व्यवस्था की जा रही है।

श्री म० ला० सोंधी : वे तो दिल्ली की सीमा पर हैं। मैं उस समाज में ही जहां कि वे काम करते हैं, आवास देने के बारे में पूछ रहा हूं। हम सामाजिक एकता की दुहाई देते हैं। परन्तु हम सामाजिक एकता कैसे लायेंगे, यदि हम उनके घरों की व्यवस्था उसी क्षेत्र में नहीं करते ? क्या यह नई दिल्ली काश्मीरी ब्राह्मणों के लिए ही है ? अन्यथा इसका क्या अर्थ है ?

श्री रा० हो० मण्डारे : क्या मैं आदरणीय मंत्री जी से यह जान सकता हूँ कि इन झुग्गियों और झौंपड़ियों को गिराने के लिए कौन उत्तरदायी है, क्योंकि जब भी इनको गिराया जाता है, तो ये बेचारे झुग्गी-झौंपड़ वासियों को अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जब ये पुलिस थाने में जाते हैं तो उनसे गृह मन्त्री जी से मिलने को कहा जाता है। जब वे गृह मंत्री के पास जाते हैं तो वहां से उनको दिल्ली विकास प्राधिकार में जाने के लिए कहा जाता है और जब वे दिल्ली विकास प्राधिकार में जाते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि ऐसा उप राज्यपाल के आदेशों के कारण हुआ है। मैं आदरणीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस वस्तुस्थिति को देखते हुए झुग्गियों और झौंपड़ियों को नष्ट करने के लिए कौन उत्तरदायी है और दूसरे यह कि इस बृहद्ध योजना में परिवर्तन करने के लिए उन्होंने क्या कोई ऐसी योजना अथवा कार्यक्रम बनाया है जिससे निर्धन और पिछड़े वर्ग के लोगों को नई दिल्ली नगर से बाहर न फेंका जाए। अन्यथा वे पुनः अछूत बन जायेंगे और उनके अपने अलग गांव बन जायेंगे।

श्री के० के० शाह : सबसे पहले मेरे माननीय मित्र ने यह पूछा था कि इसके लिए उत्तरदायी कौन है। इस मामले से कई विभाग सम्बन्धित हैं, जैसे कि बागबानी विभाग नई दिल्ली नगरपालिका दिल्ली विकास प्राधिकार....

श्री एस० एम० जोशी : किन्तु सरकार तो एक है।

श्री के० के० शाह : मैं अपने दायित्व से नहीं बच रहा हूं। जहां तक कार्यक्रम का सम्बन्ध है मैं अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूँ कि 28 फरवरी, 1969 तक 80 वर्ग गज के 3559 प्लाट दिए गए हैं तथा 3872 मकान बनाए जा चुके हैं।

श्री रा० ढो० भण्डारे : महोदय ! यह उत्तर मेरे प्रश्न का नहीं है। मेरा प्रश्न तो कुछ भिन्न ही था।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि उन लोगों को वहीं बसे रहना दिया जाएगा और उन्हें वहा से हटाया नहीं जाएगा। वह यह भी जानना चाहते थे कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है। उन्होंने यह नहीं पूछा था कि कितने मकान बनाए गये हैं।

श्री के० के० शाह : उन लोगों के लिए अ येतर व्यवस्था की गई है इस तथ्य से यह स्पष्ट हैं कि वे जहां से भी हटाए गए हैं बृहद योजना के अनुसार उस सरकारी भूमि पर उन्होंने अनिधिकृत रूप से कब्जा कर रक्खा था। फिर भी हम जब उन्हें वहां से हटाते हैं तो उनके लिए अन्येतर व्यवस्था करते हैं। मैं बताना यह चाहता था कि कितनों लोगों को हटाया गया और कितने अन्येतर आवास की व्यवस्था की गई।

श्री रा० ढो० भण्डारे : श्रीमन, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह नहीं था। मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार का बृहद योजना को बदलने का कोई कार्यक्रम है जिससे कि उन लोगों को नगर-क्षेत्र में ही बसे रहने दिया जाये तथा उन सबको नगर के एकदम बाहर न फेंक दिया जाय।

श्री के० के० शाह : यह एक खतरनाक प्रस्ताव होगा क्योंकि यदि हम अनधिकृत कब्जे की अनुमति देते हैं, तो सभी मामलों में ऐसा करना पड़ेगा। फिर भी चूंकि वे हरिजन हैं उनसे अनधिकृत कब्जे वाले स्थान को छोड़ने के लिए कहने पर उनके लिए अन्येतर व्यवस्था की जाती है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : एक बात से इंकार नहीं किया जा सकता और वह यह है कि भारत सरकार कम आय वाले 10 तथा गन्दी बस्तियों और पटरियों पर रहने वाले व्यक्तियों को सहायता करने और उन्हें आवास देने में असफल रही है। इसका एक कारण यह है कि नई दिल्ली में कई वर्षों से हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री के होते हुए भी हम उष्ण जलवायु के अनुकूल कम लागत के मकानों के निर्माण की परियोजना नहीं बना सके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है और उसे कियान्वित करना चाहती है जिसके अन्तर्गत यथोचित कम लागत के सुन्दर मकान बनाए जायँ तथा नगर में समेकित नगर योजना विकास कार्यक्रम तैयार किया जाये जिससे कम आय वर्ग के व्यक्तियों का समाज के अन्य वर्गों के साथ एकीकरण हो सके ? तीन बार पूछे जाने पर भी मंत्री महोदय इस प्रश्न को टालने का प्रयत्न कर रहें हैं कि क्या ऐसे लोगों को नगर में रखकर उनको समाज में मिलाने का प्रयत्न किया गया है ?

श्री के० के० शाह : इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यहां हम केवल झुग्गी झोपड़ी से सम्बन्धित हैं कम लागत के मकानों के निर्माण से नहीं। फिर भी दिल्ली में एकीकरण का कार्यक्रम बनाया गया है और उसे बढ़ाया जा रहा है।

डा० सुशीला नैयर : पटरियों पर रहने वालों की उनके घरों को तोड़ने और उन्हें वैकल्पिक आवास देने की समस्या बहुत पुरानी है। मैं पहले यह जानना चाहती हूं कि क्या अनधिकृत रूप से अधिवास को रोकने के लिए सरकार ने कोई प्रभावपूर्ण कदम उठाया है क्योंकि यह नित्य प्रति की बात हो गई है ? क्या मंत्री महोदय ने कोई सीमा निर्धारित करने के लिये सहमत हो गए हैं, जोकि समय समय पर बदलती रही है अथवा क्या सरकार दिल्ली में अनधिकृत रूप से बसे प्रत्येक व्यक्ति को वैकल्पिक आवास देने में समर्थ है ?

श्री के० के० शाह : जुलाई, 1960 निर्दिष्ट सीमा थी। जिन लोगों ने जुलाई, 1960 से पहले से वहां रह रहे है वे वैकल्पिक आवास पाने के पात्र हैं तथा जिन्होंने जो जुलाई, 1960 के बाद बसे हैं, उन्हें इसका पात्र नहीं माना गया है।

श्री म० ला० सोंधी : क्या वे भारतीय नहीं हैं ? क्या उन्हें बाह्य अन्तरिक्ष में आवास दिया जाएगा ?

श्री के० के० शाह : पहले प्लाट 80 वर्ग गज के थे और अब 25 वर्ग गज के प्लाट हैं।

डा० सुशीला नैयर : 1960 के बाद बहुत से लोग आ गये है। नवीन अधिवास को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है ? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री के० के० शाह : हम उसे रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु स्वीकार करना पड़ता है कि हम इसमें सफल नहीं हुए हैं।

श्री रा० धो० भण्डारे : वह किस प्रकार रोक सकते हैं ?

Shri Ramji Ram : I have a guide map of that place and it shows that there is adequate land where the Harijans have been living. On the other side of it arrangements are there for Jhuggis and Jhopries and it is covered under the Master Plan. In spite of giving them assurances not to disturb them. They are being forcibily removed from there because they voted against the present Government. I would like to know whether the Government would make any arrangement to settle them there ?

श्री के० के० शाह : पहले माननीय सदस्य को कम से कम इतना अवश्य मालूम होना चाहिए कि दिल्ली विकास प्राधिकार कांग्रेस के हाथ में नहीं है। दूसरे प्रश्न अधिकृत और अनधिकृत कब्जे से सम्बन्धित है। मत देने या न देने का कोई प्रश्न नहीं है। यदि उनका कब्जा अधिकृत है तो उनसे कोई भी खाली नहीं करा सकता और यदि उन्होंने अनधिकृत रूप से कब्जा किया है तथा उन्हें वैकल्पिक आवास दिया जायेगा, तो इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य क्या चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह ऐसी समस्या है जो केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है अपितु यह समस्या किसी न किसी रूप में सभी नगरों में विद्यमान है। अतः पात्रता एवं वैधानिकता को एक तरफ रखकर क्या मंत्री महोदय इस प्रश्न पर मानवता की दृष्टि से विचार करेंगे ? चूंकि इस वर्ष हम गांधी शताब्दी मना रहे हैं और गांधी जी इन निर्धन व्यक्तियों से स्नेह रखते थे, मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार इन लोगों के रहने के लिए रैन बसेरे बनाएगी ?

श्री के० के० शाह : बम्बई और कलकता में किसी हद तक इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया गया है । हम इस विषय पर मानवता की दृष्टि से विचार करने को तैयार है किन्तु हमें मानवीय और वित्तीय सीमाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए ।

श्री म० ला० सोंधी : वह मानवीय दृष्टि कोण की बात कर रहे हैं। क्या उन्होंने कभी इस स्थान को जाकर देखने का कष्ट किया है ?

श्री के० के० शाह : मैं अपने मित्र को यह अवश्य बता देना चाहता हूं कि मैं उन लोगों की ओर उनसे अधिक ध्यान देता हूं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : उन्होंने कानपुर जाकर उनकी हालत नहीं देखी है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, There are about 1 lakh Jhuggis in Delhi which are to be provided accommodation. Unfortunately in Delhi there are two swords hanging on our head not just one. One is the multiplicity of authority dealing with their rehabilitation, namely D. D. A., the Lt. Governor, Development Corporation and the ministry of Health. The second which is more dangerous is the transfer of the charge of D. D. A. from the one to second minister and from the second to the third minister during the last two years and all the three are fully ignorant in the matter. They know nothing and pay no attention to this matter and combine themselves to merely assuring the questions put to them. They do not go beyond that and apprise themselves of the factual position.

I want to say that all the concerned authorities which these people have to approach should be centralised at one place. Secondly the colonies built and developed by the Government are given the name of Jhuggi Jhonpri colony, Sewa Nagar etc. in case of Jhuggi dwellers, messengers etc. and the colonies meant for the big officials are named Shan Nagar or something like that inspite of their slogan or socialism. If you are unable to bring real socialism in the country, you should, at least,choose proper names for these colonies.

I want to know the reasons for reducing the area of the plot, allotted to them from 80 sqr. yards to 25 sqr. yards ? Why don't you give 80 sqr. yard Plots to the persons eligible for it ? Are you not creating slums at other places after clearing them from one place ?

Shri K. K. Shah : So far as the first question of the hon. member regarding the number of ineligible and eligible persons is concerned, I would like to tell him that we had provided for 37 thousand persons and 34 thousand of them are yet to be accommodated. But the number of new ineligibles has been increased to 66 thousand. I would request the hon. member that he should try to realise our as well as his own limitations because whatever provision is made the number of ineligibles goes on increasing.

Shri Kanwar Lal Gupta : Earlier you gave them 80 sqr-yards plots but why have you reduced it to 25 sq. yards ?

Shri K. K. Shah : I have already said that with the increase in the number the land available will be reduced.

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister comes here without studying the facts.

श्री के० के० शाह : मुझे अनावश्यक आलोचना के लिए दुःख है । सम्भवतः वह स्वयं नहीं पढ़ते हैं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरी आपको चुनौती है । आप वृद्ध होने के कारण या किसी अन्य कारण से अध्ययन नहीं कर सकते.....(व्यवधान)

बिड़ला हाउस नई दिल्ली को राष्ट्रीय स्मारक बनाना

+

***243. श्री हेम बरुआ :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रवि राय :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित बिड़ला हाउस को, जहां गांधी जी का देहावसान हुआ था, राष्ट्रीय स्मारक बनाये जाने की हाल ही में मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) मालिकों से प्राप्त प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए तथा मांग को ध्यान में रखते हुए, संपूर्ण प्रश्न परीक्षाधीन है ।

श्री हेम बरुआ : श्री आगाखान, जो वास्तव में एक महान आत्मा है, ने पूना स्थित अपना भवन जहां महात्मा गांधी जी रहा करते थे, देश को अर्पित कर दिया था । "इन दी शैडो आफ दी महात्मा" नामक पुस्तक पढ़ने से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि श्री जी. डी. बिड़ला ने महात्माजी द्वारा उठाए गये सभी स्थानीय मामलों का धन देकर समर्थन किया था इस पुस्तक में ऐसा ही लिखा है । इस प्रसंग में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री जी. डी. बिड़ला अथवा उनके सम्बन्धियों ने हमारे इस राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की इस अवधि के दौरान कभी बिड़ला भवन को राष्ट्र को देने का प्रस्ताव किया है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां गांधी जी का देहान्त हुआ था ? क्या कभी उसने यह प्रस्ताव किया है ? और यदि नहीं, तो क्या इस भवन का अधिग्रहण करने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्या इसका कारण यह नहीं है कि सरकार पर बिडला का बहुत अधिक प्रभाव है ?

श्री के० के० शाह : जैसा कि मैंने राज्य सभा में कहा कि उसके मालिक प्रार्थना स्थल को देने के लिए तैयार हैं जिसकी सूचना सरकार को वर्ष 1955 में ही दे दी गई थी। जब प्रधान मन्त्री श्री नेहरू का इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया तो उन्होंने एक वक्तव्य भी दिया था कि यह स्थान तो पहले से ही पवित्र स्थल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, और कोई भी वहां जा सकता है, इसीलिए इस दिशा में और आगे कुछ करना आवश्यक नहीं है। चूंकि यह प्रश्न अब उठाया गया है, तो हम इस पर पुनः विचार कर रहे हैं और मैंने इस विषय पर एक वक्तव्य भी दिया है, **(व्यवधान)** .....।

क्या वह प्रस्ताव पर्याप्त है अथवा नहीं तथा पूरे क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाए-यह सब बातें विचाराधीन हैं। मैं श्री जी०डी० बिड़ला को भी पत्र लिख चुका हूं।

श्री हेम बरुआ : हमें केवल प्रार्थना स्थल को ही मूल नहीं मानना चाहिए। यह सर्व-विदित है कि आप पिछले द्वार से ही प्रार्थना स्थल तक जा सकते हैं। क्या यह सच है कि बिड़लाओं ने इस भवन को श्री नेहरू से अपना सरकारी निवास बनाने का प्रस्ताव किया था ?

क्या बिड़ला भवन को सभी प्रधान-मन्त्रियों का निवास बनाने का प्रस्ताव किया गया था अथवा केवल नेहरू जी के लिए ही किया गया था, क्योंकि वह बहुत शक्ति शाली व्यक्ति थे ?

श्री के० के० शाह : यह प्रश्न भी राज्य सभा में उठाया गया था और मैं यह देखने का प्रयत्न कर रहा हूं कि क्या यह रिकार्ड में है। पूरे तथ्यों की जानकारी के बिना मैं कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : चूंकि यह प्रश्न पहले ही राज्य सभा में पूछा जा चुका है। इसलिये यह तो और भी कारण है कि उन्हें सभी में पूरी जानकारी प्राप्त करके आना चाहिए था।

श्री के० के० शाह : मैं ने पिछले 5-10 वर्षों के कागज़ देखे हैं, और मुझे पता चला है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था। यदि और अधिक पुराने कोई रिकार्ड हैं तो मैं उन्हें देखने तथा तथ्यों का पता लगाने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री हेम बरुआ : ऐसी कारण है कि बिड़ला ने देश में अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए ही इस को नेहरू जी को देने का प्रस्ताव किया था। परन्तु यहां मन्त्री महोदय है हमें बताते हैं कि इसका कोई रिकार्ड नहीं है। वे राज्य सभा में कही गई बातों को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं। यदि यह प्रश्न राज्य-सभा में पूछा गया था तो इनको इस सदन के समक्ष उसका उत्तर देने के लिए तैयार होकर आना चाहिए था।

श्री स० मो० बनर्जी : पूर्व इसके कि मैं अपना प्रश्न पूंछू, मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे लोक सभा में उठाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं न कि राज्य सभा में उठाए गए प्रश्न का। जब यह मामला व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के आधार पर उठाया गया था, तो श्री कमलनयन बजाज ने कहा था कि यह श्री नेहरु जी के समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखा गया था। मैं आदरणीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वे लोकसभा और राज्य सभा दोनों की कार्यवाहियों को पढ़ें।

मैं अपने आदरणीय मित्र श्री शशि भूषण जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस प्रश्न की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिससे कि सरकार के लिए इस भवन को बिड़ला के हाथ में रहने देना असम्भव हो गया है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए तत्कालीन आवास मन्त्री श्री जगन्नाथ राव ने इसी सदन में बताया था कि गांधी जी की मृत्यु दुर्घटना स्थल पर दी गई थी। अभी फरवरी, 1969 में श्री नीतिराज सिंह के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री यशवन्तराव चव्हाण ने कहा था कि उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर गांधी जी की मृत्यु बिड़ला भवन, में हुई थी अतः इसलिए हमें पता नहीं चलता कि इन दोनों में कौन सा मन्त्री सही है गृह-कार्य मन्त्री अथवा तत्कालीन आवास मन्त्री और वतर्मान खान तथा धातु मंत्री। अतः प्रस्तुत किए गए तथ्यों में विरोध है। (व्यवधान)। मेरा प्रश्न तो बहुत ही साधारण है। अब जबकि गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य के बाद, जो आवास मंत्री से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, यह निसंशय सिद्ध हो गया है कि गांधी जी की मृत्यु बिड़ला भवन में ही हुई थी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने श्री जी. डी. बिड़ला अथवा बिड़ला समूह के उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना इस भवन का अधिग्रहण करने तथा इसके लिये जिलाधीश से कार्यवाही करने के लिये कदम उठाये हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि तीस जनवरी मार्ग से सड़क के एक छोटे से टुकड़े के लिए उन्होंने 8 लाख रुपये की मांग की है ? इस बारे में क्या कार्यवाई की गई हैं ?

श्री के० के० शाह : मैं दोनों वक्तव्यों से अवगत हूँ। जब मेरे माननीय मित्र इन वक्तव्यों को पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनमें एक परन्तुक भी है। अतः वह नहीं कह सकते कि उनका कथन बिल्कुल गलत था।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने उन्हें गलत नहीं कहा। वह मेरे मित्र हैं।

श्री के०के० शाह : जहां तक सड़क के मूल्य का प्रश्न है उन्होंने कोई मूल्य नहीं मांगा है। हमने यह हिसाब लगाया है कि यदि हम अधिग्रहण करते हैं, तो उसका मूल्य कितना होगा। सम्भवतः यह सूचना कि इसका मूल्य कितना होगा, इसका पता हमारे कार्यालय से अनधिकृत रूप से चल गया होगा। परन्तु ये सब प्रश्न, जैसा मैंने कहा विचाराधीन हैं और इनके निर्णय के सम्बन्ध में मैं अभी नहीं कह सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : परन्तु गांधी जी की मृत्यु कहां हुई ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य मन्त्रीजी ने बताया कि उनकी मृत्यु कमरे में हुई।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, before I put my question I request you kindly to allow me to raise the question of privilege for which I have given notice because Shri Charan says that Gandhiji died in the room whereas Shri Jagan Nath Rao says some thing different. Since Aga Khan has made over the house, where Shrimati Kasturba died, to the nation, and nation has accepted the offer, are Government considering to acquire the Birla House where Gandhiji died ? Secondly, since charges of corruption have been levelled against Birlas and some people do not want these to be looked into or any Commission or Board of enquiry to be set up, they are putting pressure on Government not to take over the Birla House. In view of these facts will Government inform the house after reconsidering this question ?

श्री के० के० शाह : सबसे पहले तो ये धारणाएं बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है और किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। जहां तक मेरे मित्र श्री जगन्नाथ राव का प्रश्न है मैं समझता हूं कि श्री एच० एन० मुखर्जी द्वारा उस दिन इस सदन में कहे गये शब्दों को दोहराना श्री जगन्नाथराव के प्रति न्यायोचित होगा। उन्होंने कहा था, "परन्तु यहां सरकार के एक प्रतिनिधि श्री जगन्नाथ राव उपस्थित है, जो कहते हैं कि मैं यह नहीं जानता कि गांधीजी की मृत्यु, भवन में हुई थी अथवा भवन से बाहर।"

Shri Rabi Ray : What are you saying ? When the question of breach of privilege comes up, you reply to it ?

Shri Madhu Limaye : To which point you are giving clarification ? Why are you taking shelter behind the statement of Mr. Mukherjee ?

Shri A. S. Saigal : When you have came to know through the Court that Gandhiji died inside the Birla House. What is your objection or to its acquisition or to negotiateits take over with them ?

Shri K. K. Shah : I have not said that there was any difficulty before us. We are having negotiations, considering the matter, and you should not presume that there is any difficulty in this.

Shri A. S. Saigal : The matter has been hanging fire for a considerable long period.

श्री हेम बरुआ : आप इसे सीधे अधिग्रहीत क्यों नहीं कर सकते ?

श्री स० मो० बनर्जी : ऐसा इसी सत्र में किया जाना चाहिये।

श्री रंगा : मुझे नहीं मालूम कि इस सरकार का हृदय कितना विशाल है। केवल महात्मा गांधी के एक मित्र की भावनाओं के लिये वह 22 वर्ष से बातचीत करती आ रही हैं। हममें से कितने ही महात्मा गांधी के मित्र, साथी तथा अनुयायी थे। हम श्री जी० डी० बिड़ला की भावनाओं का आदर करते हैं। उन्हें उचित रवैया अपनाना चाहिये। उन्हें सारे देश को यह प्रभाव नहीं देना चाहिये कि न तो कोई युक्ति और न ही समूचे राष्ट्र की भावनायें की कोई चिन्ता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार के समक्ष विभिन्न प्रस्ताव क्या हैं। मैं समूचे बिड़ला हाउस तो नहीं चाहता परन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूं कि उनका कमरा, उसके साथ वाला कमरा और जिस रास्ते से वह प्रार्थना सभा में जाते थे, उसे अधिहीगृत किया जाना चाहिये। लोगों को वहां एक गली में होकर जाना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस भवन के महात्मा गांधी द्वारा प्रयोग किये जाने वाले भाग को प्राप्त करके उसी प्रकार राष्ट्र के हवाले करेगी जैसे श्री आगा खां ने पूना वाले महल के सम्बन्ध में किया था।

श्री के० के० शाह : इस सम्बन्ध में तीन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। एक रास्ता 30 जनवरी मार्ग से इस पवित्र स्थान को जाने का है। एक और तुगलक मार्ग से है। तीसरा विकल्प समूचे भवन को अर्जित करने का है।

श्री हो० ना० मुखर्जी : मैंने कई बार यह बताने का प्रयत्न किया है कि मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ?

श्री जयपाल सिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री हो० ना० मुखर्जी : मैं सरकार का ध्यान 'मिस्टरी आफ बिड़ला हाउस' नामक पुस्तक की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है ;

"1948 में बिड़ला हाउस में गांधीजी की हत्या हुई थी ।

परन्तु ऐसे भक्तों में इससे अधिक हत्यायें हो रही हैं, वहां हमारी जनता के स्वास्थ्य, धन तथा प्रसन्नता की हत्या हो रही है ।"

क्या सरकार इसी कारण से बिड़ला हाउस के अधिग्रहण से हिचकिचा रही है ।

श्री के० के० शाह : माननीय सदस्य ने पुस्तक में उल्लेख किया है । यह किसी व्यक्ति का मत है और ऐसा मत सभी का नहीं हो सकता है ।

फरक्का बांध के बारे में भारत-पाकिस्तान समझौता

\+

*244. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री अविचन :
श्री बलराज मधोक :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध तथा गंगा के पानी के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच दिसम्बर, 1968 में हुई बैठक में कोई समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) तथा (ख) : दिसम्बर, 1968 में सचिवों के स्तर पर जो भारत-पाकिस्तान वार्ता हुई थी उस का उद्देश्य यह था कि तकनीकी विचार-विमर्श के बारे में तब तक जो प्रगति हो चुकी थी उसका पुनरीक्षण किया जाए और तकनीकी स्तर की बातचीत में गहनता और तेजी लाने के लिए पद्धतियां निर्धारित की जाए । बैठक में कुछ आकड़ों का विनिमय किया गया और कुछ

तकनीकी मामलों पर विचार-विमर्श हुआ । बातचीत अनिर्णायक रही और बैठक इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में मार्च, 1969 में फिर से करने के लिए स्थगित कर दी गई ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : माननीय मन्त्री ने कहा है कि दिल्ली में हुई दोनों सरकारों के सचिवों की पिछली बैठक में अगली बैठक 18 मार्च, 1969 को पाकिस्तान मे होनी निश्चित हुई थी । पाकिस्तान की हाल ही की घटनाओं से तथा पूर्वी पाकिस्तान की अधिक स्वायतता की मांग को देखते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने 18 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाली बैठक के बारे में निर्णय स्थगित कर दिया है अथवा वह निर्णय अभी तक है ।

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उसके अतिरिक्त यह भी निर्णय हुआ था कि 31 जनवरी तक दोनों देशों के बीच जानकारी का विनिमय किया जायेगा । ऐसा नहीं हुआ है । अत: मुझे सन्देह है कि बैठक निश्चित तिथि पर होगी ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : पिछली बैठक में यह निर्णय किया गया था कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने जो भी सूचना दी है, वह पूर्णतया अपर्याप्त है । यह सूचना आर्थिक होने की बजाये राजनैतिक थी । क्या भारत सरकार ने पाकिस्तानी अधिकारियों को अधिक तकनीकी जानकारी देने के लिए कहा है । यदि हां, तो क्या इस बात को देखते हुए कि जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, यह बातचीत जारी रखने की कोई आवश्यकता है और क्या सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फरक्का पर निर्माण कार्य चलता रहेगा और कार्यक्रम के अनुसार 1971 से पहले पूरा हो जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि अधिक तकनीकी जानकारी का विनिमय करना होगा, पिछली बार दी गई तकनीकी जानकारी पर्याप्त नहीं थी और त्रुटिपूर्ण थी । इसलिए हमने अग्रेतर जानकारी मांगी है, फरक्का के बारे में हमें पाकिस्तान से निर्देश लेने की आवश्यकता नहीं है और हम अधिकतम गति से कार्य कर रहे हैं ।

Shri Hardayal Devgun : It is within our right to build Farraka Barrage because we are constructing it on our own land. We should not get ourselves involved in a situation created as a result of the objections raised by Pakistan. Pakistan wants to make it an international issue. Pakistan should be told in clear terms that they have no right to interfere in this matter and we are not prepared to discuss this matter with them. The people of India cannot allow the Government to get involved in this conspiracy and create international problems. In view of this, I want to know the reason as to why Pakistan is not told in explicit terms that she has no locu standi in it ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : यह बात अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के हित में है कि हम ऐसी बातचीत के लिए तथा ऐसे समाधान ढूंढने के लिये सदा तैयार रहें जो परस्पर सन्तोषजनक हों और यही बात भारत सरकार कर रही है ।

श्री बलराज मधोक : फरक्का बांध की योजना इस सरकार ने नहीं बल्कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के अंग्रेज शासकों ने बनाई थी । वे यह जानते थे कि कलकत्ता पत्तन के

लिये यह योजना अनिवार्य थी । पाकिस्तान की आपत्ति वास्तविक नहीं थी क्योंकि वे गगा का पानी नही चाहते । पूर्व पाकिस्तान की समस्या कम पानी की नहीं बल्कि अधिक पानी की है। पाकिस्तान द्वारा इस समस्या के उठाये जाने के दो कारण है । एक यह कि पूर्व पाकिस्तान को काश्मीर के मामले में अधिक रुचि नहीं है अतः वे इस मामले में भावुक नहीं होते । वे पूर्व पाकिस्तान में कोई ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते है जिससे उन्हें भावुक बनाया जा सके और वहा भारत विरोध भावनाओं का प्रचार किया जा सके ।

दूसरा कारण यह है कि बांध बन जाने के बाद उत्तर और दक्षिण बंगाल में एक पुल द्वारा सम्पर्क स्थापित हो जायेगा जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान यह नहीं चाहता ।

फरक्का बांध बन जाने से पाकिस्तान की सिचाई आदि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता । यह तो केवल भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने के लिये आपत्ति की जा रही जिसकी पुष्टि श्री भुट्टो की नवीनतम पुस्तक तथा विवरणों से होती है । इस विचार से क्या मंत्री महोदय इस सभा को स्पष्ट रूप से आश्वासन देंगे कि हम फरक्का बांध का निर्माण कार्य नहीं रोकेगे और वह समयानुसार पूरा किया जायेगा चाहे पाकिस्तान कुछ भी कहता रहे और इसमें पाकिस्तान को कोई वैध अधिकार नहीं है ?

डा० कु० ल० राव : यह सम्भव है कि माननीय सदस्य ने जो कारण बताये हैं, वही हों । हमारा भी यही विचार है, जहां तक फरक्का बांध के निर्माण कार्य का सम्बन्ध है, मैं सभा को स्पष्ट आश्वासन देता हूं कि वह तीव्र गति से चल रहा है और यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हम अपने इंजीनियरों और कर्मचारियों के प्रयत्नों के कारण इस कार्य को एक वर्ष पहले पूरा किया जा रहा है । हमें आशा है कि वर्ष 1971 में हम कलकत्ता में पानी की सप्लाई कर सकेंगे । अतः इस विषय पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है । मैंने केवल यह कहा था कि गंगा का पानी भारत और पाकिस्तान के बीच से होकर बहता है और तकनीकी आंकड़ों के सम्बन्ध में आपस में बातचीत करना अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के हित में है । इस बातचीत का प्रयोजन बहुत सीमित है ।

श्री स्वैल : पाकिस्तान में वर्तमान घटनाओं को देखते हुए और इसके फलस्वरूप पूर्व पाकिस्तान में राजनीतिक वातावरण में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार इस समस्या पर फिर से विचार करेगी और इसे दो देशों के बीच केवल तकनीकी मामला नहीं समझेगी ? विशेषकर क्या सरकार इस समस्या के समाधान के लिये पश्चिम बंगाल की नई सरकार का सहयोग प्राप्त करेगी ?

डा० कु० ल० राव : हम इस प्रश्न की राजनीतिक कठिनाइयों पर विचार नहीं कर रहे हैं । हम केवल तकनीकी आंकड़ों का आदान-प्रदान करने के लिये वचनबद्ध हैं । इसका सीमित प्रयोजन यह पता लगाना है कि क्या इस आदान-प्रदान से भारत और पाकिस्तान दोनों देश परस्पर स्वीकार्य परियोजनायें आरम्भ कर सकते हैं ?

श्री स्नेल : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार अपने दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन करेगी और क्या इस समस्या का समाधान करने के लिए वह पश्चिम बंगाल की नई सरकार से सहयोग प्राप्त करेगी ?

डा० कु० ल० राव : मैंने इसी का उत्तर दिया है। हम उस देश में होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों को ध्यान में रख कर इस पर विचार नहीं कर रहे हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : आंकड़ों के आदान-प्रदान की समस्या के साथ साथ हमारे इंजीनियरों द्वारा फरक्का से नीचे के नदी के भाग का निरीक्षण करने की समस्या भी है। यह कार्यक्रम कहां तक क्रियान्वित हो सका है अथवा क्या निकट भविष्य में उसके क्रियान्वित होने की कोई सम्भावना हैं ?

डा० कु० ल० राव : नवम्बर, 1968 में हमारे इंजीनियर पाकिस्तान में परियोजनायें देखने के लिये गये थे।

श्री समर गुह : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकार नवाबी कार्यवाही के रूप में पूर्व पाकिस्तान में गंगा से कुछ मील नीचे की ओर, जिसे पद्मा कहते हैं, एक नया बांध बनाने जा रही है और यदि वह बांध बनाया गया तो उसका पश्चिम बगाल में नादिया तथा मुर्शिदाबाद जिलों और पूर्व पाकस्तान के कुस्तिया जिले पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० कु० ल० राव : पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने बताया था कि वह हार्डिग ब्रिज के निचले भाग की ओर एक बांध बनाना चाहते हैं। गंगा पर बांध बनाने के लिये काफी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। यह इंजीनियरों द्वारा किये जाने वाला काफी बड़ा कार्य है और वे उसे इतनी जल्दी नहीं बना सकते। इस कार्य में कई वर्ष और काफी धन लगेगा। यह ठीक है कि यदि गंगा के निचले भाग की ओर बांध बनाया गया तो उसका प्रभाव हमारे देश के कुछ भागों में पड़ेगा। हमें इस बात की पूरी जानकारी है और हमने यह बात उनको बतायी भी थी। वे भारत के हितों को हानि पहुंचाये बिना बांध का निर्माण कभी भी नहीं कर सकते। यदि ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो भारत सरकार सहज ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री मनुभाई पटेल : क्या मन्त्री महोदय स्पष्ट रूप से यह बतायेंगे कि तकनीकी आंकड़ों के सम्बन्ध में पाकिस्तान के अधिकारियों का मतभेद है और सरकार अपनी योजना पर दृढ़ रहेगी और उसके अनुसार अपना कार्य करती रहेगी ?

डा० कु० ल० राव : इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि हम सहमत हैं अथवा नहीं, जैसा कि मैं कह चुका हूं, परियोजना चल रही है। वास्तव में यह बड़ी तेजी से चल रही है तथा एक वर्ष बाद फरक्का बांध पूरा हो जाएगा। अतः विचार विनिमय के कारण उसमें किसी प्रकार की अड़चन आने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि हमने उनके

साथ केवल विचार विनिमय किया है तथा तकनीकी आंकड़ों का आदान-प्रदान किया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि क्या दोनों देशों के लिए कोई उपयोगी समाधान हो सकता है या नहीं।

Shri Maharaj Singh Bharati : Mr. Speaker, Sir, while this Farakka Barrage will deaken Hugli and supply drinking water to Calcutta, it will also help the transportation of goods to Assam through water ways. I want to know from the hon. Minister the time by which his department will release the Frra Barrage duly, completed to the Railways for construction of railway line over it for linking up Assam and Calcutta. Can he give a definite date in respect of completion of this railway line as he has given in case of supply of water, i. e. by 1971 ?

डा० कु० ल० राव : फरक्का बांध पर सड़क और रेल के पुल बनाए जायेंगे। 1971 में हमें उन दोनों के पूर्ण हो जाने की आशा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या माननीय मंत्री इस तथ्य से अवगत है कि पश्चिमी बंगाल की जन सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में गैर-सरकारी शिष्ट मण्डल भेजने की इच्छा वक्त की है, जहां के लोगों का खून हमारी तरह ही है.... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : फरक्का बांध से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय और सरकार इस उद्देश्य से जाने वाले शिष्टमण्डल से लाभ उठायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन सेन।

श्री बलराज मधोक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने जन सरकार की बात कही है। क्या जन सरकार कुछ अन्य चीज है ? क्या यहां जन सरकार है और वहां जन विरोधी सरकार है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है अतः मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह आपका बड़ा अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय : यह फरक्का बांध का प्रश्न है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम एक निबटारा चाहते हैं। पूर्वी पाकिस्तान को एक गैर-सरकारी दल जा रहा है....

अध्यक्ष महोदय : यह मामला भिन्न है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह प्रश्न फरक्का बांध से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अस्वीकार कर दिया है।

Shri Shashi Bhushan : I want to know the conclusions reached as a result of visit of various goodwill missions from India to Pakistan and from Pakistan to India and whether Government have started to construct this Barrage or not.

डा० कु० ल० राव : हमने कोई शिष्टमण्डल नहीं भेजा। विचार विनिमय के मध्य दोनों ओर से यह व्यक्त किया गया था कि दोनों देशों के अपने अपने इन्जीनियर दूसरे देश की परियोजनाओं का दौरा करें। यही किया गया था। पाकिस्तान के इन्जीनियरों ने हमारे फरक्का बांध को देखा और हमारे इन्जीनियरों ने गंगा और कोबाडक परियोजना को देखा।

विदेशी सहयोग

*245. **श्री देवेन सेन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी सहयोग करार की शर्तों का अनुमोदन करते हुए विदेशी सहयोग-कर्त्ता इस बात पर बल देते हैं कि अध्यक्ष उनके दल के अंशधारियों में से ही नियुक्त किये जायें; और

(ख) क्या वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी उनके द्वारा छांटे गये लोगों में से ही नामांकित किये जाने चाहिये ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख): एक विवरण लोक-सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख): जिन मामलों में सरकार विदेशियों के हाथ, पात्रता के आधार पर, अधिकतर शेयर बेचने की अनुमति दे दे उनमें, यदि विदेशी सहयोगी अधिकतर शेयरों के मालिक होने के नाते यह चाहे कि सम्बद्ध भारतीय कम्पनी में अध्यक्ष या प्रबन्ध-निदेशक उनका नामजद व्यक्ति हों तो उस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। विदेशियों के हाथ कम शेयर बेचकर विदेशी सहयोग प्राप्त करने की स्वीकृति देते समय भारत सरकार बहुत ही अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़ और किसी परिस्थिति में विदेशी शेयरों-होल्डरों में से अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करने के लिये सहमत नहीं होती। ऐसे अपवाद-स्वरूप मामलों में, सरकार मुख्यतः प्रायोजना के तकनीकी नियंत्रण की दृष्टि से उस सीमित अवधि तक जब तक कि प्रायोजना में वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन न होने लगे विदेशी सहयोग द्वारा अध्यक्ष या प्रबन्ध-निदेशक नियुक्त किए जाने के लिए सहमत हो सकती है।

पर किसी भी कम्पनी के प्रबन्ध-निदेशक की नियुक्ति और उसकी नियुक्ति की शर्तों के सम्बन्ध में समवाय अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार समवाय विधि विभाग की पूर्वानुमति लेनी जरूरी है।

Shri Deven Sen : It has been said in the statement laid down on the table of the House that:

"जिन मामलों में सरकार विदेशियों के हाथ, पात्रता के आधार पर, अधिकतर शेयर बेचने की अनुमति दे दे, यदि विदेशी सहयोगी अधिकतर शेयरों के मालिक होने के नाते यह चाहें कि सम्बद्ध भारतीय कम्पनी में अध्यक्ष या प्रबन्ध-निदेशक उनका नामजद व्यक्ति हो तो इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती।"....

May I know th number of companies with foreign capital participation, which have Directors or Managing Directors of the choice of their foreign share holders ?

श्री मोरारजी देसाई : यह बताना कठिन है कि कितनों में केवल प्रबन्ध-निदेशक हैं और कितनों में अध्यक्ष हैं। यदि यह प्रश्न विशिष्ट रूप से पूछा जाय, तो मैं अवश्य ही जानकारी दूंगा। यह प्रश्न सैद्धान्तिक रूप से पूछा गया था। अतः मेरे पास में सब जानकारी नहीं है।

Shri Deven Sen: I want to know the number of Directors or Managing Directors representing the minority foreign capital participation.

Shri Morarji Desai : I will certainly answer it if a fresh question is put and will be able to give you the requisite information.

Shri Deven Sen : In the reply to my previous question also I was told to put a fresh question and when I have done so I am again receiving the same reply.

अध्यक्ष महोदय : आप ब्यौरा जानना चाहते हैं किन्तु मंत्री महोदय के पास ब्यौरा नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, it would be better before saying something the hon. Minister thinks over it. The hon. Minister has stated the position where there is majority of foreign participation while the hon member wants to know about the minority participation What will would be more clear than this ?

अध्यक्ष महोदय : उनके पास पूर्ण ब्यौरा नहीं है।

Shri Morarji Desai : I have already said that I do not have all the details. I can give the same it asked for.

Shri Tulsidas Jadhav : It has been reported in the newspapers that the foreign technicians working in the factories with the foreign collaboration, do not consult our technicians and when they give their advice, they are paid no heed to our technicians. This creates a sense of humiliation among them. May I know how far it is true ?

Shri Morarji Desai : I have not received any such complaint.

श्री लोबो प्रभु : विदेशी सहयोग के प्रश्न पर हमें अपनी वर्तमान अर्थ व्यवस्था को देखते हुये विचार करना है। मैं तीन तथ्यों की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो यह कि उद्योगों की औसत 50 प्रतिशत और कुछ की तो 80 प्रतिशत तक क्षमता बेकार है। दूसरे उनके द्वारा पेश किये गये बजट से प्रतीत होता है कि जितना आयात मशीनों का है, उतना ही उनके फालतू पुर्जों का आयात है। वास्तव में हम पश्चिमी देशों अथवा

दूसरे विकसित देशों के नए रूप में अधीन हो गए हैं क्योंकि वे मशीनों के साथ और जो कुछ भेजते हैं तो हम उसका आयात करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तीसरे यह है कि हम अपने ग्रामीणों के लिए बहुत कम किया है जबकि उद्योगों के लिए हम बहुत कुछ कर चुके हैं। क्या माननीय मंत्रीजी, योजना आयोग के सदस्य की हैसियत से इस पर विचार करेंगे कि विदेशी सहयोग की योजनाओं, और प्रत्येक प्रकार की आयात-योजनाओं पर प्रतिबन्ध लगाने का क्या अब समय नहीं आया है, और अपने देशवासियों के बारे में उनकी आवश्यकताओं के लिये उनके अपने ही साधनों से उनके विकास के विषय में सोचेंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : बिल्कुल यह नीति सरकार ने अपनाई हुई है। जहां कहीं हमारे लोग किसी कार्य को कर सकते हैं हमने उस के लिए विदेशी सहयोग नहीं लिया है। परन्तु जहां कहीं भी विदेशी सहयोग लिया गया है उसे करार की अवधि से पूर्व समाप्त नहीं किया जा सकता। हमारी केवल यही नीति है। यद्यपि माननीय सदस्य को काफी जानकारी होती है, परन्तु उनका यह कहना जरा भी ठीक नहीं है कि 80 प्रतिशत क्षमता अप्रयुक्त है।

श्री लोबो प्रभु : एक उद्योग में।

श्री मोरारजी देसाई : सम्भव है यह एक कारखाने में हो उसका कारण क्या है, मैं नहीं जानता कुछ बन्द कपड़ा मिलों की तरह यह कुछ और मामलों में भी हो सकता है। यह भी सच नहीं है कि अनेक मामलों में 50 प्रतिशत क्षमता बेकार है।

श्री रा० बरुआ : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अपने ही संसाधनों और योग्यता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने, यह जानने के लिये कि विदेशी सहयोग किस क्षेत्र में आवश्यक है कोई विशेष व्यवस्था बना रखी है ?

श्री मोरारजी देसाई : इस विषय में एक नीति सम्बन्धी विवरण जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि किन क्षेत्रों में विदेशी सहयोग की अनुमति दी जायेगी और किन में नहीं... (व्यवधान)

श्री रा० बरुआ : ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए क्या कोई व्यवस्था है ?

श्री मोरारजी देसाई : हमने पहले ही उनका पता लगा लिया है और एक विवरण जारी कर दिया है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : यहां विदेशी सहयोगियों के शेयर अधिक हैं। क्या विदेशियों ने भारतीयों के साथ सहयोग किया हुआ है अथवा भारतीयों ने विदेशियों के साथ सहयोग किया है?

श्री मोरारजी देसाई : जहां अधिकांश शेयर उनके हैं, वे हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं अथवा आप कह सकते हैं कि हम भी उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। जहां उनके शेयर अल्प संख्या में है, हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं अथवा वे हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि जहां अधिकांश धन विदेशियों द्वारा लगाया जाता है, वहां विदेशी सहयोग कर्ता को अपने प्रतिनिधि

को अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक चुनने की अनुमति दी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हू कि क्या यह सच है कि जहां विदेशी सहयोगकर्ता की पूंजी कम भी है, वहां भी सहयोग की एक शर्त यह है कि उन्हें अध्यक्ष चुनने का अधिकार होगा। यदि सरकार आपत्ति करे तो वे ऐसा नहीं कर सकते। क्या मत्री महोदय यहां यह स्पष्ट आश्वासन देंगे कि जहां विदेशियों की कम पूंजी होगी वहां सरकार विदेशी सहयोगकर्ता अध्यक्ष मनोनीत करने का अधिकार नहीं देगी ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं ऐसा वचन बिल्कुल नहीं दे सकता। जहां यह आवश्यक होगा वहां ऐसा किया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री इरास्मो डीसेक्वीरा : विदेशी सहयोगकर्ता कम्पनियों के कुछ अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक अत्यधिक वेतन और अन्य सुविधायें ले रहे हैं; कहीं कहीं तो यह वेतन मकान, नौकर, कार और दूसरी सुविधाओं के अतिरिक्त एक लाख रुपये तक है,। क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन कम्पनियों के अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों के वेतन और अन्य सुविधाओं की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मोरारजी देसाई : जहां तक मुझे विदित हैं प्रशासन इस प्रश्न पर विचार कर रहा है।

Shri S. M. Joshi : The hon. Minister has stated that where there is no majority participation they are not allowed to do so and if allowed, those are only exceptional cases. I want to know the number of such exceptions. I also want to know the names of the industries with majority holdings.

Shri Morarji Desai : I said that I have no details here. If it is asked, I shall furnish the same.

Shri S. M. Joshi : There is no necessity of details for exceptions.

Shri Morarji Desai : I have not collected it.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to know whether Government is allowing to foreign collaboration in the manufacture of soaps, oils, and Biscuites and whether foreign collaboration is essential in this field ?

Shri Morarji Desai : I do not know if it is being allowed. I shall look into it. I cannot tell you straightaway.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it being allowed ?

Shri Morarji Desai : So far as I know, it has not been allowed so far. But how can I tell this without looking into it.

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

इण्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज के कर्मचारियों की छंटनी

+

अ.सू.प्र.1. श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री एस० एम० कृष्णा :
श्री मधु लिमये :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 फरवरी, 1969 को इण्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज से 54 कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है;

(ख) क्या इन व्यक्तियों की छंटनी चन्द्रा रेड्डी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर की जायेगी;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया है;

(घ) क्या इस छंटनी के परिणामस्वरूप ऐसे अनुसंधान कर्त्ताओं को नौकरी से निकाल दिया जायेगा, जिनको चीनी, रूसी, जापानी भाषाएं आदि सिखाने में काफी समय और धन व्यय किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस छंटनी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग): जी नहीं। यदि चन्द्रा रेड्डी समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली जाएं तो 19 व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ेगा न कि 54 व्यक्तियों पर जैसा कि प्रश्न में कहा गया है।

(घ) ऐसे किसी अनुसंधान कर्त्ता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) स्कूल को सूचित कर दिया गया है कि विद्यमान स्टाफ स्कूल में तब तक कार्य कर सकता है, जब तक कि उस स्कूल के शासी निकाय से ज्ञापन प्राप्त होने और विचार करने के बाद रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता, जिसे सरकार को पेश करने के लिए वह तैयार कर रहा है।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Chandra Reddy Committee was formed to examine the expansion of the Indian school of International Studies and it was specified in its terms of reference to recommend the extent of expansion of this school to be done. But this Committee, going far from its scope, have recommended the retrenchment of some members of the staff from the school with a view to effecting some savings. The hon. Minister has said that no Research scholar or Reader or lecturer will be retrenched. But according to my information three lectures, two Research Fellows, 11 Research Assistants and one Editor of Publications are to be retrenched. Therefore, there are 70 persons to be affected. Other members of the staff are also affected as mentioned in the Report. This report is arbitrary and full of contradictions. It is a fact that the school authorities were

not consulted before taking a decision in the matter and the report was sent to them after decision thereon had already been taken; if so, would it be ensured by the Government that no decision on the matter is taken without discussing the matter with the school authorities. The Budget provision and the grant for the school were made for the period ending on 28th February. May I know whether Government would given an assurance that no person would be removed from there without consulting the school authorities ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने छंटनी किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 54 से घटाकर 20 करदी है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैंने केवल रीडरों और शोध सहभागों (रिसर्च असिस्टैंटों) के विषय में कहा, उनके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैंने उत्तर में कुल संख्या बताई है । माननीय सदस्य ने 54 व्यक्तियों की छंटनी किये जाने की आशंका व्यक्त की है । किन्तु यदि हम समिति की सिफारिशों को स्वीकार करें तो इससे केवल 19 व्यक्तियों की छंटनी किये जाने की संभावना है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या वे 19 व्यक्तियों का ब्यौरा बताएंगे ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : 19 या 20 में कोई विशेष अन्तर नहीं है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या वे 19 के बारे में ब्यौरे वार बताएंगे ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : पहले मैं जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देता हूं । यदि माननीय सदस्य कुछ और पूछना चाहें तो वे फिर पूछ सकते हैं । उन्होंने चन्द्रा रेड्डी समिति के प्रतिवेदन के विषय में कुछ टिप्पणी की हैं, जैसे कि वह इकतरफा है, आदि आदि । मैं उनकी अतिव्यापक टिप्पणियों से सहमत नहीं हो सकता । मैंने प्रतिवेदन रात ही पढ़ा था । जहां तक छटनी अथवा विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग को इस जांच से सम्बद्ध करने आदि के सम्बन्ध में समिति द्वारा दिए गए सुझावों का सम्बन्ध है, इस बारे में मतभेद हो सकता है । किन्तु मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस समिति ने इण्डियन स्कूल ऑफ इन्टरनेशनल स्टडीज को बहुत अच्छा प्रमाणपत्र दिया है तथा इस समिति ने इसे दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध करने का घोर विरोध किया है । समिति का कहना है कि अच्छा यही है कि इस स्कूल को उसी रूप में रहने दिया जाय तथा इसका स्वतंत्र स्तर रहने दिया जाय । अतः माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है कि वह प्रतिवेदन को पूरी तरह पढने के बाद ही सदन को यह बताएं कि वह प्रतिवेदन पूर्णतः इकतरफा है । एक प्रसिद्ध उप-कुलपति इसके सभापति थे तथा भारतीय विश्वविद्यालयों के दो प्रतिष्ठित प्राध्यापक इसके सदस्य थे ।

तीसरा प्रश्न है कि क्या सरकार ने इस मामले पर स्कूल के प्राधिकारियों के विचार जाने बिना ही अपना निर्णय किया है । दुर्भाग्य से यह बात सच है । माननीय सदस्यों को इसका ज्ञान भी है तथा मुझे इसके लिए खेद है । मुझे विश्वास है कि कुछ माननीय सदस्यों को यह अवश्य ज्ञात होगा कि 125 संसद् सदस्यो का ज्ञापन समाचार-पत्रों में छपा था किन्तु मुझे

उसकी कोई प्रति अभी तक नहीं मिली। मैंने इण्डियन स्कूल ऑफ इन्टरनेशनल स्टडीज के डा० राजन, पंडित कुंजरू, श्री अशोक मेहता और श्री ए० डी० मणि के साथ बातचीत की तथा मैंने उन्हें तत्क्षण यह आश्वासन दिया था कि मैं तत्काल आदेश दे रहा हूं कि जब तक मुझे प्रबन्ध समिति का ज्ञापन नहीं मिलता तथा जब तक मैं उनसे विचार विमर्श नहीं कर लेता तब तक चन्द्रा रेड्डी समिति के प्रतिवेदन के छंटनी के प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया जाय।

अतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि यह प्रश्न एक सप्ताह पहले किया जाता तो ठीक था। क्योंकि अब तो सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। तथा मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय को यहीं समाप्त कर दिया जाय। अभी स्कूल ने अपना ज्ञापन प्रस्तुत करना है। उसके मिलने पर ही मैं उनसे विचार विमर्श करूंगा। उसके बाद मेरा जो भी निर्णय होगा उसका औचित्य सदन के समक्ष रखने के लिए तथा उस पर सदन की आलोचना सुनने के लिए मैं तैयार हूं। किन्तु मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को जितने उद्वेग के साथ पूछा जा रहा है उस उद्वेग का शमन किया जा चुका है अतः प्रथम श्रेणी के इस भारतीय संस्थान से सम्बन्धित नाना प्रकार की समस्याओं पर कौटेवार विचार-विमर्श करना अब संभवतः आवश्यक नहीं रहा।

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know the break up of 19 persons who are likely to be retrenched. Who are going to be retrenched in case the proposal of the committee is accepted ?

Like this school, there are certain other institutions also in Delhi, such as Medical Institute or Jamia Milia. Will the Government consider affiliation of these Institutions to the Nehru University, which the Government are going to establish so that these Institution may function properly and no financial difficulties may be experienced by them ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : यदि समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया तो मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार छंटनी किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार होगी :–

प्राध्यापक	2
भाषा शिक्षक	2
डाकूमैंटेशन अधिकारी	1
शोध सहायक	9
प्रकाशनों का सम्पादक	1

जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है उसके बारे में कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं हैं। समिति ने सिफारिश की है कि इन चार व्यक्तियों की छंटनी की जा सकती है अतः यह पहली सिफारिशों के अनुरूप नहीं है। प्रशासन विभाग से जिन व्यक्तियों की छंटनी की सिफारिश की गई है वे इस प्रकार हैं :—

सहायक रजिस्ट्रार (प्रशासन)	1
निदेशक के सचिव	1
स्टेनोग्राफर और सीनियर असिस्टेंट	2

इस प्रकार कुल संख्या 19 होती है ।

बाद में इन संस्थानों का उत्तरदायित्व संभालने और इन्हें जवाहर लाल नेहरू विश्व-विद्यालय के साथ सम्बद्ध करने की संभावना के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो स्थिति बताई है, अधिनियम के एक खण्ड में यह स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि उसके बारे में कैसी व्यवस्था होगी । जैसे ही विश्वविद्यालय बनेगा हम इस प्रश्न को उठाएंगे ।

श्री ए० श्रीधरन : यह प्रश्न काफी समय से चल रहा है । अतः मंत्री महोदय को अन्तिम प्रस्तावों और अन्तिम निर्णय के साथ आना चाहिए था । मैं जानता हूं कि यह दायित्व स्वयं डा० वी० के० आर० वी० राव का नहीं है अपितु उन पर थोपा गया है । जैसा कि माननीय मित्र श्री कंवरलाल गुप्त ने कहा है, यह प्रतिवेदन इकतरफा है । मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह प्रतिवेदन केवल इकतरफा ही नहीं अपितु दुर्भावनापूर्ण भी है तथा इसके कुछ अंश कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिये लिखे गये हैं ।

श्री ए० श्रीधरन : इसे सिद्ध करने के लिए मैं एक वाक्य उद्धृत करता हूं । दिल्ली विश्वविद्यालय में पूर्व-एशिया अध्ययन विभाग में प्रोफेसर डा. विद्याप्रकाश दत्त ने मंत्रालय को एक पत्र भेजा था और उसी पत्र का एक विशेष वाक्य प्रतिवेदन में भी उद्धृत किया गया है । यह वाक्य है :

> "दिल्ली विश्वविद्यालय में चीनी अध्ययन विभाग की स्थापना की गई थी और इस विभाग का विस्तार करके जापानी अध्ययन विभाग को भी अब इसके साथ मिलाया जा रहा है ।"

यही वाक्य प्रतिवेदन में भी है । डा० विद्याप्रकाश दत्त अपनी पत्नी श्रीमती गार्गी दत्त को, जो अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के भारतीय विद्यालय के पूर्व-एशिया अध्ययन विभाग में रीडर हैं, अपने विभाग के अन्तर्गत लाना चाहते हैं । पूर्व एशिया अध्ययन विभाग का दिल्ली विश्व-विद्यालय में विलय करके वह अपनी पत्नी को अपने विभाग के अन्तर्गत लाना चाहते हैं । अतः इसके पीछे यह ऐमानी पृष्ठभूमि है ।

हम जानते हैं इसी प्रकार की समितियों की अध्यक्षता बड़े विख्यात पुरुष करते हैं । इसी प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सरकार के पास हैं । परन्तु वे इनको लागू करने में शीघ्रता नहीं करते हैं और उनको एक कोने में डाल देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह अनुपूरक प्रश्न पूछें, यह वाद-विवाद का समय नहीं है ।

श्री ए० श्रीधरन : परन्तु ये इस प्रतिवेदन को लागू करने के लिए बहुत शीघ्रता दिखा रहे हैं । मंत्री महोदय ने बताया है कि प्रतिवेदन के अनुसार यदि इसकी सिफारिशें मान ली

गई, तो केवल 19 व्यक्तियों की छंटनी की जायेगी। यहां एक अन्य सिफारिश भी है। मंत्री महोदय ने दावा किया है कि उन्होंने प्रतिवेदन पूरी तरह से पढ़ा है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : पूर्ण रूप से नहीं।

श्री ए० श्रीधरन : सिफारिश इस प्रकार है :–

"वर्तमान शोध अधिछात्रवृत्तियों को समाप्त कर देना चाहिए और स्कूल को उनके स्थान पर कुछ उच्च स्तर की अधिछात्रवृत्तियों की व्यवस्था करनी चाहिए, जो केवल विश्व-विद्यालयों के प्राध्यापकों के लिये होनी चाहिए।"

यह बहुत दूषित प्रतिवेदन है। इसको कार्यान्वित करने के बजाये क्या सरकार उन सिफारिशों पर दुबारा विचार करने का सोच विचार करेगी जिन पर पहले से ही विचार किया जा चुका है इस प्रश्न पर सरकार का क्या मत है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे आश्चर्य है कि आदरणीय सदस्य इस प्रश्न पर एक मन्त्री से अन्तिम निर्णय चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इण्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल से ज्ञापन प्राप्त होने तथा उसके साथ ट्रस्टीज से विचार-विमर्श करने के पश्चात ही इस पर हमें अन्तिम निर्णय करना चाहिए–ऐसा विचार था। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस बारे में किया गया निर्णय स्थगित कर दिया गया है और विद्यालय के ज्ञापन के आने पर इस सारे मामले पर पुनः विचार होगा। उस समय इस बारे में निर्णय करना मेरा कर्त्तव्य हो जायेगा। उसके पश्चात इस निर्णय का अनुमोदन अथवा निरनुमोदन करने का इस सभा को अधिकार है। इस प्रतिवेदन को इकतरफा बताना अथवा अन्य आलोचना को देखते हुए, जिसका मुझे बहुत खेद है–श्री कंवरलाल गुप्त का ऐसा कहना तो ठीक था, परन्तु अब श्री श्रीधरन ने भी अपनी जोरदार आवाज में इस बात का समर्थन किया है–मेरा प्रस्ताव है कि इस प्रतिवेदन की प्रति प्रत्येक संसद् सदस्य को बांटी जाए ताकि वे इस पर अपना निर्णय दे सकें कि क्या यह प्रतिवेदन इकतरफा है, क्या यह किसी व्यक्तिगत उद्देश्य को दृष्टि में रखकर लिखा गया है। मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें विचार करना चाहिए। यदि हम इन समितियों के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सेवा चाहते हैं, तो इस सभा में उन पर किसी एक का पक्ष लेने के तुच्छ आरोप नहीं लगाये जाने चाहिये।

श्री रंगा : उन्हें विद्यालय के ज्ञापन को भी परिचालित करना चाहिए।

डा० वी० के० आर० वी० राव : जी, हां, मैं यह भी करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कुछ अनुपूरक पूछे जाने थे, परन्तु अब इन्होंने वाद-विवाद का रूप धारण कर लिया है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक शोध अधिछात्रों और दूसरे मामलों का सम्बन्ध है प्रत्येक बात का पुनरावलोकन किया जायेगा। जैसा मैंने कहा है, कार्यवाही स्थगित करदी गई है और छंटनी नहीं की जायेगी। इस पूर्ण मामले का पुनरावलोकन किया जायेगा।

Shri Bibhuti Mishra : It was the duty and right of Government to examine all the aspects thoroughly before setting up this institution. These people were appointed consequent on setting up of this institution. Why did not any Education Minister take the trouble of visiting this institution ? When some mis-appraproiation took place in the institution the Chandra Committee was appointed to look into the matter. That Committee has suggested retrenchment of 54 persons. But now according to the statement of the hon. Minister only 19 persons would be retrenched. I cannot understand why Government instead of giving them a pat on the back are depriving them of their means of livelihood. Those people, who have been working there for five to seven years, are being retrenched. It is the duty of Government to absorb them elsewhere. The hon. Minister has worked as a member of the Planning Commission. I want to know from him where they will be absorbed ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य ने बताया है कि स्कूल में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां होती रही हैं और इसीलिए इस समिति की नियुक्ति की गई थी। मैं समझता हूं, कि आपकी अनुमति से मुझे सदन को यह बताने का अधिकार है, कि इस समिति की नियुक्ति इसलिए नहीं की गई थी कि इस स्कूल में गड़बड़ी हो रही थी। भारत सरकार को वर्ष 1966-67 से इस स्कूल को संधारण अनुदान दिया जाना था, जो पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया जाता था; इसलिए संधारण अनुदान की राशि की सीमा निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने इस कार्य के लिए एक समिति की नियुक्ति की, इस बीच स्कूल की ओर से प्रार्थना आई थी कि उन्हें मिल रहे अनुदान की राशि को और बढ़ाया जाए। अतः स्कूल के विरुद्ध और किसी विशेष शिकायत का प्रश्न ही नहीं उठता।

लोगों की छंटनी से सम्बन्धित प्रश्न के विषय में मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, the hon. Minister has stated that he had already taken action before the memorandum was submitted by the members. First of all I want to request him not to indulge in self-praise, Before him Dr. Triguna Sen was Minister of Education, who is present in the House. We drew his attention to this matter by writing him a letter before the mid-term Elections took place. We are not responsible if the minister has been changed. Sometime back, my friend Shri Madhok asked Dr. Rao whether he would consult the Members of Parliament before taking a final decision about this school. I was surprised when he said that the members of Parliament were not concerned with the issue. Now he states that there is University Grants Commission to exercise control over universities and other institutions, but so far as this school is concerned, they give the grant direct to the school. I am not talking of any particular member of Parliament, but the members and committees of Parliament must be consulted in the matter. So far as the question of the report of Chandra Reddy Committee is concerned, I do not say that the entire report is wrong or arbitrary. It contains some good suggestions. There are four categories viz. Professors, Research Assistants, Administrative staff and Fellows. in this Indian school of International studies. I agree that the provision of Fellowship should not be abolished, but instead those who have done their doctorate degree should be given opportunity for this. As regards the question of Research Assistants and Professors, I shall humbly request the hon. Minister that instead of retrenching them he should absorb them on some other job. But it is not proper to retrench them. You are here for five years only and when some of you were dropped under the Kamraj Plan you raised a hue and cry...(interruptions)...Mr. Speaker, when they are turned out they raise a hue of cry. What will these people do if they are

retrenched after putting in five to ten years of service. .....(Interruptions).. .. My question is whether this aspect would be considered ? I want that the members of Parliament to be consulted and they should not be retrenched.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं स्वीकार करता हूं कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था उसे में समझ नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी नहीं समझा ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक मैं समझ सका हूं उसका उत्तर दूंगा । खेद है कि मुझे 125 सदस्यों द्वारा दिये गये ज्ञापन का उल्लेख करना पड़ा····(**व्यवधान**) मैंने ऐसा इसलिए किया कि मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे पास आने से पहले ही इसका समाचार पत्रों में काफी प्रचार किया गया जब 125 संसद सदस्य कोई ज्ञापन मन्त्री को देते हैं तो मैं तो यही समझता हूं कि समाचार पत्रों में छपने से पहले यह सर्वप्रथम मन्त्री को भेजा, परन्तु दुर्भाग्यवश हुआ इससे विपरीत । एक सज्जन ने मुझे टेलीफोन करने और उसकी एक प्रति मुझे देने का असफल प्रयास किया; आज प्रातः एक दूसरे सज्जन ने मुझे टेलीफोन किया और मुझे बताया कि वह इस ज्ञापन को प्रस्तुत करना चाहते हैं । मैंने उन्हें बताया कि प्रश्न काल के बाद यह किया जा सकता है ।

Shri Madhu Limaye : When we wrote the letter to Dr. Trigun Sen 20 days back, if it does not appear in the papers, what else will happen ?

Shri Rabi Ray : Why do they not read the old file ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : चन्द्रा रेड्डी समिति के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय करने से पूर्व संसद से परामर्श करने के सम्बन्ध में, मुझे खेद है कि मैं इस विषय में सदन को आश्वासन नहीं दे सकता । परन्तु शिक्षा मन्त्रालय अवश्य ही अपना निर्णय संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

Shri Madhu Limaye : What is its use after a decision has been taken ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे खेद है कि मुझे निर्णय करना है ।

Shri Madhu Limaye : I am not asking you that you should not take a decision. We are depriving you neither of your responsibilities nor on your rights. We are only requesting you to consult us before taking a decision.

श्री रंगा : क्या हमारी सभा के लिये यह उचित है कि स्वायत्त शासी संस्थाओं के सम्बन्ध में, जिन्हें हम थोड़ी सी राशि के अनुदान देते हैं, अलग से विचार-विमर्श करने की मांग करते रहें ?·····(**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye : We give grants, Mr. Ranga, we must be consulted.

श्री क० नारायण राव : मैं इस प्रतिवेदन को इकतरफा अदि तो बताना नहीं चाहता परन्तु समिति ने विचारार्थ विषयों से भिन्न बातों पर अपना मत व्यक्त

किया है इसके निर्देश-पद अस्पष्ट हैं परन्तु समिति ने इन्हें और अधिक बुरी अवस्था में कर दिया है। उनका कथन है कि इन स्वीकृत नियुक्ति पदों को बनाये रखने के लिये बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके सरकार ने कुछ पदों को स्वीकृति दे दी थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मन्त्री महोदय को जानकारी दे रहे हैं ? कोई भी प्रश्न नहीं कर रहा है बल्कि उन्हें जानकारी दे रहे हैं।

श्री क० नारायण राव : मामूली सा अन्तर है। वर्तमान पदधारियों का सेवाकाल समाप्त हो जाने पर इन पदों को बनाये रखने की आवश्यकता नहीं है'''(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री क० नारायण राव : निर्देश-पद के विषय में जो मैंने कहा था, उसे देखते हुये क्या कुछ समय के लिये यह सारा प्रतिवेदन रद्द कर दिया जायेगा और समूचे प्रश्न पर विचार करने के लिये पुनः एक समिति बैठायी जायेगी ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जी, नहीं।

श्री हेम बरुआ : स्कूल ऑफ इन्टरनेशनल स्टडीज को लेकर बहुत छींटाकशी की जा चुकी है और इसके लिये कोई भी सत्यनिष्ठ व्यक्ति 'ना' नहीं कहेगा। क्या यह सच नहीं है कि इसका कारण यह है कि ससद की प्राक्कलन समिति ने इस विद्यालय के वर्तमान स्तर को जिसे विश्वविद्यालय के समकक्ष माना जाता है, समाप्त करने की सिफारिश की है और इसे दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा प्रस्तावित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का एक विभाग बनाने के लिये कहा है ? यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि चन्द्रा रेड्डी समिति ने इस प्रस्ताव की अवहेलना की है और विद्यालय के अधिकारी संसद की प्राक्कलन समिति की इस विशेष सिफारिश की अवहेलना करने के लिये संविधान में संशोधन करने में व्यस्त हैं।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं मानता हूं कि संसद की प्राक्कलन समिति द्वारा, 'स्कूल आफ इन्टर नेशनल स्टडीज' के बारे में की गई टिप्पणी की मुझे जानकारी नहीं है और मैं उन्हें पढ़ूंगा और देखूंगा कि इस विषय में क्या किया जा सकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी उपक्रमों का पूंजी-ढांचा

*** 241. श्री वेंगलराया नायडू :**
श्री रा० की० अमीन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े-बड़े सरकारी उपक्रमों के पूंजी-ढांचे को पुनर्निमित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय कब तक लिया जायेगा;

(ग) क्या यह सच है कि 'स्केचूक' शिष्ट मण्डल ने इस बात पर बल दिया है कि रूसी सहायता प्राप्त-परियोजनाओं के पूंची-ढांचे में फेर-बदल की आवश्यकता है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि यदि इस सम्बन्ध में भविष्य के आर्डरों के लिये तत्काल कोई उचित व्यवस्था नहीं की गयी तो इन उपक्रमों की क्षमता का पूर्ण उपयोग न हो सकेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : कुछ सरकारी उपक्रमों की पूंजी के स्वरूप को युक्तिसंगत बनाने के प्रश्न पर इस समय सरकार विचार कर रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह बात सही है कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार, आगामी कुछ समय के लिये, इन कारखानों की उत्पादन-क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो सकेगा ।

"दि मिस्ट्री आफ बिड़ला हाउस" नामक पुस्तक

* 246. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता के मध्यमग्राम के देव ज्योति बर्मन द्वारा लिखित "दि मिस्ट्री आफ बिड़ला हाउस" नामक पुस्तक की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पुस्तक में वर्णित बातों की वास्तविकता के बारे में जांच की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

सरकारी उपक्रमों को हुई हानि तथा लाभ

* 247. **श्री समर गुह :**
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रत्येक मामले में कितना लाभ अथवा हानि हुई;

(ख) इनमें से कुछ उपक्रमों को हानि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) जिन उपक्रमों में हानि हो रही है उनकी दशा सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे इन उपक्रमों को लाभ कमाने वाला बनाया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) निर्माणाधीन उद्यमों और भारतीय जीवन बीमा निगम को छोड़कर मार्च 1968 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की संख्या 67 थी। सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें इन 67 उद्यमों के सम्बन्ध में, मूल्यह्रास, ब्याज और कर की व्यवस्था कर लेने के बाद, 1967–68 के शुद्ध लाभ/हानि के आंकड़े दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 181/69] जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में, 1 अप्रैल, 1965 से 31 मार्च, 1967 तक के दो वर्षों के बारे में हाल में किये गये मूल्यांकन से 72.28 करोड़ रुपये की रकम के अधिशेष का पता चला था जिसमें से 68.67 करोड़ रुपया पालिसी-धारकों और 3.61 करोड़ रुपया भारत सरकार के नाम निर्धारित कर दिया गया था।

(ख) और (ग) : इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों का ध्यान 28 फरवरी, 1969 को बजट-पत्रों के साथ प्रचारित "सरकारी क्षेत्र के उद्यम–ज्ञापन" नामक पुस्तिका की ओर दिलाया जाता है।

राजस्थान में तापीय विद्युत संयंत्र

***248. श्री बे० कु० दास चौधरी :**
श्रीमती इलापाल चौधरी :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में लिगनाइट तथा कोयले पर आधारित 12 करोड़ रुपये की लागत से दो तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार से प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चौथी योजनावधि में राज्य की बिजली की आवश्यकताओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) क्या सर्वेक्षण से पता लगा है कि ऐसा प्रस्ताव क्रियान्वित हो सकता है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ) : राजस्थान सरकार के चौथी योजना के प्रस्तावों में राज्य में दो तापीय बिजलीघरों का प्रतिष्ठापन शामिल हैं —एक पलाना में, जो लिग्नाइट (भूरे कोयले) पर आधारित होगा और दूसरा चम्बल सेवा क्षेत्र के किसी स्थल पर, जो कोयले पर आधारित होगा। पलाना के प्रस्तावित बिजलीघर में 50–50 मैगावाट के दो उत्पादन यूनिट और चम्बल सेवा क्षेत्र के बिजलीघर में 62.5–62.5 मैगावाट

के तीन उत्पादन यूनिट होंगे। इन दो बिजलीघरों की अनुमानित लागत क्रमशः 19 करोड़ और 24 करोड़ रुपये होगी। इन से सम्बन्धित परियोजना रिपोर्ट अभी नहीं आई है।

हाल ही म किये गये पांचवें वार्षिक बिजली सर्वेक्षण के अनुसार 1973-74 तक राजस्थान में बिजली की मांग को बढ़कर 630 मैगावाट तक हो जाने की सम्भावना है। इसके प्रति, राजस्थान में कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता बढ़कर 982 मैगावाट तक हो जाने की सम्भावना है जिसमें 658 मैगावाट पक्की क्षमता होगी। इस प्रकार चौथी योजना के अन्त तक राजस्थान की कुल प्रत्याशित मांग पूर्णतः पूरी हो जायेगी।

योजना के लिये केन्द्र तथा राज्य क्षेत्र संसाधन

*249. **श्री ए० मु० सईद :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के वित्त तथा योजना मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को संविधान में इस सम्बन्ध में सशोधन करने की सम्भावनाओं पर विचार करने का सुझाव दिया है कि राज्यों को स्थितिनुकूल कुछ संसाधन मिल सकें और इस प्रकार राज्य क्षेत्र को 83,00 करोड़ रुपये का तथा केन्द्रीय क्षेत्र को 6,500 करोड़ रुपये का परिव्यय दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : मैसूर के वित्त और आयोजना मंत्री से ऐसा कोई सुझाव नहीं मिला है, लेकिन मैसूर के मुख्य मत्री ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष को चौथी पचवर्षीय आयोजना में केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र के परिव्यय के क्रम के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये थे। योजना आयोग ने उन्हें सूचित किया है कि चौथी आयोजना के मसौदे को अन्तिम रूप देते समय उनके सुझावों को ध्यान में रखा जायगा।

भारत में विदेशी विनियोजन

*250. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री से आग्रह किया है कि वह ऐसी नीतियों तथा प्रक्रियायें बनायें जिनसे भारत में विदेशी विनियोजन को प्रोत्साहन मिले;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : कांग्रेस के अध्यक्ष ने भारत जापान सघ के निमन्त्रण पर जुलाई-अगस्त, 1968 में जापान का दौरा किया था। भारत लौटते समय वे दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में भी गये थे। इन यात्राओं का आयोजन सरकार ने नहीं किया था। वापस आने पर उन्होंने प्रधान मन्त्री को अपने दौरे के

सम्बन्ध में और साथ ही भारत में विदेशी पूंजी लगाने से सम्बन्धित नीतियों और कार्यप्रणालियों के बारे में निजी तौर पर अपने विचार बनाये थे ।

(ग) जहां तक भारत में विदेशी पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किये गये उपायों का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि भारत में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के बारे में सरकार की मौजूदा सामान्य नीतियों और कार्य-प्रणालियों तथा करों की अदायगी किये जाने के बाद लाभ की रकम बाहर भेजने और स्वीकृत प्रायोजनाओं में लगायी गयी पूंजी को स्वदेश वापस भेजने की स्वतन्त्रता आदि जैसी सुविधायें सर्व विदित हैं। विदेशों में रहने वाले भारत मूलक व्यक्तियों द्वारा भारतीय उद्यमों में पूंजी लगाने से सम्बन्धित नीति को हाल में उदार बनाया गया है ताकि उन्हें भारत में धन लगाने के लिये आकर्षित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, हाल में एक विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना मुख्य रूप से इसी उद्देश्य से की गई है कि विदेशी सहयोग और निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी दिये जाने में होने वाली कार्यप्रणाली सम्बन्धी देर कम की जा सके ।

Need, Based Minimim Wages and Merger of D. A.

* 251 **Shri Ranjit Singh :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the additional expenditure that will be incurred in case the demand of the Central Government employees for need based minimum wage and merger of dearness allowance in pay is conceded to; and

(b) Its repercussions in so far as work and employees are concerned ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Since the demand of Central Government employees for "need-based minimum wage" is not considered feasible, Government have not under-taken any computation of "need-based minimum wage", hence additional expenditure in respect of the same cannot be indicated.

As regards merger of Dearness Allowance with pay, a decision has already been taken to treat a portion of dearness allowance as dearness pay and orders have been issued on 18.1.69, a copy of which is placed on the Table. [Placed in Library. See No. LT-182/69]. The exact amount of additional expenditure of this decision is difficult to assess. On a rough estimate the extra expenditure has been worked out to be Rs. 17.35 crores per annum. In respect of pensionary benefits this figure is likely to increase at the rate of about Rs. 1.02 crores per year from the 3rd year onwards stabilising after about 10-20 years".

(b) This is hypothetical.

Ratio Between Maximum and Minimum Salary of Government Employees

* 252. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have fixed any ratio between the maximum and minimum salary of Government employees;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, whether Government propose to maintain good-will among the employees by fixing such ratio ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Government have not fixed any such ratio for Central Government employees.

(b) Does not arise.

(c) Goodwill among the employees does not seem to depend only on any particular ratio between the maximum and minimum salaries. There has been a continuous improvement in the emoluments at the lowest level over the years with the result that the ratio between the maximum and the minimum salaries of Government employees today is nearly half of what it was in 1919-50.

प्रशुल्क नियमों का उल्लंघन

* 253 **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966, 1967, तथा 1968 में प्रशुल्क विभाग द्वारा प्रशुल्क नियमों का उल्लंघन करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध कुल कितने मामलों में कार्यवाही की गई ;

(ख) कुल कितने मामलों में पहले ही मुकदमें चलाये जा चुके हैं;

(ग) क्या कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें कारण बताओ नोटिस तक भी जारी नहीं किये गये है, मामले तैयार नहीं किये गये हैं, अथवा न्यायालय में पेश नहीं किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे दायर करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सीमाशुल्क नियमों का उल्लंघन करने और आयात व निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, असबाब नियम, सीमाशुल्क गृह के एजेन्टों को लाइसेंस देने के विनियमों तथा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों को भंग करने तथा तस्कर आयात निर्यात के अपराध, सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड दिये जाने योग्य है और इसलिए इन अपराधों के कारण 1966, 1967 तथा 1968 में जिन व्यक्तियों के खिलाफ सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा मामले चालू किये गये थे, उनकी संख्या इस प्रकार थी :–

1966	–	23,856
1967	–	35,774
1968	–	37,206

(ख) इन्हीं वर्षों में जिन मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही शुरू की गई, उनकी संख्या इस प्रकार थी :

1966	-	260
1967	-	235
1968	-	236

(ग) केवल 77 मामले ऐसे हैं जिनमें 'कारण बताओ' नोटिस छः महीने से अधिक समय से नहीं दिये गये है। 274 मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही का प्रस्ताव है, लेकिन न्यायालय में शिकायतें छः महीने से अधिक समय से दायर नहीं की गई हैं।

(घ) इस्तगासे की कार्यवाही चालू करने में उन मामलों में कई बार देर हो जाती है जिनमें लम्बी चौड़ी जांच पड़ताल करनी होती है, जांच हड़ताल भिन्न-भिन्न जगहों पर करनी होती है और तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में पकड़े गये दस्तावेजों की छानबीन करनी होती है एवं पार्टियों द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों की प्रामाणिकता की तस्दीक करनी होती है।

राज्यों को रिगों का दिया जाना

* 254 **डा० कर्णी सिंह :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अनुवेषण विभाग द्वारा राज्यों को राज्यवार कितनी रिगें दी गई है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में कितनी रिगें पहले से काम कर रही हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख): अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 183/69]**

हल्दिया में प्रस्तावित उर्वरक कारखाना

* 255 **श्री रा० बरुआ :**
श्री नि० र० लास्कर :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम को हल्दिया में उर्वरक कारखाना स्थापित करने की योजना का अध्ययन करने के लिए कहा है;

(ख) क्या निगम को इस सम्बन्ध में फ्रांसीसी संस्था तथा पोलैण्ड के एक संगठन द्वारा दिये गये प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिये भी कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या अध्ययन पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख): जी हां।

(ग) अध्ययन कार्य पूरा नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ और समय लगेगा।

केरल तट पर समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

* 256. **श्री क० लकप्पा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 18 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 162 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सरकार को वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल में बाढ़ नियन्त्रण और समुद्र-कटाव-निरोधक कार्यों के लिए 75 लाख रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता के लिये व्यवस्था है। केरल सरकार ने इस वर्ष के लिये 75 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी थी, परन्तु संसाधनों की तंग स्थिति के कारण इस मांग को स्वीकार न किया जा सका। इस लिए, राज्य सरकार को सलाह दी गई कि यदि 1968-69 के लिए कोई अतिरिक्त धन अपेक्षित हुआ तो उन्हें वह राशि इस वर्ष की अपनी योजना के भीतर समंजन कर के निकालनी होगी।

महलनबीस समिति का प्रतिवेदन

* 257 **श्री सत्यनारायण सिंह** :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री भगवान दास :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में नियुक्त महलनबीस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) समिति की रिपोर्ट का पहला भाग, जिसमें समिति ने दूसरे और तीसरे विचारणीय विषयों पर विचार किया था। 29 अप्रैल, 1964 को सभा की मेज पर रखा गया था। रिपोर्ट का दूसरा भाग, जिसमें समिति को पहले विचारणीय विषय पर विचार करना है, अभी सरकार को नहीं मिला है।

(ख) और (ग): ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

तरल अमोनिया के उत्पादन के लिये ईरान के साथ सहयोग

* 258 **श्री बाबूराव पटेल :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फालतू गैस से तरल अमोनिया के उत्पादन के लिये ईरान के सहयोग से उस देश में कितनी पूंजी लगाये जाने का विचार है और उस उपक्रम में ईरान सरकार का हिस्सा कितना है;

(ख) उर्वरक तथा पैट्रो-रसायन के क्षेत्र में ईरान के साथ सहयोग के छः बड़े प्रस्तावों की मुख्य-मुख्य बातें क्या है, सरकार द्वारा कुल कितनी पूंजी लगायी जायेगी तथा इस सहयोग से भारत को क्या लाभ होंगे;

(ग) क्या यह सच हैं कि सरकार मूल उपाय के तौर पर ईरान से तरल अमोनिया का आयात करने पर विचार कर रही है और यदि हां तो प्रतिवर्ष कितनी मात्रा का आयात किये जाने का विचार है और उस पर क्या लागत आयेगी; और

(घ) भारत-पाकिस्तान युद्ध होने पर भी हमें तरल अमोनिया का सम्भरण जारी रखने के बारे में ईरान सरकार से क्या आश्वासन लिया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ) : ईरान के शहनशाह और भारत के प्रधान मन्त्री के बीच हुई वार्ता के अनुसार आर्थिक-व्यापार और तकनीकी सहयोग के लिए इण्डो-इरानियन संयुक्त आयोग की स्थापना के बारे में भारत सरकार और ईरान के बीच में 22 जनवरी 1969 को पत्र-व्यवहार हुआ। करार में यह निहित है कि संयुक्त आयोग दोनों सरकारों के बीच आर्थिक व्यापार तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ाने का कार्य करेगा। आयोग के कार्य को सरल बनाने के लिए व्यापार, पैट्रोलियम पैट्रो-रसायन, इन्जीनियरिंग-उद्योग, बिजली तथा जल विकास एवं परिवहन उप-समितियां स्थापित की गई है। इस परिस्थिति में प्रस्तावों की संख्या एवं आकार अथवा सहयोग के अन्य ब्यौरों को, जो आयोग और इसकी उप समितियों से उत्पन्न होंगे, बताना सम्भव नहीं है।

न्यू स्टेण्डर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई

* 259. **श्री ग० च० नायक :** **श्री दे० अमात :**
डा० सुशीला नैयर : **श्री श्रीधरन :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यू स्टेण्डर्ड इंजीनियरिंग एण्ड कम्पनी लिमिटेड तथा इससे सम्बद्ध कुछ कम्पनियों के बम्बई स्थित अहातों में जनवरी, 1968 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापा मारा गया था;

(ख) क्या प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपने कब्जे में लिये गये कागजातों की इस बीच जांच कर ली गयी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम है; और

(घ) इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। मैसर्स न्यू स्टेण्डर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड और उससे सम्बद्ध बम्बई स्थित कुछ कम्पनियों के स्थानों की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 27 जनवरी, 1968 को तलाशी ली गई थी।

(ख) से (घ): पकड़े गये दस्तावेजों की छान-बीन से और अब तक की गई जांच-पड़ताल से प्रथम दृष्ट्या पता चलता है कि मैसर्स न्यू स्टेण्डर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड से सम्बद्ध एक कम्पनी द्वारा विदेश में अर्जित कमीशन को स्वदेश नहीं लाने से इस मामले में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन हुआ है। इस कम्पनी को, दो "कारण बताओ नोटिस" जारी किये गये है। आगे जांच-पड़ताल जारी है।

Hindi Typewriters for Regional Publicity Directorate.

* **260. Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 765 on the 16th December, 1968 and state :

(a) whether the demand made by the Regional Publicity Directorate for supply of Hindi Typewriters has since been considered;

(b) if so, the decision taken thereon;

(c) the amount proposed to be allocated in 1969-70 in this regard,

(d) if no decision has been taken so far, the time by which it is likely to be taken; and

(e) the reason for delay in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (e): An amount of Rs. 50,000 has been included in the Budget Estimates for 1969-70 of the Directorate of Field Publicity for purchase of Hindi Typewriters to be supplied to the field units according to the actual requirements.

वित्तीय वर्ष बदलना

* **261. श्री हेम राज :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मन्त्री 18 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1088 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बीच वित्तीय वर्ष के बदलने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) और (ख): यह विषय अभी विचाराधीन है ।

विदेशी सहायता की संभावनाएं

*262. श्री हिम्मतसिंहका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70 के दौरान विभिन्न पूर्वी तथा पश्चिमी देशों और अन्य वित्त संगठनों से विदेशी सहायता के प्राप्त होने की नवीनतम संभावनाएं क्या है,

(ख) इस विदेशी सहायता में से कितनी राशि उस वर्ष में ऋण चुकाने और ऋण पर ब्याज इत्यादि के लिये अपेक्षित होगी,

(ग) उक्त सहायता राशि में से कितनी राशि बिना शर्त के और परियोजना बाह्य सहायता होगी, और

(घ) इस सहायता के न मिलने पर अर्थ-व्यवस्था के किन क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1969–70 के लिए, जिस नयी सहायता के बारे में वचन प्राप्त होंगे, उसका पता वर्ष के दौरान चलेगा । जहां तक 1969–70 में प्राप्त हो सकने वाली सहायता का सम्बन्ध है, बजट पत्रों में बताया गया है कि 675 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त होने का अनुमान है । इस रकम में, पी० एल० 480 सम्बन्धी सहायता की रकम शामिल नहीं है ।

(ख) इस रकम के मुकाबले, सरकार द्वारा जो ऋण चुकाया जायगा उसमें से 177.5 करोड़ रुपया मूल रकम के रूप में और 111.9 करोड़ रुपया ब्याज के रूप में होगा ।

(ग) जितनी रकम की सहायता मिलेगी उसमें से लगभग 70 प्रतिशत गैर-प्रायोजना सहायता के रूप में मिलने का अनुमान है । सहायता की लगभग सब रकम, ऋण देने वाले देश या ऋण देने वाली संस्थाओं के सदस्य-देशों से सामान खरीदने के लिए होती है ।

(ग) सहायता की रकम का उपयोग, सामान्यतः ऋण देने वाले देश में, ही और कुछ किस्मों का माल मगाने के लिए किया जाता है । चूंकि यह बताना संभव नहीं है कि सहायता की कमी कहां होगी इसलिए यह नहीं बताया जा सकता कि किन कार्यक्रमों पर या किन वस्तुओं के आयात पर उसका प्रभाव पड़ेगा ।

केरल में तापीय बिजली संयंत्र

*263. श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में तापीय बिजली संयंत्र की स्थापना की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उस पर अब तक कुल कितना खर्च किया गया है ; और

(ग) क्या वह संयंत्र योजना के अनुसार चालू हो जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) ताप बिजली केन्द्र के लिए परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया है और अम्बलामेडु में स्थल चुन लिया गया है ।

(ख) अभी तक कोई खर्चा नहीं किया गया है ।

(ग) क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए इस परियोजना को चालू करने का कार्यक्रम निश्चित नहीं हुआ है ।

चांदी का निर्यात

*264. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री द० रा० परमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966, 1967 और 1968 में कुल कितने मूल्य की और कितनी मात्रा में चांदी निर्यात की गयी है ;

(ख) चांदी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लग जाने के परिणामस्वरूप भारत को कितनी विदेशी मुद्रा की हानि होने का अनुमान है ;

(ग) क्या इस प्रतिबन्ध के लग जाने के पश्चात् चांदी के मूल्य बहुत अधिक गिर गये हैं और क्या प्रमुख नगरों की मंडियों ने सरकार की इस कार्यवाही के प्रति रोष प्रकट किया है ; और

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस विषय पर 5 जनवरी, 1969 के 'इकनोमिक टाइम्स' में छपे एक लेख की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) वर्ष 1966, 1967 और 1968 में कुल कितने मूल्य की और कितनी मात्रा में चांदी निर्यात की गयी है :

सीमाशुल्क संबंधी आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में जितनी चांदी बाहर भेजी गयी, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1966–67	शून्य	शून्य
1967–68	शून्य	शून्य
1968–69		
(अप्रैल, 1968 से नवम्बर, 1968 तक)	54,340 किलोग्राम (लगभग)	330 लाख रुपये (लगभग)

उपर्युक्त आंकड़ों में चांदी के गैर-कानूनी निर्यात के आंकड़े शामिल नहीं हैं जिनके संबंध में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) चांदी के निर्यात पर प्रतिबंध लग जाने के परिणामस्वरूप भारत को कितनी विदेशी मुद्रा की हानि होने का अनुमान है :

प्रतिबन्ध केवल गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा किये जाने वाले निर्यात पर लगाया गया है । सरकार द्वारा किये गये चांदी के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आमदनी हुई है । यदि गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा किये जाने वाले निर्यात पर प्रतिबन्ध न लगाया जाता तो सम्भव है कि निर्यात की मात्रा और उससे प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा कुछ अधिक होती, पर यह बात, इस मूल्यवान धातु के देश से किये जाने वाले निर्यात का विनियमन करने के सरकार के उद्देश्य के विपरीत जाती । जहां तक चांदी के गैर-कानूनी निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि का संबंध है, इस का कारण गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा चांदी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जाना नहीं, बल्कि इस के कारण कुछ और ही हैं । चांदी के गैर-कानूनी निर्यात को रोकने की दिशा में एक और कदम के रूप में सरकार ने 3 जनवरी, 1969 का सीमाशुल्क (संशोधन) अध्यादेश जारी किया है ।

(ग) क्या इस प्रतिबन्ध के लग जाने के पश्चात् चांदी के मूल्य बहुत अधिक गिर गये हैं और क्या प्रमुख नगरों की मंडियों ने सरकार की इस कार्यवाही के प्रति रोष प्रकट किया है :

सम्भवतः माननीय सदस्यों का संकेत 1966 में चांदी के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबन्ध की बजाय 3 जनवरी, 1969 के सीमाशुल्क (संशोधन) अध्यादेश की ओर है । अध्यादेश के जारी होने के तुरन्त पहले बम्बई में चांदी का मूल्य 564 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया था जो अध्यादेश के जारी हो जाने के बाद 526 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया था परन्तु तब से यह मूल्य घट बढ़ रहा है । विदेशी बाजारों में कोई उल्लेखनीय प्रतिक्रिया नहीं हुई थी ।

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस विषय पर 5 जनवरी, 1969 के 'इक्नोमिक टाइम्स' में छपे एक लेख की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जी, हां । सरकार ने इन और अन्य विचारों और सुझावों को नोट किया है परन्तु सरकार गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा चांदी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के संबंध में अपनी वर्तमान नीति को बदलना आवश्यक नहीं समझती ।

भारत का औद्योगिक विकास बैंक

*265 श्री रा० वे० नायक :
श्री सी० मुत्तुस्वामी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के औद्योगिक विकास बैंक के कार्यालय को विस्तृत करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में 9 जनवरी, 1969 के 'इक्नोमिक टाइम्स' में छपे एक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (ग) : सरकार ने 9 जनवरी, 1969 के 'इक्नामिक टाइम्स' में छपा हुआ वह समाचार देखा है जिसका उल्लेख प्रश्न में किया गया है ।

(2) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसके बोर्ड में सरकार का भी प्रतिनिधि है, बदलती हुई परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बैंक का कार्यक्षेत्र बढ़ाने के प्रश्न पर समय-समय पर विचार करता रहा है । कुछ उद्योगों में पैदा हुई मंदी की प्रवृत्तियों और गैर-सरकारी क्षेत्र में निवेश का काम फिर शुरू करने की आवश्यकता का विचार करके, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पुनर्वित्त देने तथा हुण्डियों को फिर से भुनाने की सुविधाओं को बढ़ाने तथा सस्ता करने के लिए हाल में बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं ताकि उद्योग-धन्धों को अधिक रकमें मिल सकें ।

(3) एक नयी योजना बनायी गई है, जो 9 दिसम्बर, 1969 से लागू की जायगी । इस योजना के अनुसार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक स्वीकृत वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को, अधिक समय के वित्त-प्रबन्ध और गारण्टी की सुविधाओं के रूप में, सीधे सहायता देने का काम करेगा, जो विलम्बित अदायगी के आधार पर पूंजीगत और इंजीनियरी-सम्बन्धी सामान तथा सेवाओं का निर्यात करते हैं ।

(4) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बैंकों तथा राज्य वित्त निगमों के कार्यालयों से अपने सम्बन्ध बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहा है ताकि वह विभिन्न क्षेत्रों में प्रायोजनाओं को स्थापित करने में अधिक सहायता और विशेष रूप से दरमियाने तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को अधिक सहायता दे सके । बैंक का विचार निकट भविष्य में देश के अलग-अलग भागों में शाखा-कार्यालय खोलने का है, ताकि पार्टियों की सुविधा के लिए तथा काम को शीघ्रता से निपटाने के लिए

निकट सम्पर्क स्थापित किया जा सके और जहां तक सम्भव हो, काम का विकेन्द्रीकरण किया जा सके । बैंक, उन छोटे उद्यमकर्ताओं के लाभ के लिए उद्योग विद्या, प्रबन्ध तथा विपणन के सम्बन्ध में सलाह देने का, शुरू में छोटे पैमाने पर, प्रबन्ध करने के लिए भी कदम उठा रहा है, जो इन पहलुओं का विचार करके उन के बारे में यथेष्ट कार्यवाई करने की स्थिति में नहीं होते ।

(5) देश में बनी मशीनों के विलम्बित अदायगी के आधार पर, बेचे जाने के कारण, हुण्डियों को फिर से भुनाने की योजना में, जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा चलायी जाती है, जनवरी, 1969 में दो महत्वपूर्ण संशोधन किये गये । यह योजना, जो तब तक गैर-सरकारी क्षेत्र के खरीदार-उपभोक्ताओं तक ही सीमित थी, सरकारी क्षेत्र के खरीदार-उपभोक्ताओं, जैसे बिजली बोर्डों, परिवहन निगमों तथा सरकारी औद्योगिक कम्पनियों के समान स्वायत्त निकायों पर भी लागू कर दी गयी । स्वीकृत बैंकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत लिये जाने वाले बट्टे की अधिकतम दरों में 1 प्रतिशत की कमी करके, ऋण प्राप्त करने के खर्च में भी कमी की गयी है ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में भाई भतीजावाद तथा अनियमितताएं

***266. श्री मधु लिमये :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उसके द्वारा अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली, में अनियमितताओं/पक्षपात/भाई भतीजावाद के बारे में एक संसद सदस्य के ज्ञापन पर दिये गये उत्तर का प्रत्युत्तर प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्युत्तर की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या किसी जांच का आदेश दिया गया है और यदि हां, तो जांच समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(घ) इस जांच का प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां

(ख) प्रत्युत्तर में उठाई गई मुख्य बातों का संबंध निम्नलिखित विषयों से था :-

(1) डीन और निदेशक के पदों का एकीकरण और वाइस-डीन के पद का सृजन ;

(2) चयन समिति की कार्यप्रणाली;

(3) कतिपय पदों का अपनयन;

(4) कतिपय पदों में नियुक्ति के लिए चयन के मामलों में चयन समिति को गुमराह करना ;

(5) अकादमी समिति की कार्यप्रणाली;

(6) चयन समिति की सहायता करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों का मनोनयन;

(7) अनुपस्थिति में किये गये चयन;

(8) तदर्थ आधार पर की गई नियुक्तियां;

(9) विभागाध्यक्षों की नियुक्तियां;

(10) राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र के प्रधान को अपर निदेशक के पद की मनाही;

(11) भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास एकक और आर्थोपेडिक प्रास्थेटिक वर्कशाप का प्रबन्ध;

(12) निजी पलंगों का अलाटमेन्ट;

(13) धुलाई उपस्करणों की खरीद;

(14) गैस पाइप लाइनों की व्यवस्था;

(15) विभिन्न विभागों का विदेशी अनुदानों का नियतन;

(16) आपरेशन थियेटर का प्रबन्ध;

(17) स्टाफ काउन्सिल का कार्य संचालन;

(18) संस्थान में प्रादेशिकता।

(ग) और (घ) : उपर्युक्त विषयों के संबंध में एक समिति के द्वारा, जिसमें भारत सरकार स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास के तत्कालीन सचिव श्री गोविन्दनारायण तथा स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डा० पी० के० दुरैस्वामी सम्मिलित थे, छानबीन की गई थी। इस समिति ने 22-11-1968 को अपनी जांच रिपोर्ट दे दी थी।

भारत में डाक्टर रोगी अनुपात

*267. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में डाक्टर और रोगियों का अनुपात क्या है;

(ख) यह अनुपात विकसित देशों की तुलना में कितना है; और

(ग) इस भारी अन्तर को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख): भारत में 5112 व्यक्तियों के पीछे आधुनिक चिकित्सा का एक रजिस्टर्ड डाक्टर है। ब्रिटेन और अमरीका में 800 से 1000 व्यक्तियों के पीछे एक डाक्टर है।

(ग) देश में 11,500 वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले 93 चिकित्सा कालेज पहले से ही मौजूद हैं। चौथी योजना अवधि में और अधिक चिकित्सा कालेज खोले जाने की सम्भावना है।

दिल्ली के लिये आवास बोर्ड

***268. श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली में मैसूर आवास बोर्ड के समान आवास बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) और (ख) : दिल्ली के लिए एक आवास बोर्ड स्थापित करने का प्रश्न दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है। अभी तक प्रस्ताव का ब्यौरा सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

थ्येटर-कम्युनिकेशन्स एरिया, कनाट प्लेस, नई दिल्ली का गिराया जाना

***269. श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थ्येटर कम्युनिकेशन्स एरिया, कनाट प्लेस, नई दिल्ली की बैरक बड़ी खराब हालत में है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको गिराने का तथा निकट भविष्य में वहां पर उपयुक्त बाजार बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : यह प्रस्तावित है कि इर्विन रोड पर निर्माणाधीन स्टेट इम्पोरियम बिल्डिंग्स तैयार हो जाने के बाद बैरकों को गिरा दिया जाये। 'थियेटर काम्यूनिकेशन बैरक्स' के स्थान पर बाज़ार बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। यह स्थान जो कि नई दिल्ली नगरपालिका में है, मास्टर प्लान में 'मनोरंजनात्मक' (रिक्रियेशनल) रूप में निर्धारित कर दिया गया है।

सिंचाई आयोग

***270. श्री श्रीचन्द गोयल**
श्री रामगोपाल शालवाले
श्री श्रद्धाकर सूपकार

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिंचाई आयोग नियुक्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक नियुक्त किये जाने की सम्भावना है तथा इसके सदस्य कौन-कौन होंगें ; और

(ग) इसके बनाये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल०राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग): शीघ्र ही यह आयोग स्थापित किया जाएगा। इस आयोग के विचारार्थ विषयों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन अभी शेष रहता है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के लाभ

1492. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वित्तीय वर्ष में रेलवे कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन की दो प्रतिशत राशि, और उनके कुल वेतन की दो प्रतिशत राशि कितनी होगी;

(ख) क्या सरकार को अपने कर्मचारियों को, जिन्हें सेवा निवृत के समय कम पेंशन मिलती है, अधिक पेंशन देने के लिये अंशदायी पेंशन निधि बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) क्या अंशदायी पेंशन निधि योजना चलाने के लिए उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित उतनी ही राशि सरकार से अंशदान के रूप में दिया जाना संभव है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सिविल, डाक-तार तथा रेलवे से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना के अनुसार मूल-वेतन का 2 प्रतिशत 7.36 करोड़ रुपये के लगभग और कुल परिलब्धियों का 2 प्रतिशत 13.17 करोड़ रुपये के लगभग होता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऐसे किसी प्रस्ताव की अनुपस्थिति में सरकार के लिए उसके सम्भव होने, न होने के प्रश्न पर विचार करने का कोई मौका नहीं था।

Publication of Reports of Department of Works, Housing and Urban Development

1493. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state the names, dates of publications, languages in which published, prices and the position regarding the availability of the reports submitted and published by all types of commissions, Study Team, Study Groups and Committees relating to the Department of Works, Housing and Urban Development and its attached and subordinate offices during the last 3 years ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah): Information is being collected from all the offices of this Department and will be placed on the Table of the House in due course.

संयुक्त पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के हिमाचल प्रदेश को दिये गये कर्मचारी

1494. श्री हेम राज : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के विभिन्न श्रेणियों, यथा श्रेणी चार, तीन, दो और एक, के कितने कर्मचारी हिमाचल प्रदेश को दिये गये;

(ख) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रशासन विद्युत कर्मचारियों तथा संयुक्त पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड से दिये गये कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में अन्तर है और उनके अहित में है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन प्रशासनों की सेवा-शर्तों को समन्वित तथा समेकित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हिमाचल प्रदेश को अस्थायी आधार पर दिए गए पंजाब राज्य के मिश्रित बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या निम्नलिखित है :—,

चतुर्थ श्रेणी	316
तृतीय श्रेणी	853
द्वितीय श्रेणी	7
प्रथम श्रेणी (जूनियर)	4
प्रथम श्रेणी	

(ख) और (ग) : पंजाब राज्य के मिश्रित बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें वे नहीं हैं, जो हिमाचल प्रदेश के बिजली कर्मचारियों की है। पंजाब राज्य के मिश्रित बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हिमाचल प्रदेश को दिए गए है, उनकी सेवा की शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं और यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

मैसर्स परमानेन्ट मेगनट लिमिटेड में श्री कान्ती लाल देसाई के शेयर

1495 श्री बाबूराव पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमानेन्ट मेगनट लिमिटेड में श्री कान्तीलाल मोरारजी देसाई के कितने शेयर हैं, उनका मूल प्रदत्त मूल्य कितना है और वे शेयर कितने मूल्य पर तथा किस तारीख को बेचे गये तथा उन शेयरों को खरीदने वाले का नाम क्या है ;

(ख) उक्त शेयरों की बिक्री पर कितना लाभ हुआ है और इसका मूल्यांकन किस ढंग से किया गया तथा उन पर कितना कर दिया गया ; और

(ग) उक्त लाभ पर पूंजी लाभ के रूप में कर न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क श्री कान्तिलाल देसाई के पास जो शेयर थे उनकी संख्या और खरीदार के नाम सहित बिक्री के ब्यौरे के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना अनुबन्ध में दी गई है।

(ख) परमेनेन्ट मेगनेट्स लि० के 1000 और 300 शेयरों के बेचने पर क्रमशः 2,40,000 रुपये (दीर्घावधि पूंजी लाभ) और 6,874 रुपये (अल्पावधि पूंजी लाभ) का लाभ हुआ। कर-निर्धारिती के हाथ में उक्त रकमों पर कर-निर्धारण वर्ष 1964-65 में कर लगाया गया और उन पर अदा किया गया कर 65,451.43 रूपये था।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रजिस्टर्ड शेयर होल्डर का नाम	शेयरों की संख्या	प्रदत्त मूल्य	कुल रकम	बिक्री की तारीख	कुल विक्रय मूल्य	खरीददार का नाम
श्री कान्तिलाल देसाई	+1000	100 रूपये	रूपये 1,00,000	जनवरी 1964	रूपये 3,40,000	मैसर्स राम नारायण प्रा० लि०
यथोपरि	300	अंकित मूल्य 100 रूपये खरीदे गये 225 रूपये प्रति शेयर की दर से	67,500	यथोपरि	75,000	यथोपरि
यथोपरि	200	अंकित मूल्य 100 रूपये खरीदे गये 166 रूपये प्रति शेयर की दर से	33,573	...	....	....

+ ये शेयर नियंत्रण हित रखते थे।

निरोध के लिये यूनियन कारबाइड इंडिया लिमिटेड के साथ करार

1497. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनियन कारबाइड इन्डिया लिमिटेड के साथ निरोध (कण्डोम्स) की बिक्री तथा वितरण सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व क्या जनता से टेंडर मांगे गये थे ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह फर्म विदेशी है ;

(ग) कण्डोम्स की बिक्री में यूनियन कारवाइड को क्या विशेष तकनीकी योग्यता प्राप्त है जैसा कि करार के खण्ड पांच में बताया गया है ;

(घ) करार के खण्ड सात के अन्तर्गत सरकार ने इसके प्रचार के लिए अब तक कितना व्यय किया है ; और

(ङ) फर्म द्वारा कोई व्यापार जोखिम उठाये जाए बिना इसको 33⅓ प्रतिशत की इतनी अधिक कमीशन दिये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) वितरण करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व खुले टेंडर नहीं मांगे गए थे। निरोध (कण्डोम) वितरण योजना के अनुसार 15 पैसे के 3 के रियायती मूल्य पर निरोध वितरण किए जाएंगे और देश में जहां तक सम्भव हो सके इसका व्यापक वितरण करने के उद्देश्य से बड़ी बड़ी कम्पनियों को, जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण का अच्छा प्रबन्ध है और जिन्हें उपभोक्ता माल के व्यापार का व्यापक अनुभव है, बातचीत के जरिये वितरक नियुक्त किया गया, जिनमें यूनियन कारवाइड इंडिया लिमिटेड भी शामिल है। यह जानते हुए कि निरोध एक असाधारण पदार्थ है और यह भी जानते हुए कि इस प्रकार की बड़ी कम्पनियां आमतौर पर कोई एजेंसी लेकर कार्य नहीं करती हैं, उन्हें एक लम्बी बातचीत के बाद निरोध के वितरण प्रबन्ध में विशेष रूप से शामिल करना पड़ा। यह काम खुले टेंडर मांग कर नहीं किया जा सकता था।

(ख) यूनियन कारवाइड इंडिया लिमिटेड कम्पनी, जिसमें 0 प्रतिशत विदेशी हिस्सेदारी है और 40 प्रतिशत स्वदेशी हिस्सेदारी है, भारतीय कम्पनी अधिनियम (इंडियन कम्पनीज एक्ट) में समाविष्ट है।

(ग) करार के खण्ड पांच में यूनियन कारवाइड इंडिया लिमिटेड की जिस विशेष तकनीकी योग्यता का उल्लेख किया गया है वह उपभोक्ता माल को बेचने से सम्बन्धित है और निरोध उपभोक्ता माल की श्रेणी में आता है।

(घ) व्यावसायिक वितरण योजना के अन्तर्गत निरोध के प्रचार में दिसम्बर, 1968 तक भारत सरकार ने 9,17,800 रुपये खर्च किये हैं।

(ङ) कम्पनी को दिये गए कमीशन में ये सब लागत भी शामिल है :—

वह कमीशन जो कम्पनी ने थोक और फुटकर व्यापारियों को देना है ; इसमें दूर दूर तक स्थापित फुटकर स्थानों का प्रयोग भी शामिल है ; निरोध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च ; कम्पनी के गोदामों से फुटकर स्थानों तक प्रचार सामग्री ले जाने का खर्च, बिक्री बढ़ाने के लिए कम्पनी के सेल्समैनों द्वारा फुटकर दुकानदारों के साथ किये जानेवाले तीव्र अभियान का खर्च, अनबिके माल को अधिक बिक्री वाले स्थानों पर पहुंचाने का खर्च ; कम्पनी द्वारा समाचार पत्रों में किया जाने वाला परिवार नियोजन के प्रचार का खर्च। क्योंकि निरोध काफी रियायती कीमत पर बेचा जाता है इसलिए कुल मिलाकर कमीशन बहुत मामूली है और जो सेवाएं प्राप्त होती हैं उनको देखते हुए ज्यादा नहीं है।

Opening of Medical College in Sewagram of Maharashtra.

1498. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether a medical college is proposed to be opened in Sewagram of the Maharashtra State with effect from the 1st July, 1969; and

(b) if so, the expenditure involved in this scheme and the amount proposed to be given by the Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and works Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) : The Kasturba Health Society has proposed to start a medical college at Sewagram. The estimate of cost of the project has not been finalized. If the project materialises, the Central Government propose to meet half of the cost.

Loans given to Farmers by Banks

1499. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount advanced as loan to farmers by the Commercial Banks since the 1st July, 1967 ; and

(b) the amount out of that given to small farmers ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) : The Reserve Bank conducts a special annual survey to obtain information regarding advances based on the principal types of activities of the borrowers. According to the results of the latest survey showing the position as on 31st March, 1967, credit to borrowers for processing and production of agricultural commodities (including plantation products) was Rs. 56.65 crores Information regarding the amount given to small farmers is not available. No survey has so far been conducted as on a later date.

Upper Panganga Irrigation Project in Maharashtra

1500. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether the Central Government have accorded their final approval to the Upper Panganga Irrigation Project of Maharashtra ;

(b) if so, the expenditure involved thereon as also the details thereof ; and

(c) when the work thereon is proposed to be started ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and power (Shri Siddheshwar Prasad) (a) : No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

Delhi State Teachers Co-operative Housing Society Ltd.

1501. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether any land has been allotted to the Delhi State Teachers' Cooperative Housing Society Ltd ;

(b) if so, where;

(c) the total amount demanded from them and the amount paid by them so far;

(d) whether the development work of this land would be done by the Delhi Development Authority or by the Society itself; and

(e) the rate at which land has been allotted to the society and the rate of land and development charges charged by the society from its members ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) In village Karkardooma in Shahdara area.

(c) Total amount demanded from the Society was Rs. 18,71,946.50 and the amount paid so far is Rs. 6,94,590.00

(d) The Society is expected to develop the land themselves.

(e) Allotment of land to the society has been made on the basis of actual cost of acquisition of the area: The approximate cost charged from the society comes to Rs. 3,350/- per acre. Any further enhancement in the cost of acquisition will be borne by the society.

The rate of land development charges charged by the Society from its members is the concern of the Society.

हरियाणा में औषध निर्माण (फारनेस्युटिक्लै) फैक्टरी

1502. श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बलगारिया के सहयोग से हरियाणा में एक औषधनिर्माण फैक्टरी शुरु की गई है ;

(ख) यह फैक्टरी सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में है ;

(ग) सहयोग सम्बन्धी समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इसमें कितनी पूंजी लगाई जायेगी और क्या निवेश दोनों पक्ष करेंगे ।

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां । गम्मा ग्लोबुलिन को तैयार करने के लिए बलगारिया के मैसर्स टेक्नो-एक्सपोर्ट के सहयोग से हरियाणा राज्य में एक नये उपक्रम (अण्डरटेकिंग) की स्थापना के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस मैसर्स कुरेवैंलल (इण्डिया) लि०, नई दिल्ली को मंजूर किया गया था ।

(ख) कारखाना गैर-सरकारी क्षेत्र में है ।

(ग) और (घ): सहयोग करार की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :

(1) बलगारिया के मैंमर्स टेक्नो-एक्सपोर्ट, कम्पनी जारी साम्य पूंजी 49 प्रतिशत तक साम्य पूंजी देगी (13,47,500 रुपये) ।

(2) विदेशी फर्म को गम्मा ग्लोबुलिन के अन्तर्राष्ट्रीय स्थरों तक निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी आदि के प्रकाय तथा ट्रेड मार्का, पेटेण्टस आदि के इस्तेमाल की अनुमति हेतु 7 सालों की अवधि के लिए वास्तविक शुद्ध विक्रय पर 3 प्रतिशत की दर से (जिसपर टैक्स लगेगा) रायल्टी दी जायेगी।

(3) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए विदेशी फर्म को रुपयों के रुप में धनराशि दी जायेगी, जो 10,000 अमरीकी डालर के बराबर होगी।

(4) निर्यात निशुल्क होगा और विदेशी फर्म विश्व-बाजार मूल्य की तुलना में दश प्रतिशत कम मूल्य पर पदार्थ के कुल वार्षिक उत्पादन का शुष्क हालत में 50 प्रतिशत तक निर्यात के लिए गारण्टी देगी। यदि किसी वर्ष निर्यात में कमी आयेगी तो वह उत्तरोत्तर वर्ष में पूरा करने के लिए आगे लायी जायेगी।

(5) सहयोग के लिए अन्य कोई अदायगी नहीं होगी।

(6) भारतीय फर्म को इण्डो बलगारियन ऋण करार के अन्तर्गत 7,30,000 रुपये के उपकरण के आयात के लिए ऋण प्राप्त करने की अनुमति है। यह ऋण वार्षिक 11 बराबर किश्तों में $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज पर अदा किया जायेगा। अदायगी उपकरण के पोत-लदान के पूरा होने पर एक साल बाद शुरु होगी।

अनुभाग अधिकारी (इलैक्ट्रिकल)

1503 **श्री एस० डी० सोममुन्दरम :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इलैक्ट्रिकल विंग इलैक्ट्रकल मैकेनीकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, जो कि अनुभाग अधिकारी (इलैक्ट्रीकल) के लिए न्यूनतम अर्हता है, रखने वाले उम्मीदवारों को इस पद के लिए नियुक्त करने पर विचार नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो 1968 में इस पद के लिए कितने उम्मीदवारों को इन्टरव्यू के लिए बुलाया गया तथा चुना गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) (क) और (ख) : जी नहीं। भर्ती नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान/संस्था के इलैक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्रीधारी उम्मीदवार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है। तदनुसार बहुत से डिप्लोमाधारी नियुक्त किए गए हैं।

तथापि, इस बात को देखते हुए कि बहुत सारे डिग्रीधारियों ने डिप्लोमाधारियों के साथ अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में नियुक्ति के लिए आवेदन दिए हैं, पिछले वर्ष से चयन करते समय स्नातक इन्जीनियरों को डिप्लोमाधारियों की अपेक्षा तरजीह दी गई है। अभी हाल में, बहुत अधिक संख्या में प्राप्त आवेदनों को देखते हुए, कुछ मामलों में, इन्टरव्यू का पुनः प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के डिग्रीधारियों तक सीमित रखना पड़ा। इसका तात्पर्य यह नहीं कि जब पर्याप्त संख्या में स्नातक नहीं जायेंगे, तो डिप्लोमाधारियों को इन्टरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित रिक्तयों के लिए, अब भी डिप्लोमाधारियों को इन्टरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है।

(ग) सितम्बर, 1968 तक डिप्लोमाधारियों को इन्टरव्यू के लिए बुलाया जाता रहा है तथा उनका चयन किया जाता रहा है। नई दिल्ली जोन में 135 डिप्लोमाधारियों का इन्टरव्यू लिया गया और 39 को नियुक्ति के लिए चुना गया। सितम्बर, 1968 के बाद, किसी डिप्लोमाधारी का इन्टरव्यू नहीं लिया गया और ना ही नियुक्ति की गई।

टेंडर देने वालों को वास्तुकला तथा सरचनात्मक रेखा चित्रों की सप्लाई

1504. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सभी निर्माण कार्यों के लिए अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत तथा सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार टेंडर आमन्त्रित करने वाले नोटिस के साथ साथ टेण्डर देने वालों के लिए वास्तुकला तथा संरचनात्मक के रेखाचित्र में उपलब्ध किये जाते है ;

(ख) यदि हां, तो 1967 और 1968 में नोटिस के साथ-साथ किन बड़े निर्माण कार्यों के लिए सरचनात्मक रेखा चित्र उपलब्ध किये गये थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जारी है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलैक्ट्रीकल विंग के कर्मचारियों को 'निरापत्ति पत्र'

1505. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का इलैक्ट्रीकल विंग तकनीकी पदों पर अस्थायी क्षमता में काम कर रहे कर्मचारियों को रोजगार कार्यालय में ऊंचे पदों के लिए अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए अनुमति पत्र जारी नहीं कर रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभाग ऊंचे तकनीकी पदों के लिए कोई आवेदन पत्र बाहर नहीं भेज रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो जनवरी, से दिसम्बर, 1968 तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और कितने आपत्ति पत्र जारी किये गये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) नियमों के अनुसार, अस्थाई कर्मचारियों के द्वारा एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज में अपना नाम पंजीकृत कराने के लिए "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" की आवश्यकता नहीं होती है। किसी प्राप्त आवेदन को क्या रद्द कर दिया गया है इसका पता लगाया जा रहा है।

(ख) जी नहीं। प्रत्येक वर्ष दो आवेदन अग्रेषित किए जाते हैं।

(ग) सक्षम बिजली कर्मचारियों की कमी होने के कारण केवल दो आवेदनों को अग्रेषित किया गया है।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Establishment of Industries in Public Sector in Certain States

1506. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the industries which have been established in the public sector during the last five years in Madhya Pradesh as compared to those established in Maharashtra and Gujarat ; and

(b) the net revenue, industry-wise, from the said industries in those States during the above period ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Apart from establishment of new industries, substantial expansion schemes are also invariably undertaken in the enterprises set up earlier. The investment effort during the five years ended 31-3-1968, can, therefore, be better represented by the increase in the value of gross block in the Central Government enterprises in the concerned States. Such increases in gross block in the States of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat during this period are indicated below.

	Rs. in crores *
Madhya Pradesh	
(Accounted for by Hindustan Steel, Heavy Electricals, National Coal Development Corporation, National Mineral Development Corporation and National Newsprint & Paper Mills Ltd.)	253
Maharashtra	
(Accounted for by Fertilizer Corporation, Hindustan Aeronautics, Hindustan Antibiotics, Mazagon Docks Ltd., National Coal Development Corporation, Hindustan Organic Chemicals Ltd., Lubrizol (India) Ltd., and Modern Bakeries Ltd.)	70

Gujarat

(Accounted for by Oil & Natural Gas Commission, Indian Oil Corporation, National Small Industries Corporation and Hindustan Salts Ltd.) 77

* Excludes value of aircrafts. ships not assignable to any particular State and Miscellaneous assets such as pipelines, storage installation, etc., where State-wise figures are not available.

(b) A statement is laid on the Table of the House showing the net profit/loss, after depreciation, interest and tax, of the concerned enterprises as a whole during the five years. The unit-wise position regarding profit/loss is not available in all cases. [Placed in Library. See No. L. T. 184/69]

Loans Given by Reserve Bank to Banks Under Cooperative Societies in Madhya Pradesh

1508. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of loan given by the Reserve Bank of India to the different banks under Cooperative Societies in Madhya Pradesh through the Apex Bank during the last three years up to 30th June, 1968 ;

(b) the rate of interest charged by the Reserve Bank and that charged by the Central Banks and the village credit societies from the farmers ; and

(c) the total amount of loan given to Madhya Pradesh for agriculture purposes during the above period by different Central banks ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Loans advanced by the Reserve Bank during the period 1965-66 to 1967-68 to the Madhya Pradesh State Co-operative Bank in respect of central cooperative banks in the State are given in the table below :

(in crore of Rs.)

	Short-term loans for seasonal agricultural operations and marketing of crops	Medium-term loans for Agricultural purposes.	Total
1965-66	18.67	1.06	19.73
1966-67	14.34	0.81	15.16
1967-68	26.90	0.72	27.62

Central bankwise details are being collceted and will be laid on the Table of the House in the due course.

(b)	For Short-term loans	For medium-term loans
By the Reserve Bank	2% below * Bank rate	1½% below * Bank rate
By the Central Co-operative Banks. @	7.5% to 9.5%	8%
By the Credit Societies @	10.5%	10.5% to 11%

* Presently the Bank rate is 5%

@ Based on information relating to the Years 1965-66 and 1966-67.

(c) Loans advanced by Central Cooperative banks in Madhya Pradesh for agricultural purposes during the years 1965-66 to 1966-67 are as below :

(Rs. in crores)

	Short-term	Medium-term
1965-66	24.21	7.51
1966-67	27.54	8.41

Information for the year 1967-68 is not now available. Central bank-wise details are being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

महाराष्ट्र में नागपुर के निकट कोराडी सुपर तापीय बिजली घर

1509. श्री देवराव पाटिल : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में नागपुर के निकट कोराडी सुपर तापीय बिजली घर में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उस पर कम व्यय किये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सामान्य सर्वेक्षण, मिट्टी अनुसन्धान और भू-भौतिकीय अध्ययन के प्रथम चरण का काम पूरा हो गया है। 114.97 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। बिजली घर की नींव के लिये अरेखों, अभिकल्पों और विशिष्टियों को तैयार करने का काम चल रहा है। बायलर बनाने के लिये अपेक्षित कच्चा माल जहाजों से आना शुरु हो गया है और अब तक लगभग 25% बायलरों को बनाने का काम पूरा हो गया है।

(ख) चूंकि टर्बो-जनित्रों के लिये करार-नामे पर हस्ताक्षर जनवरी, 1967 में हुए थे, इसलिये तीसरी योजना में कुछ भी व्यय नहीं हुआ। 1967-68 और 1968-69 के वर्षों में व्यय कार्य-प्रगति के अनुकूल रहा है।

Pension of Central Government Employees

1510. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the amount of pension of the Central Government employees can be reduced in certain circumstances ;

(b) if so, under which circumstances and the rules applicable therefor ;

(c) the status of the Officer who is authorised to make reduction in pension ;

(d) whether a copy each of the rules and orders in regard to the making of a reduction in the amount of pension would be laid on the Table of the House ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) : Yes, Sir. The pension can be withheld, withdrawn or reduced under articles 351, 351-A, 353-AA and 470 of the Civil Service Regulations. The circumstances under which the pension can be withheld, withdrawn or reduced and the competent authority to do so have been mentioned in the relevant articles.

(d) and (e) : Extracts of the above articles are enclosed. [Placed in Library. See No. L. T. 185/69]

पंजाब और हरियाणा को केन्द्रीय सहायता

1511. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार द्वारा आगामी वर्ष के लिए अपनी विकास योजना हेतु केन्द्रीय सरकार से सहायता के रूप में कितनी धनराशि की मांग की गई है उसको कितनी सहायता दी जायेगी ;

(ख) क्या यह सच है कि वित्त आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के अनुसार पंजाब और हरियाणा को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है जबकि देश के अधिकांश अन्य राज्यों को यह सहायता दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त राज्यं को वित्तीय सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पंजाब सरकार ने 1969-70 की अपनी वार्षिक आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में कोई विशिष्ट रकम नहीं मांगी थी। 1969-70 के लिये केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार निर्धारण अभी तक अन्तिम रूप से नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) : यह सच है कि पांचवें वित्त आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में जिन राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275 (i) के अन्तर्गत राजस्वों के सहायक-अनुदान देने की सिफारिश की है, उनकी सूची में पंजाब और हरियाणा राज्य शामिल नहीं है। इसका कारण यह है कि आयोग के विचार में इन दोनों राज्यों को ऐसी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी।

अमृतसर सीमा पर तस्करी

1512. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर सीमा पर तस्करी में वृद्धि हुई है और पंजाब में राष्ट्रपति के शासन काल में तो इसमें व्यापक वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जहां तक सरकार को पता है, अमृतसर सीमा पर तस्कर आयात-निर्यात की वृद्धि नहीं हुई हैं तथा इस बात का कोई संकेत नहीं कि पंजाब में राष्ट्रपति-शासन के दौरान तस्कर आयात-निर्यात में कोई वृद्धि हुई थी।

(ग) तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिए अधिकाधिक गश्त लगाना तथा कड़ी निगरानी रखना अभी भी जारी है ।

सिनकोना उत्पादन

1513. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पता है कि उत्तर बंगाल में पिछले विनाशकारी बाढ़ों के दौरान फसलों, सड़कों, श्रमिकों के क्वार्टरों, जल सम्भरण संस्थानों तथा सिंचाई व्यवस्था को क्षति के कारण सिनकोना बागान को लगभग 10 लाख रुपये मूल्य की भारी क्षति होने का अनुमान है ;

(ख) क्या यह सच है कि बाढों आदि के कारण पहुँची क्षति तथा पश्चिम बंगाल की चौथी योजना में की गई काफी कटौती के कारण पश्चिम बंगाल सरकार की सिनकोना उपज के विकास के लिये 1.5 करोड़ रुपये की योजना को भारी धक्का लगा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का कारगर रूप से मुकाबला करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों की कार्यवाही का ब्यौरा क्या है क्योंकि सिनकोना-उत्पाद-निर्यात से वर्ष 1967-68 में लगभग एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कम्पनियों द्वारा पूंजी का जुटाया जाना

1514. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सात कम्पनियों को 2.64 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने की अनुमति दे दी है,

(ख) यदि हां, तो क्या सात में से पांच कम्पनियों को 1 करोड़ 72 लाख रुपये से अधिक राशि के बोनस शेयर जारी करने को कहा गया है ;

(ग) जिन सात फर्मों को पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई है उनके नाम क्या है ;

(घ) क्या किन्हीं अन्य फर्मों ने भी पूंजी जुटाने के लिये आवेदन-पत्र दे रखा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन पर इन सात फर्मों के साथ विचार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : पूंजी निर्गम नियन्त्रक (कंट्रोलर आफ कैपीटल इश्यूज) साप्ताहिक (या कभी-कभी पाक्षिक) प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है, जिसमें पहले के सप्ताह (या पखवाड़े) में पूंजी निर्गमों के लिये दी गयी मंजूरियों का विवरण दिया जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 186/69**] दिसम्बर 1968 के दूसरे पखवाड़े में 7 कम्पनियों को कुल 2.64 करोड़ रुपये के शेयर जारी करने की इजाजत दी गई थी। इनमें से 5 कम्पनियों को प्रारक्षित निधियों का पूंजी-करण करके कुल 1.73 करोड़ रुपये के बोनस शेयर जारी करने की इजाजत दी गयी थी। एक विवरण संलग्न है, जिसमें इन कम्पनियों के नाम, शेयरों की किस्म और प्रत्येक निर्गम की रकम दी गयी है।

(घ) और (ङ) : शेयर जारी करने के लिये अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से, कम्पनियों से साल-भर प्रार्थना-पत्र आते रहते हैं और जैसा ही ये प्रार्थना-पत्र पूंजी निर्गम नियंत्रक के कार्यालय में प्राप्त होते हैं वैसे ही उन पर कार्रवाई की जाती है। इसलिए किसी खास समय सभी प्रार्थना पत्रों पर एक साथ विचार करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

संसाधनों पर आधारित योजना तैयार करना

1515. श्री रा० की० अमीन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री सी० मुत्तुस्वामी :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आर्थिक सम्मेलन हैदराबाद में हुआ था ;

(ख) क्या उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में संसाधनों पर आधारित योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) साधनों के आधार पर आयोजना तैयार करने की आवश्यकता का भाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया था।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड

1516. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड की इसकी स्थापना के समय प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी थी और 31 मार्च, 1968 को इसके आंकड़े क्या थे।

(ख) 31 मार्च, 1968 को फैक्टरी ने केन्द्रीय सरकार, बैंकों तथा अन्य पार्टियों को पृथक्-पृथक कितना ऋण देना था ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान फैक्टरी द्वारा ब्याज के रूप में कितनी राशि दी गई ;

(घ) गत तीन वर्षों के इसके कार्य-संचालन के क्या परिणाम निकले हैं, कितनी हानि तथा लाभ हुआ और हानि के मुख्य कारण क्या थे ; और

(ङ) 1968–69 के क्या प्राक्कलन हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क)

	अधिकृत पूंजी	चुकता पूंजी
जब स्थापित हुआ (1953)	5 लाख रुपये	5 लाख रुपये
31 मार्च, 1968	75 लाख रुपये	48,99 लाख रुपये
(ख) केन्द्रीय सरकार को	--	35,35.578 रुपये
बैंकों तथा अन्य पक्षों को	–	कुछ नहीं।

(ग) 7.65 लाख रुपये।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान फैक्टरी के द्वारा अर्जित लाभ निम्नांकित हैं-

(रूपये लाखों में)

	1965-66	1966-67	1967–68
(i) कर से पूर्व लाभ	16.83	6.77	19.63
(ii) व्यवस्था से पूर्व कर	8.90	3.60	10.34
(iii) कर के बाद लाभ	7.93	3.17	9.29

(ङ) 11.84 लाख रुपये का लाभ (कर से पूर्व)।

मोहन सिंह मार्केट, दिल्ली में रेस्तरां के एलाटमेण्ट के लिये टेण्डर

1517. श्री म० ला० सोंधी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास, तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन की मंजूरी से पूर्व ही मोहन सिंह मार्केट में एक जलपान गृह के लिए टेण्डर आमंत्रित करने वाला एक नोटिस समाचार पत्रों में छपा था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नई दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की इस भूल के लिये जिम्मेदारी नियत करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। दिल्ली नगर पालिका ने बतलाया है कि

ऐसे मामलों में टेण्डर आमंत्रित करने से पूर्व दिल्ली प्रशासन की मंजूरी लेना नगरपालिका के लिए आवश्यक नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को बोनस तथा उनके लिये मकान

1518. श्री म० ला० सोंधी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर निगम के बिजली विभाग के 500 कर्मचारियों को पिछले दस वर्षों से बोनस नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच हैं कि नई दिल्ली नगर निगम के अधिकांश कर्मचारियों को क्वार्टर भी नहीं दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका के विद्युत विभाग के कर्मचारियों को कोई बोनस नहीं दिया जाता हैं क्योंकि यह पालिका बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत नहीं आती है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) सभी वर्गों के कुल 6000 कर्मचारियों में से केवल 1800 कर्मचारियों को मकान दिये गये हैं । क्योंकि क्वार्टरों की संख्या सीमित है । इसलिये प्रत्येक कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं दिया जा सकता ।

रसायन उद्योग को राहत

1519. श्री प्र० न० सोलंकी : **श्री द० रा० परमार :**
श्री व० नरसिम्हा राव : **श्री जे० एम० इमाम :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री चं० चु० देसाई :**

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायन उद्योग को राहत देने की मांग की गई है ताकि उस उद्योग में कार्यकुशलता, उत्पादन की मात्रा बढ़ जाने और उसकी उत्पादन लागत कम हो जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : जी हां । मांगी गई राहत और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्योरा इकट्ठा किया जा रहा है और यथा समय सभा-पटल पर रखा जायेगा ।

दिल्ली के गांव में नेत्र चिकित्सकों के रूप में नीम हकीमों का दौरा

1520. **डा० कर्णी सिंह :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "नीम हकीम" दिल्ली राज्य-क्षेत्र के गांवों में नेत्र चिकित्सा के रूप में घूमते हैं और उनके चगुल में फंसकर बहुत से गांव वाले अपनी नेत्र ज्योति खो बैठे है तथा ये "नीम हकीम" अपना शुल्क एकत्र करके भाग जाते हैं :

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ मामले में तो इन "नीम हकीमों" ने बिना आप्रेशन किये ही अपना शुल्क ले लिया और प्याज से उतारी हुई झिल्ली को रोगियों को दिखा कर यह कहा कि उनके नेत्रों से उतारी गयी झिल्ली है ; और

(ग) ऐसे "नीम हकीमों" पर रोक लगाने के लिये सरकार का क्या निरोधक उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : दिनांक 18 दिसम्बर, 1968 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अतिरिक्त सरकार के पास और कोई सूचना नहीं है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र कैम्प वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञों की देखरेख में लगता है ताकि ग्रामीण जनता विशेषज्ञों की सुविधाएं प्राप्त कर सकें । नीम-हकीमों की गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय औषध परिषद् अधिनियम, 1956 में दण्ड व्यवस्था की हुई है ।

भारतीय तेल निगम की कार्य-पद्धति का मूल्यांकन

1521. **श्री क० लकप्पा :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों में भारतीय तेल निगम की कार्य-पद्धति का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में किस प्रकार की अनियमितताओं का पता चला है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) यह एक लगातार रहने वाला कार्य है। भारतीय तेल निगम के सम्पन्न कार्यों की सरकारी उपक्रम समिति और संसदीय प्राक्कलन समिति ने भी विस्तृत रुप में जांच की है।

(ख) इन का सम्बद्ध वर्षों की केन्द्रीय सरकार की आडिट रिपोर्टों (व्यापारिक) सरकारी उपक्रम समिति की पैंतीसवीं तथा छत्तीसवीं और प्राक्कलन समिति की पचासवीं रिपोर्ट मे, जो संसद में रख दी गई थी, उल्लेख है।

(ग) जहां कही जरुरी समझा गया, उपचारी उपायों को अपनाया गया है।

वित्त मन्त्रालय द्वारा विदेशों में भेजे गये शिष्टमंडल

1522. **श्री क० लकप्पा :**
डा० सुशीला नायर :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में उनके मन्त्रालय द्वारा कितने शिष्टमंडल विदेश भेजे गये हैं ;

(ख) उन शिष्टमडलों ने कौन-कौन से देशों की यात्रा की है ;

(ग) प्रत्येक शिष्टमंडल ने कितनी-कितनी राशि खर्च की है ; और

(घ) उनकी यात्रा का क्या-क्या परिणाम निकला ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया कार्य

1523. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने 1 अप्रैल, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक की अवधि में कुल कितनी नयी पोलिसियां जारी की हैं ;

(ख) इन आंकड़ों की पहले वर्षों के आंकड़ों की तुलना में क्या स्थिति है ;

(ग) वर्ष 1967-68 में कुल कितनी पोलिसियां व्यपगत हो गई हैं और उससे पहले वर्ष व्यपगत हुई पोलिसियों की कुल संख्या क्या थी ; और

(घ) उपरोक्त अवधि में कितने बोनस की घोषणा की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) :

अवधि	जारी की गई नई पालिसियों की संख्या
1-4-66 से 31-12-66	8,78,163
1-4-67 से 31-12-67	9,45,437
1-4-68 से 31-12-68	9,48,908

(ग) 1967-68 के दौरान व्यपगत पालिसियों की कुल संख्या में से फिर से चालू की गई पालिसयों की संख्या को घटाने के बाद व्यपगत पालिसियों की संख्या 6,62,508 रहती है जब कि पिछले वर्ष यह सख्या 4,93,876 थी ।

(घ) निगम द्वारा जारी की गई बोनसयुक्त पालिसियों के बारे में 31 मार्च, 1967 को किये गये पिछले द्विवार्षिक मूल्यांक के आधार पर आजीवन बीमा पालिसियों के प्रत्येक 1000 रुपये पर 20 रुपये वार्षिक का तथा सावधिक बीमा पालिसियों के प्रत्येक 1000 रुपये पर 16 रुपये वार्षिक का बोनस घोषित किया गया । ये दरें वही हैं जो पिछली बार 31 मार्च, 1965 तक के द्विवार्षिक मूल्यांकन के लिये घोषित की गई थी । भूतपूर्व बीमा कम्पनियों द्वारा जारी की गई पालिसियों के सम्बन्ध में बोनस की घोषणा, जीवन बीमा निगम (विभेदी बोनस के लिए पालिसियों का वर्गीकरण) विनियम, 1961 के अनुसार की जाती है ।

निगम का मूल्यांकन दो वर्षों में एक बार किया जाता है । अगला मूल्यांकन 31 मार्च, 1969 को किया जायेगा ।

मालाबार फर्टीलाइजर्स, मंगलौर

1524. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन, और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस समय मालाबार फर्टीलाइजर्स, मंगलौर स्थापित किया गया था, उस समय और 31 दिसम्बर, 1968 को उसकी अधिकृत और प्रदत्त पूंजी क्या-क्या थी ;

(ख) उक्त कम्पनी ने 31 दिसम्बर, 1968 तक केन्द्रीय सरकार, बैंकों या अन्य पार्टियों से कितना-कितना ऋण लिया था ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त कम्पनी विदेशी सहयोग से स्थापित की गई थी और जिसे विदेशी सहयोग मिलना बन्द हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसे विदेशी सहयोग के न दिये जाने के क्या कारण है और उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 9 जनवरी, 1967 को मालाबार केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लि० एक सरकारी लि० कम्पनी के रूप में संगठित की गई थी। 15 करोड़ रुपये तक पूंजी को जारी करने के लिए 4 फरवरी, 1967 को पूंजी इजर (केपीटल ईशूज) के नियन्त्रक की मंजूरी प्राप्त की गई। 7 फरवरी 1967 को कम्पनी ने 5 करोड़ रुपये की पूंजी जारी की जिसमें से विदेशी साझेदारों को 50 प्रतिशत और भारतीय साझेदारों को भी 50 प्रतिशत 31 दिसम्बर, 1968 को चुकता पूंजी निम्न प्रकार थी--

भारतीय	–	25,60,090 रुपये
विदेशी	–	25,00,000 रुपये

(ख) शून्य।

(ग) मैसर्स इण्टरनेशनल डिवैल्पमैण्ट एण्ड इन्वैस्टमैंट कम्पनी लि०, नास्तू, बहामास के सहयोग से कम्पनी स्थापित की गई थी। मैसर्स आई० डी० आई० सी० ने अब परियोजना से अपने को हटा लिया है।

(घ) मैसर्स आई० डी० आई० सी० ने परियोजना से अपने को हटा लिया है क्योंकि वे आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था न कर सके।

श्रीलंका में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों के बीमों के दावे

1525. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
श्री समर गुह :
श्री क० लकप्पा :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री जे० अहमद :
श्री दिनकर देसाई :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका की कुछ प्रमुख कम्पनियों ने वहां रहने वाले भारतियों को इस शर्त पर बीमा पालिसियां जारी करने की पेशकश की है कि उनके भारत लौटे जाने पर उन्हें भारतीय मुद्रा में उनके सब लाभ और दावों का भुगतान कर दिया जायेगा ;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम ने भारत में आने वाले लोगों को उनके दावों का भुगतान करने से इन्कार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत में लौट आने वाले लोगों के दावों के भुगतान कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। श्रीलंका में कारोबार करने वाली भारतीय बीमा कम्पनियों ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को ऐसी बीमा पालिसियां जारी की थी जिनके अन्तर्गत, श्रीलंका मुद्रा विनिमय नियंत्रण अधिकारियों की अनुमति प्राप्त होने पर, पालिसियां भारतीय मुद्रा में भारत में भुगतान योग्य थी।

(ख) और (ग) : ऐसी पालिसियों के सम्बन्ध में प्रीमियमों की रकमों की वसूली श्रीलंका में वहां की मुद्रा में की गई थी, इसलिए दावों का भुगतान श्रीलंका के मुद्रा विनिमय नियंत्रण विनियमों के अनुसार, भारत लौट आ कर बसने वाले व्यक्तियों को भारत में केवल तभी किया जा सकता है जब श्रीलंका के मुद्रा विनिमय नियन्त्रण अधिकारियों की अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो। केवल एक व्यक्ति के मामले को छोड़कर अन्य किसी मामले में जीवन बीमा निगम ने इस प्रकार की अनुमति प्राप्त करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं की है, और उस मामले में दावे का भुगतान अभी नहीं हुआ है। बताया गया है कि सम्बन्धित व्यक्ति ने सीधे ही श्रीलंका के अधिकारियों को अभ्यावेदन किया हैं और जीवन बीमा निगम उसके प्रतिफल की प्रतीक्षा कर रहा है।

विदेशी तेल शोधक कम्पनियों की क्षमता में विस्तार

1526. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
श्री मनीभाई जे० पटेल :
श्री प० मु० सईद :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और धातु तथा खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसके द्वारा विदेशी तेल शोधक कम्पनियों को अपनी क्षमता का विस्तार करने की अनुमति दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या शर्तें रखी हैं ; और

(ग) तेल शोधक कारखानों की इस बारे में क्या प्रतिक्रियाएं हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

बिरला समूह की कम्पनियों द्वारा कर और उत्पादन शुल्क का अपवंचन

1527. **श्री सत्यनारायण सिन्हा :**
श्री प० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री गणेश घोष :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय बिरला की कम्पनियों पर करों और उत्पादन शुल्क के अपवंचन सम्बन्धी लगाये गये आरोपों की जांच कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में प्रथम दृष्टि से आरोप सिद्ध हो गये है ; और

(ग) प्रत्येक आरोप के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : जहां तक आयकर का सवाल है, वे आरोप जिनके आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है मोटे तौर पर निम्नलिखित पांच श्रेणियों में आते हैं ;

(i) शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारियों की पत्नियों तथा अन्य निकट सम्बन्धियों को मोटे-मोटे वेतन देना ;

(ii) निर्यात बिक्री से कोई लाभ नहीं होने पर भी निर्यात-बिक्री से लाभ पर छूट पाने के लिए गलत दावा करना ?

(iii) भण्डार का न्यून मूल्यांकन करना ;

(iv) 'प्रचार खाते' खर्च बढ़ा चढ़ा कर बताना ।

तथा (v) कम कीमतों पर गृह-सम्पत्ति का हस्तान्तरण । जो आय कर-निर्धारण से बच गई थी उसपर कर लगाने की कार्यवाही हो चुकी है अथवा हो रही है ।

जहां तक सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क का सम्बन्ध है, संगठित रूप से शुल्क के अपवचन होने के कोई प्रमाण नहीं हैं । परन्तु, जांच के दौरान प्रथम दृष्ट्या कुछ न्यून वसूलियां देखने में आई हैं ।

मैसर्स टर्नर मोरीसन एण्ड कम्पनी पर करों की बकाया राशि

1528. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिकारियों ने हरिदास मुदड़ा की मैसर्स टर्नर मोरीसन एण्ड कम्पनी नामक फर्म से 28 फरवरी, 1964 से अभी तक उसकी ओर बकाया करों की 3 करोड़ रूपये की राशि वसूल नहीं की है, हालांकि उक्त कम्पनी की सम्पत्ति को कर्क कर लिया गया था ;

(ख) विलम्ब के क्या कारण है ;

(ग) बकाया राशि के वसूल करने के लिए आयकर अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं । मेसर्स टर्नर मारिसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड की ओर आय-कर के केवल 7.50 लाख रूपये लेने निकलते हैं । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस रकम की वसूली स्थगित कर दी है । कम्पनी शाख वाली है और इसलिये उसकी परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण आवश्यक नहीं समझा गया ।

(ख) से (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

Mayors' Conference

1529. Shri Narain Swarup :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Om Parkash Tyagi :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all India Mayors' Sub-Committee has recently demanded of Government that they should get a major share of Income-tax accruing from cities keeping in view the arrangements to be undertaken for providing increased amenities for the increasing population of urban areas ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and works housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No.

(b) Does not arise.

बिक्री कर का उत्पादन केन्द्रों के स्तर पर ही वसूल किया जाना

1530. श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री रामस्वरुप विद्यार्थी :
श्री बलराज मधोक :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसके अन्तर्गत बिक्री कर की वसूली उत्पादन केन्द्रों से माल को भेजते समय ही कर ली जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) राज्य में, समाचार पत्रों को छोड़कर, अन्य माल की खरीद-बिक्री पर कर लगाने का विषय, संविधान के अनुसार, राज्य सरकार के अधिकार का होने से, केन्द्रीय सरकार के इस प्रकार का ऐसा कोई प्रस्ताव करने का प्रश्न नहीं उठता ।

Seizure of Goods from Smugglers

1531. Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ram Swarup Vidayarthi :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri V. Narasimha Rao :
Shri R. V. Naik :
Shri S. K. Tapuriah :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri J. Mohamed Imam :
Shri P. C. Adichan :
Shri R. K. Sinha :
Shri Sita Ram Kesri :
Shri C. C. Desai :
Shri Hardayal Devgun :
Shri Nathu Ram Achirwar :
Shri Gadilingana Gowd :
Shri N. K. Somani :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the quantity of gold, silver and other goods seized from smugglers by the Customs Department since November, 1968 ;

(b) the number of Officials rewarded for seizing smuggled goods and the manner thereof ;

(c) the action taken against those who indulged in violation of Costoms rules ; and

(d) the nature of new steps proposed to be taken by Government in future to check smuggling ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) The details of gold, silver and other goods seized from smugglers by the Customs department during the period 1.11.68 to 15.2.69 is as under :-

		Qty.	Value	
(i)	Gold	1725 Kg.	Rs. 145.5 lakhs	(Approx.)
(ii)	Silver	29,057 Kg.	Rs. 85.6 lakhs	"
(iii)	Other goods		Rs. 410.5 lakhs	"

(b) Rewards are given to officers after completion of adjudication, appellate and revisionary proceedings in connection with seizure of goods. Since all these proceedings for seizures made from November, 1968 onwards have not been completed, the question of granting rewards to officers will be considered after completion of the proceedings.

(c) Most of the cases relating to these seizures are under investigation. Of the 538 persons arrested, prosecutions have been launched against 22 persons so far and 3 of them have been convicted. Prosecution proceedings against 19 others are in progress in the Courts. Complaints for prosecution will be filed on completion of investigation in the other cases.

Goods valued approximately at Rs. 38 lakhs have been confiscated so far in those adjudication proceedings which have been completed.

(d) The Customs (Amendment) Ordinance, 1969 has recently been promulgated making additional provisions in the Customs Act, 1962 to take special measures for the purpose of checking illegal import and export of certain commodities and facilitating their detection. So far as control over silver is concerned, the Ordinance and the Rules and Notifications issued thereunder provide that within a specified area extending inland up to 50 Kilometres from the west coast of India and that part of the east coast which falls within the State of Tamil Nadu and the Union Territory of Pondicherry, there shall be intimation of places of storage to Customs officers, transpott of silver under cover of voucher, maintenance of prescribed accounts and reasonable steps to avoid sales in the name of ficititious persons.

As regards imported goods, the Ordinance and the Rules and notifications issued thereunder provide that in respect of the notified goods there shall be intimation of place of storage, furnishing details of notified goods, maintenance of accounts, transport and sale under cover of vouchers and reasonable precautions before acquistion.

Construction of two-room quarters

1532. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Ranjit Singh :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri P. C. Adichan :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of Health and Family Planning and works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the number of two-room quarters proposed to be constructed and actually constructed during the last 3 years and the current year respectively for Central Government employees in Delhi with their localities ; and

(b) the amount sanctioned and their actual cost involved, year-wise ?

The Minister of Health and Family Planning and works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

हिन्दुस्तान आरगेनिक कैमिकल्स लिमिटेड

1533 श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई ? और इसके उद्देश्य क्या थे ;

(ख) क्या परियोजना रिपोर्ट के अनुसार एकक स्थापित करने का लक्ष्य और उत्पादन तथा विकास के लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं ; यदि हां, तो कब और कैसे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उक्त कम्पनी की स्थापना विदेशी सहयोग की स्थापना से की गई है और यदि हां, तो सहयोग देने वाले देशों के नाम क्या हैं और सहायता के रुप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई है ;

(घ) उक्त कम्पनी में इस समय किन-किन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और क्या इन उत्पादों का स्तर वही है जो ऐसी वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर होता है ;

(ङ) गत तीन वर्षों में उत्पादन और बिक्री के आंकड़े क्या क्या हैं और इस उत्पादन का कितना भाग निर्यात किया गया ; और

(च) क्या इस समय उक्त कम्पनी के सामने कुछ कठिनाईयां भी है और उन्हें दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) रसायन उद्योग के लिए अपेक्षित मूलभूत रसायनों एवं मध्यवर्ती पदार्थों के निर्माण के लिए हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स, कम्पनी के रुप में 12-12-60 को निगमित की गई। कम्पनी के मैमोरेण्डम एण्ड आर्टीकल्स आफ एसोसियेशन में कम्पनी के लक्ष्य तथा उद्देश्य का ब्यौरा दिया गया है ; जो एक प्रकाशित प्रलेख है।

(ख) से (घ): मूल योजना के अनुसार परियोजना को चार पश्चिम जर्मनी फर्मों के सहयोग से स्थापित किया जाना था। परन्तु यह महसूस किया गया कि भारत में तथा और जगह रसायन क्षेत्र में परिवर्तनों के कारण मूल भूत तैयार की गई परियोजना मंहगी पड़ेगी और इसलिए आखिरकार, वह छोड़ दी गई। बाद में परियोजना को पुनरीक्षत किया गया और तैयार किये जाने वाले विभिन्न मदों की क्षमताओं को नये सिरे से मुकर्र किया गया। परियोजना इस समय कार्यान्वित की जा रही है और उत्पादन, अभी शुरू नहीं हुआ है। विशेषरूप

में परियोजना में कोई विदेशी सहयोग नहीं है। परन्तु परियोजना का विदेशी मुद्रा अश जापान और स्वीडन से प्राप्त ऋणो से अधिकांशतः पूरा किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कम्पनी ने उत्पादन शुरू नहीं किया है।

(च) निर्माण कार्य सन्तोष जनक चल रहा है।

एच० पी० वाटर्स द्वारा उत्पादित बिजली की रायल्टी में भाग की हिमाचल प्रदेश सरकार की मांग

1534. श्री हेम राज : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री 18 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1010 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच० पी० वाटर्स द्वारा उत्पादित बिजली की रायल्टी तथा लाभ उठाने वाली राज्यों द्वारा ली जाने वाली सुधार वसूली की राशि में अपना उचित भाग मांगने सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश सरकार की मांगों के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इससे कौन-कौन से राज्य सम्बन्ध हैं और उनकी इस बारे में क्या-क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सम्बद्ध राज्यों की कोई बैठक बुलाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ): मामला विचाराधीन है।

विवाह-योग्य आयु का बढ़ाया जाना

1535. श्री हेम राज : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से विवाह-योग्य आयु को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में उनकी राय प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार और प्रत्येक संघ राज्य-क्षेत्र की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

(ख) अब तक जिन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जो राज्य संघ/राज्य क्षेत्र पुरुषों के मामले में न्यूनतम विवाह–योग्य आयु को 21 वर्ष तक तथा स्त्रियों के मामले में 18 वर्ष तक बढ़ाने के पक्ष में हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :

केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली और लक्कादीवि, मिनीकाय तथा अमिनदीवि द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र ।

केरल सरकार और दिल्ली प्रशासन ने पुरूषों के लिए न्यूनतम विवाह-योग्य आयु को कुछ और बढ़ाकर 25 वर्ष तक रखने का सुझाव दिया है । केरल की सरकार ने भी स्त्रियों के लिए न्यूनतम विवाह-योग्य आयु 20 वर्ष तक रखने का सुझाव दिया है ।

असम और हरियाणा की सरकारें पुरूषों के मामले में न्यूनतम विवाह-योग्य आयु क्रमशः 20 और 19 वर्ष तक तथा स्त्रियों के लिए 16 वर्ष तक बढ़ाए जाने के लिए सहमत हैं ।

दादर एवं नगर हवेली और पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र किसी भी प्रकार के हेर-फेर करने के पक्ष में नहीं हैं ।

नागालैण्ड तथा नेफा ने कोई टिप्पणी नहीं दी है ।

करों की बकाया राशि

1536. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री हेमराज :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री समर गुह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री श्रद्धाकर सुपकार :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री देवकीनन्दन पोद्दार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1968 को आय-कर, धन कर, सम्पदा शुल्क, उपहार-कर तथा निगमित करों की कुल कितनी धन–राशि बकाया थी ;

(ख) ऐसे कितने लोग है जिन पर एक करोड़ रुपये से अधिक आय-कर अथवा धन-कर की राशि बकाया है और ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन पर ऐसे करों की पांच करोड़ से अधिक राशि बकाया है और उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन पर निगमित करों की बकाया राशि पांच करोड़ रुपये से अधिक है ; और

(ग) आगामी वर्ष में आगे और कर न लगे, इस विचार से केन्द्रीय कर वसूल करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं या करने का विचार है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ग) प्रत्यक्ष करों की जल्दी जल्दी वसूली करने के लिये किये गये उपायों में से कुछ ये हैं :-

(i) वसूली का कार्य, जो अब तक राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा किया जाता था, विभाग ने अब अपने हाथ में ले लिया है ; जिसमें, दिल्ली, आंध्रप्रदेश गुजरात और राजस्थान के आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में यह कार्य पूरी पूरी तरह ले लिया गया है, तथा पश्चिम बंगाल, मद्रास, मैसूर उत्तर प्रदेश और बम्बई के आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र में आंशिक रूप से लिया गया है ।

(ii) निरीक्षी सहायक आयुक्तों के 79 रेंजों में कर्तव्यों के अनुसार कार्य विभाजन की योजना लागू करना । इसमें, कर की रकमों की वसूली का कार्य एक अथवा अधिक आयकर-अधिकारियों का विशिष्ट कार्य बना दिया जाता है ।

(iii) जिन मामलों में बकाया रकम वसूल होनी बाकी है उनमें उचित कार्यवाही करने की जिम्मेदारी विशिष्ट अधिकारियों पर इस प्रकार रखी गई है :

आयकर अधिकारी	1 लाख रु० से कम की बकाया के मामले ।
निरीक्षी सहायक आयुक्त	1 लाख रु० से अधिक परन्तु 5 लाख रु० से कम की बकाया के मामले ।
आय कर आयुक्त	5 लाख रु० से अधिक की बकाया के मामले ।

(iv) बकाया मांगों की शीघ्र वसूली पर नजर रखने के लिये आयकर आयुक्तों के कार्य क्षेत्रों में विशेष वसूली-यूनिटों की स्थापना करना ।

(v) विलम्ब से की गई अदायगियों के मामले में 1-10-1967 से ब्याज की दर 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 9 प्रतिशत कर दी गई है ।

अमरीकी सहायता

1537. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वह विकासोन्मुख देशों को 1969-70 में वित्तीय सहायता देगा और यदि हां, तो किस हद तक;

(ख) भारत को कितनी सहायता मिलने की आशा है और अमरीका से मिलने वाली सहायता की आवश्यकता को वह किस हद तक पूरा करेगी; और

(ग) इस वर्ष भारत की जितनी अमरीकी सहायता मिलने की आशा थी, यह उससे कितनी कम है और अपेक्षित सहायता राशि को अन्य स्रोतों से पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अमरीकी राष्ट्रपति ने, अपने 1970 के बजट प्रस्तावों में अमरीकी राजस्व वर्ष 1970 (1 जुलाई, 1969 से 30 जून, 1970 तक) के लिए विकासशील देशों की आर्थिक सहायता के लिए अमरीकी कांग्रेस से कुल 2,3478 लाख अमरीकी डालर की रकम मंजूर करने का अनुरोध किया है।

(ख) और (ग): इस रकम के देशानुसार विभाजन का विवरण उपलब्ध न होने के कारण यह बताना सम्भव नहीं है कि इस रकम में से भारत को कितनी रकम मिलेगी और भारत की आवश्यकताएं किस सीमा तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पूरी की जायेगी। इसके अतिरिक्त भारत और अन्य देशों को मिलने वाली सहायता की रकम उस कुल रकम पर निर्भर होगी जिसे अमरीकी कांग्रेस अन्तिम रूप से मंजूर करेगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का जांच अधिकारी, नेताजी नगर, नई दिल्ली

1538. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेताजी नगर के जांच-कार्यालय के अधिकारियों ने क्वार्टरों को दिये गये नये नम्बरों के अनुसार शिकायत-रजिस्टर नहीं बना रखा है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें नये नम्बरों के अनुसार रजिस्टर रखने सम्बन्धी आदेश न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख): पूछ-ताछ कार्यालय, नेताजी नगर में शिकायत दर्ज कराते समय अधिकतर एलाटी अपने मकानों का पुराना नम्बर लिखवाते रहे हैं और उनमें से कुछ ही ने केवल नए नम्बर बताए। अतएव एलाटियों द्वारा बताए गए नम्बरों के अनुसार शिकायतें दर्ज की जाती थीं। तथापि, अब शिकायत रजिस्टर केवल क्वार्टरों के नए नम्बरों के अनुसार रखा जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में पैट्रोलियम निक्षेप

1539. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों के तटीय क्षेत्रों में पैट्रोलियम के निक्षेप विद्यमान हैं;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों ने उन क्षेत्रों का दौरा किया है और वहां परीक्षणार्थ छिद्रण कार्य भी किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उन निक्षेपों से प्रतिवर्ष कितना अशोधित तेल निकलने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो परीक्षणार्थ छिद्रण कार्य किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) जलौढ से ढके मैदानों का स्तर-चित्रण जानने के लिए ऊथले व्यधन को शामिल करते हुए भूगर्भीय, गुरूत्व और चुम्बकीय तथा भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये हैं । परन्तु कच्चे तेल । प्राकृतिक गैस की विद्यमानता का परीक्षण करने के लिए अब तक कोई गहरा कुंआ नहीं खोदा गया है ।

(ग) इस समय कच्चे तेल की विद्यमानता या अन्यथा के बारे में कोई लक्षण नहीं दिया जा सकता ।

(घ) भूकम्पनीय सर्वेक्षणों से किसी अनुकूल संरचना, जिसका व्यधन परीक्षण किया जा सके, का अब तक पता नहीं चला है ।

परिवार नियोजन के लक्ष्य प्राप्त न करने के कारण उत्तर प्रदेश के लेखापालों के विरूद्ध कार्यवाही

1540. श्री मधु लिमये : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति शासन के अधीन उत्तर प्रदेश में (दिसम्बर, 1968 से जनवरी, 1969) सरकार ने परिवार नियोजन के लक्ष्य प्राप्त न करने के कारण 20 लोकपालों के विरूद्ध कार्यवाही की हैं,

(ख) क्या सरकार इस कार्यवाही के गम्भीर परिणामों को महसूस करती है;

(ग) क्या समस्त देश भर में ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिये घूस दिये जाने, शक्ति का प्रयोग किये जाने तथा धोखाधड़ी करने के मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सम्पूर्ण नीति तथा उपरोक्त भाग (क) में लिखित कार्यवाही करने के सम्बन्ध में पुनर्विचार करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार सूचना एकत्र कर रही है और उसके प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) और (घ): प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित सूचना के मिलने के बाद ही इस सम्बन्ध में विचार किया जाएगा ।

(ग) जोर-जबरदस्ती और घोखा-धड़ी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने पहले भी और अब फिर से कड़ी हिदायतें जारी कर दी है। राज्य सरकार ने बतलाया है कि यदि उसने किसी को पथभ्रष्ट पाया तो वह उस अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी।

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में उठाऊ सिंचाई योजना

1541. श्री जागेश्वर यादव : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी के आस पास की भूमि की सिंचाई के लिये केन नहर तथा बौरा नहर की पानी की कमी को पूरा करने के हेतु उठाऊ सिंचाई योजना के अन्तर्गत बरौली गांव के निकट यमुना नदी से तथा लाखनपुर गांव के निकट तालाबों से पानी निकालने के बारे में उस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है जो गत सत्र में भेजा गया था;

(ख) क्या इस जिले में सूखे की समस्या हल करने के हेतु इस जिले के लिए कोई और योजनाएं मंजूर की जायेंगी; और

(ग) बड़छा-बधियां बांध के बारे में सर्वेक्षण करने के बाद सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लखनपुर और बरौली गांवों में यमुना नदी पर उठाऊ सिंचाई स्कीमें बनाने के प्रश्न पर, उत्तर प्रदेश सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और ज्योंही इस क्षेत्र में बिजली की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी, त्योंही इन्हें आरम्भ कर दिया जाएगा।

(ख) निम्नलिखित छः उठाऊ सिंचाई स्कीमों पर पहले ही निर्माण हो रहा है:—

1. बनकट	3. कनवाड़ा	5. जेहारपुर
2. मदनपुर	4. राजापुर	6. आलोना

(ग) सम्भवतः बघैन बांध परियोजना के सम्बन्ध में निर्देश किया गया है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सांझी स्कीम है और सूचनानुसार उत्तर प्रदेश सरकार इस की जांच कर रही है।

आन्ध्र प्रदेश में बिजली परियोजनाओं का सर्वेक्षण

1542. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रारम्भ की जाने वाली कुछ बिजली परियोजनाओं का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से चौथी योजना की अवधि में प्राथमिकता के आधार पर कुछ नई विद्युत परियोजनाओं के आरम्भ करने के बारे में, प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) नागार्जुनसागर पम्प संचय पन-बिजली स्कीम के सम्बन्ध में जिसका राज्य सरकार ने चौथी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव किया है, सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य पूर्ण हो गया है।

(ख) और (ग): चौथी योजना में बिजली विकास के कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

दिल्ली । नई दिल्ली में हृदय रोगों में वृद्धि

1543. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली । नई दिल्ली में काफी व्यक्तियों को हृदय रोग है तथा यह प्रतिशतता अन्य राज्यों से बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस दिशा में सुधार लाने के लिये कुछ कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली । नई दिल्ली में काफी लोग हृदय रोग से पीड़ित बतलाये जाते हैं। फिर भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह पता चले कि दिल्ली । नई दिल्ली में ऐसे मामलों का प्रतिशत दूसरी जगहों की अपेक्षा अधिक है।

(ख) धूम्रपान करना, मोटापन, शहरी जीवन का बोझ और बैठे-बैठे काम करते रहना इस रोग के होने के कुछ कारण हैं।

(ग) और (घ) : आवश्यकता इस बात की है कि रोग ग्रस्त व्यक्तियों को इसके ज्ञात कारणों से भलीभांति अवगत कराया जाय।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये नये प्रोत्साहन

1544. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब तक किन नये प्रोत्साहनों की घोषणा की है;

(ख) इन प्रोत्साहनों से इन योजनाओं को बढ़ावा देने की दिशा में कितनी सहायता मिली है; और

(ग) इन प्रोत्साहनों से राज्य - वार कितने प्रतिशत लोगों ने लाभ उठाया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) परिवार नियोजन के तरीकों की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से लोगों को कोई प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाता है। स्वेच्छा से नसबन्दी आपरेशन कराने वाले व्यक्ति को या लूप पहनने वाली स्त्री को मजदूरी की हानि, परिवहन खर्च और आकस्मिक खर्चों के रूप में कुछ पैसा दिया जाता है। प्रचलित गर्भ निरोधक, जिनमें निरोध भी शामिल है, मुफ्त या रियायती मूल्य पर प्रदान किये जाते हैं।

कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तम कार्य करने के लिए चिकित्सा तथा परा – चिकित्सा कर्मचारियों और अन्य कार्यकर्ताओं एवं संस्थाओं को पुरस्कार दिये जाते है। सामान्यतया परिवार नियोजन कार्यक्रम स्वेच्छा के सिद्धान्त पर ही आधारित है।

(ख) प्रोत्साहन सम्बन्धी विस्तृत प्रयत्नों और जन – प्रचार के अनेक साधनों के जरिये परिवार नियोजन संदेश के प्रसार के साथ-साथ पुरस्कार तथा मुआवजा देने के सिद्धान्त ने भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहायता दी है। केवल पुरस्कारों और मुआवजे जैसे उपायों के कारण कार्यक्रम में वास्तविक कितनी उन्नति हुई है, इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

(ग) अपेक्षित सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली में यमुना के दूसरे पुल के निकट सहकारी गृह-निर्माण समितियों को भूमि देना।

1545. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार का विचार निकट भविष्य में यमुना के दूसरे पुल के निकट कुछ सहकारी समितियों को मकान बनाने के लिये काफी एकड़ विकसित भूमि देने का है;

(ख) यदि हां, तो जिन सहकारी गृह-निर्माण समितियों के मामले विचाराधीन हैं उनके नाम क्या हैं तथा उनके सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ग) उन्हें कब तक भूमि देने की सम्भावना है; और

(घ) विकसित। स्वीकृत भूमि को कितने रुपये प्रति वर्ग गज पर दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) यह प्रस्ताव है कि ग्रुप 4 की सहकारी गृह-निर्माण समितियों को भूमि अधिग्रहण की समस्त औपचारिकताओं के पूरी होने पर यमुना पुल के पार भूमि देने का विचार है।

(ख) अपेक्षित सूचना की एक सूची परिशिष्ठ 1 में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1587/69]**

(ग) भूमि अधिग्रहण की कार्यवाई चल रही हैं। भूमि अधिग्रहण होते ही तथा उस पर कब्जा होते ही इन समितियों को इस भूमि का कब्जा दे दिए जाने की सम्भावना है।

(घ) ग्रुप 4 की सहकारी गृह-निर्माण समितियों को अविकसित भूमि दी जा रही है। एक वर्ग गज़ भूमि का अधिमूल्य 8 रुपये प्रति वर्ग गज़ तथा क्षेत्रीय सड़क अंशदान 50 पैसे प्रति वर्ग गज़ निर्धारित किया गया है।

विदेशी मुद्रा की स्थिति

1546. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या वित्त मन्त्री 9 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3760 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की स्थिति में इस बीच कुछ सुधार हुआ है; और

(ख) यदि नहीं, तो स्थिति में सुधार लाने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : 9 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3760 के उत्तर के अन्तर्गत आने वाली अवधि के बाद भी निर्यात में सुधार और आयात में कमी की बुनियादी प्रवृत्तियां बराबर जारी है। उसके बाद से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को कुल 7.05 करोड़ डालर की दो और किस्तें चुकायी गई जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की रकम में पहली दिसम्बर, 1968 से 31 जनवरी, 1969 तक की अवधि में 5.5 करोड़ डालर की कमी हो गयी। निर्यात को बढ़ावा देने और आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देश में वैसी वस्तुएं तैयार करने की ओर बराबर ध्यान दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के लिये सहायता

1547. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वित्तमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लोगों की स्थिति सुधारने के लिये वर्ष 1968–69 के लिये वित्तीय सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई वित्तीय सहायता दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

नेफा में कामेंग परियोजना

1548. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा में कामेंग परियोजना को छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है; और

(ग) परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख): जी, नहीं। कामेंग परियोजना स्थल पर सर्वेक्षण और विस्तृत अनुसंधान चल रहे हैं।

(ग) अनुसंधानों के पूरा होने और परियोजना रिपोर्ट के तैयार हो जाने के पश्चात् परियोजना के ब्यौरे का पता लगेगा।

विदेशी प्रकाशनों का आयात करने के लिये भारतीय—मुद्रा की विनिमय-दर

1549. **श्री वि. ना. शास्त्री :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी प्रकाशनों, जिनमें समाचार पत्र भी शामिल हैं, के आयात के लिये भारतीय मुद्रा की विनिमय–दरें क्या है;

(ख) क्या आयात की जाने वाली अन्य चीजों की दर से यह दर कम है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप–प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : विदेशी प्रकाशनों के आयात के सम्बन्ध में, जिनमें समाचार पत्र भी आ जाते हैं, भारतीय मुद्रा की विनिमय–दरें आयात की जाने वाली अन्य वस्तुओं पर लागू होने वाली दरों के समान हैं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

आसाम में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का भर्ती केन्द्र

1550. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में रोजगार देने के लिये उम्मीदवारों का इण्टरव्यू करने के लिये असम में एक भर्ती केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों में भर्ती विकेन्द्रीकरण (अर्थात् प्रदेशिकवार) आधार पर की जाती है। आसाम में इन पदों की भर्ती के लिए पहले से ही भर्ती केन्द्र मौजूद है। श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पदों के लिए, जिनका देश के सारे प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है, भर्ती अखिल भारतीय आधार पर मुख्यालय देहरादून की जाती है।

गौहाटी तथा बरौनी तेल शोधन कारखानों का विस्तार

1551. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5776 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गौहाटी तथा बरौनी तेल शोधन कारखानों के विस्तार में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि गौहाटी तेल शोधन कारखाने के विस्तार कार्य को असम सरकार द्वारा कच्चे तेल पर लगे बिक्री कर में कमी करने से जोड़ दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) गौहाटी शोधनशाला की क्षमता के विस्तार का प्रश्न अभी तक विचाराधीन है। बरौनी शोधनशाला का विस्तार कार्य पूरा हो गया है और तीसरे मिलियन मीटरी टन यूनिट में पहले ही परीक्षण उत्पादन शुरू कर दिया गया है।

(ख) और (ग): शोधनशाला के विस्तार, आर्थिक व्यवस्था तथा सम्बद्ध मामलों पर आसाम सरकार से बात चीत की जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से सहायता

1552. **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री सीता राम केसरी :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री बालिमकी चौधरी :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था की निधियां बहुत बढ़ जाने की सम्भावना है और उसके परिणामस्वरूप इस साधन से इस वर्ष भारत को आसान शर्तों पर 10 करोड़ डालर की सहायता प्राप्त हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के किसी निर्णय के बारे में सूचित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था का भारत को कितनी सहायता देने का विचार है; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था की सहायता देने की शर्तें क्या हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साधनों की पुनः पूर्ति का दूसरा क्रम अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। फिर भी, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ साधनों की पुनः पूर्ति के लिए उसे प्राप्त हुए अग्रिम अंशदानों

तथा विश्व बैंक द्वारा उसे दी गयी रकमों में से, कुछ प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल, मशीनों के हिस्से, फालतू पुर्जे और तौलने के उपकरण विदेशों से मंगाने के लिए भारत को 1250 लाख अमरीकी डालर का ऋण देने के लिए राजी हो गया। इस सहायता के लिए, 22 जनवरी, 1969 को ऋण सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर किये गये।

(घ) संघ द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, उन पर $\frac{3}{4}$ प्रतिशत की वार्षिक दर से सेवा प्रभार देना पड़ता है और ये ऋण छमाही किस्तों में, 50 वर्षों की अवधि में चुकाये जाते है जिसमें दस वर्षों की रियायती अवधि भी शामिल है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

1553. श्री चेंगलराया नायडू :
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री प० मु० सईद :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एक उच्चा-धिकार प्राप्त दल ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अनुसंधान तथा प्रशिक्षण विभाग को सहायता जारी रखने के मामले पर विचार किया है;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने सहायता जारी रखने के बारे में प्रार्थना की है तथा सहायता की अवधि क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या सहायता देना जारी है और यदि हां, तो कितनी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। 2 साल की अवधि के लिए।

(ग) और (घ) : जी नहीं। संयुक्त राष्ट्र दल के ब्यौरों से मालूम हुआ कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान अब स्वयं सन्तोषजनक कार्य करने में समर्थ है और परियोजना के वर्तमान रूप में इसके लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं।

विदेशों में खोले हुए अनधिकृत खाते

1554. श्री शारदानन्द :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों तथा कम्पनियों के नाम तथा पते क्या हैं जिनके गत पांच वर्षों में विदेशों में अनधिकृत खाते पाये गये हैं;

(ख) उन व्यक्तियों तथा कम्पनियों के क्या नाम हैं जिनके विरूद्ध अनधिकृत रूप से खाते रखने पर कार्यवाही की गई है; और

(ग) उन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्हें गत दो वर्षों में विदेशों में खाते खोलने की अनुमति दी गई तथा उन व्यक्तियों और कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने खाता खोलने की अनुमति मांगी परन्तु उन्हें अनुमति नहीं दी गई ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

नर्मदा जल विवाद

1556. **श्री द० रा० परमार :**
श्री रा० की० अमीन :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृष्णा-गोदावरी जल विवाद को सरकार मध्यस्थ-निर्णय के लिए सौंप रही है;

(ख) यदि हां, तो नर्मदा जल विवाद को भी इसी प्रकार मध्यस्थ-निर्णय के लिए सौंपने में सरकार को क्या कठिनाई है; और

(ग) यदि विवाद मध्यस्थ – निर्णय के लिए सौंपा जा रहा है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) यह विचार किया गया था कि बात-चीत द्वारा विवाद के निपटारे की संभाव्यता के लिए और खेज की जाए ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shortage of Drinking Water in Delhi

1557. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the extent to which there is shortage of drinking water in Delhi and to what extent the target fixed for drinking water in the Third Five Year Plan has been achieved; and

(b) the steps being taken by Government to remove the shortage of drinking water in Delhi completely and what further steps will be taken in the next two years in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) At present there is a shortage of 30 million gallons per day of drinking water supply in Delhi. The target to increase the plant capacity from 97 million gallons per day to 145 million gallons per day during the Third Five Year Plan period has since been achieved.

(b) To remove shortage of drinking water supply in Delhi completely, the sources of water supply to Delhi are being augmented and distribution system of water is being planned to cater to the Delhi Master Plan requirements. The capacity of Water Works would be increased from 145 M. G. D. to 200 M. G. D. during the next two years.

Recovery of Dues From Ministers

1558. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state:

(a) the names of the Ministers towards whom amount in respect of electricity, water and furniture rent was due on the 31st December, 1968 and the amount of dues towards each of them; and

(b) the steps taken by Government to recover the amount from them ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) and (b): As per statement attached. [Placed in Library. See No. LT-188/69]

Medical Colleges in Fourth Plan

1559. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri Manibhai J. Patel :
Shri P. M. Sayeed :
Shri R. K. Amin :
Shri K. Lakkappa :
Shri A. Sreedharan :
Shri Yashpal Singh :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state:

(a) whether the question of setting up more medical colleges during the Fourth Five Year Plan is under consideration of Government;

(b) if so, the proposed locations thereof;

(c) the estimated cost thereof and the time by which all colleges will be opened;

(d) whether the question of upgrading of certain medical colleges is also under consideration; and

(e) if so, when a final decision will be taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b): Ten new medical colleges are envisaged in the Fourth Plan Proposals. The location has not yet been decided.

(c) The cost of establishment of new medical colleges is not uniform. On an average it costs about Rs. 3 crores to start a medical college with 100 admissions and run it for five years.

(d) and (e): It is proposed to continue the existing scheme for the establishment/ upgradation of Post Graduate Departments in the Medical Colleges in the Fourth Five Year Plan.

Money Remitted to India by Indians Settled Abroad

1560. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Indians who are working abroad are sending money to their families illegally through the owners of some tea estates of Assam;

(b) whether it is also a fact that the country is losing a lot of foreign exchange in this way; and

(c) if so, the special steps Government propose to take to check it ?

The Deputy Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) No case of Indians working abroad sending money to their families illegally through the owners of some tea estates of Assam has been reported by the Enforcement Directorate or the Central Bureau of Investigation.

(b) and (c) : Do not arise in view of (a) above.

राज्यों को वित्तीय सहायता

1561 श्री सीताराम केसरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1967-68 तथा 1968-69 में विभिन्न राज्यों के लिये कुल कितनी वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गई,

(ख) राज्यों के लिये ऋण की स्वीकृति का आधार क्या है;

(ग) क्या ऐसे राज्यों को जिन पर बहुत बड़ी राशि अभी भी बकाया है अग्रेतर वित्तीय सहायता देने पर विचार किया गया था अथवा अग्रेतर वित्तीय सहायता दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को 1967-68 और 1968-69 में आयोजना और आयोजना से भिन्न प्रयोजनों के लिए दी गई कुल वित्तीय सहायता नीचे लिखे अनुसार है:

	(करोड़ रुपयों में)
1967-68 (संशोधित अनुमान)	1356.5
1968-69 (बजट अनुमान)	1286.1

(ख) आयोजना से भिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण उन विशेष प्रयोजनों के लिये दिये जाते हैं, जिन पर केन्द्र और राज्यों की परस्पर सहमति होती है । आयोजनागत योजनाओं के

लिये दिये जाने वाले ऋण राज्य की आयोजनाओं के निमित स्वीकृत क्षेत्रीय परिव्ययों पर लागू किये गये सहायता के परस्पर सहमत तरीकों के आधार पर दिये जाते हैं।

(ग) और (घ): भारत सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की वापसी के सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों की काफी देनदारी होती है। केन्द्र द्वारा राज्यों को ऋण दिया जाना हमेशा चलत रहने वाला कार्यक्रम है और ऐसी सहायता सिर्फ इस कारण बन्द नहीं की जा सकती कि उनके नाम बकाया ऋण हैं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

1562. **श्री सीताराम केसरी :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अधिक राजस्व अर्जित करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य संचालन में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है;

(ख) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में विभिन्न परियोजनाओं के लिये सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को धन की मंजूरी किस प्रकार थी; और

(ग) लगभग कितने समय तक यह आयोग अपनी आय से अपना खर्च चला सकने में समर्थ हो जायगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान और धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को रिगों के अधिकतम उपयोग और कुंओं के परीक्षण-कार्य में तेजी लाने के लिए निरन्तर सलाह दी जाती है। अधिकतम उत्पादन के विचार से नये मालूम किये गए तेल-क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने से अन्वेषणों के परिणामों को इकट्ठा करने के लिये भी उन्हें सलाह दी जाती है। आयोग ने अपने श्रमिकों की दक्षता में सुधार करने के लिये एक प्रोत्साहन योजना पहले से ही चालू की हैं। कार्य की प्रगति पर लगातार निगरानी रखने तथा अधिकतम दक्षता सुनिश्चित करने के लिये आयोग के मुख्यालयों तथा परियोजना मुख्यालयों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं।

(ख) आयोग की रकमें 'पूंजी' और 'ऋण' के रूप में, जो उनके अन्वेषण एवं विकास पर व्यय के प्रत्यक्ष अनुपात में थीं, दी गईं। फारिस की खाड़ी में कार्यों के पाइपलाइनज़ और ब्याज की अदायगी जैसे मदों पर व्यय के यलर और रकम ऋण के तौर पर व्यवस्थित की गई।

(ग) चौथी योजना की अवधि के अन्त तक आयोग के आत्म-निर्भर होने की सम्भावना है।

गुजरात में स्वर्णकारों की सहायता

1563. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के स्वर्णकारों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 1968 में कितनी राशि स्वीकार की थी; और

(ख) जिन स्वर्णकारों को अब तक सहायता दी गई है उनकी संख्या कितनी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) गुजरात के विस्थापित सुनारों को सहायता देने के निमित्त 1968 में केन्द्र सरकार द्वारा कोई रकम मजूर नहीं की गई। किन्तु केन्द्र द्वारा उस राज्य को पूर्ववर्त्ती वर्षों में दिये गये 1.50 करोड़ रुपयों के कुल कर्ज में से गुजरात सरकार के पास बिनखर्ची बची रकम में से उस सरकार ने गुजरात के चार सुनारों को 24,800 रुपये का कर्ज दिया है।

(ख) गुजरात में अब तक 9670 सुनारों को कर्ज के रूप में सहायता दी गई है।

गुजरात में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह

1564. श्री नरेन्द्र सिंह महोडा : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में एक पैट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस उद्योग समूह को चलाने के लिये प्रयोग हेतु किस प्रकार के तथा कितने पैट्रोलियम और तेल गैस तथा अन्य पैट्रोलियम उपोत्पाद उपलब्ध हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग): गुजरात राज्य में आर्थो-जाइलीनज, मिश्रित जाइलीनज और द्विमेथाइल-टैरीफेथालेट (डी. एम. टी) के निर्माण के लिये एक एरोमैटिक परियोजना निर्माणाधीन है और इसके 1971-72 में चालू होने की आशा है। इसी प्रकार वहां पर एक बड़े आकार वाले नेफ्था भंजक की भी स्थापना की जायेगी, जिसके 1972-72 के आस-पास चालू होने की सम्भावना है। ये परियोजनाएं सरकारी क्षेत्र में होंगी परन्तु इनके उत्पादों जैसे फैथालिक एनहीड्राइड, पोलिस्टर तन्तु उच्च दाब पोलीथीलीन, विनायल एसीटेट ऐक्रिलोनिट्रिले, ऐक्रिलिक तन्तु आदि को प्रयोग करने से अन्तिम उत्पादों के निर्माण के लिए एककों को विभिन्न गैर-सरकारी क्षेत्रीय पार्टियां स्थापित करेंगी। एरोमैटिक और नेफ्था भन्जक सन्यन्त्रों के लिए नेफ्था मुख्य कच्चा माल होगा।

Complaints of Farmers Against Electricity Board, U. P.

1565. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1956 on the 25th November, 1968 and state:

(a) the reasons for the inordinate delay in the investigation of the 75 pending complaints;

(b) whether the State Governments have permitted the State Electricity Board to condone the complaints as it is an autonomous body; and

(c) if so, since when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad):(a) to (c): According to the information furnished in reply to Unstarred Question No. 1956 on 25.11.1968, 74 cases were pending investigation. The U. P. State Electricity

Board has informed that a through and detailed enquiry is conducted into every case of complaint, and where necessary site enquiry and personal interrogation is also carried out. These procedures take time depending upon the nature of complaints and the work involved.

The State Electricity Board has powers to take such action as it deems fit against its employees. The Board has stated that only in the case of complaints not found genuine or based on facts, no action is being taken.

Industrial Undertakings Under Health Department of U. P.

1566. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2871 on the 2nd December, 1968 and state:

(a) whether information regarding the industrial undertakings under the Health Department of the Uttar Pradesh has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development) : (a) to (c): The information has since been collected and laid on the Table of the Sabha on the 21st February, 1969.

Schedule Castes/Tribes in Ministry

1568. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Petroleum, Chemicals, Mines, and Metals be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5743 on the 26th August, 1968 and state:

(a) whether the Home Ministry's Office Memorandum No. 9/45/60 establishment dated the 20th April, 1961 regarding benefits to employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes has since been received in the Ministry after its reorganisation in 1963;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) if so, the rate of progress ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There has still been no occasion to give the benefit of the instructions contained in the said Office Memorandum to any employee.

Workers' Demand on the Management of Fertilizer Factory, Gorakhpur

1569. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Petroleum, Chemicals, Mines and Metals be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 167 on the 11th November, 1968 and state the outcome of the representation received from the management of the Fertilizer Factory, Gorakhpur in respect of demands of the fertilizer Factory Workers' Union which was referred to the Regional Settlement Officer ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals, Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : The Agreement arrived at between the management and the

Workers' represented by the National Fertilizer Factory Workers' Union, Gorakhpur (Registered Union) referred to the State Regional conciliation officer for registration has since been implemented except for a few minor points which are in the process of implementation.

भाखड़ा नहरों की मरम्मत

1570. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा नहरों में तुरन्त मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दरारों से पानी रिसने से जल की भारी हानि हुई है और इससे नहरों को अग्रेतर हानि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो मरम्मत कब तक पूरी की जायेगी; और

(घ) इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) वार्षिक मरम्मत अभी की जानी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) अप्रैल, 1969 के अन्त तक ।

(घ) वर्षा की कमी के कारण पानी की अत्यधिक मांग होने की वजह से, भाखड़ा-नहर को बन्द नहीं किया जा सका था, इसलिये मरम्मत शीघ्र नहीं की जा सकी ।

राजस्थान नहर को पूरा करने में विलम्ब

1571. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि धन की कमी के कारण राजस्थान नहर के पूरा होने में विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये राजस्थान सरकार की मांग क्या है; और

(ग) उनकी मांग कहां तक पूरी की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) संसाधनों की तंगी के कारण, राजस्थान नहर परियोजना पर कार्य कुछ हद तक मूल कार्यक्रम से पीछे रह गया है ।

(ख) राजस्थान सरकार ने अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में राजस्थान नहर परियोजना के लिये 42.26 करोड़ रुपये की व्यय राशि के लिये प्रस्ताव रखा है जिसमें 140 वें मील तक निकलने वाली शाखाओं और उपशाखाओं सहित 150वें मील तक मुख्य नहर को पूरा करना परिकल्पित है ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं मिला है ।

नेफ्था के लिये मांग

1572. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरक उद्योग तथा पैट्रो-रसायन उद्योग को मिलाकर नेफ्था की मांग 1975 में 75 लाख मीटरिक टन होने का अनुमान लगाया गया है जबकि उत्पादन केवल 55 लाख मीटरिक टन होगा;

(ख) क्या सरकार ने इस स्थिति का विश्लेषण किया है; और

(ग) क्या सरकार प्राकृतिक गैस पर आधारित संयत्रों की स्थापना करने की अनुमति देने पर विचार करेगी क्योंकि इसमें कम पूंजी लगती है और उत्पादन लागत भी कम होती है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) यह मंत्रालय नेफ्था की मांग और प्रदाय स्थिति का लगातार पुनरीक्षण करता रहता है। वर्तमान लक्षणों के अनुसार उर्वरक उद्योग तथा पैट्रो-रसायन उद्योग के लिए 1975 तक नेफ्था की परियोजनाकृत मांग 5.365 मिलियन मीटरी टन अनुमानित है जबकि अनुमानित उत्पादन 3.404 मिलियन मीटरी टन है।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार ने उर्वरक परियोजनाओं अर्थात प्राकृतिक गैस पर आधारित नामरूप का विस्तार तथा गुजरात उर्वरक परियोजना की स्थापना के लिये पहले से ही अनुमति दी है। अन्य प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा बशर्ते कि प्राकृतिक गैस उपलब्ध हो।

उड़ीसा में गृह-निर्माण योजना

1574. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार की विभिन्न गृह-निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा में कितने नये मकान बनाये गये हैं;

(ख) कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी और राज्य ने कितनी राशि का उपयोग किया था; और

(ग) उससे कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय नगर विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) उड़ीसा सरकार से अब तक प्राप्त प्रगति-प्रतिवेदनों के अनुसार, 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में इस मंत्रालय की विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अधीन, 2791 मकानों का निर्माण हो चुका है।

(ख) नियत किए गए 348.05 लाख रुपयों में से विभिन्न आवास योजनाओं के अधीन 333.21 लाख रुपये उपयोग में लाने के लिए लिये गये।

(ग) लाभान्वित परिवारों की संख्या 2791 थी।

Wastage of Gas in Assam

1575. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state:

(a) the quantum of gas being stored underground annually for extracting oil from the old oil wells in Assam;

(b) whether it is a fact that a major part of such gas goes waste and only a small part of it can be pumped out; and

(c) if so, the reasons for which the said gas is not being used for fertilizer industry in view of the ever increasing demand of fertilizers ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) About 51.2 million cubic metres of natural gas was stored underground in Assam during 1968.

(b) No.

(c) Does not arise.

Burning of Gas in Assam

1576. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state:

(a) the quantum of gas still being burnt every day in oil refineries and oil wells in Assam; and

(b) the quantum of gas being burnt in excess of minimum burning necessary for safety purposes and the time by which the gas is likely to be fully utilized in industries ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The gas flared in Assam at the oil fields and at the oil refineries per day during 1968 was as under;-

Gauhati Refinery	-	47.6 tonnes
Oil fields natural gas	-	1.335 Million Cubic Metres.

(b) it is not possible to precisely predict the minimum quantities that have to be flared for the safe operation of the refinery. An LPG plant is under construction at Gauhati and is expected to be commissioned by the end of 1969. Its initial capacity would be 2,500 tonnes per year with an expansion potential upto 6,000 tonnes per year. The associated gas from the oil fields is committee to various consumers. It will have to be flared until such time as these consumers reach their maximum production capacity.

Sale of Coke by Gauhati Refinery

1577. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) the quantity and rate at which Gauhati Refinery is selling coke per annum;

(b) the rate at which the private Company at Gauhati is purchasing coke from Government and the rate at which coke is sold after processing; and

(c) whether the coke cannot be processed by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) and (b): The entire production of petroleum coke of Gauhati Refinery, of about 40,000 tonnes per annum, is being sold to India Carbon Limited at Rs. 124/- per tonne ex-Refinery. The handling charges, Central Excise Duty and Sales Tax are charged extra. The selling price of India Carbon Limited, for double processed 99.55 carbon purity coke, is Rs. 414.43 per tonne

(c) Government can set up a calcination plant for processing petroleum coke produced at Gauhati but that will leave no raw material for India Carbon Limited to process. The Indian Oil Corporation are setting up their own coke calcination plant at Barauni to process petroleum coke produced at Barauni Refinery.

प्रधान मंत्री के वर्तमान निवास के परिवर्द्धन आदि पर व्यय

1578. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री के वर्तमान निवास के परिवर्द्धन आदि पर वर्ष 1967 तथा 1968 में, मद-वार, व्यय का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : सभा पटल पर विवरण रख दिया गया है।

विवरण

प्रधान मंत्री के वर्तमान निवास-स्थान के सुधार करने में हुये खर्च का ब्यौरा।

वर्ष		कार्य का मद	राशि (रुपए)
1967-68	1.	चार दीवारी के आस-पास ईंटों का फ़र्श	18.40
	2.	प्रधान मंत्री के अध्ययन कक्ष में प्रकाश व्यवस्था में सुधार	500.00
	3.	गर्म और ठंडे पानी को मिलाने की व्यवस्था के साथ बाथ टब और वाश बेसिन की व्यवस्था	1104.49
		जोड़	1,622.89

1968-69	1. अतिरिक्त वास का निर्माण	28,152.00
	2. अतिरिक्त वास में बिजली का लगाया जाना	927.00
	जोड़	29,079:00

Price of Coke and Wax

1579. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the price of petroleum coke is too low and that of wax too high in the international markets; and

(b) if so, the reasons for not manufacturing wax instead of coke and also not exporting wax and importing coke ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) Yes.

(b) Each of these products require different types of processing and therefore different units for production have to be installed. Wax produced by Digboi refinery is already surplus to the requirements in the country. Therefore, facilities for additional production for wax were not considered essential for the time being. The surplus wax is exported to the extent possible. Petroleum Coke as produced by the Digboi, Gauhati and Barauni refineries is not sufficient to meet our requirements and is therefore imported in the form of calcined coke to the extent necessary.

भारतीय औषधि तथा होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद

1580. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समूचे देश में आयुर्वेदिक शिक्षा के ढांचे का निर्णय करने के लिये भारतीय औषधि तथा होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद् स्थापित किये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद, विधेयक, 1968 राज्य सभा के 27 दिसम्बर, 1968 को पेश किया गया था । इस विधेयक की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

(1) केन्द्रीय परिषद् में प्रत्येक चिकित्सा पद्धति के ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा चुने गये सदस्य होंगे, जिनका भारतीय चिकित्सा अथवा होम्योपैथी में "स्टेट-रजिस्टरों में चिकित्सक के रूप में नामांकन हुआ हो, जो भारतीय चिकित्सा अथवा होम्योपैथी के विश्वविद्यालय संकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि हों और जिनका मनोनयन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया हो;

(2) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी में प्रत्येक पद्धति से सम्बन्धित विषयों के निष्टान के लिये केन्द्रीय परिषद की चार समितियां होंगी। जो इस परिषद् के सामान्य अथवा विशेष निर्देशों के अनुसार काम करेंगी। अगर आवश्यक समझे तो केन्द्रीय परिषद् और किसी समिति का गठन भी कर सकती है;

(3) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी की अर्हताओं को जिन्हें राज्य बोर्डों ने इस समय चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन के लिए मान्यता दी है, इस विधेयक के संलग्न अर्हता अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है;

(4) केन्द्रीय परिषद् सभी शिक्षण संस्थानों में अपेक्षित स्तर बनाये रखने के लिये शिक्षा का न्यूनतम स्तर निर्धारित करेगी।

(5) मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताएं देने के विचार से केन्द्रीय परिषद को भारत के किसी संस्थान अथवा प्राधिकार द्वारा लिये जाने वाली परीक्षा की जांच करने का अधिकार होगा।

(6) आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी की विभिन्न शाखाओं के साथ भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी का "राज्यवार" एक केन्द्रीय रजिस्टर होगा। राज्य रजिस्टरों में नामांकित सभी व्यक्ति केन्द्रीय रजिस्टर में सम्मिलित किये जायेंगे। अन्य व्यक्ति जिनके पास मान्यता प्राप्त अर्हताएं हो केन्द्रीय रजिस्टर में पंजीकरण के लिए सीधे आवेदन दे सकेंगे।

बंगला नम्बर 10 जनपथ, नई दिल्ली

1581. **श्रीमती इलापाल चौधरी :**
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री रा० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री विश्वम्भरन :
डा० कर्णी सिंह :
श्री अदिचन :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री बे० कु० दासचौधरी :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में बंगला नं० 10 जनपथ रोड, नई दिल्ली जो कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निवास स्थान था, अभी तक खाली पड़ा है और इसे अभी तक किसी को अलाट नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक किराये के रूप में सरकार को कितनी हानि हो चुकी है;

(ग) क्या सरकार का वहां पर एक लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय बनाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इस बंगले को किस प्रयोजन के लिये और कब तक प्रयोग में लाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख): 22 मार्च, 1966 को स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के परिवार ने बंगला खाली कर दिया था, और 24 जून, 1966 को यह रक्षा मंत्रालय को इन्स्टीट्यूट आफ डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनैलिसिज़ के उपयोग के लिए आवंटित कर दिया गया। बंगला 22 मई, 1967 तक उनके कब्जे में रहा।

तत्पश्चात् बंगले के उपयोग का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा। फ़रवरी, 1968 में यह पर-राष्ट्र मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव, श्री आर० जी० राजवाड़े को आवंटित किया गया और यह 20 फ़रवरी, 1968 से 17 दिसम्बर, 1968 तक उनके कब्जे में रहा।

बंगले को सुसज्जित करने (फर्निशिंग) तथा उसकी देखभाल की लागत के कारण आवंटी इसे स्वीकार नहीं करते। और आगे इसके उपयोग का प्रश्न विचाराधीन है। बंगला लगभग 14½ मास की अवधि तक खाली रहा और मूल नियम 45-क के अधीन इस अवधि का किराया 11,179 रुपये आता है।

(ग) और (घ): इस बंगले के लिए की गई मांगों में से एक मांग आल इण्डिया हैण्डीक्राफ्ट्स बोर्ड से आई है जो स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर, इस बंगले में अपना 'क्राफ्ट्स म्यूज़ियम' रखना चाहते हैं। बंगले के आगे के उपयोग के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है।

राष्ट्रीय आर्थिक आयोग

1582. श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री बलराज मधोक :
श्री रणजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में श्री नवल एच० टाटा द्वारा दिये गये इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि भारत की वर्तमान आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिये अमरीका में स्थापित फेडरल ट्रेड कमीशन के आधार पर शीघ्र ही एक राष्ट्रीय आर्थिक आयोग की स्थापना की जानी चाहिये;

(ख) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के एक कार्यकारी दल ने भी इसी आशय का सुझाव दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। अहमदाबाद प्रबन्धक संघ में दिये गये अपने भाषण में श्री नवल एच० टाटा ने जो सुझाव दिया था उसकी जानकारी सरकार को है।

(ख) जी, हां। प्रशासनिक सुधार आयोग ने, विकास नियंत्रण और विनियमन संगठनों के सम्बन्ध में जो कार्यकारी दल स्थापित किया था उसकी रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि एक राष्ट्रीय आर्थिक (मूल्य, लागत और आयात-निर्यात शुल्क) आयोग बनाया जाना चाहिये। कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, प्रशासनिक सुधार आयोग ने आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में, मूल्यों, लागत और आयात-निर्यात शुल्कों के संबंध में, आयोग की स्थापना किये जाने की सिफारिश की है।

(ग) प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर सरकार विचार कर रही है।

वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी उपक्रमों का समापति पद

1583. **श्रीमती इलापाल चौधरी :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री रा० की० अमीन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है कि वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रमों की अध्यक्षता को, जैसी इस समय व्यवस्था है, अन्य व्यक्तियों की बजाय प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों को सौंप दी जाये;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का पूरा ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसको कब अन्तिम रूप दे दिया जायेगा तथा इसे कब से लागू किया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग): सरकार की यह नीति है कि सरकारी उपक्रमों के प्रबंधक बोर्डों के अध्यक्ष-पद के लिये ऐसे योग्य और अनुभवी व्यक्ति नियुक्त किये जायें जो उपयुक्त हों, चाहे वे कहीं भी काम कर रहे हों।

आसाम में ब्रह्मपुत्र पर नियंत्रण

1584. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसाम में ब्रह्मपुत्र से लाभ उठाने सम्बन्धी योजनाओं को केन्द्रीय सरकार की परियोजना के रूप में शामिल कर लिया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना में गति लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग): ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ तथा कटाव सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने हेतु ब्रह्मपुत्र घाटी के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

नार्थ तथा साउथ ब्लाक, नई दिल्ली पर से ब्रिटिश ताज का हटाया जाना

1585. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 25 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1892 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नार्थ और साउथ ब्लाक भवनों पर ब्रिटिश ताज के चिन्ह को हटाकर अन्य चिन्ह लगाये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) ब्रिटिश ताज के चिन्हों को हटाकर भारतीय प्रतीकों को लगाने के लिये समुचित डिजाइन योग्यता-प्राप्त मूर्तिकारों से मांगी गयी है।

भारतीय उर्वरक निगम का आयोजन तथा विकास डिवीजन

1586. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय विस्फोटक (विभाग) को भारत के उर्वरक निगम के योजना तथा विकास डिवीजन से सम्पर्क स्थापित करने की हिदायत नहीं दी थी;

(ख) क्या विदेशी सहयोग वाली परियोजनाओं के लिए अन्य लाइसेंस प्राप्तकर्त्ताओं को डिजायन तथा इंजीनियरी सेवाओं सम्बन्धी योजना तथा विकास डिवीजन से सम्पर्क स्थापित करने की हिदायत की गई ताकि विदेशी मुद्रा बचायी जा सके; और

(ग) यदि हां, तो किन फर्मों को आदेश दे दिये गये हैं और उन फर्मों के नाम क्या हैं जो सेवा से लाभ उठा रही हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० बच्हाण) : (क) और (ख): जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में 1968-69 में ग्रामीण आवास योजना

1587. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में वर्ष 1968-69 में ग्रामीण आवास योजनाओं के लिये कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) खगरिया तथा बेगुसराय सब-डिवीजनों के लिये कुल कितनी राशि दी गयी; और

(ग) प्रत्येक सब-डिवीजनों में कितनी राशि बांटी गयी और विभिन्न आय-वर्गों में कितने व्यक्तियों को उक्त राशि प्रदान की गई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 1968-69 के लिए बिहार सरकार को नियत किए गए 9 लाख रुपए की कुल केन्द्रीय सहायता में से, राज्य सरकार ने, ग्रामीण आवास कक्ष के अनुरक्षण के लिए 0.50 लाख रुपए के सिवाय, अभी तक ग्रामीण आवास के लिए कोई धन निर्धारित नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोचीन में तस्करी के सोने और घड़ियों का पकड़ा जाना

1588 **श्री अदिचन :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सेझियान :
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नि०रं० लास्कर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 जनवरी, 1969 को अथवा इसके लगभग कोचीन सीमाशुल्क अधिकारियों ने कोचीन से लगभग तीस मील दूर महासमुद्र में चेटुवा में एक अरब नाव में से लगभग 75 लाख रुपये का 40,000 तोला सोना और लगभग 5,000 कलाई घड़ियां पकड़ी थीं;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों और हालत में अनैध माल पकड़ा गया था; और

(ग) इस सम्बन्ध में कुल कितने व्यक्तियों-विदेशियों तथा भारतीयों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख): जी. हां। सोना और हाथ घड़ियों को जिन बोरियों में छिपाया गया था, उनको अरबी नौका के केबिन के दोनों ओर बने चबूतरों के नीचे लम्बी मजबूत रस्सी से कस कर बांधा हुआ था। इस अरबी नौका को चेट्टुवई के समुद्र तट से कोई पांच मील दूर एक स्थान पर समुद्र में रोका गया था।

(ग) गिरफ्तार किये गये व्यक्ति थे :-

(I) 7 पाकिस्तानी

(II) 4 अरब-राष्ट्रिक

(III) 1 भारतीय

सभी व्यक्तियों को रिमान्ड लेकर हिरासत में रखा गया। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध न्याय-निर्णय की कार्यवाही जारी है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 135 के अधीन उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में इस्तगासा दायर किया जा रहा है।

कोचीन के निकट तस्करी की वस्तुओं तथा सोने का पकड़ा जाना

1589 **श्री अदिचन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
डा० सुशीला नैयर : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री सेझियान : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री रा० बरुआ :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन और उसके निकटवर्ती तटों पर सोने और अन्य वस्तुओं की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उस तटीय क्षेत्र में अथवा उसके निकट कितनी बार तस्करी का माल पकड़ा गया;

(ग) 1967 तथा 1968 में कितने मूल्य का माल पकड़ा गया; और

(घ) इसे प्रभावशाली ढंग से रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग): जी, नहीं। कोचीन से लगे समुद्र तट तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों से चोरी-छिपे आयात करते हुए, जनवरी, 1969 में पकड़े गये सोने और घड़ियों के एक बड़े भारी मामले को छोड़ कर सोने अथवा दूसरी वस्तुओं के कोई महत्वपूर्ण मामले हाल में नहीं पकड़े गए। 1967 तथा 1968 के दौरान सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के समाहर्ता कार्यालय, कोचीन द्वारा पकड़े गये सोने तथा अन्य माल का मूल्य नीचे दिया गया है :-

वर्ष	सोना	अन्य माल
	लाख रुपये में	लाख रुपये में
1967	2.00	0.4
1968	2.9	3.5

(घ) तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिए देश भर में किए जा रहे सुसंगठित उपायों के अनुसार तटवर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है, जिसमें व्यवस्थित ढंग से गुप्त-सूचना इकट्ठी करना, अधिक कर्मचारी तैनात करना, तटों पर विशेष गश्त लगाना भी शामिल हैं।

चौथी योजना के लिये उर्वरक कार्यक्रम

1590. **श्री अदिचन :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये उर्वरक सम्बन्धी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने विनियोजन की आवश्यकता होगी;

(ग) 1965-66 में चौथी योजना के मूल मसौदे के लक्ष्यों की तुलना में उर्वरक की प्रत्येक मद का उत्पादन के संशोधित लक्ष्य क्या हैं और इनका सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में क्या अनुपात होगा;

(घ) चौथी योजना में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले प्रत्येक उर्वरक कारखाने की क्षमता क्या होगी, उनकी सख्या कितनी होगी और वे कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे; और

(ङ) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उर्वरकों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली जायेगी और यदि हां, तो इस योजना के अन्त तक उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता क्या होगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी भागीदारी वाली कम्पनियां

1591. **श्री देवेन सेन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पचास प्रतिशत से कम विदेशी भागिता वाली ऐसी कितनी कम्पनियां हैं जिन्होंने अपनी संस्था के अन्तर्नियम में विदेशी भागीदार को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने का उपबन्ध किया हुआ है;

(ख) उक्त उपबन्ध के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त मामलों के विरुद्ध उपबन्ध बनाने के उद्देश्य से क्या सरकार का विचार कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख): जिन भारतीय कम्पनियों को विदेशियों के हाथ अपेक्षाकृत कम शेयर बेचकर विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति दी गयी हो उनकी अन्तर्नियमावली में ऐसी व्यवस्था होने की कोई सम्भावना नहीं है, जिससे विदेशी सहयोगी को ही उसके समूह के शेयरहोल्डरों में से किसी व्यक्ति को उस उद्यम का प्रबन्ध-निदेशक नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त हो। अल्पसंख्यक शेयर-होल्डरों वाले विदेशी सहयोग के ऐसे मामलों की स्वीकृति प्रदान करते समय जिनमें विदेशी सहयोगी से उसके समूह के किसी व्यक्ति को प्रबन्ध-निदेशक नियुक्त करने का अनुरोध प्राप्त हुआ हो, सरकार बहुत अपवाद-स्वरूप परिस्थितियों को छोड़ और किसी परिस्थिति में ऐसी नियुक्ति की स्वीकृति नहीं देती। ऐसे अपवाद-स्वरूप मामलों में, सरकार मुख्यतः प्रायोजना के तकनीकी नियंत्रण के प्रयोजन की दृष्टि से वाणिज्यिक तौर पर उत्पादन शुरु होने तक, विदेशी शेयर-होल्डरों में से किसी व्यक्ति को, सीमित अवधि के लिये, प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिये सहमत हो सकती है।

(ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर को देखते हुए, खास तौर पर उन भारतीय कम्पनियों के बारे में यह सवाल पैदा ही नहीं होता जिन्हें विदेशियों के हाथ अपेक्षाकृत कम शेयर बेचकर विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति हो।

खम्भात क्षेत्र में तट दूर तेल का निकाला जाना

1592 **श्री जनार्दनन :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खम्भात क्षेत्र में तट दूर तेल निकालने के बारे में सहयोग देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव करने वाली कम्पनी का क्या नाम है;

(ग) नये प्रस्ताव की शर्तें क्या है; और

(घ) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) अक्तूबर, 1968 के अन्त तक पांच पेशकशे प्राप्त हुई थीं। कोई नई पेशकश नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा मुंगेर (उत्तर बिहार) जिलों में गंगा पर बांधों को सुदृढ़ करना

1593. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर-दरभंगा और मुंगेर जिलों में गंगा के कटाव और बाढ़ों को रोकने के लिये इसके बायीं ओर के तटबन्ध को सुदृढ़ करने के लिये अग्रेतर उपाय करने का विचार है;

(ख) क्या गंगा के बायीं ओर के किनारे पर दरभंगा जिले (उत्तर बिहार) के पेटोरी अंचल में बरुआ बन्ध को सुदृढ़ करने का विचार है जिससे तम्बाकू और मिर्च पैदा करने वाले उपजाऊ भूखण्ड को 1948 की जैसी गंगा की भयंकर बाढ़ से बचाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दरभंगा, मुंगेर और मुजफ्फरपुर के जिलों में गंगा के साथ साथ बनाए गए तटबन्ध रेल-पटरियां और सड़कें अपने पृष्ठवर्त्ती क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस सम्बन्ध में बिहार सरकार का कोई और प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) बिहार सरकार ने सूचित किया हैं कि इस निजी बंध को शुरु करने और पक्का करने का कोई प्रस्ताव नहीं है चूंकि यह नदी के खादिर में स्थित है और नदी की सक्रिय उमड़ नाली के ठीक कगार पर स्थित है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

लक्कादीव द्वीपसमूह के सरकारी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर

1594. **श्री प० मु० सईद :** क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कादीव द्वीपसमूह के सरकारी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये पुरुष तथा महिला डाक्टरों की स्वीकृति संख्या कितनी है;

(ख) इस समय वास्तव में कितने डाक्टर कार्य कर रहे हैं और कितने पद रिक्त है;

(ग) इन पदों के रिक्त होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इन पदों को भरने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) मंजूर किये गये कुल पदों की संख्या 14 है- पुरुष- 11, स्त्रियां 3

(ख) 6 चिकित्सक (जिनमें एक महिला चिकित्सक सम्मिलित है) काम कर रहे हैं और 8 पद रिक्त हैं ।

(ग) और (घ): सामान्यत: चिकित्सा अधिकारी इन सुदूरवर्ती द्वीपों में जाने से कतराते हैं फिर भी इन रिक्त पदों को भरने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

लक्कदीव में सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगीवाहन की व्यवस्था

1595. श्री प० मु० सईद : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्कदीव में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में आपात स्थिति के लिये रोगीवाहनों की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में यह सुविधा उपलब्ध करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) ये द्वीप बहुत छोटे हैं और सड़कें वाहन-यातायात के उपयुक्त नहीं हैं।

(ग) अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आबाद इलाकों से आसानी के साथ पैदल पहुंचा जा सकता है। ऐसा होने के कारण, वाहनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है।

उर्वरकों के उत्पादन की लागत

1599. श्री म० नारायणरेड्डी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की उत्पादन तथा इसके वितरण की लागत को कम करने हेतु प्रबन्ध, आंकड़ों और आर्थिक उपायों को लागू करने की कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की व्यवस्था से ठोस परिणाम निकालने में कहां तक सहायता मिली है;

(ग) गत तीन वर्षों में उत्पादन लागत जानने के क्या परिणाम रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिये उक्त दिशाओं में क्या प्रगतिशील रवैया अपनाने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) उर्वरक कारखानों में सांख्यिकीय प्रकार नियन्त्रण, उत्पादन का आयोजन एवं नियन्त्रण, लागत (मूल्य) एवं बजट सम्बन्धी नियन्त्रण, वस्तु-सूची नियन्त्रण जैसे उपाय अपनाये जाते है।

(ख) ऐसे उपायों को लागू करने से मूर्त परिणाम प्राप्त हुए हैं।

(ग) इन तकनीकियों को लागू करने से संचालन कार्य और उत्पादन लागत में सुधार हुआ है :--

भारतीय उर्वरक निगम में विशेष रूप से निम्न परिणाम हासिल हुए है :--

(1) नांगल में चूने के लिए डिलोमाइट एवं पोटाश के स्थान पर कास्टिक सोडा।

(2) नांगल में उर्वरकों के पैकिंग के लिए थैलियों के आकार में सुधार।

(3) ट्रामवे में उच्चतर विशलेषण उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए उप्पाद नमूनों में सुधार।

(4) ट्राम्वे में उपोत्पाद आदि के प्रयोग को शामिल करते हुए कार्यक्रम में अनेकता।

(5) भारतीय उर्वरक निगम के आयोजन एवं विकास प्रभाग द्वारा देशीय केटे-लिस्टों का उत्पादन आदि।

(घ) यह प्रस्तावित है कि ऐसी तकनीकों के प्रचलन को जारी रखा जाए और उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए संगठन में और वृद्धि की जाये।

अवधि पूरी होने वाली पालिसियों का भुगतान

1600. श्री म० नारायण रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जीवन बीमा निगम उन बीमा पालिसीधारियों को जिनकी पालिसियों की अवधि पूरी हो चुकी है, भुगतान करने में, जन्म सम्बन्धी प्रमाणपत्र और अन्य फालतू साक्ष्य प्रस्तुत करने के बहाने विलम्ब करता है;

(ख) पालिसी के जारी करने के समय अथवा बीमा पालिसी की अवधि के पूरे होने से तीन या चार महीने पूर्व उक्त प्रमाणपत्र और कागजात क्यों नहीं मांगे जाते; और

(ग) पालिसियों की अवधि पूरी होने के एक महीने की अवधि में भुगतान करने की दिशा में सुधार किये गये हैं अथवा करने का प्रस्ताव है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : बीमा प्रस्तावों के साथ आयु के प्रमाण को पेश करने में प्रस्तावकर्ताओं की असमर्थता को ध्यान में रखकर, जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी-धारियों को यह अनुमति दी जा रही है कि वे अपनी आयु को बाद में प्रमाणित कर दें। पालिसी पर लिया जाने वाला प्रीमियम बीमा किये गये व्यक्ति की आयु पर निर्भर करता है, इसलिये यह निश्चित करना आवश्यक है कि पालिसी में निर्दिष्ट आयु में कोई अन्तर तो नहीं था। फिलहाल, जिन परिपक्व पालिसियों में आयु प्रमाणित नहीं हुई है, उनके मामले में जीवन बीमा निगम परिपक्वत की तारीख से 4 महीने पहले प्रमाण मांगता है। परन्तु अब निगम ने यह निर्णय किया है कि 1-4 69 से सभी मामलों में आयु का प्रमाण प्रस्ताव के साथ ही पेश किया जाना चाहिये।

(ग) दाव के सम्बन्ध में सूचना सामान्यत: पालिसीधारी को दो महीने पहले भेज दी जाती है जिससे वह परिपक्वता की तारीख से पहले सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर

ले। जिन मामलों में आवश्यकतायें समय पर पूरी हो जाती हैं उनमें सामान्यतः दावों का निपटारा तत्परता से हो जाता है।

क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय ग्रिडों की स्थापना

1607. **श्री म० नारायण रेड्डी :**
श्री भोलानाथ मास्टर :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय ग्रिडों की स्थापना में अन्तर्राज्यीय मतभेद और वित्तीय कठिनाइयों से रुकावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इन मतभेदों को कहां तक समाप्त किया जा चुका है;

(ग) विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय ग्रिडों की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) देश में कब तक राष्ट्रीय ग्रिड व्यवस्था बन जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां। काफी हद तक।

(ख) से (घ) : केन्द्रीय सरकार ने, चौथी योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों अन्तर्राज्यीय और अन्तर्क्षेत्रीय लाइनों के निर्माण कार्यक्रम को शामिल करने का फैसला किया है। राज्यों में विविध बिजली प्रणालियों में अन्तःसम्पर्क स्थापित करके अखिल भारतीय बिजली ग्रिड बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय बिजली ग्रिडों की स्थापना में की गई प्रगति नीचे दी गई है :—

उत्तरी क्षेत्र : इस क्षेत्र में पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर के राज्य तथा दिल्ली, चण्डीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के संघीय प्रदेश शामिल हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 220 के० वी० सम्पर्क द्वारा सम्पर्क स्थापित किया गया है। इस सम्पर्क को 1966-67 में पूर्ण किया गया था और अब इसे 132 के० वी० पर चलाया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में पहले से ही भाखड़ा प्रणाली से 220 के० वी० पारेषण लाइनों द्वारा सम्पर्क स्थापित किया गया है। दिल्ली और बल्लभगढ़ (हरियाणा) के बीच 220 के० वी० सम्पर्क को नवम्बर, 1968 में पूर्ण किया गया था और हरियाणा दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ केन्द्र से बिजली ले रहा है। सिरसा (हरियाणा) और हनुमानगढ़ (राजस्थान) के बीच 132 के०वी० सम्पर्क विचाराधीन है और इसके जून, 1969 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। हिसार (हरियाणा) और खेत्री (राजस्थान) के बीच 220 के० वी० सम्पर्क हाल ही में पूरा किया गया है।

पश्चिमी क्षेत्र : इस क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और संघीय प्रदेश गोवा, दमन और दिव शामिल हैं। नक्सरी (गुजरात) और तारापुर अणु बिजली केन्द्र (महाराष्ट्र)

के बीच 220 के० वी० लाइन 1967 में पूरी हो गई थी। तारापुर अणु बिजली केन्द्र को बोराविली (महाराष्ट्र) को जोड़ने वाले 220 के० वी० सम्पर्क के पूर्ण होने पर–यह लाइन इस समय बनाई जा रही है और उसके अप्रैल, 1969 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है-गुजरात और महाराष्ट्र तारापुर के रास्ते आपस में मिल जायेंगे। चांदनी (मध्यप्रदेश) और भूसावल (महाराष्ट्र) को जोड़ने वाला 132 के० वी० सम्पर्क पूर्ण हो चुका है और इसको जनवरी, 1969 में अर्जित कर दिया गया था। महाराष्ट्र इस लाइन के द्वारा ही मध्य प्रदेश से बिजली ले रहा है।

दक्षिणी क्षेत्र : इस क्षेत्र में तामिलनाडु, मैसूर, आन्ध्रप्रदेश, केरल और संघीय प्रदेश पाण्डिचेरी शामिल हैं। मैसूर और तामिलनाडु के बीच का 220 के० वी० सम्पर्क 1965 में पूर्ण हो गया था और कसारगोडे (केरल) और मंगलौर (मैसूर) के बीच एक 110 के० वी० सम्पर्क 1966 में पूर्ण हो गया था। पम्बा (केरल) और मदुराई (तामिलनाडु) के बीच की 220 के० वी० पारेषण लाइन पूर्ण हो गई है और इसे चालू भी कर दिया गया है। इस प्रकार तामिलनाडु इस लाइन के द्वारा केरल से बिजली ले रहा है। कुडाप्पा (आन्ध्र प्रदेश) और सिंगारापेट (तामिलनाडु) के बीच की 220 के० वी० लाइन इस समय निर्माणाधीन है और इसके 1969 के दौरान पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

पूर्वी क्षेत्र : इस क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दामोदर घाटी निगम की बिजली प्रणाली शामिल है। यह क्षेत्र आगे ही 132 के० वी० लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र : इस क्षेत्र में नेफा, असम और नागालैंड के राज्य तथा मनीपुर और त्रिपुरा के संघीय प्रदेश शामिल हैं। गोलाघाट (असम) और दीनापुर (नागालैंड) के बीच 66 के० वी० सम्पर्क मार्च, 1968 से 33 के० वी० पर मिलाया जा रहा है। बदरपुर (असम) और अगरतला (त्रिपुरा) के बीच 132 के० वी० सम्पर्क निर्माणाधीन है और इसके 1969 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है। असम और मनीपुर (बदरपुर से इम्फाल तक) के बीच 132 के० वी० सम्पर्क के निर्माण के लिए कार्यवाही की जा रही है।

निम्नलिखित अन्तर्क्षेत्रीय सम्पर्क पूर्ण कर दिये गए हैं :—

(1) उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और पूर्वी क्षेत्र में बिहार, 132 के० वी० सिंगल सर्किट लाइन द्वारा जो कि मुगलसराय और करमनासा के बीच बनी हुई है, आपस में जुड़े हुए हैं।

(2) राजस्थान बिजली प्रणाली (उत्तरी क्षेत्र) और मध्य प्रदेश बिजली प्रणाली (पश्चिमी क्षेत्र) चम्बल पद्धति के 132 के० वी० सम्पर्क से आपस में जुड़ी हुई हैं।

(3) पश्चिमी क्षेत्र में गोआ और दक्षिण क्षेत्र में मैसूर 110 के० वी० लाइन द्वारा, जो कि पोंडा और इंडेली के बीच बनी हुई है, आपस में जुड़े हुए हैं।

(4) पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा और दक्षिणी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश 132 के० वी० लाइन द्वारा, जो कि मचकुंद पद्धति की है, आपस में जुड़े हुए हैं।

अन्तर्राज्यीय लाइन और अन्तर्प्रादेशिक सम्पर्क के निर्माण के प्रस्ताव चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिये विचाराधीन हैं। ऐसी सम्भावना है कि राष्ट्रीय ग्रिड काफी सीमा तक पांचवी योजना के अन्त तक बन जायेगा।

Family Planning Department Etawah (U. P.)

1603. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether Government have received a complaint dated the 28th December, 1968 from Members of Parliament regarding discriminatory behaviour based on the feeling of untouchability meted out to the employees of the Family Planning Department, Etawah;

(b) whether it is a fact that the officers have not made the payment of the arrears payable to women employees for the last many years; and

(c) whether Government would investigate into this matter and take action against the guilty officers ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No such complaint has been received by the Government of India.

(b) and (c) : Do not arise.

गोआ में उर्वरक का कारखाना

1604. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला को गोआ में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में विदेशी सहयोग की भी स्वीकृति दी गई है;

(ग) क्या मार्मागोआ के निकट खान-कोयले में इस प्रयोजन के लिये 500 हैक्टेयर भूमि खरीद ली गई है; और

(घ) क्या सरकार को बिड़ला द्वारा इस भूमि को न्यूनतम बाजार भाव से बहुत कम भाव पर प्राप्त करने के लिये अपनाये गये तरीकों की जानकारी है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) दल से प्राप्त संशोधित विदेशी सहयोग प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ) : सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

'निर्माताओं द्वारा स्वयं उत्पादन शुल्क जमा करवाने की प्रक्रिया' आरम्भ करने से उत्पादन शुल्क की वसूली में कमी

1605. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1968 में 'निर्माताओं द्वारा स्वयं उत्पादन शुल्क जमा करवाने की प्रक्रिया' के आरम्भ करने से उत्पादन शुल्क की वसूली में भारी कमी का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निर्माताओं द्वारा स्वयं कर निर्धारण प्रणाली का पुनरीक्षण करना का है; और

(ग) क्या इस बीच पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 25 प्रतिशत उत्पादन शुल्क सब-इन्स्पेक्टरों को फालतू घोषित कर दिया गया है और उनकी छंटनी की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

(ग) जी, हां। पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के उप-निरीक्षकों के लगभग 25 प्रतिशत पद फालतू पाये गये हैं। फालतू पाये गये उप-निरीक्षकों को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमाशुल्क विभागों में खपाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

सरकारी बस्तियों में पार्कों की देखभाल

1606 **श्री शशि भूषण :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में अधिकांश पार्क उजड़े से हैं;

(ख) क्या इन पार्कों की देखभाल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यान विभाग द्वारा की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उनकी उचित देखभाल के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) इन में से अधिकतर पार्कों का अनुरक्षण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का बागबानी विभाग करता है। कुछ एक का अनुरक्षण सम्बन्धित नगर-निकायों द्वारा किया जाता है।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियन्त्रण में जो पार्क हैं, सामान्यतः उनकी देखरेख भली प्रकार हो रही है। कुछ मामलों में आवारा पशुओं और पानी की कमी के कारण कठिनाइयां हैं, परन्तु उन पर काबू पाने के लिये, यथा सम्भव उपाय सोचे जा रहे हैं।

सरकारी क्वार्टरों का पारी से बाहर नियतन

1607. **श्री शशि भूषण :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्वार्टरों का पारी से बाहर नियतन किये जाने के क्या आधार हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में कितनी संख्या में पारी से बाहर क्वार्टरों का नियतन किया गया; और

(ग) क्या ऐसा करने से नियमित रूप से क्वार्टर के हकदार सरकारी कर्मचारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) बिना पारी के आधार पर आवंटन एलाटमेन्ट आफ गवर्नमेंट रेजिडेंसिज (जनरल पूल इन दिल्ली) रूल्ज, 1963 के अनुपूरक नियम 317-ख-9 तथा अनुपूरक नियम 317-ख-25 के उपबन्धों के अनुसार होता है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में बिना पारी के आधार पर अनुपूरक नियम 317–ख–9 के उपबन्धों के अन्तर्गत 887 रिहायशी वास आवंटित किये गये हैं ।

अनुपूरक नियम 317–ख–25 के उपबन्धों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में 490 रिहायशी वास आवंटित किए गए हैं, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

(1)	सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/रिटायरमैंट के कारण उनके निकट सम्बन्धियों को	... ...	307
(2)	मन्त्रियों/उपमन्त्रियों, राज्य सभा के अध्यक्ष, लोक सभा के अध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्यों और भारत के चीफ जस्टिस के निजी स्टाफ	... .	95
(3)	सारी परिस्थितियों को देखते हुए पात्र मामलों में तदर्थ आवंटन	....	88

(ग) उन सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए, जो अपनी बारी पर आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, होने वाली रिक्तियों का बहुत कम प्रतिशत बिना पारी के आवंटन की ओर कर दिया जाता है ।

नई दिल्ली के पार्कों में झूले और 'स्लिपरीज' (फिसलने वाला खेल)

1608. **श्री शशि भूषण :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नई दिल्ली के पार्कों में झूले और स्लिपरीज आदि (फिसलने वाले खेल) के लगाने पर बड़ी मात्रा में धन राशि खर्च की है;

(ख) क्या उनमें से अधिकांश बेकार पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी उचित देख-भाल के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) सरकारी कालोनियों में पार्कों और सार्वजनिक लान में लगभग 1.5 लाख रुपये की लागत से झूले और 'सी-सा' लगाए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) स्थानीय निकायों ने कुछ पार्क अनुरक्षण के लिए ले लिए हैं और उनसे इन सुविधाओं की स्थिति में सुधार करने का अनुरोध किया जा रहा है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की निगरानी में, रिहायशी क्षेत्र के सार्वजनिक पार्क में 'रेजिडैण्ड्स ऐसोसिएशनों' की सहायता के बगैर इन सुविधाओं को ठीक हालत में रखना कठिन है। इस स्थिति पर कैसे कार्यवाही की जाए, यह विचाराधीन है।

Income-Tax Evasion by Companies

1609. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the three companies viz.

(i) Dyers Stone Lime Company (P) Limited, Calcutta;

(ii) Lime and Refractories (P) Limited, Bombay, and

(iii) Indian Distributors (P) Limited, Katni, are evading Income-tax by taking 'Hundis' in the name of their employees; and

(b) the number of Hundis shown against their names and the amount of Income-tax evaded therefrom by the these three companies during the last five years ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Seizure of Jewellery and Foreign Exchange at Santa Cruz Airport

1610. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that huge quantity of jewellery and foreign exchange was recovered from a Geneva bound passenger at the Santa Cruz Airport in the first fortnight of November, 1968;

(b) if so, the total value of the jewellery and foreign exchange recovered; and

(c) the country for which the smuggler was holding the passport and the country to which he belonged and the action since taken by the Government against him ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) : Yes, Sir. On 5th November, 1968 Bombay Customs authorities recovered precious stones and jewellery worth approx. Rupees 1.13 lakhs and Foreign Exchange equivalent to Rupees 6 54 lakhs from a British subject holding a British Passport issued at Nairobi.

He was arrested and later released on bail by the Magistrate. The goods have been confiscated absolutely. Further investigations are in progress and prosecution proceedings will be initiated on completion of investigations.

Fake Currency Notes Received by Banks

1611. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of fake currency notes received by the Banks for encashment during 1966–67, 1967–68 and 1968–69 so far;

(b) the total value of the notes received for encashment in each financial year; and

(c) the denominations of the fake notes and the number of notes of each denomination received in the Banks for encashment ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c): The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Theft of Electric Motors from Tube- Wells in Delhi Territory

1612. Shri Hukam Chand Kachwal : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the number of tube-wells from where the electric motors have been stolen since the Ist January, 1968 in the Union Territory of Delhi as reported to in Hindustan of the 27th October, 1968;

(b) the number of motors recovered;

(c) the number of applications received by Government from the residents of this area for electric connections for their tube-wells and the number of motors supplied by Government; and

(d) the reasons for not supplying the motors to the remaining applicants for tube-wells ?

The Deputy Minister for Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) 27 cases of theft were reported to the Police since Ist January, 1968 till January, 1969.

(b) Two.

(c) and (d) : The total number of applications for energisation of tube-wells received by Delhi Electric Supply Undertaking upto Ist February, 1969 was 3961. 793 applications were cancelled on account of the applicants not depositing the service line charges or test reports. 2842 tube-wells were energised. Out of the remaining 326 applications 131 connections are under execution, in 21 cases security charges are awaited, 71 cases are under estimation, in 85 cases service line charges are awaited from the consumers and 18 cases are under examination.

बैंक कर्मचारियों को मकानों का आवंटन

1613. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली/नई दिल्ली (दिल्ली राज्य) के बैंक कर्मचारियों को उपयुक्त मकान देने की व्यवस्था करने का निर्णय किया है अथवा उसका ऐसा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सम्पदा निदेशालय के नियन्त्रण में दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास, पात्र कार्यालय में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को आवंटित किये जाने के लिये हैं। दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल में लगभग 60,000 रिहायशी इकाइयों की कमी है और बैंक कर्मचारियों को वास देने की व्यवस्था का उत्तरदायित्व सरकार नहीं ले सकती । यह बैंकों का काम है कि वे अपने कर्मचारियों को रिहायशी वास उपलब्ध कराने के लिए उचित कार्यवाही करें ।

उत्तर बंगाल में बाढ़ नियन्त्रण कार्य के लिये केन्द्रीय सहायता

1614. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बंगाल में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बाढ़ नियन्त्रण कार्य के लिये अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति दी गई है;

(ख) इस उद्देश्य के लिये राज्य सरकार ने कितनी राशि की मांग की थी; और

(ग) तटबन्धों की मरम्मत तथा रख-रखाव, नदी के जल पर नियन्त्रण तथा उसे मोड़ने आदि के लिए अब तक क्या विशेष कार्य किये गये हैं और क्या करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख): अक्तूबर, 1968 में बाढ़ों द्वारा क्षतिग्रस्त तटबन्धों इत्यादि को पुनर्निर्माण करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने 1968-69 में 87 लाख रुपये की धन-राशि की आवश्यकता का अनुमान लगाया था । इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण तटबन्धों को ऊंचा उठाने और पक्का करने के व्यय को पूरा करने के लिये राज्य सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 50 लाख रुपये के लिए आवेदन किया था । ये धन-राशियां 1968-69 में राज्य सरकार को ऋण के रूप में स्वीकार कर दी गई हैं ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 189/69]

Loan to Shri Sanjay Gandhi for Manufacture of Small Cars

1615. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Sanjay Gandhi has applied to the Central Government for a loan of rupees one crore for the manufacture of small cars;

(b) if so, the time by which loan will be paid to the applicant; and

(c) the purpose for which the loan has been sought ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

पाकिस्तान सरकार द्वारा भारतीय बैंकों को अपने हाथ में लेना

1616. **श्री समर गुह :** क्या वित्त मंत्री 25 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1964 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये गये भारतीय बैंकों में भारतीयों तथा पाकिस्तानी अल्पसंख्यक जमा करने वालों की संख्या कितनी है और उन फर्मों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या भारतीयों और पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को अपना धन वापिस लेने की अनुमति दी गई;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने भारतीय जमा करने वालों को धन दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(घ) पाकिस्तान द्वारा अपने हाथ में लिये गये इन बैंकों से भारतीयों के धन को प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सरकार को इसके सिवा और कोई जानकारी नहीं है कि भारतीय फर्म अभी तक पाकिस्तान के शत्रु-सम्पत्ति अभिरक्षक के अधिकार में ही है और भारतीय अल्पसंख्यक जमाकर्ताओं को कोई रकम वापस लेने की अनुमति नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) : भारत की जिन परिसम्पत्तियों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर और पाकिस्तान की जिन परिसम्पत्तियों पर भारत ने कब्जा कर लिया है। उनके निपटारे से सम्बन्धित पूरा का पूरा प्रश्न अभी तक अनिर्णीत पड़ा है। सरकार ने इस प्रसंग में पाकिस्तान सरकार को कई पत्र भेजे हैं, जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि वह इस बात पर सहमत हो जाये कि ताशकन्द समझौते के अनुसार दोनों देश एक दूसरे की जब्त की गई परिसम्पत्तियां लौटा दें।

कलकत्ता के विकास के लिये सी० एम० पी० ओ० परियोजना

1617 **श्री समर गुह :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता के विकास के लिये सी० एम० पी० ओ० द्वारा तैयार की गई कोई योजना मिली है;

(ख) क्या यह योजना केन्द्रीय योजना अधिकारियों के परामर्श से तैयार की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार समझती है कि इस योजना में यथार्थता है और अविलम्ब इसकी क्रियान्विति की जानी चाहिये;

(घ) यदि हां, तो कलकत्ता के सी० एम० पी० ओ० की परियोजना की क्रियान्विति के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) कलकत्ता के लिये सी० एम० पी० ओ० की परियोजना की बुनियादी बातें क्या हैं तथा इस प्रकार की योजनाएं किन मूलभूत आधारों को ध्यान में रख कर तैयार की जाती हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह योजना एक दीर्घ कालिक आधार पर तैयार की गई है । योजना में सुझाई गई कतिपय बातें तो तुरन्त कार्यवाही की जाने वाली है और अन्य एक लम्बे अर्से में चरणवार की जा सकती हैं ।

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना और 1966-67 में कलकत्ता महानगर जिले के लिए आधारभूत विकास योजना के तैयार कराने में कलकत्ता महानगर संगठन द्वारा व्यय किये गये समस्त संगठनात्मक खर्चों की प्रतिपूर्ति करने के साथ साथ केन्द्रीय सरकार ने जलपूर्ति और नाली योजनाओं, गन्दी बस्ती सफाई कार्यक्रमों, औद्योगिक आवास, महानगर परिवहन योजना बनाने के लिए भी आर्थिक और तकनीकी सहायता दी है ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(च) इस योजना की आधारभूत बातें इस प्रकार हैं :—

(1) कलकत्ता महानगर जिले में सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए जलपूर्ति एवं नाली आदि जैसी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना;

(2) जिले के अन्दर लोगों और सामान के आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़कों और यातायात में ताल-मेल के सम्बन्ध में सुधार करना;

(3) बस्तियों की भूमि का अर्जन करके तथा जलपूर्ति, सफाई नालियों, पटरियों और रोशनी आदि की व्यवस्था करके गन्दी बस्तियों की सफाई करना;

(4) हावड़ा और कलकत्ता में संचार सुविधाओं में सुधार करने के लिए हुगली पर एक दूसरे पुल की व्यवस्था करना;

(5) नगर के भावी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा घने बसे क्षेत्रों से आबादी हटाने सम्बन्धी काम सुलभ बनाने के लिये जिले में स्वावलम्बी उपनगरों का बनाना।

इस योजना के पीछे आधारभूत कारण है पूर्वी भारत के प्रादेशिक केन्द्र, पत्तन, इंजिनीयरी, जूट और अन्य उद्योगों का केन्द्र जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों का केन्द्र होने के कारण 1986 तक कलकत्ता महानगर की जनसंख्या बढ़कर 1 करोड़ 2.7 लाख हो जायेगी। इस प्रकार से बढ़ी हुई आबादी को वर्तमान शहर तथा कल्याणी बांसवेरिया में बनाये गये नये वैकल्पिक केन्द्रों में बसाना होगा। हल्दिया और आसनसोल-कुटी-कम्प्लैक्सों का विकास होने से शहर पर आबादी का दबाव कम हो जायेगा।

दरभंगा मेडिकल कौलेज

1618. श्री भोगेन्द्र झा : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्री 16 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4566 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच एक प्राध्यापक को दरभंगा मेडिकल कालेज, अस्पताल, लोहेरियलराय, दरभंगा (बिहार) में स्त्री रोग विज्ञान तथा प्रसूति विद्या के विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : यह विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण

1619. श्री मंगलाथुमाडोम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक के अधीन एक दूसरे अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण की व्यवस्था की गई है;

(ख) सर्वेक्षण पर कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है; और

(ग) 1952-53 में किये गये प्रथम सर्वेक्षण के अनुसार कृषि बैंकों, अपना बैंकों तथा समितियों को क्या लाभ हुआ है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : रिजर्व बैंक ने दूसरी अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति नियुक्त नहीं की है।

(ग) ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने सिफारिश की थी कि किसान को संस्थागत ऋण देने के लिए सहकारी समितियां ही उपयुक्त माध्यम हैं। सर्वेक्षण समिति की यह सिफारिश थी कि ग्रामीण ऋण की समेकित योजना को अमल में लाया जाय। यह योजना (1) विभिन्न स्तरों पर राज्य के सहयोग,

(2) ऋण और आर्थिक क्रियाकलापों, खासकर विपणन और परिष्करण सम्बन्धी क्रियाकलापों के बीच पूर्ण समन्वय, और

(3) उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा प्रशासन के तीन सिद्धान्तों पर आधारित है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों ने सहकारी बैंकों के सहयोग से सहकारी ऋण ढांचे का पुनर्गठन करने का काम शुरू किया जैसीकि सर्वेक्षण समिति ने सिफारिश की थी, रिजर्व बैंक में राष्ट्रीय कृषि (दीर्घावधिक कार्य) निधि और राष्ट्रीय कृषि सम्बन्धी (स्थिरीकरण) निधि नामक दो निधियां भी बनाई गयीं ताकि रिजर्व बैंक सहकारी ऋण संस्थाओं के शेयर खरीदने, कृषि सम्बन्धी तथा अन्य सहायक कार्यों का वित्त प्रबन्ध करने और भूमि बन्धक बैंकों के ऋण-पत्र खरीदने के लिए राज्य सरकारों और राज्य सहकारी बैंकों को मध्यावधिक तथा दीर्घावधिक ऋण दे सके। इन सिफारिशों के अनुसार किये गये बहुत से उपायों के परिणामस्वरूप सहकारी बैंकों ने अपना कार्य-क्षेत्र और बढ़ा दिया है। कृषि सम्बन्धी वित्त प्रबन्ध में सहकारी बैंकों के हिस्से का अनुमान अब लगभग 25 प्रतिशत लगाया गया है जबकि 1951-52 में यह 3.1 प्रतिशत था। सहकारी ऋण ढांचे द्वारा की गयी उन्नति के कुछ स्थूल निदेशक नीचे दिये गये हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

	अपनी रकमें	जमा रकमें	ऋण और अग्रिम
1950-51	17.26	4.48	29.13
1966-67	165.49	39.09	477.46
	केन्द्रीय सहकारी बैंक		
1950-51	8.83	37.79	34.14
1966-67	115.64	259.32	499.45

शीर्षस्थ राज्य सहकारी बैंक

1950–51	3.80	22.08	17.90
1966–67	55.64	147.38	325.16

केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंक

	चुकती पूंजी और साधन	उधार ली गयी रकमें (ऋण-पत्रों और जमा रकमों सहित)	ऋण और अग्रिम
1950-51	·64	7.07	5.98
1966-67	22.46	241.12	207.37

प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंक

1950–51	·69	5.97	6.26
1966–67	15.99	157.60	154.67

केरल में उर्वरक के डिपो

1620. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन, और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टी-लाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड द्वारा केरल में उर्वरक के कितने डिपो खोले गये हैं;

(ख) इस समय गोदाम में उर्वरक की कुल कितनी मात्रा है; और

(ग) क्या और अधिक डिपो खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) I) केन्द्रीय डिपो 59

II) फुटकर बिक्री डिपो 2960

(ख) 1–1–1969 को 87,243 मीटरी टन (इसमें से 59,857 मीटरी टन केरल सरकार की ओर से रखे गये हैं ।

(ग) 1968-69 के दौरान केरल में कुछ और केन्द्रीय डिपो खोले जाने का प्रस्ताव है ।

बैंक द्वारा जमा राशि से अधिक राशि निकालना

1621. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया है कि अनुसूचित बैंकों तथा सहकारी बकों के मामले में रिजर्व बैंक से जमा राशि से अधिक राशि का निकाला जाना बहुत सीमित होना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी. नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा भवन-निर्माण परियोजनाओं तथा विकास योजनाओं के लिये बांड जारी करना

1622. **श्री म० सुदर्शनम** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार के पास भवन-निर्माण परियोजना तथा विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये बांड जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख): दिल्ली विकास प्राधिकार ने विभिन्न भवन निर्माण परियोजनाओं तथा अन्य योजनाओं के लिये धन प्राप्त करने के हेतु, बांड जारी करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है और विस्तृत ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

1623. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड गैर-सरकारी खान मालिकों से कोयला खरीदता है;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड द्वारा अपनी कोयले की सारी आवश्यकता के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से, कोयला न खरीदने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख): पथरातू ताप बिजली केन्द्र में अन्ततोगत्वा कयारा और गिडि वाशरियां जिन्हें अभी चालू किया जाना है, के उपोत्पादो का इस्तेमाल किया जाना है। इस बीच राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों और सहवर्ती इलाके की गैर-सरकारी खानों से कच्चा कोयला प्राप्त किया जा रहा है। जहां तक बरौनी ताप बिजली केन्द्र का सम्बन्ध है, नये उत्पादन सैटों के लिए गिरिडिह कोयले की उपयुक्तता की जांच की जा रही है। पुराने सैटो के लिए तो यह अनुपयुक्त पाया गया है। इस समय तो बरौनी बिजली केन्द्र के लिए स्थानीय परीक्षण शालाओं से ईंधन तेल लिया जा रहा है।

(ग) पथरातू बिजली केन्द्र की ईंधन की आवश्यकताओं के लिए दीर्घकालीन प्रबन्धों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और बिहार राज्य बिजली बोर्ड के बीच विचार-विमर्श हो रहा है।

विमानों के ईंधन पर बिक्री कर

1624. श्री नन्दकुमार सोमानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारें भिन्न-भिन्न स्तरों पर विमानों के ईंधन पर बिक्री कर लेती हैं;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने इस कर को 20 रुपये से बढ़ा कर 100 रुपये प्रति किलोलीटर कर दिया है जिसके कारण इण्डियन एयरलाइन्स के ईंधन सम्बन्धी बिलों की राशि में इसके कुल व्यय में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों की सलाह से इन उपकरों को युक्तियुक्त बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) तमिलनाडु सरकार ने, 16 नवम्बर, 1967 से वायुयानों के टरबाइन ईंधन पर बिक्री कर 20 रुपये प्रति किलोलीटर से बढ़ा कर 100 रुपया प्रति किलोलीटर कर दिया, जिससे मद्रास हवाई अड्डे पर इस किस्म के ईंधन की कीमत 440.23 रुपये से बढ़ कर 520.23 रुपये प्रति किलोलीटर हो गयी । यह वृद्धि 18.2 प्रतिशत है ।

(ग) संविधान के अनुसार बिक्री कर, राज्य के कराधान का विषय होने से केन्द्रीय सरकार बिक्री कर व्यवस्था को न तो युक्तिसंगत बना सकती है और न ही इसमें पूर्ण एकरूपता ला सकती है । फिर भी, राज्यों के साथ पारस्परिक चर्चा करके इसे युक्तिसंगत बनाने की कोशिशें की अवश्य जाती हैं ।

भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे कारखाने का विस्तार

1625. श्री नन्दकुमार सोमानी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्राम्बे में उर्वरक कारखाने का, जिसके लिये संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता संस्था 3·70 लाख डालर का ऋण देने के लिये सहमत हो गई है, काफी विस्तार किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमोनिया, यूरिया तथा अमोनियम सल्फेट के कारखानों का निर्माण करने के लिये आरम्भ में एक ही ठेकेदार से बोली मांगी गयी थी;

(ग) क्या कम्पनी इन तीनों कारखानों के लिये अलग-अलग बोली लगवाना चाहेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) अब तक कोई बोली नहीं मांगी गई है। परन्तु पूर्वाहर्ता प्रश्नावली में अमोनिया, यूरिया और सम्मिश्र उर्वरक सन्यन्त्रों के लिए एक मुख्य ठेकेदार की नियुक्ति निहित है।

(ग) जी हां।

(घ) तीन भली भांति विनिर्दिष्ट सन्यन्त्र ग्रुपों के लिए अलग-अलग बोली (विडज) को तरजीह दी जाती है ताकि सन्यन्त्रों के प्रत्येक ग्रुप के लिए श्रेष्ठ विशेषज्ञ प्राप्त हो सके।

चौथी योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के देहातों में बिजली का लगाया जाना

1626. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के देहातों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव तैयार किये हैं तथा भेजे हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना पर एक प्रारम्भिक ज्ञापन भेजा था, जिसमें ग्राम विद्युतीकरण के लिए 95 करोड़ रुपये का परिव्यय सम्मिलित था।

(ख) तथा (ग): चौथी योजना को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु ग्राम विद्युतीकरण के बारे में उत्तर प्रदेश के चतुर्थ योजना के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

सिंचाई दरों को युक्तिसंगत करना

1627. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री रवि राय :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विभिन्न राज्यों से सिफारिश की है कि राज्यों को प्रति वर्ष हो रहे लगभग 75 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा करने के लिये निजलिंगप्पा समिति के प्रतिवेदन के अनुसार सिंचाई दरों को युक्तिसंगत किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का यथार्थ स्वरूप क्या है तथा उनके बारे में प्रत्येक राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण समा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

निजलिंगप्पा समिति की सिफारिशों पर आधारित योजना आयोग द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला है कि योजना के लिए संसाधनों को इकट्ठा करने तथा सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय लाभों को बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तामिलनाडु, मैसूर, पंजाब और उत्तर प्रदेश के राज्यों में सिंचाई दरों को बढ़ाने की गुंजायश है। इन अध्ययनों की एक प्रतिलिपि राज्य सरकारों को मार्च, 1968 में भेज दी गई थी और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे निजलिंगप्पा समिति की रिपोर्ट की रोशनी में अपने-अपने राज्यों की वर्तमान सिंचाई दरों से सम्बद्ध स्थिति का पुनरवलोकन करें। इन राज्यों की प्रतिक्रिया निम्नलिखित है।

1. **आन्ध्र प्रदेश :** केवल 6 वर्ष पूर्व सिंचाई दरों में 100 प्रतिशत वृद्धि की गई थी और इस समय राज्य में सिंचाई दरों का संशोधन करना सम्भव नहीं होगा।

2. **हरियाणा :** राज्य सरकार से कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला है।

3. **पंजाब :** वर्तमान सिंचाई दरें पहले ही अधिक हैं और राज्य सरकार इस समय सिंचाई दरों को बढ़ाना उचित नहीं समझती।

4. **तामिल नाडु :** माल-गुजारी प्रणाली को तोड़ देने के फलस्वरूप, राज्य सरकार सिंचाई दरों को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

5. **मैसूर :** सिंचाई दरों का ढांचा जिसका संशोधन 1965 में किया गया था, साधारणतः निजलिंगप्पा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर बनाया गया था और ये दरें लाभ उठाने वालों की अदा करने की क्षमता पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् निश्चित की गई है। इस समय इनमें और बढ़ोतरी करना वांछनीय नहीं है।

6. **उत्तर प्रदेश :** निजलिंगप्पा समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करना सम्भव नहीं है; बहरहाल पम्प स्कीमों और नलकूपों के लिए उच्चतर दरें निर्धारित कर दी गई है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के नाम

1628. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के नामों को प्रचारित नहीं करती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख): प्रत्येक मामले में प्रचार करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है।

कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली तथा मद्रास में आय-कर सम्बन्धी छापे

1629 **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1966–67 तथा 1967–68 में आय-कर विभाग के (एक) कलकत्ता, (दो) बम्बई, (तीन) मद्रास तथा (चार) दिल्ली स्थित निरीक्षण निदेशालय (जांच-पड़ताल तथा गुप्तवार्ता) के गुप्तवार्ता अनुभाग में कुल कितने मामलों में तलाशी ली गई तथा पकड़ी गई नकदी तथा वस्तुओं का कुल मूल्य कितना था;

(ख) उपर्युक्त तलाशियों तथा छापों के परिणामस्वरूप कुल कितने राजस्व की आय हुई;

(ग) प्रत्येक जोन में गुप्तवार्ता विभाग स्थापित करने से पूर्व वित्तीय वर्ष 1965–66 तथा 1966-67 में आयकर विभाग के अधिकारियों ने कुल कितने मामलों में तलाशी ली और छापे मारे, पकड़ी गई नकदी तथा वस्तुओं का कुल मूल्य कितना था और इनके फलस्वरूप कितने राजस्व की आय हुई; और

(घ) (एक) कलकत्ता, (दो) बम्बई, (तीन) मद्रास तथा (चार) दिल्ली में गुप्तवार्ता विभाग की कार्यवाहियों के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 1966-67 में कितने मामलों में अपराधिक मुकदमे चलाये गये ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तलाशियों की कुल संख्या है :

1966–67	82 मामले
1967–68	107 मामले

पकड़े गये माल का मूल्य :

1966–67	8.62 लाख
1967-68	35.77 लाख

इसके अलावा, ऐसे दोहरे खाते तथा अन्य दस्तावेज हमारे हाथ लगे थे जिनमें आय छिपाने के अपराध आरोपणीय प्रमाण थे।

(ख) तलाशियों के दौरान पकड़ी गयी सारी सामग्री की अभी पूरी जांच नहीं हुई है और इसलिए इन तलाशियों के राजस्व के रूप में नतीजे बताना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(ग) गुप्त सूचना पक्ष जनवरी, 1966 में स्थापित किये गये थे। वे 1966–67 में सारे साल भर अस्तित्व में थे। वर्ष 1965-66 में, आयकर विभाग द्वारा 470 तलाशियां ली गयी थीं। इन तलाशियों में पकड़ी गयी नकदी रकमों तथा सामान का मूल्य 79.42 लाख रुपये है। इन सभी मामलों में जांच-पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है इसलिए फिलहाल राजस्व के रूप में नतीजे बताना सम्भव नहीं है।

(घ) 1966-67

कलकत्ता	5
मद्रास	4
1967-68	
बम्बई	2
मद्रास	1

आयकर विभाग के निरीक्षण निदेशालय का गुप्तचर विभाग

1630. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 और 1967-68 में आयकर विभाग के निरीक्षण निदेशालय (जांच और गुप्तचरी) के गुप्तचर विभाग का गठन करने और इसकी गतिविधियों पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई;

(ख) क्या सरकार गुप्तचर विभाग के कार्य से संतुष्ट है;

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त संगठन को अभी तक बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) जी, हां।

(ग) बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली के आय-कर के क्षेत्रों में, जिन मामलों में मुकदमे की कार्यवाही की गयी है उनमें गुप्तसूचना पक्ष साधन रूप रहे हैं। जो मामले विभिन्न राज्यों में फैले हुये होते हैं उनमें भी कार्यवाही इन्हीं गुप्तसूचना पक्ष द्वारा की जाती है। विभाग की इस गुप्तसूचना शाखा में जो अधिकारी तैनात हैं उनके विशिष्ट ज्ञान के कारण वे उन मामलों की ओर विशेष ध्यान दे सकते हैं जिनको अन्यथा नियमित आय-कर अधिकारी इतनी अच्छी तरह नहीं संभाल सकते।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम, कलकत्ता

1631. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम, कलकत्ता के मामले में भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार प्रतिलाभ की उचित दर से अधिक अतिरिक्त लाभ भी निश्चित किया जाता है;

(ख) क्या इस निगम के लेखों की लेखा परीक्षा सरकार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से की जाती है और यदि नहीं, तो क्यों;

(ग) 1948-49 से 1967-68 की अवधि में प्रति वर्ष कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम को प्रतिलाभ की उचित दर के अलावा और कितना लाभ हुआ;

(घ) 1948-49 से 1967-68 की अवधि में प्रति वर्ष अतिरिक्त लाभ की कितनी राशि को कम्पनी के विशेष विनियोग लेखे में डालने की अनुमति (पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा) दी गई;

(ङ) क्या इस प्रकार हुए अतिरिक्त लाभ को उपभोक्ताओं के लाभ के लिए अलग रखी गई राशि समझा गया; और

(च) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कम्पनी को इस उपभोक्ता लाभ निधि में से खर्च करने की अनुमति देने के क्या कारण थे ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उचित प्रतिलाभ से, अधिक अतिरिक्त लाभ विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की छठी अनुसूची के पैरा 2(1) के उपबन्धों के अनुसार तय किया जाता है ।

(ख) भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की अनुसूची की धारा-2 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी उपक्रमों के वार्षिक लेखा विवरणों की जांच तथा परीक्षण ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना होता है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अथवा अनुमोदित हो। कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम के लेखे का परीक्षण सरकार द्वारा स्वीकृत लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है ।

(ग) 1949 से 1952, 1954, 1955 के कलैंडर वर्षों तथा 1957-58 से 1962-63 तक के वित्तीय वर्षों के दौरान कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम ने उचित प्रतिलाभ से अधिक कोई लाभ नहीं कमाया है। 1953 के कलैंडर वर्ष के दौरान और 1-1-56 से 31-3-1957 तक के पन्द्रह महीनों के दौरान कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम ने क्रमशः 22,48,666 रुपयों और 47,43,329 रुपयों का अधिक लाभ कमाया। 1963-64 से 1967-68 तक की अवधि में, कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम के वार्षिक लेखों से पता चलता है कि 1963-64 में कोई अधिक लाभ नहीं हुआ और 1964-65 में 15,92,721 रुपयों का अधिक लाभ हुआ है तथा 1965-66, 1966-67, 1967-68 वर्षों के लिए क्रमशः 45,56,010 रुपयों, 283024 रुपयों और 439070 रुपयों का घाटा हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि 1963-64 से 1967-68 की अवधि के आंकड़ों पर कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम से लिखा-पढ़ी की जा रही है ।

(घ) कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यह अनुमति दे दी गई है कि वे अपने पूंजीगत विस्तार कार्यक्रम पर खर्च करने के लिए 1949-52 के वर्षों के लिए निम्नलिखित राशियां विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की छठी अनुसूची के पैरा 17(2)(ग)(6) के अधीन विशेष विनियोजन है ।

वर्ष	राशि	
	पौंड	रुपये
1949	209,803	2797,381
1950	255,659	34,88,781
1951	297,111	39,61,481
1952	198,540	26,47,200
कुल	961,113	1,28,14,843

(ङ) और (च) कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम द्वारा कमाया गया स्पष्ट अधिक लाभ का विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की छटी अनुसूची के पैरा 2(1) के उपबन्धों के अनुसार कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम और उपभोक्ताओं दोनों के लाभ के लिए प्रयोग में लाया जाना था। इन उपबन्धों के अन्तर्गत, कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम इसका हकदार है। अपनी पूंजीगत आधार राशि पर उचित प्रतिलाभ के बराबर लाभ का और उचित प्रतिलाभ से अधिक लाभ के एक तिहाई भाग को बराबर राशि का जो कि उचित लाभ की राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। शेष अधिक लाभ के आधे लाभ का टैरिफ एण्ड डिविडेंड कन्ट्रोल रिजर्व में विनियोजन किया जाता है और शेष आधे भाग को या तो उपभोक्ताओं में अनुपातिक छूट के रूप में बांट दिया जाता है। या फिर भविष्य में उपभोक्ताओं में वितरणार्थ लाइसेंसधारी के लेखे में इस प्रकार ले जाया जाता है जिस तरह राज्य सरकार के निर्देश हैं।

1,28,14343 रुपयों को पूर्वोक्त विशेष विनियोजन का मार्च, 1960 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के निर्देश पर निम्नलिखित रूप से पुनर्विनियोजन किया गया :—

(क)	टैरिफएण्ड डिविडेंड कन्ट्रोल रिजर्व में रुपये डालना	46,58,714
(ख)	उपभोक्ता छूट रिजर्व को रुपये में डालना	46,58,713
(ग)	वर्ष के दौरान स्पष्ट लाभ की कमी को पूरा करने के लिए निगम द्वारा निकाली गई राशि	रुपये 8,98,040
(घ)	भावी कमियों को पूरा करने के लिए कम्पनी का शेयर	रुपये 25,99,376
	कुल	रुपये 1,28,14,843

गृह-निर्माण समितियों का पंजीयन

1632. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों के पंजीयन की अनुमति दी जाये ताकि उन्हें मकान बनाने के लिये भूमि दी जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सामुहिक गृह निर्माण आधार पर नई सहकारी गृह निर्माण समितियों के पंजीयन का एक प्रस्ताव भारत सरकार को दिल्ली प्रशासन से मिल गया है ।

(ख) और (ग): भारत सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

विदेशी ऋण

1633. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों में वर्षवार कितना विदेशी ऋण लौटाया जाना है;

(ख) इसमें से ऋण पर ब्याज कितना है;

(ग) क्या यह सच है कि जब तक और ऋण मंजूर नहीं किये जाते तब तक भारत ऋण लौटाने की स्थिति में नहीं है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह ऋण किन साधनों से और कितना लौटाया जा रहा है और विदेशी ऋण कब तक चुकाया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 190/68]

(ग) जी, नहीं । और विदेशी सहायता भारत के आर्थिक विकास के लिये ली जाती है ।

(घ) हम अपने ऋण निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा से चुकाते हैं । ऋण-परिशोध विभिन्न करारों में दिये गये क्रम के अनुसार किया जाता है । इसलिये, प्रत्येक ऋण, करार में नियत अवधि के अन्त तक चुका दिया जायगा । प्रत्येक ऋण चुकाने की अवधि अलग होती है पर ऋण चुकाने की अधिकतम अवधि 50 वर्ष है ।

जापान को नेफ्था का निर्यात

1634. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल समवाय जापान को नेफ्था का निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने नेफ्था का निर्यात किया गया है, कितने नेफ्था का निर्यात करने का प्रस्ताव है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है; और

(ग) देश में उर्वरक के उत्पादन के लिये इतने बड़े कार्यक्रम की दृष्टि से इसका निर्यात करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) जापान को अब तक लगभग 2,40,000 मीटरी टन नेफ्था, जिससे लगभग तीन करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा की आय हुई है, का निर्यात किया गया है। 1969–70 के दौरान निगम द्वारा 5,00,000 मीटरी टन से अधिक नेफ्था, लगभग 7 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय से, निर्यात किये जाने की आशा है।

(ग) निर्यात अल्पकालिक आधारों पर और केवल उस मात्रा तक, जिसकी देश में उर्वरक उत्पादन के लिये इस समय जरुरत नहीं है, किया जा रहा है।

राज्यों में विद्युत के उत्पादन में वृद्धि

1635. श्री एस० आर० दामानी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1951 के पश्चात प्रत्येक राज्य में विद्युत के उत्पादन की स्थापित क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में विकास की धीमी गति उनकी तुलनात्मक पिछड़ी हुई आर्थिक स्थिति के लिये उत्तरदायी हैं; और

(ग) राज्यों में विद्युत के उत्पादन अथवा उनको इसकी उपलब्धता के मामले में विषमता दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपेक्षित जानकारी परिशिष्ट में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 191/69]

(ख) बिजली के विकास की गति पिछड़ी हुई आर्थिक स्थिति को आवश्यक रूप से नहीं बताती किन्तु बिजली की प्रति-व्यक्ति खपत का उद्योग और कृषि के विकास से गहन सम्बन्ध है।

(ग) विषमताओं को दूर करने के लिए;

(1) बिजली की प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए इसको अधिक मात्रा में पैदा करना होगा। जहां तक सम्भव हो, पड़ोसी राज्य में उपलब्ध फालतू बिजली का उपयोग कमी को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।

(2) कृषि सम्बन्धी खपत में तेजी लाकर और उचित उद्योगों का पता लगा कर आर्थिक स्थिति में सुधार करना।

राज्यों में ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम में मदद

1636. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कितनी ऐच्छिक संस्थायें परिवार नियोजन अभियान में सहायता कर रही हैं;

(ख) ऐसी संस्थाओं को क्या सुविधायें तथा प्रोत्साहन दिया गया है;

(ग) क्या कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राज्य सरकारें उनके प्रयत्नों को उत्साहित नहीं कर रही हैं और यदि हां, तो ये किस प्रकार की हैं; और

(घ) ऐसी एजेंसियों को पूरा समर्थन देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) विभिन्न राज्यों में लगभग 400 स्वयं सेवी संगठन परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति में सहायता प्रदान कर रहे हैं ।

(ख) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पैटर्न के आधार पर इन संगठनों को परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र । नसबन्दी एकक की स्थापना के लिए आवर्ती और अनावर्ती दोनों प्रकार के 100 प्रतिशत सहाय्यानुदान प्रदान किए जाते हैं । प्रचलित गर्भ निरोधक और प्रचार सामग्री मुफ्त प्रदान किए जाते हैं । इन संगठनों द्वारा चलाए जा रहे परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) राज्य सरकारें ऐसे सभी संगठनों को प्रोत्साहन दे रही हैं जो परिवार नियोजन में दिलचस्पी रखते हैं और परिवार नियोजन सम्बन्धी लाभदायक कार्य कर रहे हैं । यह प्रोत्साहन सहाय्यानुदान, मुफ्त प्रशिक्षण और गर्भ निरोधकों की मुफ्त सप्लाई के जरिये प्रदान किया जाता है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा देश भर में विद्युत के उत्पादन कार्य को नियंत्रणाधीन लेना

1637. **श्री को० सूर्यनारायण :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष ने जनवरी, 1969 में यह सुझाव दिया था कि केन्द्रीय सरकार को एक विशेष रूप से गठित प्राधिकार द्वारा देश भर में विद्युत के उत्पादन कार्य को अपने नियंत्रणाधीन ले लेना चाहिये और सभी राज्यों को विद्युत की सप्लाई एक समान दर पर करनी चाहिये तथा विद्युत बोर्ड केवल विद्युत के पारेषण तथा वितरण करने के लिये होना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने कुछ राज्यों में विद्युत उत्पादन योजनाओं को पहले ही अपने नियन्त्रण में लेना आरम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं और इनको अपने नियन्त्रणाधीन लेने की शर्तें क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख): आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष ने जनवरी, 1967 में 'आन्ध्र प्रदेश का आर्थिक विकास' पर हुई एक विचार गोष्ठी में इस विषय पर कुछ व्यक्तिगत विचार प्रकट किये हैं। परन्तु आन्ध्र प्रदेश सरकार को औपचारिक रूप से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) केन्द्रीय सरकार तामिल नाडु में नेवेली तापीय बिजली घर, तारापुर (महाराष्ट्र), राणाप्रताप सागर (राजस्थान) और कलपक्कम (तामिल नाडु) के तीन परमाणु बिजली घरों के अतिरिक्त दिल्ली के निकट बदरपुर में एक तापीय बिजली घर स्थापित कर रही है।

(घ) इस समय तामिलनाडु को नेवेली तापीय बिजली घर से बिजली 5.9 पैसे प्रति किलोवाट की दर से दी जा रही है। तारापुर परमाणु बिजलीघर में तैयार की गई बिजली की सप्लाई महाराष्ट्र और गुजरात को समान रूप से दी जाएगी जिसके लिए दर के निर्धारण को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। राणाप्रताप सागर और कलपक्कम परमाणु बिजलीघरों और बदरपुर तापीय बिजलीघर से बिजली की सप्लाई और उसकी दर के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

Rajasthan Canal

1639. Shri Bhola Nath Master : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the additional length of the Rajasthan Canal whieh would be constructed outside Rajasthan in order to bring the benefits of Harika Barrage to Rajasthan;

(b) whether the Rajasthan Government have requested the Central Government to bear the expenditure on the construction of 20-mile stretch of the Rajasthan Canal; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The canal to bring water from Harike to Rajasthan, called Rajasthan Feeder, was completed in 1964-65. It is 134 miles long out of which 111 miles lie in Punjab & Haryana States and 23 miles in Rajasthan.

(b) No specific request for the Central Government to bear the expenditure on construction of a 20 mile stretch of Rajasthan Canal, has been received from the Rajasthan Government. However, cent-percent ear-marked central assistance within the State Plan Ceiling is being given to the Rajasthan Government for Rajasthan Canal Project.

(c) Does not arise.

कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया का कार्यकारी दल

1640 श्री भोला नाथ मास्टर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूती कपड़ा उद्योग की संकट की स्थिति का समाधान करने के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर

दिया है परन्तु उपर्युक्त दल द्वारा की गयी सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : रिजर्व बैंक ने सूती वस्त्र उद्योग की ऋण प्राप्त करने की समस्या पर विचार करने के लिये एक कार्यकारी दल की स्थापना की थी। दल ने 3 मई को अन्तरिम रिपोर्ट और 24 जुलाई, 1968 को अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश कर दी। दल की सिफारिशें मुख्यत: उन मिलों के संबंध में हैं जो सामान्य मार्जिन नहीं दे सकतीं, परन्तु उनकी वित्तीय स्थिति अन्यथा ठोस होती है। रुई कपड़े, सूत और सामान तथा स्थिर परिसम्पत्तियों की जमानत पर अग्रिम देने के लिये मार्जिन कम करने की सिफारिशें वाणिज्यिक बैंकों को सूचित कर दी गयी हैं। उनको सलाह दी गयी है कि वे ऋणों के आवेदनों को केवल इसलिये नामंजूर न करें कि मिलें सामान्य मार्जिन नहीं दे सकतीं। जो आवेदन नामंजूर किये जाते हैं उनका ब्यौरा रिजर्व बैंक को भेजा जाता है ताकि आवश्यक हो तो निर्णय पर पुनर्विचार किया जा सके। इसके अलावा, उन मामलों में, जहां सूती वस्त्र मिलों ने स्थिर परिसम्पत्ति प्राप्त करने के लिये अपने नकद अग्रिम का कुछ भाग खर्च कर दिया हो, औद्योगिक विकास बैंक ने ऐसे अग्रिम के कुछ भाग के लिए पुनर्वित सुविधाएं देने का निर्णय किया है। दल की अन्य बड़ी सिफारिशें इन बातों के संबंध में हैं संयंत्र और मशीनों के आधुनिकीकरण के लिये लम्बी अवधि के लिये ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त ऋण दिया जाना ; आधुनिकीकरण। विस्तार के लिये उपयुक्त मामलों में, वापसी की आसान शर्तों पर ऋण दिया जाना, सूती वस्त्र मिलों के पास जनता की जो अतिरिक्त जमा रकम हो उसकी वापसी के संबंध रिजर्व बैंक के निदेश का पालन करने का समय बढ़ाया जाना, और सीमान्तिक मामलों में सरकार द्वारा गारण्टी दिया जाना। ये सिफारिशें सब की सब लागू नहीं की जा सकतीं। हर सिफारिश पर उसके गुण-दोषों के आधार पर विचार करना पड़ेगा।

Earth Tremors near Koyna Dam.

1641. Shri Bhola Nath Master : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether earth tremors have again been experienced recently near Koyna Dam in Maharashtra ;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) the measures being adopted by Government to protect the life and property of the people in that area from these tremors ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) : The Koyna region has been experiencing a number of after shocks after the major earthquake of 11 December, 1967. Some of these shocks were severe and others were of medium or minor intensity. However, these has been no damage to the Koyna area as a result of these after shocks.

(c) : On the recommendations of the Committee of Experts appointed by the Government of India in collaboration of the UNESCO, the following measures have been taken to repair the Koyna Dam.

(1) Filling the cracks in the Dam by epoxy resins and polyesters.

(2) Drilling drainage holes to relieve hydrostatic presures in the body of the dam.

(3) Sealing the cracks on the upstream face by a layer of guniting reinforced with B. RC fabric mesh.

(4) Strengthening seven high mololiths by means of prestressed cables.

As a permanent measure, a scheme for strengthening the Dam by concrete backing has been finalised, for implementation.

As a measure of abundant precaution, the Government of Maharashtra have prepared an emergency scheme for giving flood warning through radio sets.

Financial Assistance to Rajasthan for Power Projects

1642. Shri Bhola Nath Master : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Central Power Department propose to give financial assistance to Rajasthan to such an extent that their demand of the power for the Fourth Five Year Plan could be met during the Fourth Plan itself ; and

(b) the time by which the power projects of Rajasthan already in hand would be completed in case those projects are not completed in the Fourth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) : At present, Central loan assistance is being given to Rajasthan for meeting their share of expenditure on Chambal Hydle Projects (i. e. Ranapratapsagar and Kota) and Satpura Thermal Project which are being shared jointly by Rajasthan and Madhya Pradesh. Similar assistance is also given to Bhakra and Beas Hydel Projects which are shared between Rajasthan, Punjab and Haryana. Besides, the nuclear power station now under construction at Ranapratapsagar is being wholly financed by the Centre. The generating capacities which will become available to Rajasthan from these projects are expected to meet fully the anticipated demands in Rajasthan during the Fourth Plan.

(b) Except for the Beas project, all the projects now under execution are expected to be fully completed during the Fourth Plan period. As far as the Beas Project is concerned, two generating units of 165 MW each at Dehar power station are expected to be commissioned by 1973-74 and the remaining two 165 MW units by 1974-75. In Pong power station, the two 60 MW units are expected to be commissioned by 1974-75 and the remaining two 60 MW units by 1975-76.

Supply of Electricity from Atomic Energy station, Kotah

1643. Shri Bhola Nath Master : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the State Electricity Board has received an amount of Rs. 1.5 crores from the Central Government for supplying electricity upto Dabri in Udaipur so as to utilise the electricity made available by the Rawat Bhata Atomic Energy Station at Kotah in Rajasthan and the work of installing pillars and wires has been started ; and

(b) whether the industrial establishments there would get the required electricity as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) (a) and (b) : No earmarked Central assistance is being given to Rajasthan for the execution of transmission lines within State, including those which are proposed or are under construction for distribution of power to be generated from the nuclear power station. However, Rajasthan State Electricity Board are undertaking the construction of transmission and distribution lines required from the supply of power to various industrial and other consumers in the State.

ग्रामीण आवास एककों का निर्माण

1644. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री न० कु० सांघी :
श्री जागेश्वर यादव :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन लक्ष्यों को पूरा कर लिया है जो उन्होंने तीसरी योजनावधि में ग्रामीण आवास एककों के लिए निर्धारित किये थे ;

(ख) यदि नहीं तो किन क्षेत्रों में अभी पर्याप्त कमी है ;

(ग) क्या चौथी योजनावधि में ग्रामीण आवास एककों की आवश्यकता का अनुमान लगा लिया गया है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार की सहायता से कौन-कौन सी योजनायें आरम्भ की गई हैं अथवा की जायेंगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मणीपुर, अन्दमन तथा निकोबार द्वीपसमूह, लक्कदीव नेफा तथा पांडचेरी में कमी महत्वपूर्ण थी।

(ग) आवास पर वर्किंग ग्रुप ने चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–74) के लिए यह अनुमानित किया है कि योजना के आरम्भ में ग्रामीण आवास में लगभग 718 लाख यूनिटों की कमी होगी जिसमें कच्चे तथा टूटे–फूटे मकान शामिल हैं, जिन्हें पुनः बनाना होगा अथवा उनका नवीनीकरण करना होगा।

(घ) चौथी योजना में तृतीय योजना के समान, ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम केन्द्रीय–सहायता प्राप्त योजना बनी रहेगी। योजना मुख्य रूप से केन्द्र द्वारा दी गई निधियों की सहायता से संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित होती है। चौथी योजना की अवधि में योजना के लिए व्यवस्था केवल उस राशि पर भी निर्भर नहीं करेगी (अन्य विकास-कार्यक्रमों के प्रतियोगितात्मक दावों के संदर्भ में) जो कि केन्द्रीय सरकार दे सकती है बल्कि उस राशि पर भी निर्भर करेगी जो कि राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं के आधार पर अपनी कुल मिला कर योजना-सीमाओं के भीतर दे सकती हैं।

राज्यों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए केन्द्रीय सहायता

1641 **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री सूरजभान :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री नारायण स्वरुप शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार यह पता लगा है कि देश की 4½ मिलियन जनता को पीने के पानी की बेसिक सुविधा अभी भी नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पीने के पानी की सप्लाई के लिए अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता बढ़ाने की वांछनीयता पर तथा चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में पूर्ति के लिए निर्धारित उन लक्ष्यों पर, जो विशेषत: आदिमजाति क्षेत्रों के लिए निर्धारित थे क्योंकि वहां पर केन्द्र द्वारा पीने के पानी के सम्भरण की योजनाओं के लिए शत प्रतिशत अनुदान देना था, विचार किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ती) : (क) अभी हाल में किये गये किसी सर्वेक्षण के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। किन्तु राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1961 की जनगणना पर आधारित भारत के नगरों की कुल आबादी में से केवल 33.9 प्रतिशत को पीने का पर्याप्त पानी मिलता था, 26.2 प्रतिशत व्यक्तियों को अपर्याप्त और 39.9 के लिए जलपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी प्रकार 1961 की जनगणना के आधार पर सुलभ क्षेत्रों में बसी लगभग 70 प्रतिशत और कमी वाले क्षेत्रों की लगभग दस प्रतिशत आबादी की जल की न्यूनतम आवश्यकता के लिए पानी की व्यवस्था की जा चुकी है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों को अपनी विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए ऋण और अनुदान एक मुश्त दिये जायेंगे। अतः आदिवासी क्षेत्रों की भी जलपूर्ति योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। जहां तक लक्ष्य निर्धारित करने का सवाल है, उनका निर्धारण राज्य सरकारें तब करेंगी जब वे चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए धन का नियतन करेंगी और यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

राज्यों में वाणिज्यिक सिंचाई कार्य

1646. **श्री से० ब० पाटिल :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को वाणिज्यिक सिंचाई कार्यों के सम्बन्ध में बहुत हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को बड़े तथा छोटे सिंचाई कार्यों के लिए कितनी हानि हो रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यदि परियोजनाओं से राज्यों को सीधे लाभ का हिसाब लगाया जाता है तो कुछ नुकसान हुआ है किन्तु इन परियोजनाओं से लोगों को अतिरिक्त खाद्यान्न और अन्य कृषि सम्बन्धी फसलों के रुप में काफी फायदा होता है। यदि इस पहलू से देखा जाय तो अधिकतर परियोजनाओं के सम्बन्ध लाभ लागत का अनुपात अनुकूल ही बैठता है।

(ख) वाणिजयीय सिंचाई कार्यों और बहु उद्देशयीय नदी घाटी परियोजनाओं के सिंचाई के भागों से 1968-69 के दौरान प्रत्याशित हानियों (सीधे लाभ) का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 192/69] अभी बहुत सी परियोजनाएं निर्माण अवस्था में ही है और जब वे पूर्ण हो जायेंगी और उनसे लाभ होना आरम्भ हो जाएगा तो हानियां धीरे-धीरे कम होती जायेंगी।

पीने के पानी की समस्या

1647. **श्री रवि राय :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने वर्धा में हुए सम्मेलन में इन विचारों का प्रतिपादन किया था कि पीने के पानी की समस्या को सुलझाने के लिए एक एकीकृत अभिकरण बनाया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

पानी की दर बढ़ाने का प्रस्ताव

1648. श्री रवि राय :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार पानी की दर बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में अपनी राय देने के लिये कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य से प्राप्त राय क्या-क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी 193/69]

उत्तर बंगाल में पुनर्वास उपायों के लिये सहायता

1650 श्रीमती ज्योत्सना चदा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष उत्तर बंगाल में बाढ़ के बाद सहायता तथा पुनर्वास उपायों के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को कितना धन दिया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार बाढ़ पीड़ित परिवारों को मकान बनाने के लिये राज-सहायता देने के हेतु राज्य सरकार की योजना के लिये सहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो प्रति परिवार कितनी राशि दी जायेगी ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : राज्य के विभिन्न भागों में आई बाढ़ के कारण शुरू किये गये सहायता और पुनर्वास के कार्यों के लिये 1968-69 में राज्य सरकार को अब तक 17·50 करोड़ रुपया दिया गया है । सहायता सम्बन्धी व्यय के लिये केन्द्रीय सहायता की मंजूरी क्षेत्रों या मदों के अनुसार नहीं दी जाती । बाढ़ पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार मकान बनाने के लिये अनुदान दे रही है । इस सम्बन्ध में किया गया खर्च उन सहायता कार्यों पर, जिनके लिये केन्द्रीय सहायता दी जा सकती है, किये गये कुल खर्च में शामिल किये जाने योग्य होगा ।

रवीन्द्र रंगशाला में स्टेज पर प्रकाश तथा ध्वनि उपकरण

1651. **श्री भगवान दास :**
श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रवीन्द्र रंगशाला, नई दिल्ली के स्टेज पर लगाने के लिए प्रकाश तथा ध्वनि उपकरण के आयात के लिए कोई विदेशी मुद्रा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है ;

(ग) क्या इनमें से कोई उपकरण भारत में बनाया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस समय विदेशी मुद्रा की स्थिति बहुत खराब होने के कारण विदेशों से इनका आयात करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) 1.36 लाख रूपये।

(ग) उनके आयात की अनुमति तकनीकी विकास महानिदेशालय ने दी थी ; उठाए गए प्रश्न की इस संगठन से जांच की जा रही है और सूचना यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में संक्षिप्त एम० बी० बी० एस० पाठयक्रम लागू करना

1652 **श्री अ० दीपा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास, बम्बई, पंजाब में संक्षिप्त एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम हाल में ही लागू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संक्षिप्त पाठ्यक्रम लागू करने के बारे में अन्य राज्यों से भी अनुरोध मिले हैं, तथा केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में यदि कोई कार्यवाही की है तो क्या; और

(ग) क्या उड़ीसा में डी० एम० एस० एम० (डिप्लोमा इन माडर्न सर्वे एण्ड मेडिसिन) के लिए भी ऐसा ही संक्षिप्त पाठ्यक्रम लागू होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ती) : (क) संक्षिप्त एम० बी० बी० एस० पाठयक्रम महाराष्ट्र और पंजाब के निम्नलिखित मेडिकल कालेजों में चलाया जा रहा है :—

1. महाराष्ट्र

(1) जी० एस० मेडिकल कालेज, बम्बई

(2) टी० एन० मेडिकल कालेज, बम्बई

2. पंजाब

(1) मेडिकल कालेज, अमृतसर

(2) सरकारी चिकित्सा कालेज, पटियाला

उपलब्ध सूचना के अनुसार तामिलनाडू मेडिकल कालेज में संक्षिप्त एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम की सुविधाएं नहीं है ।

महाराष्ट्र और पंजाब के मेडिकल कालेजों में संक्षिप्त एम० बी० बी०एस० पाठयक्रम किस वर्ष से शुरू किया गया इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के डिप्लोमा धारियों को संक्षिप्त एम० बी० बी० एस० के पाठयक्रम की सुविधाएं देने के लिए केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह विषय विचाराधीन है।

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद इस विषय पर विचार कर रही है।

Import of Goods Manufactured in Nepal

1653. Shri Nathuram Ahirwar : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government permit the import of goods manufactured in Nepal without realising any import duty thereon;

(b) if so, whether it is also a fact that large quantity of goods actually manufactured in China but marked as "Made in Nepal" is being imported into India;

(c) if so, the value of such goods seized by the customs authorities during 196 - 69; and

(d) whether any Indian businessman was also arrested in this connection and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) In pursuance of the Treaty of Trade and Transit entered into between India and Nepal in 1960, goods of Nepalese origin imported into India have been exempted from the whole of customs duty leviable thereon, but they are liable to payment of additional duty equal to the excise duty, if any, leviable on similar goods in India.

(b) No case of import of such goods from Nepal has been noticed.

(c) and (d) : Does not arise.

Matatila Dam in Madhya Pradesh

1654. Shri Natha Ram Ahirwar :
Shri Yashwant Singh Kushwah :

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is so a fact that the land of Tikamgarh district was acquired for Matatila Dam in Madhya Pradesh;

(b) whether it is also a fact that it was decided in the Zonal Committee, Regional Council that electricity would be supplied to all the villages of Tikamgarh district continuous to the border of Uttar Pradesh;

(c) whether it was also decided by the Regional Council that one third of the electricity produced at Matatila would be supplied to Madhya Pradesh; and

(d) if so, the action taken by the Central Government to ask the Government of Uttar Pradesh to accept the demand of the Government of Madhya Pradesh in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) No, Sir.

(b) The decision of the Central Zonal Council was for the supply of power to Madhya Pradesh and not to any particular area in Madhya Pradesh.

(c) Yes, Sir.

(d) In accordance with the decision of the Central Zonal Council, the demand for Matatila power by Madhya Pradesh is being met by Uttar Pradesh.

सोने तथा चांदी का तस्कर व्यापार रोकने के लिये अध्यादेश

1655. **श्री कृ०मा० कौशिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोने तथा चांदी के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये एक अध्यादेश जारी किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त अध्यादेश केवल पश्चिमी तट के 50 किलोमीटर तक के आन्तरिक प्रदेश में ही लागू होता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इसका अर्थ यह है कि पूर्वी तट पर तस्कर व्यापार नहीं होता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सम्पूर्ण तटवर्ती क्षेत्र पर तस्कर व्यापार रोकने के लिये इसी प्रकार का अध्यादेश जारी करने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : सीमाशुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1969 इसलिए जारी किया गया हैं कि भारत से चांदी के तस्कर-निर्यात और अध्यादेश में अधिसूचित विदेशी वस्तुओं का भारत में तस्कर आयात रोका जा सके । इस अध्यादेश में सोने को इसीलिए अधिसूचित नहीं किया गया है कि सोने के सम्बन्ध में स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के रूप में अलग कानून मौजूद है ।

(ख) : जी, नहीं । जहां तक आयात की गयी वस्तुओं सम्बन्धी उपबन्धों का संबंध है, अध्यादेश सारे भारत में लागू होता है । निर्यात के सम्बन्ध में, अध्यादेश के उपबन्धों को न केवल पश्चिमी समुद्र तट के साथ-साथ 50 किलोमीटर देश के भीतर की ओर लागू किया गया

है परन्तु तमिलनाडु राज्य और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के अन्दर आने वाले पूर्वी समुद्री तट क्षेत्र में भी लागू किया गया है ।

(ग) और (घ) : ये सवाल नहीं उठते ।

नये पद बनाना

1656. **श्री लोबो प्रभु :** क्या वित्त मंत्री 9 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2866 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतनमानों में संशोधन पर लगाया गया प्रतिबन्ध नये पद बनाने पर भी लागू होता है ; और

(ख) यदि हां,तो वर्ष 1964 से अब तक केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मंत्रालय-वार 3,000 रुपये से अधिक वेतन वाले कितने पद बनाये गये?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : जी, नहीं ।

(ख) : सन 1964 से अब तक केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, 3,000 रूपये से अधिक वेतन वाले बनाए गए नये पदों के सम्बन्ध में सूचना, प्रत्येक मन्त्रालय के बारे में इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

राज्यों द्वारा निर्धारित धन राशि से अधिक धन-राशि का निकाला जाना

1657. **श्री लोबो प्रभु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त आयोग राज्यों के खर्च के उन कारणों का अध्ययन कर रहा है जिनसे उन्हें निर्धारित धन-राशि से अधिक धन-राशि निकलवानी पड़ती है ;

(ख) क्या नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक का कार्यालय उस खर्च पर कोई नियंत्रण रखता है जिसकी राज्यों के बजट तथा उनकी पंचवर्षीय योजनाओं में व्यवस्था नहीं होती और जो उनके द्वारा निर्धारित धन-राशि से अधिक धन-राशि निकलवाने के कारणों में से एक हैं ; और

(ग) यदि हां, तो यह नियंत्रण किस प्रकार का है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस सम्बन्ध में, 15 नवम्बर, 1968 को लोक-सभा की मेज पर रखी गयी, पांचवे वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट के 24 से 56 तक के पैराग्राफ देख लिये जायें ।

(ख) और (ग) : जी, हां । भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक विनियोग सम्बन्धी लेखा-परीक्षा द्वारा इस विषय में अपनी तसल्ली कर लेते हैं कि किसी राज्य सरकार द्वारा किया गया खर्च उस सरकार के विनियोग अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित अनुदान या विनियोग की सीमा के अन्दर आता है और वह उसमें उल्लिखित रकम से ज्यादा नहीं है । ऐसा

खर्च जो, अनुदान या विनियोग की रकम से ज्यादा हो, तथा ऐसा खर्च, जो विनियोग अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित किसी अनुदान या विनियोग के क्षेत्र या उद्देश्य के अन्दर न आता हो तब तक अनधिकृत माना जाता है जब तक वह विनियोग अधिनियम द्वारा, जिसमें अनुपूरक अनुदान या विनियोग हो, नियमित करार न दिया जाय ।

मनीपुर अस्पताल का चिकित्सा निदेशालय

1658. श्री मेघचन्द्र : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने 1967-68 और 1968-69 में अपने चिकित्सा निदेशालय के लिये आवश्यक दवाइयां और अस्पताल के उपकरण गैर-सरकारी फर्मों या निर्माताओं या स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय से खरीदी थीं;

(ख) यदि गैर-सरकारी फर्मों से खरीदी गई थी तो उन फर्मों की सूची क्या है; और

(ग) क्या उन फर्मों का नाम मनीपुर सरकार के चिकित्सा निदेशालय को सामान सप्लाई करने वाले निर्माताओं की स्वीकृत सूची में है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ती) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

एक अमरीकी फर्म के सहयोग से बम्बई में गर्भ निरोधकों का उत्पादन

1659. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अमरीकी कम्पनी (सपते) का बम्बई में एक इसी प्रकार की भारतीय कम्पनी के साथ मिलकर गर्भ निरोधक बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर और इससे मासिक। वार्षिक कितना उत्पादन होने का अनुमान है ; और

(ग) यदि नहीं, तो गर्भ निरोधक और लूप बनाने के लिए सरकार क्या नये उपाय कर रही है और वे देश की वार्षिक मांग कहां तक पूरी कर सकेंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीचन्द्रशेखर): (क) और (ख): बम्बई में स्थापित स्वर्त नहीं बल्कि सिरले नाम की एक अमरीकी कम्पनी हैं जिसने खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां तैयार करने का प्रस्ताव किया है। फर्म की मासिक या वार्षिक अनुमानित कुल उत्पादन सम्बन्धी सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। क्योंकि भारतीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में गर्भ निरोधक गोलियां शामिल नहीं है ; इसलिए भारत सरकार ने फर्म के साथ उनका माल खरीदने के लिए कोई समझौता नहीं किया है।

(ग) अन्य गर्भ निरोधक इस प्रकार हैं :-

(1) निरोध

(2) डायफ्राम

(3) जैली ट्यूब

(4) लूप

(5) झागदार गोलियां ।

निरोध के अलावा अपना देश सभी गर्भ निरोधक तैयार करने में आत्मनिर्भर है । फिलहाल निरोध की मांग आंशिक रूप में स्वदेशी उत्पादन और आंशिक रुप में आयात के द्वारा पूरी की जा रही है । निरोध का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

गंडक तथा पश्चिम कोसी नहर परियोजना

1660. श्री शिव चन्द्र झा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंडक परियोजना तथा पश्चिम कोसी नहर परियोजना के निर्माण के लियें योजनाए अन्तिम रूप से बना ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : गंडक परियोजना पर पहले ही कार्य चल रहा है । 141.71 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के प्रति इस परियोजना पर दिसम्बर, 1968 के अन्त तक 63.61 करोड़ रुपये व्यय हुए है । बराज के जून, 1969 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है । बिहार में तिरहुत नहर, डान शाखा नहर और सरन नहर तथा उत्तर प्रदेश में पश्चिमी गंडक नहर पर कार्य चल रहा है । परियोजना के नेपाल बिजलीघर पर भी कार्य चल रहा है ।

नेपाल प्रदेश में पश्चिमी कोसी नहर के पहले 22 मीलों के रेखांकन के सम्बन्ध में नेपाल सरकार का अनुमोदन अभी प्रतिक्षित है । उन के अनुमोदन के पश्चात् ही विस्तृत अनुसंधान आरम्भ किए जा सकते हैं । पश्चिमी कोसी क्षेत्र से सम्बद्ध नेपाल को लाभ पहुँचाने वाले कुछ कार्यो की कार्यान्विति के बारे में नेपाल सरकार ने कुछ प्रक्रियात्मक प्रश्न उठाए हैं जिन पर विचार-विमर्श हो रहा है ।

विश्व बैंक मिशन का भारत दौरा

1661. श्री श० ना० भार्गव : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक मिशन ने श्री कालगिल के अध्यक्षता में हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया था और उनके मत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी,

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक मिशन का नई दिल्ली का दौरा करने का प्रयोजन क्या था,

(ग) मिशन और सम्बन्धित अधिकारियों के बीच किन विषयों पर चर्चा हुई, और

(घ) इसका क्या परिणाम निकला ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) : श्री कारगिल अभी हाल में भारत में विश्व बैंक के किसी मिशन के अध्यक्ष के रूप में नहीं आये थे। फिर भी, उन्होंने, विश्व बैंक और उसकी सहयोगी संस्थाओं से भारत को मिलने वाले वर्तमान ऋणों के बारे में और जिन क्षेत्रों के विकास के लिए इन संस्थाओं से मिलने वाली और अधिक सहायता भारत के लिये उपयोगी सिद्ध हो, उनके बारे में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के साथ, सामान्य-रूप से, बातचीत करने के लिए हाल में भारत की यात्रा की थी। यह तय हुआ था कि इस सम्बन्ध में, अधिकारी स्तर पर आगे बात-चीत की जाय ताकि चौथी आयोजना के संदर्भ में यह निश्चित किया जा सके कि किन प्रायोजनाओं के लिए सहायता की जरूरत है और कौनसी प्रायोजनाएं सहायता पाने की पात्र हैं।

चौथी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में विद्युत जनन कार्यक्रम

1662. **श्री बदरुधुजा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में विद्युत जनन कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस प्रयोजना के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं को अन्तिम रूप मिल जाने पर ही, पश्चिम बंगाल में बिजली उत्पादन कार्यक्रम तथा इसके परिव्यय का पता लग सकेगा।

विश्व बैंक मिशन द्वारा राज्यों का दौरा

1663. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के कुछ प्रतिनिधियों ने जनवरी, 1969 के महीने में कोल्लेरा झील और आंध्र प्रदेश के कुछ अन्य क्षेत्रों तथा कुछ अन्य राज्यों का भी दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन स्थानों का दौरा किया था और क्या उन्होंने भारत सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां तो उन्होंने क्या प्रस्ताव दिये हैं और उन पर भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : सिंचाई के सम्बन्ध में जांच करने के लिए विश्व बैंक का एक प्रतिनिधिमंडलों, जिसमें छः सदस्य थे, जनवरी-फरवरी 1969 में भारत में इस उद्देश्य से आया था, कि वह कुछ ऐसी प्रायोजनाओं की प्रारम्भिक जानकारी हासिल कर सके, जिनके लिये भारत विश्व बैंक और उसकी सहयोगी संस्थाओं से सहायता मांग सकता है । प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आंध्र-प्रदेश की कोल्लेरा झील क्षेत्र, पोचमपड और नागार्जुन-सागर प्रायोजनाओं, महाराष्ट्र की जायकवाड़ी प्रायोजना, तमिलनाडु की कावेरी डेल्टा प्रायोजना, मैसूर की अपर कृष्णा प्रायोजना, गुजरात की कदना प्रायोजना और मध्य प्रदेश की तवा प्रायोजना का दौरा किया था । प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं दी है और न सरकार के सामने कोई प्रस्ताव रखे हैं । विश्व बैंक के साथ और अधिक बातचीत तब की जायेगी जब भारत सरकार उन प्रायोजनाओं का अन्तिम रूप से निर्णय कर लेगी जिनके लिये बैंक और उसकी सहयोगी संस्थाओं से सहायता मांगनी होगी ।

नगरीय समुदाय विकास परियोजना, मनीपुर

1664. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 समेत गत पांच वर्षों में, यदि सम्भव हो तो वर्षवार, नगरीय समुदाय विकास परियोजना के लिये मनीपुर सरकार को कितनी धन राशि दी गई है;

(ख) क्या इस परियोजना का प्रबन्ध मनीपुर सरकार तथा उक्त नगरीय समुदाय विकास योजना के कर्मचारियों ने अपने हाथ में ले लिया है अथवा मनीपुर सरकार इस पर किये गये खर्च का भुगतान करती हैं;

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना का कार्य कैसे किया जा रहा है और परियोजना से सम्बन्धित कर्मचारियों को वेतन कौन देता है ;

(घ) क्या यह सच है कि उपर्युक्त परियोजना के कर्मचारियों को पिछले तीन महीनों में वेतन नहीं मिला है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ती) : (क) मणिपुर में नगर सामुदायिक विकास परियोजना को फरवरी, 1966 में शुरू किया गया था । संघ क्षेत्र सरकार ने धन की व्यवस्था इस प्रकार की थी :-

1966-67	–	67,000 रु०
1967-68	–	46,000 रु०
1968-69 (संशोधित)	–	70,600 रु०

(ख) जी नहीं।

(ग) इस परियोजना को इम्फाल नगरपालिका द्वारा चलाया जा रहा है। नगरपालिका प्रोजेक्ट के कर्मचारियों को भुगतान करती है और रकम की प्रति-पूर्ति संघ क्षेत्र सरकार करती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली स्थित विलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों में काम करने वाले तकनीशनों के वेतनमानों में भिन्नता

1665. **श्री सूरज भान :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित विलिंगडन अस्पताल के केन्द्रीय विसंक्रमण कक्ष में काम करने वाले तकनीशनों को 150–300 रुपये का वेतन मान दिया जाता है जब कि सफदरजंग अस्पताल के केन्द्रीय विसंक्रमण कक्ष में काम करने वाले तकनीशनों को 130–300 रुपये का वेतन मान दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ती) : (क) जी हां।

(ख) इस विषय पर जांच पड़ताल की जा रही है।

सार्वजनिक प्रयोग के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस गैस आयोग द्वारा गैस की सप्लाई

1666. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक आयोग ने सार्वजनिक प्रयोग के लिये गैस सप्लाई करने के बारे में अपने कार्यक्रम के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या गुजरात सरकार की सलाह से उद्योग द्वारा दिये जाने वाले मूल्य सम्बन्धी विवाद के बारे में निर्णय हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) यह फैसला किया गया है कि गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तेल क्षेत्रों में से उपलब्ध गैस, विद्युतजनन, उर्वरक-निर्माण तथा बड़ौदा में उद्योगों के उपयोग के लिए सप्लाई की जायेगी।

(ख) और (ग) डा० वी० के० आर० वी० राव द्वारा दिये गये पंचाट के अनुसार केम्बे और अकलेश्वर गैस का मूल्य निर्धारण किया जाता है। पंचाट के अन्तर्गत गैस का विक्रय मूल्य प्रति हजार घन मीटर की दर से 59.36 रुपये निर्धारित किया गया है। इस में कूप-मुख मूल्य 50 रुपये, रायल्टी 6 रुपये और विक्रम कर 3.36 रुपये शामिल है। उक्त मूल्य में परिवहन प्रभाग, जो मध्यस्थ द्वारा अलग निर्धारित किया गया है, शामिल नहीं है।

Extension of C. G. H. S. To Delhi Police Employees.

1667. Shri Ramavtar Sharma : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have drawn up a scheme to extend the Central Government Health Scheme to the Delhi Police Employees also ;

(b) whether the inclusion of such a large number of police personnel under the Scheme is likely to affect adversely the efficiency of the Central Government Health Scheme;

(c) if so, whether Government propose to expand the C. G. H. S. adequately and to appoint additional hands to cope up with this additional work; and

(d) the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No.

(b) to (d) : Do not arise.

यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया के यूनिटों का विक्रय तथा पुनर्क्रय मूल्य

1668. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों के विक्रय तथा पुनर्क्रय मूल्य किस आधार पर निश्चित किये जाते हैं ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में यूनिटों के विक्रय तथा पुनर्क्रय मूल्यों में महीने वार उतार चढ़ाव का ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों के विक्रय मूल्य तथा पुनःक्रय मूल्य निम्न तरीके से निर्धारित किये जाते हैं। सब से पहला कदम यह है कि यूनिट ट्रस्ट की समस्त परिसम्पत्ति के बाजार-मूल्य का हिसाब लगाकर उसमें से इसकी चालू देनदारियों की रकम (अर्थात् ट्रस्ट की प्रारंभिक पूंजी में रुपया लगाने वालों और यूनिट होल्डरों को देय रकमों को छोड़कर दूसरे सभी पक्षों को देय रकमें) घटाकर शेष राशि को, जारी किये गये माने जाने वाले यूनिटों की संख्या से विभाजित करके, प्रत्येक यूनिट का आधारभूत मूल्य या उनका "वास्तविक परिसम्पदीय मूल्य" निकाला जाता है। मूल्य निकालने की तारीख तक यूनिटों पर प्राप्त आय की राशि का अंश भी इस आधारभूत मूल्य में शामिल होता है। इसके बाद, दूसरा कदम यह है कि दलाली, कमीशन, स्टाम्प-शुल्क आदि जैसे सामान्यव्यय के सम्बन्ध में समायोजन किया जाता है। तीसरा कदम यह है कि रकमों को निकटतम पांच पैसे तक पूर्णांकित कर दिया जाता है। इस प्रकार यूनिट के वास्तविक परिसम्पत्ति-मूल्य में दलाली, कमीशन, स्टाम्प-शुल्क आदि का खर्च जोड़ कर और इस

राशि को ऊपर की ओर निकटतम पांच पैसे तक पूर्णांकित करके, यूनिट का बिक्री मूल्य तय किया जाता है। यूनिट के वास्तविक परिसम्पत्ति-मूल्य में से दलाली, कमीशन, स्टाम्प-शुल्क आदि के खर्च को घटाने के बाद शेष राशि को प्रति यूनिट पांच पैसे तक नीचे की ओर पूर्णांकित करके, यूनिट का पुनः खरीद मूल्य निकाला जाता है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 194/69]**

बाराक परियोजना

1669. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उन्होंने बोराक परियोजना के आरंभ करने के बारे में मनीपुर के मुख्य मंत्री से दिल्ली में विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने मनीपुर के मुख्य मंत्री को मनीपुर के जिरिबाम सब डिवीजन के निवासियों पर इस परियोजना के प्रभाव के बारे में जानकारी दी थी; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर सकारात्मक हो, तो क्या मनीपुर के मुख्य मंत्री जिरिबाम के निवासियों को आसाम क्षेत्र में बसाने के लिए सहमत हो गए हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। अगस्त, 1968 में।

(ख) जी हां।

(ग) कोई फैसला नहीं किया गया है क्योंकि अभी मनीपुर तथा असम सरकार को इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करना है।

मनीपुर लोक निर्माण विभाग में कार्यभारित पद

1670. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास** तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, लोक-निर्माण विभाग, मनीपुर में 422 स्थायी कार्य भारित पद बनाने के लिये निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने गृह-कार्य मंत्रालय तथा मनीपुर सरकार को इस सम्बन्ध में सूचना दी है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि मनीपुर लोक-निर्माण, विभाग में केवल अस्थाई कार्य भारित पद हैं और इसी लिए 10 वर्ष की सेवा के बाद भी कर्मचारियों को स्थायी नहीं बनाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने मनीपुर सरकार को परामर्श दिया है कि मनीपुर के लोक-निर्माण विभाग के कार्य भारित कर्मचारियों को अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी घोषित किया जाये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) लोक निर्माण विभाग, मनीपुर में 'कार्यप्रभारित स्थापना के विभिन्न वर्गों में 422 स्थाई पद पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं ।

(ख) जी, हां, पदों की स्वीकृति मनीपुर सरकार को सूचित कर दी गई थी और स्वीकृति की एक प्रति गृह मंत्रालय को पृष्ठांकित कर दी गई थी ।

(ग) तथा (घ) : मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि कार्य-प्रभारित स्टाफ के सेवा-रिकार्ड अपूर्ण हैं और स्टाफ के सेवा-रिकार्ड के सुधार के लिए, एक तदर्थ समिति गठित करने का उनका प्रस्ताव है । पूर्ण सेवा-रिकार्ड के अभाव में, स्टाफ को स्वीकृत पदों में स्थाई करने का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका । सैद्धान्तिक रूप से इस मंत्रालय ने तदर्थ समिति गठित करने के लिए अपनी स्वीकृति पहले ही दे दी है । मनीपुर सरकार के परामर्श से इसके गठन तथा विचारणीय विषय को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । कार्य-प्रभारित स्टाफ को स्वीकृत पदों में स्थाई बनाने की आगे की कार्यवाही, तदर्थ समिति द्वारा सेवा-रोल में सुधार किए जाने के बाद, मनीपुर सरकार द्वारा की जायगी ।

इस मंत्रालय ने मनीपुर सरकार को किसी कार्य-प्रभारित स्टाफ को अर्द्ध-स्थाई घोषित करने की सलाह नहीं दी है । तथापि, मनीपुर सरकार ने सूचना दी है कि मामला उनके विचाराधीन है ।

चौथी योजना में बड़ी और मध्यम नदी घाटी योजनायें

1671. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना अवधि में कौन कौन सी बड़ी और मध्यम नदी घाटी परियोजनाओं का आरम्भ करने का विचार है ; और

(ख) उन पर कितना खर्च होने का अनुमान है और उनके किस वर्ष तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत जनन तथा वितरण प्रणाली का अध्ययन करने के लिये समिति

1672. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत जनन तथा वितरण प्रणाली की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के कब तक नियुक्त किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) समिति किन-किन मुख्य विषयों के बारे में जांच करेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) देश में बिजली के उत्पादन तथा सप्लाई में मितव्ययिता लाने का पुनरवलोकन करने के लिए, एक विशेषज्ञ समिति स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

चौथी योजना में ग्रामीण आवास

1675. **श्री लोबो प्रभु** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में 3 करोड़ रुपये का प्रस्तावित उपबन्ध इसके अनुसार है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 71 मिलियन मकानों के लिए 21,500 करोड रुपये की आवश्यकता है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं कि सरकार छोटे पैमाने के उद्योगों के समान ही ग्रामीण आवास के लिए ऋण की व्यवस्था क्यों नहीं करती क्योंकि प्रत्येक मकान में बहुत से कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं ;

(ग) इसके क्या कारण हैं कि इस सम्बन्ध में गैर-सरकारी विनियोजन को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है ;

(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण आवास तथा गांवों में बढ़ती हुई बेरोजगारी के बीच सम्बन्धों पर विचार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या रवैया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) चौथी योजना में ग्रामीण आवास के लिए उपलब्ध होने वाली वास्तविक राशि अभी ज्ञात नहीं है । राज्यों और संघ क्षेत्र की आयोजना की कुल सीमा के अन्दर, विभिन्न आवास योजनाओं के लिए चौथी योजना में लगभग 62 करोड़ रुपये की कुल योजना-व्यवस्था (प्लान-प्रोवीजन) हो सकती है । इस नियतन को विभिन्न आवास योजनाओं (जिसमें ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम शामिल है) में बांटना राज्य सरकारों का काम है जो उनकी स्वेच्छा और आवश्यकताओं के अनुसार होता है । स्रोतों में सामान्य प्रतिबन्ध के कारण अभी अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है ।

(ख) ग्रामीण आवास कार्यक्रम के लिए लम्बी अवधि के उधार की आवश्यकता है और ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता का स्वरूप ग्रामीणों की सामान्य आर्थिक अवस्था तथा उनके धन वापस करने की क्षमता के अनुरूप बनाई गई है। छोटे पैमाने के उद्योगों, जोकि स्वरूप, विस्तार तथा उत्पादन क्षमता की दृष्टि में बिल्कुल भिन्न हैं, के लिए आवश्यक उधार की सुविधाओं से इस का सम्बन्ध नहीं हो सकता ।

(ग) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अधीन लाभ उठाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्माण किए जाने वाले मकान की लागत का 20 प्रतिशत अपने साधनों से जुटाना होता है। इस शर्त का वास्तविक उद्देश्य कुछ निजी बचत के उपाय तथा आवास में धन लगाने के लिए प्रेरित करना है। व्यापारिक आधार पर आवास के लिए गैर-सरकारी पूंजी बड़े पैमाने पर तभी लग सकती है, जब पूंजी लगाने के अन्य अधिक लाभकारी स्रोतों की छानबीन करके पर्याप्त अतिरिक्त निधियां छोड़ दी जाएं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जलपाईगुड़ी; पश्चिम बंगाल में बाढ़ पीड़ितों को मकान बनाने के लिए ऋण

1674. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में बाढ़ पीड़ितों को मकान बनाने के लिये 35 लाख रुपये का ऋण देने की सीमा निर्धारित की है ;

(ख) क्या प्रत्येक परिवार के लिये निर्धारित 3,000 हजार रुपये की सीमा अपर्याप्त नहीं है ; और

(ग) क्या उक्त सीमा में वृद्धि करने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने किसी विशेष जिले में या अलग-अलग परिवारों को मकान बनाने के लिये ऋण देने के बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। इन मामलों में राज्य सरकार ही पूर्णतः विचार कर सकती है।

(ग) : जी, नहीं।

C. G. H. S. Dispensaries in Rented Buildings.

1675. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the number of Central Government Health Scheme dispensaries in Delhi which are functioning in rented buildings and the amount of rent being paid by Government annually ; and

(b) the number of Central Government Health Scheme dispensaries functioning in their own buildings ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development Shri B. S. Murthy) : (a) 12 Central Government Health Scheme Dispensaries in Delhi/New Delhi are functioning in private buildings. An amount of Rs. 71,055. 81 is being paid as annual rent in respect of these buildings.

(b) 15 C. G. H. S. dispensaries are functioning in the buildings constructed/purchased specially for housing the dispensaries. 31 dispensaries are housed in the General Pool accommodation allotted by the Directorate of Estates, New Delhi.

कोलार स्वर्णखानों का कार्य संचालन

1676. श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलौह धातु सम्बन्धी समिति ने हाल ही में कोलार खानों के कार्य संचालन के बारे में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : अलौह धातुओं और खनिज धातुओं संबंधी कार्यकारी दल ने कोलार सोना खान प्रतिष्ठानों के काम के संबंध में विज्ञान और उद्योग-विद्या समिति को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट से कुछ बातें सामने आयी हैं जिन पर और आगे विचार-विमर्श। कार्रवाई करना आवश्यक है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें ये हैं :-

(1) 25 साइकिल-पावर के स्थान पर 50 साइकिल पावर का प्रयोग;

(2) भारतीय उद्योग-विद्या विशेषज्ञों की देख-रेख में अतिरिक्त भंडारों आदि का पता लगाने के लिये खोज का काम करना ;

(3) भूमि के नीचे चट्टानों को छेदने में दाब-वायु के लिये और ज्यादा दाब का प्रयोग करना और प्रति पौण्ड विस्फोटक पदार्थ से अधिक गहराई तक विस्फोट करना ;

(4) कोलार सोना खान प्रतिष्ठान में चट्टानों के फटने के बारे में की जाने वाली गवेषणा और चट्टानों के विस्फोटन से सम्बद्ध गवेषणा कार्य में भारतीय गवेषणा प्रयोगशालाओं और संस्थाओं आदि को सम्मिलित करने की सम्भाव्यता पर विचार करना ;

(5) खान-खुदाई का काम आधुनिक तरीके से करना ताकि ओरिएण्टल रीफ जैसी घटिया दर्जे की खान सम्बन्धी कठिनाई और चैम्पियन रीफ खान की अधिक मात्रा वाली ग्लेन धातु परत को खोलने में तापमान और चट्टानी दबाव सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर किया जा सके; और लदान के काम को यंत्रों द्वारा करना;

(6) प्रबन्ध बोर्ड में भारतीय तकनीशनों को सम्मिलित करना।

कार्यकारी दल ने मैसर्स जान टेलर ऐण्ड सन्स को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किये जाने की भी आलोचना की है।

विज्ञान और उद्योग-विद्या का कार्यकारी दल इन मामलों पर कोलार सोना खान उपक्रम और मंत्रालय के साथ मिलकर विचार कर रहा है ।

एस० जे० टी० बी० अस्पताल की विवाहित नर्सों के लिये निवास स्थान

1677. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस० जे० टी० बी० अस्पताल, दिल्ली की विवाहित नर्सों के लिये निवास स्थानों की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अस्पताल की सीमा में स्थित अविवाहित नर्सों के पुराने होस्टल और अन्य क्वार्टर खाली पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन्हें अस्पताल की विवाहित नर्सों को आवंटित किया जाता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रू० मूर्ती) : (क) और (ख) : आवास उपलब्ध न होने के कारण सभी विवाहित नर्सों को मकान देना सम्भव नहीं हो पाया है ।

(ग) जी नहीं।

(घ) पुराने नर्स होस्टल में एक ही कमरे वाले आवास की व्यवस्था है और विवाहित नर्सों को आवंटित करने के लिए उपयुक्त नहीं है ।

आयकर अधिनियम की धारा 141 -क के अन्तर्गत कर की राशि वापस दिये जाने की अनुमती

1679. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष कर-दाताओं की प्रार्थना पर आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 141 –क के अन्तर्गत आय-कर अधिकारियों ने अन्तिम रूप से कर निर्धारण तक कितने मामलों में अस्थायी रूप से कर निर्धारण किया तथा कर की कितनी राशि वापस की ; और

(ख) कितने मामलों में आयकर अधिकारियों ने करदाताओं की प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी और इसके क्या कारण थे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की भर्ती सम्बन्धी नीति

1680. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैसे आयोग के कर्मचारियों को भर्ती करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) क्या सरकार का विचार नोकरी के मामले में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का है ; और

(ग) गुजरात तथा आसाम में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की अलग-अलग कुल औसत संख्या क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम 1959 की धारा 32 के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग भर्ती तथा पदोन्नति विनियन, 1968 के अन्तिम रूप दिये जाने तक, आयोग आम तौर पर सरकारी अनुदेशों का पालन करता रहा है जिन के अनुसार 1 तथा 2 श्रेणी के पदों की भर्ती केन्द्रीय रूप में अखिल भारतीय आधार पर देहरादून स्थित आयोग के मुख्यालय में की जाती है । इन पदों पर नियुक्तियां सामान्यतः 50:50 के अनुपात में विभागीय पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जाती है । सीधी भर्ती के लिये अभीष्ट पदों का देश के तमाम प्रसिद्ध समाचार-पत्रों में विज्ञापन किया जाता है (गुजरात तथा आसाम राज्यों के समाचार-पत्रों को शामिल करते हुये) ।

(ख) क्योंकि श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों की भर्ती आयोग के प्रदेश । परियोजना कार्यालयों द्वारा, स्थानीय रोजगार दफ्तरों की मार्फत स्थानीय तौर पर की जाती है, स्थानीय लोग स्वतः ही अन्य लोगों की अपेक्षा तरजीह पाते हैं । उपर्युक्त कथन के सिवाये स्थानीय लोगों को कोई विशेषतरजीह नहीं दी जाती ।

(ग) गुजरात में 47.76 प्रतिशत तथा आसाम में 68.40 प्रतिशत ।

पूर्वी क्षेत्रों में 'एस्सो' द्वारा मिट्टी के तेल की सप्लाई बन्द किया जाना

1681. श्री बे० कु० दास चौधरी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री एस० एम० जोशी :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्सो स्टैंडर्ड आयल कम्पनी ने मार्च, 1969 से पूर्वी क्षेत्र में मिट्टी के तेल की सप्लाई बन्द कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार प्रभावित व्यापारियों, एजेंटों और कर्मचारियों के लिये और पूर्वी क्षेत्र में मिट्टी के तेल की कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : 1 अप्रैल, 1969 से कम्पनी ने कलकत्ता सप्लाई क्षेत्र में मिट्टी का तेल बेचने की अपनी गतिविधियां बन्द करने का निर्णय कर लिया है । इससे उस

क्षेत्र में मिट्टी के तेल की सप्लाई पर प्रभाव नही पड़ेगा। सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी कम्पनी तथा उसके व्यापारियों और एजेंटों के बीच हुये प्रबन्धों में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है।

Navaketan House Building Cooperative Society

1682. Shri A. Dipa : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be Pleased to state ;

(a) Whether it is a fact that Government auditors raised serious irregularities while auditing the accounts of the Navketan Cooperative House Building Society, 7, Jantar Mantar Road, New Delhi;

(b) The outcome of the enquiry being conducted against the aforesaid society under article 43 and whether Government propose to lay a copy of its report on the Table; and

(c) Whether the complete record of this society was not shown to the Registrar even when he had asked for it and if so, the names of the office-bearers held responsible therefore and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) The enquiry is still in progress.

(c) The complete records of the Society are not available in its office. It is understood that some of the records are in the court. No office bearer can, therefore, be held responsible for not showing the records.

उर्वरक उत्पादन के लिये योजना

1683. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 तक उर्वरक उत्पादन की सरकार की प्रस्तावित योजना क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : यह अनुमानित है कि 1971-72 तक उर्वरकों का उत्पादन निम्न प्रकार होगा: —

नाइट्रोजन	नाइट्रोजन के रूप में 1.935 मिलियन मीटरी टन
फासफेट	पी 2 ओ 5 के रूप में 0.716 मिलियन मीटरी टन

सालन्दी सिंचाई परियोजना

1684. श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:--

(क) क्या यह सच है कि धन की कमी के कारण उड़ीसा में सालन्दी सिंचाई परियोजना स्थगित की जाने की सम्भावना हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार के कार्यकारी दल ने चालू वर्ष के बजट में नियत धन के अतिरिक्त 80 लाख रुपये की व्यवस्था करने की सिफारिश की है और क्या इस दल की सिफारिश मान ली गई है; और

(ग) विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना के किए लिये गये ऋण में से इस पर कितनी राशि व्यय की गई है और कितनी राशि अभी व्यय की जानी है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कार्यकारी दल ने 80 लाख रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की सिफारिश की थी परन्तु केवल 50 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता स्वीकार की गई है ।

(ग) सालन्दी परियोजना के लिए 7,504,000 डालर की कुल संशोधित राशि में से, 14-10-1968 तक 5,591,242 डालर की धन राशि निकाली गई थी । प्रतिपूर्ति के लिए 1,694,510 डालर की धन-राशि वापस निकालने के प्रार्थना-पत्र हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को प्रस्तुत किए गए हैं । 30 जून, 1969 तक 218,248 डालर की धन-राशि मांगनी शेष रहती है ।

कोलार स्वर्ण खान उपक्रम में सहकारी समितियां

1685. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोलार स्वर्ण खान उपक्रम की सहकारी समितियों को सहकारिता के आधार पर न चला कर एक वर्ग द्वारा एकाधिकार के आधार पर चलाया जा रहा है यद्यपि उनमें प्रबन्धकों के अनेक सदस्य है; और

(ख) क्या उन सहकारी समितियों के सदस्यों के परामर्श से उनके कार्यकरण की जांच करने के लिये सरकार का विचार वहां कोई उत्तरदायी अधिकारी भेजने का है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

नेफा और डुमा में तेल की खोज के लिये सहायता देने का बर्मा आयल कम्पनी का प्रस्ताव

1686. **श्री क० प्र० सिंह देव** :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री नि० र० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा आयल कम्पनी, लन्दन ने नेफा और डुमा में तेल की खोज के लिये सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो बर्मा आयल कम्पनी ने किस प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ग) क्या प्रस्तावित सहायता के लिये कोई शर्तें भी निर्धारित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ङ) : जुलाई, 1961 में भारत सरकार के साथ हुए करार के अन्तर्गत अपने ठेके सम्बन्धी दायित्व को पूरा करते हुए बर्मा आयल कम्पनी ने, आयल इंडिया लि० के खोज कार्यक्रम के विदेशी-मुद्रा-लागत को पूरा करने के लिए, लगभग 470,000 पोण्ड के ऋण की, जो व्यापारिक उत्पादन के हो जाने पर सरकार की स्वीकृति से साम्य में परिवर्तनशील है, व्यवस्था की पेशकश की है। इसकी जांच की जा रही है।

पटसन उद्योग को विकास छूट

1687. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या बित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन के उद्योगपतियों ने सरकार से इस उद्योग को आयकर अधिनियम की पांचवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का अनुरोध किया है जिससे इस उद्योग का संकट दूर करने के लिये इस उद्योग को आयकर में अधिक विकास छूट और राहत मिल सके;

(ख) यदि हां, तो क्या पटसन के उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से सरकार सहमत है ?

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पटसन उद्योग को कितनी राहत देने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। वित्त विधेयक 1969 के खण्ड 23 में यह प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम 1961 की पांचवीं अनुसूची में अन्य बातों के साथ-साथ जूट-वस्त्र उद्योग को भी 1-4-1970 से शामिल किया जाय।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आय-कर अधिनियम 1961 की पांचवीं अनुसूची में जूट वस्त्र उद्योग के प्रस्तावित समावेश का मतलब यह होगा कि कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 से संगत किसी भी लेखा वर्ष अथवा उसके किसी अनुवर्ती वर्ष में जूट-वस्त्र मिल में लगाई जाने वाली सारी नई मशीनों और सयंत्र के लिये, प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की तरह ही ऊंची दर पर विकास छूट मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त, 1 मार्च, 1969 से निर्यात-शुल्क में निम्नलिखित प्रकार घटौती की गई है अथवा शुल्क को समाप्त कर दिया गया है:-

वस्तु का नाम	वर्तमान प्रभावी दर	प्रस्तावित प्रभावी दर
जूट की बनी वस्तुएं		
(i) कालीन के अस्तर को छोड़कर जूट के वस्त्र और थैले	500 रुपये प्रति टन	200 रुपये प्रति टन

(ii) ऊनी थैले	250 रुपये प्रति टन	कुछ नहीं
(iii) सूती थैलियां	200 रुपये प्रति टन	कुछ नहीं
(iv) थैलों का कपड़ा (तस्त्र और थैले), जो अन्यथा निर्दिष्ट नहीं हो।	250 रुपये प्रति टन	150 रुपये प्रति टन
(v) कुछ किस्मों का धागा, बंटा हुआ धागा, रस्सी तथा डोरी और जूट की बनी विविध वस्तुएं	250 रुपये प्रति टन	150 रुपये प्रति टन

आवास गणना

1688. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास सम्बन्धी युक्ति संगत नीतियां और कार्यक्रम बनाने के हेतु वर्ष 1970-71 में पर्याप्त सांख्यिकीय सामग्री एकत्र करने के लिये आवास गणना आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय यह मामला किस अवस्था में है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित "आवास-गणना" 1970-71 की जन-गणना का एक भाग है। स्वयं आवास गणना को दो भागों में किया जा रहा है : (i) आवास (मकान) को सूची में अंकित करते समय आवास के संबंध में आंकड़े एकत्रित करना, और (ii) घरेलू अनुसूची के माध्यम से आवास के संबंध में और अधिक ब्यौरा इकट्ठा करना। ये आंकड़े आवास के संबंध में नीतियों तथा कार्यक्रमों को बनाने में सहायता देंगे।

(ग) आवासीय सूचना एकत्रित करने की पद्धति, संकल्पना आदि विकसित करने के लिए अग्रिम कार्यवाही पहिले ही आरम्भ की जा चुकी है। संकल्पना, परिभाषा आदि को अन्तिम रूप देने में सहायता करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के द्वारा आवास सूची तथा घरेलू अनुसूची जिसमें आवास से संबंधित विभिन्न मदें होती हैं, की क्षेत्र में ही पूर्व-परीक्षा की जा रही है।

मैसूर में सिंचाई परियोजनाओं के लिये धन का नियतन

1689. श्री मू० न० नाघनूर : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने अनुरोध किया है कि उनको अपनी सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिये अधिक धन नियत किया जायें;

(ख) उपयोगी तथा व्यावहारिक परियोजनाओं को सर्वाधिक प्राथमिकता देने के लिये धन की व्यवस्था किस प्रकार करने का सरकार का विचार है; और

(ग) क्या मैसूर सरकार की सिंचाई परियोजनाओं का प्रतिशत बहुत कम है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) चालू बृहत सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिये, राज्यों को चौथी योजनावधि में 10% केन्द्रीय सहायता देने की संभावना है।

(ग) 1968-69 के अन्त तक, मैसूर में बृहत तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों से उत्पन्न सिंचाई-शक्यता अन्तिम सिंचाई शक्यता की लगभग 42 प्रतिशत है और चौथी योजना के अन्त तक इसके 52 प्रतिशत तक पहुंचने की आशा है। सभी स्वीकृत परियोजनाओं के पूर्ण होने पर यह 77% तक पहुंच जायेगी।

सोने का रक्षित कोष

1690. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस महीने में भारत के रिर्जव बैंक में सोने का पुनर्मूल्यांकन किया गया है;

(ख) किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया था; और

(ग) क्या सरकार विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर दबाव डालेगी कि वे अपने सोने के रक्षित कोष का पुनर्मूल्यांकन करें ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि हाल के संशोधन से पूर्व के भारतीय रिर्जव बैंक अधिनियम की धारा 33 (4) के अनुसार आवश्यक था, भारतीय रिर्जव बैंक के निर्गम विभाग में रखे हुए सोने का मूल्य प्रति रुपया 2.88 ग्रेन (=0.186621 ग्राम) शुद्ध सोने के दर से निर्धारित किया गया था। यह अवमूल्यन से पहले की दर थी। इसलिये इस धारा में संशोधन कर दिया गया है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की प्रति रुपया 0.118489 ग्राम शुद्ध सोने की मौजूदा दर से सोने का फिर से मूल्यांकन किया जा सके।

(ग) जी, नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और विश्व बैंक के सोने का मूल्य पहले से ही उसी दर से निर्धारित किया गया है जो हमने अब अपने सोने के लिये, रुपयों में स्वीकार की है।

Personnel in Public Undertakings For Mid-Term Elections.

1691. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) The number and names of those persons working on the most responsible posts in the public sector industries who were candidates in the mid-term elections; and

(b) Whether such persons have tendered their resignations or they have taken leave ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b): The post of chairman is the most responsible post in a Public Enterprise. According to available information, Shri K. D. Malaviya, who was chairman of the Heavy Engineering Corporation, tendered his resignation before contesting the mid-term election. The resignation was accepted.

Similar information which is being collected in respect of their chairmen, who may have contested the mid-term election, will also be laid on the Table of the House, if there is any such case.

ध्यान आकर्षण सूचना के बारे में (प्रश्न)

CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका पत्र मिल गया है । यह बहुत अच्छी बात है कि मेरा ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है । परन्तु अब और निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री समर गुह : चूंकि मुझे पत्र का उत्तर नहीं मिला है इसलिये निवेदन करने का मेरा अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपका अधिकार नहीं है । यदि मैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे देता हूँ और यदि आप कह देते हैं कि इसकी अनुमति न दी जाये और यदि मैं आप की प्रार्थना को स्वीकार कर लेता हूँ तो ध्यान दिलाने वाली सूचनायें बिल्कुल नहीं रहेगी तथा मैं अपने अधिकार और सदस्यों के अधिकार को खो दूंगा । इस लिये यदि ऐसे प्रस्तावों की अनुमति दी जायेगी तो उनको अवश्य यहां लिया जायेगा चाहे आप उसे पसन्द करें अथवा न ।

श्री समर गुह : मेरा निवेदन है । **

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

* Not recorded

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल को वापस बुलाने की आवश्यकता

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दे :—

"पश्चिमी बंगाल, के राज्यपाल, श्री धर्म वीर को तुरन्त वापस बुलाने की आवश्यकता।"

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इस लिये इस पर विचार करने के लिये अधिक समय दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : निःसन्देह यह एक महत्वपूर्ण मामला है। श्री चेंगलराया नायडू ने भी अपना नाम दिया है। वह राज्यपाल को वापस बुलाने के बहुत खिलाफ है। इसलिये यह बात नहीं है कि सभी लोग श्री धर्म वीर को वापस बुलाना चाहते है। सभी नामों को (बैलट) किया गया है और यही कारण है कि मैंने इसे 40 अथवा 50 नोटिसों में स्वीकार किया है। इसका उत्तर ऐसे ही दिया जाना चाहिये। यदि श्री कृपालानी अथवा कोई और सदस्य बोलना चाहे तो सामान्य आय व्यय पर सामान्य चर्चा आने वाली है। जो सदस्य विरोध करना चाहें उन्हें तब समय मिल जायेगा।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : संविधान के अनुच्छेद में लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा तथा ऐसा प्रसाद रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। तथापि, पश्चिमी बंगाल के वर्तमान राज्यपाल ने अक्तूबर 1968 के अन्त में व्यक्तिगत कारणों को लेकर बदल किये जाने की प्रधान मंत्री से प्रार्थना की थी। चूंकि निकट भविष्य में मध्यावधि चुनाव होने वाले थे इस लिये उन्हें वहां पर रहने के लिये आग्रह किया गया। उनकी प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक व्यक्ति जो कुछ समय पहले सचिव था और जिसकी प्राथमिकता क्रम में 30 वीं स्थिति थी उसको उठाकर चौथी स्थिति में ले जाया गया है और उसे पश्चिम बंगाल के 5 करोड़ लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के ऊपर बैठा दिया गया हैं। उसकी इस बात को भी भुला दिया गया है कि जब वह टैक्सटाइल कमिश्नर था तो उसने सरकार को 55 लाख रुपये का घाटा करवाया था और सरकार को जानबूझ कर अंधेरे में रखा था। उसे संयुक्त मोर्चा सरकार को खत्म करने और उसके स्थान पर कांग्रेस को पुनः लाने के उद्देश्य से ही भेजा गया था।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री बसु सारी चीज पढेंगे। यह अच्छी बात नहीं है कि उन्होंने सरकार का उत्तर सुनने से पहले यह प्रश्न तैयार कर लिया हैं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : क्या आप राष्ट्रपति अथवा अन्य राज्यों के राज्यपालों पर इस प्रकार का प्रहार किये जाने की भी अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री बसु को ऐसा बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिये जो यहां उपस्थित नहीं है। इस लिये उन्हें इस प्रकार भाषण देने की बजाय केवल प्रश्न पूछ लेना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं केवल वह ही कह रहा हूं जो सारे पश्चिम बंगाल ने कहा है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : वह प्रश्न पूछने के लिये भूमिका बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न की भूमिका के नाम पर आरोप नहीं लगा सकते। माननीय सदस्य एक ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं जो यहां उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। वह सरकार पर आरोप लगा सकते हैं परन्तु ऐसे व्यक्ति पर नहीं जो यहां पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं केवल यही कह रहा हूं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में क्या मुसीबत पैदा की है और मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या उन्हें वहां पर सत्तारुढ रहने की अनुमति दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये और देखिये कि नियम 352 में क्या लिखा हुआ है। ध्यान दिलाने वाली सूचना के नाम पर आप सब कुछ नहीं बोल सकते।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : क्या आप एक बात स्पष्ट करेंगे। आपने ध्यान दिलाने वाली सूचना को स्वीकार कर लिया है। यह प्रस्ताव भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को वापस बुलाने के बारे में है। उन्हें वापस बुलाने की मांग ही तो की जा रही है क्योंकि उनके आचरण के विरुद्ध कोई चीज है।

अध्यक्ष महोदय : जब माननीय सदस्य मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं तो कांग्रेस के माननीय सदस्यों को क्यों चिन्ता लगी हुई है ?

श्री वासुदेवन नायर : हम पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में श्री धर्मवीर के आचरण की आलोचना कर सकते हैं क्योंकि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचना के माध्यम से आप सरकार का ध्यान जानकारी देने की ओर आकर्षित करते हैं। इस पर नियमित रूप से चर्चा नहीं होती। यदि नियमित रूप से चर्चा की जाये तो आप किसी व्यक्ति की चर्चा कर सकते हैं। ध्यान दिलाने वाली सूचना में सरकार वक्तव्य देती है। यदि कोई माननीय सदस्य उस वक्तव्य से संतुष्ट न हो तो वह स्पष्टीकरण मांग सकता है। वह उस उत्तर के आधार पर भाषण नहीं दे सकता। इस लिये श्री बसु को भाषण नहीं देना चाहिये अन्यथा उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। चूंकि मैं ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है इसका यह मतलब नहीं कि वह किसी भी व्यक्ति को गाली आदि दे सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब दूसरी ओर से ध्यान दिलाने वाली सूचनायें दी जाती है तो क्या आप ऐसा ही करते हैं। मैं आपकी नब्ज पहचानता हूँ।

श्री प्र० के० देव (कालाहोडी) : उन्हें ये शब्द वापस लेने चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रश्न पूछने दीजिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री धर्मवीर ने श्री अशोक सेन के साथ सांठ गांठ करके बसुमति प्रेस से जाली पत्र ले लिया था और उसे अशिष्ट तरीके से वितरित कर दिया था, क्या सरकार उन्हें 6 मार्च से पहले वापस बुला लेगी।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : हमारी यह मांग है कि वह 6 मार्च तक वहां रहें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरा उत्तर है "नहीं"

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा दूसरा प्रश्न हैं..... ...

अध्यक्ष महोदय : ध्यान आकर्षण सूचना के बारे में दूसरा प्रश्न नहीं पूछा जाता है

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्वी) : मैं एक बात का स्पष्टीकरण मांगता हूँ। आपने श्री बसु को प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी। जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो माननीय मंत्री ने उसका उत्तर दिया। पहले उन्होंने कहा था कि सरकार श्री धर्म वीर को वापस बुलाने के मामले पर विचार कर रही है। इस लिये जब किसी जानकारी के आधार पर प्रश्न पूछा जाये तो हम मंत्री महोदय से आशा कर सकते हैं कि वह उसके बारे में कुछ कहेंगे, उनका यह कह देना कि "मैं ऐसा नहीं करूंगा" ठीक नहीं। जब आपने कहा था कि दूसरे भाग का ही उत्तर दे दिया जाये और पहले का नहीं, तो मुझे बहुत महसूस हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : जब यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या राज्यपाल को 6 तारीख से पहले बुलाया जा रहा है तो गृह-कार्य मंत्री ने कहा था 'नहीं'। यह शत-प्रति-शत पूरा उत्तर है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, the Governor of West Bengal has dismissed the elected Government of West Bengal by defying the provisions of the Constitution. Thereupon the Speaker of the Legislative Assembly of West Bengal had said that the Governor cannot discuss any Government without the consent of Legislative Assembly and since this has happened in West Bengal therefore I am adjouring the meeting of Legislative Assembly. After that President's Rule has been imposed there. The opinion expressed by the Speaker of Legislative Assembly of West Bengal has also been supported by you people. But our Home Minister is a very clever person, he does not say anything in regard to the demand made by the newly-elected Government of West Bengal. He only says that Shri Dharma Vira had requested for a change on account of his personal reasons and that request is under consideration.

No, I would like to draw the attention of the hon. Minister towards two clauses of the Constitution. Our Constitution says that in the first session of Legislative after elections there shall be an Address by the Governor. This Address as a matter of fact is a statement which discloses the policy of the Government and is written by the Cabinet and the Governor has no right to make any changes in hat. Now the West Bengal Government will say in its policy statement that the reason to call the legislators is that some unconstitutional thing was done by the Governor, there President's rule was imposed and then elections took place and so now they are being called. So, may I know whether you will advise the Governor to read the state, as it is, prepared by the cabinet or he will be advised to proceed on leave to avoid this conflict and to give an officiating chance to some body else who will read the statement.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि वह मुझे संविधान का पंडित समझते हैं तो मैं उन्हें अपनी राय देने को तैयार हूँ परन्तु यहां नहीं। दूसरे वह मुझसे यह आशा करते हैं कि मैं राज्यपालों को कुछ सलाह दूं। परन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार राज्यपाल को सलाह देने का काम नहीं करती।

Shri Deven Sen (Asansol): May I know whether the people of West Bengal had expressed their opinion against Shri Dharma Vira during the last elections, if so, may I know whether it was proper to keep him there.

श्री यशवंतराव चव्हाण : यदि मैं मध्यावधि चुनाव के महत्व को समझ सका हूँ तो वह यह है कि उससे संयुक्त मोर्चा सरकार को पश्चिम बंगाल पर संवैधानिक तरीके से शासन करने का अवसर मिला है।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : श्री महीडा कुछ कहना चाहते थे।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : मेर प्रस्ताव विशेषाधिकार के उल्लंघन के बारे में है। मैं ने नियम 222 के अन्तर्गत एक पत्र लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उस पत्र के बारे में बोल रहे हैं। मैं ने उसे अपनी अनुमति नहीं दी है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : आप नियम 225 के दूसरे पैरे को देखिये।

अध्यक्ष महोदय : इस नियम में कहा है कि "यदि वह आवश्यक समझें"। मै ने आवश्यक नहीं समझा है। बात यह है कि जब वह कहीं गये थे तो कोई अधिकारी उनसे नहीं मिला था। यदि इससे विशेषाधिकार का उल्लघन होता है तो मैं नहीं समझता कि फिर क्या होगा।

यदि यह विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाता है तो फिर खतरनाक बात होगी, इस लिये मैं ने उसकी अनुमति नहीं दी है और मैं चाहता था कि यह मामला सभा में न उठाया जाये, इसे यहां उठाना उचित नहीं था।

महाराष्ट्र टाइम्स के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST MAHARASHTRA TIMES.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं मराठी में दैनिक "महाराष्ट्र टाइम्स" जो बम्बई से निकलता हैं में, 20 फरवरी को प्रकाशित सम्पादकीय लेख पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठा रहा हूं। इस लेख का शीर्षक था 'भूत हाते भागवत" जिसका अर्थ है "भूत के हाथ में भागवत" यह लेख यहां 18 फरवरी को वाद-विवाद में मेरे मित्र श्री पी० राममूर्ति द्वारा दिये गये भाषण के बारे में है। जिसका आरम्भ इस प्रकार किया गया है :-

It is ineirtable that the echo of the Bombay riots should be heard in Parliament.

जिस प्रकार यह लिखा गया है उससे यह स्पस्ट है यह श्री पी० राममूर्ति के उस भाषण के बारे में हैं जो उन्होंने यहां दिया था। मुझे इस लेख पर दो प्रकार की आपत्तियां हैं। एक यह कि उनके भाषण को पूर्णतः गलत ढंग से रखा गया है और सदस्य पर आक्षेप किया गया है। सदस्य पर आक्षेप करना सभा पर आक्षेप करना है।

अध्यक्ष महोदय : अब एक (म० प०) बजने वाला है और मध्यान्ह भोजन का समय हो गया है। जहां मुझे यकीन हो जाता है कि स्पष्टतः विशेषाधिकार का मामला है, मैं वहां खुद ही उसे समिति को सौंप देता हूँ। लेकिन इस मामले में मुझे सन्देह है इसलिये मैंने श्री नम्बियार को इस मामले को सभा में उठाने की अनुमति दी है ताकि सभा यह निर्णय कर सके कि यह मामला वास्तव में विशेषाधिकार का है अथवा नहीं।

इस लिये जब सभा 2 बजे पुनः समवेत होगी, श्री नम्बियार उन सम्बन्धित भागों का उल्लेख कर सकते हैं जो आपत्तिजनक हैं और मैं इस बात का निर्णय करना सभा पर छोड़ता हूं कि उससे विशेषाधिकार का मामला बनता है अथवा नहीं क्योंकि मैंने अपना निर्णय इस-लिये नहीं दिया है कि मुझे उसमें कुछ सन्देह है। श्री नम्बियार 2 बजे अपनी बात जारी रख सकते हैं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात की घोषणा करना चाहूंगा। मेरे पास कुछ सदस्य आये और उन्होंने कहा कि होली कल है, न कि परसों। मुझे सभा को सूचित करना है कि सभा

अब मंगलवार, 4 मार्च के बदले बुधवार, 5 मार्च को बैठेगी और 5 मार्च को हम वह सभी कार्य लेंगे, जिसमें प्रश्न भी शामिल हैं, जो 4 मार्च के लिये निर्धारित किया गया था और 4 मार्च को अवकाश मनायेंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे (म० प०) तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok-Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के बाद 2 बजकर 4 मिनट (म० प०) पर पुन. समवेत हुई ।

The Lok-Sabha re-assembled after lunch at four minutes past fourteen of the Clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*. }

उपाध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करने तथा उसके बाद रेलवे बजट पर चर्चा से पूर्व कुछ पत्र सभा-पटल पर रखे जाने हैं और एक वक्तव्य दिया जाना है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

आयकर अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : श्री प्र० चं० सेठी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :–

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :–

(एक) आय कर (संशोधन) नियम, 1969 जो दिनांक 14 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 624 में प्रकाशित हुए ।

(दो) आय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1969 जो दिनांक 14 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 625 में प्रकाशित हुए थे । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 176/69]

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अधीन अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 275 की एक प्रति जो दिनांक 15 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 177/69]

(3) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 40-क के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 623 की एक प्रति जो दिनांक 14 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 176/69]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :–

(एक) जी० एस० आर० 140 जो दिनांक 15 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 159 जो दिनांक 25 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 168 जो दिनांक 14 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) जी० एस० आर० 169 जो दिनांक 24 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 178/69]

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) आठवां संशोधन नियम और दिल्ली बिक्री कर (दसवां संशोधन) नियम।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :–

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अधीन सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) आठवां संशोधन नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 15 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 272 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 179/69]

(2) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन दिल्ली बिक्री-कर

(दसवां संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 23 जनवरी, 1969 के भारत के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (98) /66-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 180/69]

राज्य-सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA-SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :-

(एक) कि 25 फरवरी, 1969 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने लोक नियोजन (निवास सम्बन्धी आवश्यकता) संशोधन विधेयक, 1969 को पारित कर दिया है।

(दो) कि 26 फरवरी, 1969 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1969 को पारित कर दिया है।

राज्य-सभा द्वारा पारित रुप में विधेयक
BILLS AS PASSED BY RAJY-ASABHA

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में निम्नलिखित विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :-

(1) लोक नियोजन (निवास सम्बन्धी आवश्यकता) संशोधन विधेयक, 1969

(2) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1969

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन

श्री गु० सिं० ढिल्लों (तरनतारन) : मैं पायराईट्स एण्ड कैमिकल्स डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (तीसरी लोक-सभा) के 38 वें प्रतिवेदन में दर्ज सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 28वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री नगर में पाकिस्तान समर्थक तत्वों के पकड़े जाने के बारे में ध्यान आकर्षण सूचना के उत्तर में दिए गए वक्तव्य में दी गई जानकारी में शुद्धि

CORRECTION OF INFORMATION GIVEN ON CALLING ATTENTION NOTICE APPREHENTION OF PRO-PAKISTANI ELEMENTS IN SRINAGAR

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : श्रीनगर में पाकिस्तान-समर्थक तत्वों के पकड़े जाने के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना के सम्बन्ध में वक्तव्य देते समय एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में 25 फरवरी, 1969 को इस सभा में दी गई जानकारी में मैं एक छोटी सी शुद्धि करना चाहूंगा। मैंने कहा था कि बरामद किये गये कुछ विस्फोटक सामग्री पर पी० ओ० के० निशान पाये गये थे। वास्तव में, जैसा कि मैंने मुख्य वक्तव्य में उल्लेख किया है, उसमें पी० ओ० एफ० निशान थे और न कि पी० ओ० के० निशान।

चाय (संशोधन) विधेयक

TEA (AMENDMENT) BILL

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चाय अधिनियम, 1953 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय अधिनियम, 1953 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was Adopted

श्री चौधरी राम सेवक : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

'महाराष्ट्र टाइम्स' के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST MAHARASHTRA TIMES

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं आज सुबह संक्षेप में यह बता रहा था कि 20 फरवरी के "महाराष्ट्र टाइम्स" में प्रकाशित इस लेख से विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है।

मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया गया है और यह सम्पादकीय लेख का अंग्रेजी अनुवाद है। इसका शीर्षक है "A Ghost with the Bible." और इसे इस प्रकार आरम्भ किया गया है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसका वास्तव में अर्थ है।

"Devil quoting the Scripture"

श्री कु० मा० कौशिक (चांदा) : हमें अनुवाद की प्रमाणित प्रति मिलनी चाहिए अन्यथा हम किसी ठीक निष्कर्ष पर नहीं पहुच सकेंगे।

श्री नम्बियार : प्रक्रिया ऐसी है कि जब कभी हम ऐसे किसी प्रस्ताव की सूचना देते हैं, तो हम उसका अनुवाद प्रस्तुत करते हैं और मूल प्रति भी उसके साथ संलग्न करते हैं। यही आम प्रथा है और तदनुसार मैंने किया है।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : Until and unless we are supplied with a certified copy of the translation, how would we be able to make up our mind one way or the other? We should have proper translation of the original.

श्री नम्बियार : इसे 26 फरवरी को दिया गया था। मूल प्रति मैंने दे दी है। यदि मेरा अनुवाद गलत है, तो उसे ठीक किया जा सकता है। मैं तो केवल इसे विशेषाधिकार समिति को सोंपने के लिये निवेदन कर रहा हूँ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sri, unless the Members have got full article before them, it would not be possible for them to make up their mind one way or the other. The point is this. The article is in Marathi the translation of which has been rendered into English and that too is not available with the members, A portion of that article is being read out.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। आप साक्ष्य कानून तथा ग्राह्यता कानून जानते हैं। जब तक प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, तब तक गौण साक्ष्य आगे नहीं आ सकता। माननीय सदस्य ऐसी चीज पर निर्भर कर रहे हैं, जो गौण है और जिसे कानून के अनुसार ग्राह्य नहीं किया जा सकता। इसलिये इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह सारा कुछ बनाया गया है जिस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है। आम तौर पर, यद्यपि ऐसे मामलों में एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, लेकिन मैं माननीय सदस्य की बात से असहमत भी नहीं हूँ। लेकिन अब पहले इस विशेष मामले से सम्बन्धित लेख का अंग्रेजी अथवा हिन्दी या दोनों में अनुवाद का प्रश्न उठता है और उसके बाद तब लेख के उस अंश का, जिसमें इस सभा के एक सदस्य के आचरण तथा चरित्र पर अभियोग लगाया गया है, प्रश्न उठता है। मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूँ। मैने इस लेख को पढ़ा है और जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं यह राय दूंगा कि यदि सदस्य सन्तुष्ट नहीं हैं तो मैं इसे फिलहाल स्थगित रखूंगा।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Sir, you have gone through that article. Shri Y. B. Chavan also know Marathi language. So what I suggest is he should go through

the article and see if it contained anything objectionable. Now, the question before us is whether the House should accept the English Translation of the article which is to be read out by the hon. Member. Therefore, the Government should see that article first and go through every word of it and what they meant and whether they are objectionable.

श्री मन्त्रियार : आखिर, यह मामला विशेषाधिकार समिति में जाता है। हम सभा में निर्णय नहीं दे रहे हैं, यदि मामला प्रथम दृष्ट्या आपत्तिजनक है, तो वह विशेषाधिकार समिति के पास जायेगा और वह उसके हर शब्द पर विचार करेगी और उसके बाद ही वह अपना निर्णय देगी और फिर वह मामला इसी सभा में आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मामला विशेषाधिकार समिति के समक्ष तभी जायेगा जब कि सभा की राय में वह प्रथम दृष्ट्या आपत्तिजनक हो। मैंने माननीय सदस्य को अनुमति दी है। लेकिन यदि माननीय सदस्य यह महसूस करें कि इस प्रश्न पर किसी निर्णय पर पहुंचने के पहले या इसके पक्ष अथवा विपक्ष में खड़े होने से पहले उन्हें इस सम्पादकीय लेख का अनुवाद मिलना चाहिए, तो फिर हमें निश्चित रूप से इसे स्थगित करना पड़ेगा।

श्री रणधीर सिंह : यह एक ऐसा मामला है जिसके आरम्भ में ही न्यायिक स्वरूप का एक प्रारम्भिक प्रश्न सन्निहित है, अर्थात् क्या मामला तैयार किया गया है। यह मामला पूर्णतः गौण साक्ष्य पर निर्भर करता है। इस प्रारम्भिक प्रक्रम पर, जब तक विशेषाधिकार भंग का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक यह सभा को इस मामले का विचाराधिकार प्राप्त नहीं है, और ऐसा न होने पर उसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा भी नहीं जा सकता। मेरे माननीय मित्र अपने कथन का किसी न्यायिक रिकार्ड अथवा किसी न्यायिक दस्तावेज से समर्थन नहीं कर सके हैं। चूंकि प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मूल दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है तथा प्रमाणीकृत प्रति भी उपलब्ध नहीं है तथा यह कोई प्रकाशित दस्तावेज भी नहीं है, इस लिये प्रथम दृष्ट्या कोई मामला नहीं बनता, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मामले को न उठाया जाये।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : मैंने उस लेख को पढ़ा है। वह एक सामान्य राजनीतिक लेख है। उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय हम उस लेख के गुण तथा दोषों पर विचार नहीं कर रहे हैं। प्रश्न केवल यह है कि क्या उस मामले को उठाने से पहले उस लेख का अनुवाद परिचालित किया जाय। अन्य बातें तो बाद में उठाई जायेंगी, पहले यह देखना है कि उस मामले को उठाने की अनुमति दी जाये अथवा नहीं। श्री रणधीर सिंह की बात में कुछ सार है। श्री रणधीर सिंह का यह कथन सर्वथा सही है कि विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही अर्द्ध-न्यायिक होती है। परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या यह मामला नियमों के अनुसार ग्रह्य है और क्या इस पर वाद विवाद किया जा सकता है।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : अध्यक्ष महोदय ने प्रातः यह विनिर्णय दिया था कि उस सम्पादकीय लेख की पांच से अधिक प्रतियां तैयार करके सदस्यों में उनका वितरण करना

तो कठिन है, इस लिये वह सभा में उसका अनुवाद पढ़ कर सुना देंगे ताकि सभा निर्णय कर सके। इसीलिये यह मामला अब दोपहर बाद 2 बजे उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय ने पहले ही विनिर्णय दे दिया है, क्या आप उस का उल्लंघन करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री श्रीकान्तन नायर को बताना चाहता हू कि पहले हमें यह सोचना है कि यह मामला ग्राह्य है अथवा नहीं। इस पर वाद-विवाद करना तथा इसका निबटारा करना तो बाद की बात है। अतः माननीय सदस्य के संक्षिप्त वक्तव्य से यदि सभा संतुष्ट नहीं होती, तो इसे इसका अनुवाद प्राप्त होने तक स्थागित किया जायेगा। माननीय सदस्य कृपया दो अथवा तीन मिनट तक श्री नम्बियार की बात सुने और उन्हें अपनी बात पूरी करने का अवसर दें।

श्री नम्बियार : मैंने यह मामला नियम 222 के अधीन उठाया है। नियम 223 इस प्रकार है:—

"जो सदस्य विशेषाधिकार प्रश्न उठाना चाहे वह उसकी लिखित सूचना उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व जिस दिन प्रश्न उठाने का विचार हो, सचिव को देगें। यदि उठाया गया प्रश्न किसी दस्तावेज़ पर आधारित हो तो सूचना के साथ वह दस्तावेज़ भी संलग्न होगा"

मैंने नियम 223 की आवश्यकताओं को पूरा किया है। इस लिये इस नियम के अन्तर्गत कोई अन्य दस्तावेज़ पेश करना मेरे लिये जरूरी नहीं है। मैंने मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया है और नियम 223 की शर्तों को पूर्णतया पूरा किया है।

अब मैं इस मामले की वांछनीयता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र टाइम्स के दिनांक.....

उपाध्यक्ष महोदय : यहां मुझे कुछ आपत्ति है। जहां तक पूर्वसूचना के लिये तकनीकी शर्तों का सम्बन्ध है, आपने उन्हें पूर्णतया पूरा किया है। परन्तु इस मामले का निर्णय उस दस्तावेज के आधार पर किया जाना है, जो आपने प्रस्तुत किया है। आपने एक अनुवाद प्रस्तुत किया है तथा गृह मन्त्री ने उसमें कुछ शुद्धियां की है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस मामले को, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो, शुद्ध अनुवाद परिचालित न किये जाने तक स्थगित किया जाये।

श्री नम्बियार : गत सत्रह वर्षों में इस सभा में ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप एक नई प्रथा बना रहे हैं। मैंने जो सामग्री प्रस्तुत की है, यदि उससे प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है, तो इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है। समिति में इस पर सविस्तार विचार होगा। प्रत्येक शब्द पर विचार किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को प्रारम्भिक वक्तव्य देने की अनुमति दी है। उनके अनुसार उस लेख के आधार पर प्रथक दृष्ट्या मामला बनता है। "प्रथम दृष्टया मामला बनता है" अथवा नहीं इसका निर्णय सभा को करना है। इस लिये इस समय अनुमति देना ठीक नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपके विनिर्णय का आदर करता हूं। आपका कहना है कि कुछ माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि "शायद यह अनुवाद ठीक न हो। इस बारे में मैंकहना चाहता हूं कि" इससे इस सभा में एक खतरनाक प्रथा स्थापित

हो जायेगी। श्री पटेल पहले अपनी मातृ भाषा में बोलते हैं और फिर उसका अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं। आज तक कभी इस बात की चुनौती नहीं दी गई कि उन्होंने गलत अनुवाद किया है। कुछ महीने पहले श्री पटेल भी उसी समाचार पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला लाये थे और उन्होंने अपना ही अनुवाद पेश किया था। अब कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कहा जा रहा है कि श्री नम्बियार का अनुवाद गलत है। ऐसा कहना श्री नम्बियार पर आक्षेप करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तक मैंने अपना अन्तिम विनिर्णय नहीं दिया है। यदि माननीय सदस्य यह अनुभव करते है कि वह इस अनुवाद के आधार पर कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं हैं तो हमें उन को समय देना होगा। मैं इस मामले को अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ।

श्री नम्बियार : यह सम्पादकीय लेख श्री राममूर्ति के भाषण से सम्बन्धित है, जो उन्होंने 18 फरवरी को दिया था तथा यह लेख 20 फरवरी को प्रकाशित हुआ था। इसमें श्री राममूर्ति के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस लेख में कहा गया है कि शांति तथा राष्ट्रीयता के बारे में महाराष्ट्र के लोगों को श्री भुपेश गुप्ता तथा श्री राममूर्ति के उपदेशों की जरूरत नहीं है। श्री भुपेश गुप्ता जी राममूर्ति तथा श्री राजनारायण को इतनी चिन्ता क्यों है ? साम्यवादियों की योजना को उस समय निष्फल कर दिया गया था, जब शिव सेवा ने मेनन को हराया था। इसलिये वे बदला लेना चाहते हैं और जब भी मौका मिलता है, बदला लेने का प्रयत्न करते हैं। वे बम्बई में हुए दंगों का लाभ उठा कर महाराष्ट्र के लोगों, नेताओं तथा विशेषयता कांग्रेसी नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेख में आगे कहा गया है कि भुपेश गुप्ता राममूर्ति तथा राजनारायण और उनके दलों ने कब से शांति का पाठ पढ़ाने का ठेका ले लिया। वे वही लोग हैं जो लोक सभा में उधम मचाते हैं और जिन्हें बार-बार अध्यक्ष महोदय द्वारा सभा से निकाला जाता है। वही लोग अब मराठी लोगों तथा उनके नेताओं को जिम्मेदारीपूर्वक व्यवहार करने की शिक्षा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन तीनों को बम्बई के दंगों की निन्दा करने का क्या अधिकार है ?

सदस्यों के अधिकारों को चुनौती दी गई है। उन्होंने शिव सेना की गतिविधियों की निन्दा की है, न कि महाराष्ट्र के लोगों की। यह कथन भी सही नहीं है कि इन सदस्यों को सभा से निकाला गया है। श्री राममूर्ति को अब तक कभी भी सभा मे नहीं निकाला गया है। श्री राजनारायण तथा श्री भुपेश गुप्ता के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि वे दूसरी सभा के सदस्य हैं। इस लेख में सदस्य पर आक्षेप किया गया है, तथा इस सभा पर आक्षेप किया गया है। इससे पहले की मैं यह बताऊं कि यह आक्षेप किस प्रकार किया गया है, मैं श्री राममूर्ति का भाषण आपको पढ कर सुनाना चाहता हूं। श्री राममूर्ति ने अपने भाषण में कहा था कि यह प्रश्न दक्षिण भारतीयों अथवा उत्तर भारतीयों का नहीं है। हमें महाराष्ट्र के लोगों तथा महाराष्ट्र के श्रमिक वर्ग के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। हमें पता है कि वह देश का सबसे अच्छा श्रमिक वर्ग है तथा उसने पूंजीवाद का डटकर मुकाबला किया है। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र के लोगों के नाम में तथा महाराष्ट्र के श्रमिक वर्ग के नाम में एक जहरीला प्रचार किया जा रहा है कि तामिल वालों, केरल वालों मैसूर वालों तथा कन्नड़ वाले

लोगों के कारण महाराष्ट्रीयों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यह प्रचार कई महीनों से किया जाता रहा है।

आप देखिये श्री राममूर्ति ने महाराष्ट्र के लोगों तथा महाराष्ट्र के श्रमिक वर्ग की प्रशंसा की है। उन्होंने उनको बदनाम नहीं किया है और न ही उन पर कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आक्षेप किया है। इस लिये उनके भाषण को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। इससे महाराष्ट्र के लोगों में श्री राममूर्ति के सम्मान को भारी धक्का लगा है। इस लिये यह एक ऐसा मामला है जिसमें वास्तविकता को बिगाड़ कर पेश किया गया है। श्री एम० एन० कौल तथा श्री एस० एल० शकधर द्वारा लिखित प्राक्टिस एण्ड प्रोसिजर ऑफ पार्लियामेंट नामक पुस्तक में कहा गया है कि यदि सभा अथवा सभा की किसी समिति की कार्यवाही को जान बूझ कर गलत तरीके से पेश किया जाता है अथवा किसी सदस्य के भाषण के किसी अंश को जानबूझ कर प्रकाशित नहीं किया जाता तथा दूसरे अंश को प्रकाशित किया जाता है तो इस गलत प्रकाशन के जिम्मेदार व्यक्ति को सभा की मानहानि का उत्तरदायी समझा जा सकता है और उसके विरूद्ध विशेषाधिकार समिति में मामला ले जाया जा सकता है। यह एक स्पष्ट मामला है, जिसमें एक सदस्य के भाषण को जानबूझ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। दूसरे इसमें एक माननीय सदस्य पर लांछन लगाया गया है। लेख में कहा गया है कि जब बंगाल में नक्सलबाड़ी में क्रांति के नाम पर हत्यायें की जा रही थी उस समय गुप्ता साहब और राममूर्ति साहब कहां चले गये थे ? केरल में जब पुलिस थाने पर हमला किया गया उस समय भुपेश गुप्ता और राममूर्ति की शांतिप्रियता कहां चली गई थी। इस प्रकार स्पष्ट रूप से सदस्यों पर आक्षेप किया गया है। मेज़ पारलीमेंटरी प्राक्टिस तथा श्री एम० एन० कौल और श्री एस० एल० शकधर द्वारा लिखित पुस्तक के अनुसार किसी सदस्य के चरित्र पर आक्षेप करना विशेषाधिकार को भंग करना है। इस लिये इस लेख में विशेषाधिकार को भंग किया गया है, क्योंकि इसमें माननीय सदस्य के भाषण को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है और उसके चरित्र पर लांछन लगाया गया है। इस लेख में समूची सभा की मानहानि की गई है। अतः यह प्रश्न केवल श्री राममूर्ति का नहीं है, अपितु समूची सभा का प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।

श्री तुलसीदास जाधव (बारामती) : महोदय आप उस अनुवाद पर जो कि सही नहीं है, सभा में वादविवाद की अनुमति कैसे दे सकते हैं ? क्या आपने अथवा आपके कार्यालय ने इस बात का पता लगाया है कि यह अनुवाद सही है अथवा नहीं ?

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने सही अनुवाद की इच्छा प्रकट की है। यह सारा मामला शब्दों पर निर्भर है तथा प्रथम दृष्टया मामले का आधार यही है कि किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। सब दलों के नेताओं ने सही अनुवाद की इच्छा प्रकट की है। हम इस मामले में आपका विनिर्णय चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक प्रथा का सम्बन्ध है आज तक कभी अनुवाद परिचालित नहीं किया गया है। मैंने तथ्य की जांच कराई है। इस मामले में कठिनाई यह है कि इस लेख

का एक व्यक्ति का अनुवाद कुछ हो सकता है और दूसरे द्वारा उसको चुनौती दी जा सकती है। क्या यह संभव नहीं है इस लेख का अनुवाद गृह-कार्य मन्त्री सदस्यों को दें। वह अनुवाद सबको मान्य होगा। गृह कार्य मन्त्रालय में अनुवाद की उचित व्यवस्था भी है।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : साधारणतया: मैं आपकी बात मान लेता, परन्तु इस विशेष मामले में मैं आप से अनुरोध करता हूं कि यह काम किसी और को सौंपा जाये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, This work can be entrusted to the Ministry of information.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से कोई अनुवाद करे तो क्या ठीक रहेगा ? संसद-कार्य मन्त्री इसका अनुवाद उपलब्ध कराने का प्रबन्ध करें।

श्री रघुरामैया : यह कार्य करने के लिये मेरे पास कर्मचारी नहीं हैं।

श्री यशवन्त रावचव्हाण : अनुवाद के लिये लोक-सभा सचिवालय के अनुवादकों की सेवायें प्राप्त की जा सकती हैं। यह अनुवाद लोक-सभा सचिवालय की ओर से हो ताकि इसे उद्देश्य पूर्ण अनुवाद माना जा सके।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : कुछ सामग्री प्रस्तुत करने वाले सदस्य से यदि इसका अधिकृत अनुवाद मांगा जाये तो यह उन परम्पराओं के विरूद्ध होगा जिनका हम आज तक पालन करते आये हैं। यदि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये तो वह समिति चाहे किस प्रकार उसका अनुवाद कराये। वैसे यदि कोई माननीय सदस्य किसी चीज़ का अनुवाद सभा में पेश करता है तो परम्परा यह है कि हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। परन्तु यदि विशेषाधिकार समिति इस अनुवाद की पुष्टि कराना चाहती है तो फिर यह अन्य बात है। यदि आप अधिकृत अनुवाद ही चाहते हैं तो इसकी आवश्यकता विशेषाधिकार समिति द्वारा ही प्रकट की जा सकती है। यद्यपि आप संयोगवश मराठी भाषा जानते हैं परन्तु इस बारे में आप अन्तिम निर्णय नहीं दे सकते। मैं अपने साथी सदस्य पर विश्वास करता हूं। इसी आधार पर यह विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया गया है। अतः आप वर्षों से बनी परम्पराओं के विरूद्ध कोई कार्यवाही न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तक प्रचलित प्रक्रिया के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। किसी मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने से पूर्व हमारे पास उस विचारणीय विषय का अनुवाद होना चाहिए। और वह अनुवाद माननीय सदस्यों के पास नहीं है जो कि निर्णय लेने से पूर्व उनके पास होना चाहिए। अतः इस मामले को एक दिन के लिये स्थगित किया जा रहा है और कुछ नहीं।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : यहां अनेक माननीय सदस्य मराठी भाषा जानते हैं परन्तु किसी ने भी इस अनुवाद पर आपत्ति नहीं की है।

Shri Tulshi Das Jadhav (Baramati) : The translation of the original Marathi article has been approved by your office, Sir.

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं । हमारे कार्यालय ने इस सम्बन्ध में कोई मत नहीं दिया है । हमने तो नियमों के अन्तर्गत इसे पेश करने की अनुमति दी है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : यह विशेषाधिकार तो कार्य-सूची में भी शामिल नहीं है । हम में से जो मराठी जानते हैं उन्होंने मध्याह्न काल में ही जल्दी-जल्दी में इसे पढ़ा है । अत: हम इस पर ठीक से चर्चा नहीं कर सकेंगे क्योंकि मराठी भाषा में कुछ विशिष्ट शब्दावली होती है । मैं समझती हूं कि श्री राममूर्ति को व्यक्तिगत रूप में कुछ नहीं कहा गया है । यह मामला तो विशेषाधिकार समिति को जा ही नहीं सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां किसी माननीय सदस्य के अनुवाद पर सन्देह करने का प्रश्न नहीं है । श्री वाजपेयी ने भी कहा है कि अनूदित सामग्री भी यहां उपलब्ध नहीं है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मेरा प्रश्न तो बस इतना है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करना हर माननीय सदस्य का अधिकार है और इस बारे में वह सभा का मत जान सकता है । आपका यह कहना कि "अधिकृत अनुवाद प्राप्त होने तक मैं इस पर चर्चा स्थगित करता हूं," तो आप एक नई प्रक्रिया बना रहे है जिसका अनुसरण आपको भविष्य में भी करना पड़ेगा । क्या सभा ऐसा करने को तैयार है ? अत: प्रक्रिया की दृष्टि से अधिकृत अनुवाद प्राप्त होने की बात लागू नहीं की जानी चाहिये ।

Shri Madhu Limaye (Mongbyr) : I do not understand why the translation was not circulated in the beginning. This is not the first time that a Privilege Motion has been moved by an hon. Member on the basis of news items published in the Indian Language newspapers. And the translation by a member has also never been questioned. It is therefore not proper on your part to postpone discussion on this account particularly when no Member has questioned Shri Nambiar's translation. Therefore he should be believed.

Secondly; also understand a bit Marathi since it is my mother tongue. Shri Nambiar can object to three sentences contained in that article. The Maharashtra Times may flatter either the centre on the Maharashtra Government but it will not be proper to defame Marathi people or hold the Maharashtra people responsible for the riots, and it may create misunderstanding in the Parliament. We want to stop this poison of provincialism administered. I do not want that Newspaper to be punished if that paper admits and explains that it had no intention to say that certain Member tried defame Maharashtra or people of Maharashtra. I am sure that neither Shri Rammurthi nor Shri Atal ji nor any other hon. Member, while criticising Shiv Sena, had said anything about Maharashtra or its people. So it is not at all desirable to mis-state the proceedings of the House and thus obstruct the way to national integration.

उपाध्यक्ष महोदय : यहां जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह बड़ी युक्ति संगत है । इस प्रकार के प्रस्ताव उठाये जाने पर किसी सदस्य से अनुवाद नहीं मांगा गया है । प्रश्न केवल इतना है कि वह सम्बन्धित संदर्भ अनूदित किया जाये तथा प्रस्ताव करते समय सारी बात स्पष्ट की जाये ।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मेरा प्रस्ताव है कि इस प्रस्ताव पर सभा की अनुमति लेने से पूर्व यह बुद्धिमानी होगी कि स्वयं अध्यक्ष महोदय सम्पादक से स्पष्टीकरण मांगें। ऐसा हुआ भी है। मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव का विरोध नहीं कर रहा हूँ, यह गलत कहा गया है कि वहां महाराष्ट्र के लोगों का जिक्र किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह रास्ता तो तब अपनाया जा सकता है, जबकि सभा द्वारा प्रस्ताव को अनुमति दे दी जाये।

श्री रा०ढो० भण्डारे : जी नहीं। पिछले दो वर्षों में अध्यक्ष महोदय ने अपने ही स्तर पर ऐसा किया है। यह दूसरी बात है कि इसका निर्णय इस तथ्य की योग्यता के आधार पर होगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : That is the one way. But since it has come to the House, let us all unanimously request the Speaker to draw the attention of the Editor towards the matter and ask for his explanation. I think this would pacify the grievance.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा अनुमति दे तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। क्या सभा मुझे इसकी अनुमति देती है ?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। जो कुछ यहां हुआ है वह सब कुछ उसे बताया जायेगा सभा ने स्वीकार किया है कि सभा की अनुमति लेने से पूर्व सम्पादक को इस बारे में लिखा जाये। और अध्यक्ष महोदय मामले को अपने कमरे में निपटा लेंगे।

अब हम अगले विषय पर विचार करते हैं।

रेलवे आय-व्ययक 1969-70 सामान्य चर्चा

RAILWAY BUDGET 1969-70 GENERAL DISCUSSIONR

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी।

Shri Nar Deo Snatak (Hathras) : For the last 20 years Railways have been criticised here. The criticism will still go on but we can not change the officers in the Railway Board, nor we want to do so. I have to request the Railway Board officers that in this democratic set up of our country they too will have to exist in a democratic way.

Although it is correct to say that the Railway officers travel in first class airconditioned bogies and saloons but there is no point in saying that the Railway Board should be dissolved. However, those facilities can be restricted and this may lessen the criticism of the Railway Board.

It is found that the Railway Board cares for only three big cities viz. Calcutta, Madras and Bombay, and not for the rest.

{ श्री गडिलिगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd *in the Chair* }

It is good that the Railway Minister has not proposed for an increase in railway fares and freights in the Budget. It is most welcome that they hope to get Rs. 2 crores surplus during the year 1969-70. More profit can be shown by him next year also. Besides that he would try to provide better facilities to the passengers travelling in Third Class compartments.

Sina 1950-51, uptil 1967-68, the Railway have earned Rs. 250 crores from the class III passengers fare and Rs. 88 crores from other classes fare. But those who give less have got more benefits and facilities whereas the Class III passengers still suffer from all inconveniences and harrassment. They should also get at least 1½ foot room to sit.

The 3rd class compartments have no lights and drinking water. People travel like goats and sheeps.

I suggest that the amenities in the air conditioned bogies and saloons should be reduced and our Ministers Governors and hon. Members should also give up travelling in Saloons and should travel by class III bogies as Mahatma Gandhi did.

Our Railways are 116 years old now and it is the biggest industry of our country. But least facilities are provided here. I appeal that the III class passengers should get more comfort and facilities.

When our country is one there should not be any discrimination between South and North in regard development of railway lines. Every State should be cared for in equal proportions. But the railway authorities prefer goods train for North and Express trains for South. South has 20 express trains whereas the big North has only 45 express trains.

All the Hindi speaking States are facing great injustice. If you want to give adlguate facilities to those areas you will have to revise your policies. There should be no discrimination between North and South. All should get facilities as per their requirements and needs.

Late arrival of trains is a chronic grievance in Northern India. Trains run late by hours together. This reminds us about what is happening in Pakistan where the trains are late by 6-8 hours and even more.

Once it so happened that when I was travelling in a train, a railway officer was sitting by my side and we had a chat together. I asked him when Railway was a big industry of the country, what was the reason that trains were generally late. He told me that Government had spent crores of rupees on restaurants, retiring rooms etc. and in case trains reached the stations in time these would be of no use to the people. These facilities had been provided so that the same might be utilised in the case of late running of trains. May I know from the hon. Minister as to why they don't have any control over late running of trains.

I would like to say something about my own constituency i. e. Hathras. Hathras is a very big centre of Vanaspatai Ghee, and other commodities but that is not directly connected with Aligarh or Delhi. The trains do not reach there in time, as a result of

which the students and the businessmen have to suffer a lot. Hence it is requested that Hathras should be linked with Delhi directly.

The people of Secundarabad had requested that 13 UP and 14 down Express trains, which run from Lucknow to Agra and vice versa, should stop there atleast for two minutes but no heed was paid to that. It is therefore requested that this matter may be considered expeditiously.

Aligarh is one of the best cities of North India but there is no retiring room there. It is therefore requested that some more facilities should be provided.

Vrindaban is a famous pilgrimage of India. About fifty lakh people visit that city every year. It is situated between Delhi and Mathura. The trains running from Delhi to Mathura should be diverted through that station.

The Railways have shown a profit of Rs. 2 crores this year. It is not much, keeping in view the investment made in it. It is, therefore, hoped that more profit will be earned next year. It is also hoped that more facilities will be provided to passengers travelling in third class compartments.

Shri George Fernandes (Bombay South) : A monthly magazine namely "Indian Railways" is published by the Railway Board. In the recent issue of that magazine a short life sketch of the new Railway Minister, Dr. Ram Subhag Singh has been published. That shows how hypocrat the officers of the Railway Board are. I would like to tell you the truth. It is the Railway Board which does the real work and frames policies etc. and the Minister simply makes statements.

I would like to make one thing clear. If Government wants to effect any improvements in the Railways they can do it but they have not done it. The hon. Minister had stated just now that the passengers of third class compartments have to face a lot of difficulties. In spite of the fact that attention of the Government is drawn towards these difficulties every year no action is taken. Thanks to God that atleast the rates of freight and fare have not been enhanced this time. But at the same time I would like to submit that Government should pay proper attention towards the facilities for the passengers. They should be provided more facilities.

The figures show that third class passengers pay to Railways every day a sum of Rs. 65,00,000 while the passengers who travel in air-conditioned coaches pay only Rs. 60,000 and those travelling first class pay hardly Rs. 5,00,000 every day. But the latter are provided with much more facilities than the former ones. I think that the only remedy to make improvements in the travel of third class is to abolish the air-conditioned and first and second classes and to make only one class, i. e. Janta class. The persons who are in power today they travel only in saoons and thus they do not know the difficulties of third class passengers. By the abolition of these classes they will realise the difficulties. Today Railway possesses eight hundred saloons. If those saloons are brought on the line they can serve the purpose of one hundred trains.

The hon. Minister is convensant with the Indian Railways Act, according to which private Railway companies are responsible to provide seats to those, who purchase tickets. But this clause does not apply on public Railways. Therefore my submission to the Government is that until the class system of Railways is removed the Railways Act should be amended and if that is not yet possible then the ordinance should be issued to the effect that it is the responsibility of the Railways to provide a seat to the passenger who purchases a ticket.

As far as the people of Bombay are concerned they have a lot of complaints against the Railways. They say that in the suburban trains people don't find a place even to stand. I would therefore request the hon. Minister to meet the people concerned and find out a solution to remove their difficulties.

I would like to say something about strikes. In the strike which took place on the 19th September, fourteen railway employees had to lose their lives and thousands of the employees are still on the roads May I also know from the Government how much loss the Railways had to incur as a result of that strike. The report of the Railway Board says that the total number of the man days lost as a resul; of strike during 1966-67 was 4. 157 and during 1967-68 it was 9, 303. But Government should also see that the man days lost due to illness during 1966-67 were 1,48,71,000 and during 1967-68 this figure increased to 1,60,01,000 days. It has been said that the disease is prevalent everywhere but may I say that the number of cases of T.B. patients in Railways is increasing every year.

It has been observed that the number of class IV employees has decreased Last year the number of class IV employees has decreased to the tune of three and a half thousands. On the other hand the number of officers is being increased. The total number of Railway employees is 17 lakhs and out of them 4 thousand employees are casual labours for whom no facilities are provided by Railways.

From Explanatory memorandum of the finance it appears that a sum of Rs. 68 lakhs and 55 thousand has been earmarked for the construction of the houses of 6½ thousand officers of Railways on the other hand only Rs. 98 lakhs have been earmarked for 6 lakh class IV employees. I am saying so because the people who say that the Railway budget is very good, may understand this thing.

Now, I would like to say something about accidents. The Railway Board is misleading the country and they say that the employees are responsible for the railway accidents I would like to see that a committee is appointed to fix the responsibility of the accidents. I would like to present to the House to-day a report of the working of the commission of Railway saftey during 1966-67. This report shows that the responsibility of railway accident has been thrown on the Railway Board and not on the Railway employees. That is why this report is not being brought to light and the people are being misled. The truth should come before the people.

रेलवे मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : मैं पांच या छः मिनट में प्रश्नों के उत्तर दूंगा। शेष प्रश्नों के उत्तर राज्य मन्त्री द्वारा दिये जायेंगे।

श्री बोहरा चाहते थे कि कोटा-चित्तौड़गढ़ लाइन बनाई जाये। इस लाइन पर कितना धन लगेगा, इस बारे में अनुमान लगाने के लिये आदेश दिये जा चूके हैं। उसके बाद उसके बनाये जाने का निर्णय किया जायेगा।

श्री चं० चु० देसाई ने कहा था कि हसन-मंगलौर लाइन का काम बड़ी धीमी गति से हो रहा है। इस लाइन का निर्माण-कार्य बन्दरगाह परियोजना में हो रही प्रगति के अनुसार किया जा रहा है। बन्दरगाह तैयार हो जाने तक यह लाइन भी पूरी हो जायेगी।

श्री वैंकटासुब्बया चाहते थे कि भद्राचलम और कोब्बूर के बीच एक नई रेलवे लाइन बनाई जाये। इस सम्बन्ध में किये जा रहे अनुमान के बाद इस लाइन को बनाने के बारे में निर्णय किया जायेगा।

श्री वेंकटासुब्बया यह भी चाहते थे कि गुंटूर और माचेरला के बीच मीटर गेज लाइन को ब्रांड गेज लाइन बनाया जाये। इसके लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट के पूरा हो जाने के बाद इस बारे में निर्णय किया जायेगा।

जहां तक रोहतक-पानीपत लाइन का सम्बन्ध है, यह पूरी लाइन की जिसे तोड़ दिया गया था। उसके एक भाग को फिर से बना दिया गया है। इस समय मैं यह ही कह सकता हूं कि हम इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और देखेंगे कि इसे पानीपत तक मिला देने से क्या वह लाभप्रद साबित हो सकती है।

Shri M. A. Khan (Kasganj) : There is a similar line in my area also namely Eta-Barhan line. The State Government has also suggested that this line can become economical if it is connected with Kasganj. I would like the Minister to consider over this point also.

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : हमारी यह नीति है कि हम बिना अच्छी तरह से विचार किये किसी भी लाइन को नहीं तोड़ते। जहां तक इस लाइन का सम्बन्ध है हम उस के लिये भी वही सिद्धांत अपनायेंगे जो हम रोहतक-गोहाना-पानीपत सैक्शन के लिये अपना रहे हैं।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : आप मेरे मामले को कमजोर न करें।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : श्री एंथनी रेड्डी ने कहा था कि सरकार द्वारा रेलवे पर नियन्त्रण किये जाने के बाद गाड़ियों का समय, विशेषकर अरकोनम-मद्रास तथा गुंटाकल-गुंटूर सैक्शनों पर कम हो गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अरकोनम-मद्रास सैक्शन पर रेलगाड़ियों के चलने का औसतन समय 1946 में गाड़ियों के चलने के समय से कम हुआ है। तथापि, गुंटूर-गुंटाकाल सैक्शन पर सवारी गाड़ियों के चलने का औसतन समय 1941 से लगभग 8 प्रतिशत बढ़ गया है। यह समय गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हुआ है। तथापि इसे कम करने के लिये प्रयास किया जायेगा।

श्री रेड्डी दक्षिण रेलवे के गुंटकल डिवीजन को दक्षिण मध्य रेलवे में बदलना चाहते थे। परन्तु मैं समझता हूं कि मद्रास पत्तन, मद्रास डिवीजन तथा गुंटकल डिवीजन में समन्वय अवश्य होना चाहिये तथा यह केवल एक ही जोन में अर्थात् दक्षिण रेलवे में रखने से हो सकता है।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : इस डिवीजन के संबन्ध में आसाम के सभी सदस्यों ने डा० राम सुभग सिंह को एक ज्ञापन-पत्र भेजा था।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : वह गुंटकल डिवीजन के बारे में है। वह डिवीजन प्रणाली के बारे में नहीं है। यह सुझाव दिया गया था कि इसे दक्षिण रेलवे की बजाये दक्षिण मध्य रेलवे के अन्तर्गत लाया जाये। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह दक्षिण रेलवे में ही रहेगा।

श्री क० ना० तिवारी ने माल-डिब्बे बनाने की स्थिति की बात की थी। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि उस उद्योग को किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उस उद्योग के लिये हमारे पेइस बहुत फ्यादेश है।

एक ऐसी डीलक्स गाड़ी चलाने की मांग की गई है जो पटना से होकर हावड़ा जाये। चूंकि राजधानी एक्सप्रैस 1 मार्च, 1969 से चलनी आरम्भ हो गई है, इसलिये यह निर्णय किया गया है कि 1 अप्रैल से एक डीलक्स गाड़ी पटना होकर हावड़ा के लिये चलाई जायेगी। वह गाड़ी यहां से शुक्रवार को चला करेगी और रविवार को वापस आया करेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बिलासपुर डिवीजन में एक श्रम सहकारी समिति को ठेका देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस सम्बन्ध में पक्षपात किया जा रहा है तथा सहकारी समिति को वरीयता नहीं दी जा रही है। इस बारे में मैं यह साफ कह देना चाहता हूँ कि किसी भी ठेकेदार के साथ न तो पक्षपात किया गया है और न ही किया जायेगा। सहकारी समितियों को ठेका देते समय हम उनके पिछले रिकार्ड को भी देखते हैं। जहां तक इस समिति का सम्बन्ध है इसका पिछला रिकार्ड बहुत खराब था। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि यद्यपि हम सहकारी संस्थाओं को वरीयता देने की अपनी नीति से पीछे नहीं हटेंगे तथापि इस संस्था की पिछली स्थिति को देखकर समुचित निर्णय भी अवश्य करेंगे। यदि हम इस संस्था को वरीयता देने योग्य नहीं समझे, तो फिर खुले टेंडर मांगेंगे तथा सब से कम दर वाले टेंडर को ही स्वीकार करेंगे। इस मामले में इस संस्था ने भी अपने टेंडर भेजे हैं तथा सबसे कम दरों के टेंडर भेजे हैं, फिर भी माननीय सदस्यों के किसी भी भ्रम को दूर करने हेतु मैं विश्वास दिलाता हूं इस सम्बन्ध में सही निर्णय करेंगे तथा सभी निर्देशों का पालन करेंगे।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : रेलवे एक बड़ा उद्योग है तथा देश की सर्वाधिक जनता के उपयोग की वस्तु है। रेलवे का उत्तरदायित्व केवल धन का साधन बनाना ही नहीं अपितु यात्रियों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना भी है। निःसन्देह रेलवे को और अधिक प्रगतिशील और कुशल होना चाहिए। डा० राम सुभग सिंह एक कुशल मन्त्री है तथा वह अपना कौशल रेलवे की प्रणाली को अधिक उपयोगी बनाने का अवश्य प्रयुक्त करेंगे।

वर्ष 1924-25 से पूर्व रेलवे बजट सामान्य बजट का ही एक अंग होता था परन्तु अब वह अलग है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि देश की अर्थ व्यवस्था से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। देश के हितों का ध्यान रखते हुए देश की अर्थ व्यवस्था के बारे में भी रेलवे का बड़ा उत्तरदायित्व है।

परन्तु रेलवे के बजट में देश की अर्थ व्यवस्था में प्रगति करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव नहीं है। रेलवे मन्त्री ने औद्योगिक उत्पादन से 5.7 प्रतिशत की वापसी दिखाकर ही लाभ वाला बजट बनाया है। वास्तव में यह लाभ भी नाम-मात्र का ही है और इसके साथ ही मैं यह भी आशा करता हूं कि बाद में लुप्त नहीं होगा जैसा कि पिछले बजट के मामले में हुआ था।

रेलवे को हुआ लाभ, रेलवे की कार्य-कुशलता और प्रशासनिक प्रबन्ध की निपुणता का संकेत नहीं देता चौथी पंचवर्षीय योजना में भी रेलवे को अनेक उत्तरदायित्व पूरे करने हैं और उसके लिये रेलवे अपने को यथोचित सक्षम बनाये।

अब मन्त्री महोदय सभी अलाभकारी खर्चों को कम करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्हें ऐसे खर्चों को भी घटाना चाहिये, जिनसे कुछ उत्पादन नहीं होता।

एक बात यह भी है कि यद्यपि रेलवे की 20% परिवहन क्षमता निष्क्रिय पड़ी रहती है फिर भी डिब्बों की सदा कमी रहती है, जिसके कारण देश के विभिन्न बाढ़ ग्रस्त और सूखा ग्रस्त क्षेत्रों तथा भूख से पीड़ित अन्य लोगों को समय पर खाद्यान्न नहीं मिल सकते। पिछले वर्ष जब असम में बाढ़ आई तो वहां कलकत्ता से 15,000 टन के स्थान पर केवल 7000 टन खाद्यान्न ही पहुंचाये जा सके। यह डिब्बों की कमी के कारण हुआ।

मन्त्री महोदय ने रेलवे की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी बताई है। न जाने वह यह आशा किस आधार पर बनाये हुए हैं।

सबसे अधिक उत्साहवर्धक बात यह है कि यात्रियों के किराये-भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई है परन्तु साथ ही उन्होंने अपने भाषण में रेलवे के धन-स्रोतों को बढ़ाने की भी बात कही है। इस का अर्थ यात्रियों के किराये-भाड़े में वृद्धि नहीं होनी चाहिये। परन्तु रेलवे बजट पेश करने के कुछ ही दिन पूर्व माल-भाड़े में बिना संसद की अनुमति लिये 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई। उन्हें जांच करनी चाहिये कि उनके विभाग ने ऐसा कैसे किया। साथ ही किराये-भाड़ों को युक्तिसंग करने के नाम पर बढ़ाया नहीं जाना चाहिये।

आयव्ययक प्रस्तावों में बताया गया है कि सामान्य कार्य में 26 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ जायेगा तथा साथ ही ईंधन के खर्च में भी 4.20 करोड़ की वृद्धि होगी। कोयले के खर्च वृद्धि क्या कोयले की दरों को अनियंत्रित किये जाने के कारण होगी अथवा इसलिये कि रेलवे में कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में 10 प्रतिशत कोयले की चोरी हो जाती है। कोयले की चोरी रेलवे में एक स्थायी दोष बन गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय इस बुराई को रोकने के लिये किसी कड़ी निगरानी का प्रबन्ध करेंगे ?

रेलवे मन्त्रालय में अन्य मन्त्रालयों की भांति कर्मचारियों की सेना भरी पड़ी है और इसके साथ ही रेलवे के कार्य की देख-भाल करने के लिये रेलवे बोर्ड भी उनके पास है। परन्तु जो बिना टिकट यात्रा बढ़ रही है, दुर्घटनायें होती जा रही हैं तथा रेलें विलम्ब से आती है और इस पर भी कोई लाभ इस विभाग को नहीं होता। रेलवे बोर्ड तो एक निष्प्रयोजन संगठन बन गया है। तथा यह नौकरशाही के अखाड़े के सिवा कुछ भी कहीं है। जब रेलवे मन्त्रालय के कर्मचारियों की विशाल सेना रेलवे यात्रियों की भलाई का कोई कार्य नहीं कर सकती और न ही रेलवे को ठीक से प्रशासित कर सकती है तो फिर रेलवे बोर्ड का भी क्या फायदा हैं जो कि अपने प्रारम्भिक कर्त्तव्य पूरा करने में असफल हुआ है।

बिना टिकट यात्रा से रेलवे को प्रतिवर्ष 22 करोड़ रुपये की हानि होती है तथा 9 लाख व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हैं। देश के लिये यह कितनी लज्जा की बात है।

यात्रा टिकट परीक्षकों की भी अपनी समस्यायें हैं। वे दो टायर तथा तीन टायर के डिब्बों में टिकट की जांच नहीं कर सकते। इससे उनकी पदोन्नति पर कुप्रभाव पड़ता है। इस बारे में भी विचार किया जाना चाहिये। निराश और असन्तुष्ट कर्मचारियों को लेकर रेलवे प्रशासन नहीं चलाया जा सकता।

असम में रेलवे कर्मचारियों को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि उन्हें चीनी आक्रमण तथा विद्रोही नागाओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही के समय करना पड़ा था। इस सन्दर्भ में भी विचार करना आवश्यक है।

रेलवे नियंत्रण कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने की दो वेतन आयोगों ने सिफारिश की है परन्तु रेलवे बोर्ड ने बड़ी निर्दयता से उन सिफारिशों की उपेक्षा की है। इन कर्मचारियों के कठिन कार्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

रेलवे में सामान की चोरियों के बारे में यहां अनेक बार प्रश्न उठे हैं। बिजली के बल्बों, दरवाजों के दस्तों, दर्पणों आदि की चोरी डिब्बों से हो जाती हैं। इसके लिये कौन उत्तरदायी है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना-अपना कर्त्तव्य पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। परन्तु लोग ऐसा नहीं करते। क्या रेलवे का कोई कर्मचारी इस चोरी की रोक-थाम के लिये उत्तरदायी नहीं है ? इन चोरियों की बात से मुझे बहुत व्यथा होती है। इसी प्रकार कोयला तथा रेलवे की अन्य सम्पत्ति की भी चोरी होती है। क्या लोग नहीं समझते कि इस हानि का भुगतान गरीब जनता को ही कर के रूप में भुगतना पड़ता है ?

रेलवे कर्मचारियों ने आवश्यकता के आधार पर अपने वेतनों में संशोधन की मांग की थी परन्तु सरकार ने उनके संघों को दी हुई मान्यता रद्द कर दी। क्या ऐसा करने से कोई समस्या हल होती है ?

अभी भी 1200 कर्मचारी निलम्बित हैं। ऐसे ही हजारों लोग और भी हैं, जो या तो निलम्बित है या फिर स्थानान्तरित होने वाले हैं। हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के बाल-बच्चों पर अत्याचार किये गये हैं, वे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। महिलाओं और बच्चों के शरीरों पर लगी चोटों को मैंने स्वयं देखा है। आप असन्तुष्ट और दलित कर्मचारियों के माध्यम से प्रशासन नहीं चला सकते।

रिपोर्ट में बताया गया है कि रेलवे में दुर्घटनायें कम हो गई हैं परन्तु यह असत्य है। साथ ही जब कोई रेलवे दुर्घटना होती है तो रेलवे अधिकारियों द्वारा ही उसकी जांच करायी जाती है और इसी कारण तथ्य सामने नहीं आते। इसी प्रकार लक्खीसराय स्टेशन पर हुई दुर्घटना के जिस में 18 व्यक्ति मरे तथा अनेक घायल हुए थे, तथ्य भी सामने नहीं आये।

सरकार कहती है कि प्रभागीय प्रणाली (डिवीजनल सिस्टिम) से रेलवे सेवा में सुधार आयेगा। परन्तु यह बात गलत है। इसी प्रभागीय प्रणाली के कारण असम का रेलवे संबंधी अधिकार छिन गया उत्तर पूर्व सीमा रेलवे पर 5,225 किलोमीटर मार्ग में असम को केवल 2,091 किलोमीटर मिला है फिर भी असम को उपेक्षित रखा गया है। आप गोहाटी तथा

रागियों में भी एक एक प्रभाग क्यों नहीं बना देते ताकि ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तटों पर रहने वाले लोगों को लाभ हो ? आप तो असम के सामरिक महत्व को भी नहीं समझते और न ही उसके पिछड़ेपन की चिन्ता करते हैं।

असम के लोगों ने डिब्रूगढ़ के लिये बड़ी लाइन की मांग की है। यह एक सामान्य सी मांग है आप इसे दूर करें।

रेलवे सम्पत्ति जनता की अपनी सम्पत्ति है और उसे नष्ट करना बहुत बुरा है। इस बारे में कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। रेलवे स्टेशनों के चारों ओर रहने वाले लोगों पर दण्डात्मक-कर लगाया जाना चाहिये। रेलवे सम्पत्ति को जलाना बड़े शर्म की बात है।

मुझे आशा है कि रेलवे मन्त्री रेलवे कर्मचारियों में नवीन प्रगतिशीलता की भावना भरेंगे। रेलवे में सुधार और कौशल की बड़ी आवश्यकता है।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : रेलवे मन्त्रालय में डा० राम सुभग सिंह का आना बड़े उत्साह और विश्वास उत्पन्न करने का प्रतीक है। इस सन्दर्भ में मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा जिन्हें यदि मन्त्री महोदय उचित समझें तो उन पर विचार करें।

मेरा पहला सुझाव रेलवे सेवा आयोग के बारे में हैं। नियुक्तियों की दृष्टि से रेलवे विभाग में एक उत्तराधिकार जैसी प्रथा चली आ रही है। वहां नियुक्त अधिकारी का बेटा अधिकारी, लिपिक का पुत्र लिपिक तथा गार्ड का बेटा गार्ड ही बनता है। परन्तु मेरा सुझाव है कि रेलवे में अधिकाधिक लोग किसान-समुदाय में से लिये जायें।

मेरी दूसरी शिकायत सैनिक लोगों की कठिनाईयों के बारे में है। यद्यपि सैनिकों की संख्या दुगुनी से अधिक हो गई है परन्तु रेलवे में उनके लिये सुरक्षित स्थान बहुत कम हैं। नेफा, नागालैंड, काश्मीर आदि स्थानों से आने वाले हमारे जवानों को देश के भीतरी भागों में आने के लिये कई दिन व रात तक प्लेटफार्मों पर पड़ा रहना पड़ता है। अतः उनके लिये सुरक्षित स्थानों में पांच-छः गुनी वृद्धि की जानी चाहिये।

नहरों, जल-स्रोतों तथा दुकानों आदि के निकालने में किसानों को कई कठिनाईयां हैं। जब किसान सिंचाई हेतु उपर्युक्त किसी साधन की मांग करता है और रेलवे लाइन उसमें बाधक बन जाती है तो फिर उस सुविधा को पाने के लिये वर्षों और दशाब्दियां लग जाती हैं। अन्न की कमी वाले कष्ट-प्रद दिनों में लालफीताशाही ने इस विलम्बन को समाप्त किया जाना चाहिये। साथ ही पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में किसान पर कोई खर्च नहीं डाला जाना चाहिये।

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*}

रेलवे लाइनों के साथ-साथ पड़ी रेलवे विभाग की भूमि भूमिहीन किसानों, हरिजनों अथवा सेवा मुक्त सैनिक लोगों को दी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में बाधक बनने वाले नियमों को बदला जाना चाहिये या फिर वह भूमि पंचायतों को सौंप दी जानी चाहिये।

राजधानी एक्सप्रेस देखकर हमें बड़ी खुशी हुई है। परन्तु वह गरीब लोगों के लिये नहीं है। तृतीय श्रेणी वाली भी एक राजधानी एक्सप्रेस चालू की जानी चाहिये। वह इस प्रस्ताव पर विचार करें।

रोहतक-पानीपत की लाइन केवल गोहाना तक ही चालू हुई है। शेष 20 मील के मार्ग को भी शीघ्र ही चालू करें। उसके बारे में आपने तथा उप-मन्त्री महोदय ने भी कुछ वायदे कर रखे हैं। जवानों, किसानों तथा अनुशासित सिपाहियों के एक इस महान् प्रदेश हरियाणा की इस रोहतक पानीपत रेलवे लाइन को 20 मील और आगे चालू करने की घोषणा आप यहां सभा में करें।

रेलवे विभाग में आपके आजाने से वहां कुछ क्रांतिकारी प्रगति होनी चाहिये। रेलवे बोर्ड को या तो समाप्त किया जावे। या फिर उसे प्रजातांत्रिक बनाया जावे। रेलवे मन्त्रालय में अफसरी राज नहीं रहना चाहिये। रेलवे बोर्ड को आप कोई निगम अथवा को अन्य रूप दे सकते हैं।

रेलों में भारी भीड़ बिना टिकट यात्रा के कारण होती है। आप बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़े तथा दण्ड दें क्योंकि वे राष्ट्र को हानि पहुँचाते हैं। इसके लिये कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

रेलवे के प्रति जनता के दिल में विश्वास पैदा किया जाना चाहिये। रेलवे सम्बन्धी जब भी कोई जिक्र होता है तो चोरी, डाकाजनी अपहरण आदि की ही बातें सुनाई देती हैं। मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में आवश्यक सुधार करे। रेलवे की ख्याति को हानि हो रही है।

मेरे चुनाव क्षेत्र रोहतक में गांधी कैम्प नामक स्थान पर विस्थापित व्यक्ति बसे हैं। उन 3000 लोगों में से कुछ पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुये हैं तथा कुछ पूर्व पाकिस्तान से। वे बड़े देश भक्त लोग हैं। आप उनकी प्रार्थना पर विचार करके रोहतक-पानीपत की लाइन को उनके कैम्प तक और बढ़ा दें। इसके अतिरिक्त पानीपत-नींद लाइन पर स्थित शीलाखेड़ी हाल्ट स्टेश को भी "फ्लेग स्टेशन" के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये।

नये रेलवे मन्त्री के व्यक्तित्व तथा मैत्री पूर्ण स्वभाव के सभी माननीय सदस्य प्रशंसक हैं। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं हैं कि अगली बार बजट पेश करते समय वह यह भी घोषणा करेंगे कि इस वर्ष दिये गये सभी सुझावों को उन्होंने पूरा कर दिया है। ताकि हमें विश्वास हो जाये कि वह क्रियाशील व्यक्ति है तथा जो कुछ कहते हैं उसे पूरा कर दिखाते हैं।

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष): रेलवे बजट पर कई दिन से चल रही चर्चा के मध्य बोलते हुए सर्व-प्रथम तो मैं क्षमा चाहूंगा कि तनिक अस्वस्थ होने के कारण मैं यहां उपस्थित नहीं हो सका परन्तु मैंने सारी कार्यवाही पढ़ली है और जो मूल्यवान सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, रेलवे के कार्य के बारे में जो कमियां बताई हैं उन्हें मैंने बड़े ध्यान से नोट कर लिया है।

यह सत्य है कि माल के लाने-ले जाने तथा यातायात के बारे में रेलवे में बड़ी कमियां हैं। हम हमेशा प्रयत्न करेंगे कि शीघ्रातिशीघ्र इन कमियों तथा कठिनाईयों को दूर करें परन्तु इस सन्दर्भ में सोचते हुए हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि गत कई वर्षों के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना दबाव रहा है।

पिछले दो वर्षों के दौरान यद्यपि रेलवे के बजट में घाटे की योजना रही है परन्तु फिर भी आधारभूत आर्थिक स्थिति बिल्कुल सुरक्षित रही है।

कार्यकारी खर्चों के बारे में रेलवे को कभी कोई घाटा नहीं हुआ। सामान्य कोष को लाभांश देने में भी रेलवे ने अपने उत्तरदायित्व से मुख नहीं मोड़ा है।

हमारे देश में रेलवे सब से बड़ा सरकारी उपक्रम है जिसमें 3,000 करोड़ रुपया अब तक लगाया जा चुका है। यह सभा चाहती है कि रेलवे शुद्ध रूप से व्यापारिक आधार पर कार्य करे। यद्यपि हम भी यही बात चाहते हैं परन्तु फिर भी हम अपने सामाजिक उत्तर-दायित्वों को नहीं भुला सकते।

पिछले अनेक वर्षों से रेलवे उन उपनगरीय क्षेत्रों में सेवा कर रहा है जहां कार्यकारी खर्च भी पूरा नहीं होता। खाद्य, अलंटक, सिमेंट, लोह धातुक तथा कोयला आदि भी अनेक ऐसी चीजें हैं जिनके परिवहन के लिये हम बहुत कम दर लेते हैं। निर्यात की मदों के बारे में हम भारी रियायत देते हैं। अन्य अनेक देशों में इन मदों का परिवहन व्यय सामान्य कोष से लिया जाता है परन्तु यहां रेलवे ही इस व्यय को काफी समय से वहन कर रहा है। यह भार रेलवे की पहले से चली आ रही तंग स्थिति को और तंग बनाता है।

देश की अर्थव्यवस्था में आशा के विपरीत गिरावट आने से रेलवे की आर्थिक स्थिति पर भी कुप्रभाव पड़ा है। परन्तु हाल ही में देश की सुधरती हुई स्थिति से रेलवे की आर्थिक स्थिति में भी बड़ा सुधार आयेगा।

माननीय सदस्य श्री नम्बियार ने कहा है कि रेलवे बजट में घाटा केवल काल्पनिक ही होता है क्योंकि मूल्यह्रास सुरक्षित निधि में योगदान देने का ढंग मनोवैज्ञानिक नहीं है तथा सामान्य राजस्व को दिया जाने वाला लाभांश बहुत अधिक है।

मूल्य-ह्रास सुरक्षित निधि के बारे में 1945 से 1965 तक हमने रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों का अनुसरण किया है। इस निधि को बनाने का अर्थ है मूल्यह्रसित सम्पत्तियों को बदलने का प्रबन्ध करना है। यदि इसमें कमी आती है तो फिर इसका यही अर्थ होगा कि आवश्यक वस्तुओं को बदलने के लिये हमारे पास पर्याप्त धन राशि नहीं है जिसके परिणाम-स्वरुप सेवा में बाधा उत्पन्न होगी।

इस निधि में धन देने के बारे में भी हम रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों के अनुसार चलते हैं। इस समिति के सदस्य भी संसत्सदस्य थे। अभिसमय समिति हमने वर्ष 1965 में बनाई थी और श्री नम्बियार भी उसके सदस्य हैं। वह अपना उसकी अगली बैठक में

व्यक्त करने का भी अवसर पायेंगे। यदि उनके हस्तक्षेप करने से लाभांश की राशि देने का उत्तरदायित्व कम हो जाये तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

श्री चं० चु० देसाई ने औद्योगिक पुनरोत्थान से सम्बन्धित अपनी चिन्ता व्यक्त की है। हमने सोचा है कि इस वर्ष हम राजस्व प्राप्त कराने वाले अतिरिक्त 80 लाख टन माल का लक्ष्य और पूरा कर लेंगे। यह धारणा इस तथ्य पर आधारित है कि 1 अप्रैल, 1968 से दिसम्बर, 1968 तक हम राजस्व प्राप्त कराने वाला 55 लाख टन माल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त जनवरी, 1969 में उठाये गये माल की स्थिति भी बड़ी उत्साह-वर्द्धक है। इससे देश के सामान्य और नियमित विकास का भी संकेत मिलता है।

निर्माण कार्यक्रमों के बारे में श्री पें० वेंकटासुब्बया ने कहा है कि नई लाइनों को बिछाने अथवा कोई विकास करते समय रेलवे को केवल अपने लाभ का ही ध्यान नहीं रखना चाहिये। परन्तु जहां मैंने यह कहा है कि हम रेलवे को शुद्ध व्यापारिक आधार पर चलाना चाहते हैं वहां यह भी कहा है कि हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों से विमुख नहीं हो सकते। फिर भी कोई नई लाइन खोलते समय हमें बढ़े हुए यातायात को सम्भालने की क्षमता का भी ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही यह भी देखते हैं कि कहीं यह नई लाइन अलाभकारी तो नहीं जिसके कारण कि सरकारी कोष को लगातार घाटा होता जाये।

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये हमने जो विस्तार योजना बनाई है उसका मूल आधार किस्म में सुधार करना है न कि केवल मात्रा में वृद्धि करना। हमने आगामी 10 अथवा 15 वर्षों के लिये कार्यक्रम बनाया है। हमने उन छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने के बारे में कार्यक्रम बनाया है, जिनके बारे में हमारा अनुमान है कि उन पर भविष्य में यातायात बहुत बढ़ जायेगा तथा छोटी लाइनों के लिये इतना यातायात संभालना सम्भव नहीं होगा। यह सब इसलिये किया गया है कि भविष्य में यातायात सम्बन्धी कोई कठिनाई न हो। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कम से कम 1400 किलोमीटर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का निर्णय किया गया है। कुछ अन्य बातों का, जिनका उल्लेख श्री पें० वेंकटासुब्बया द्वारा किया गया था, उत्तर मेरे सहयोगी श्री आर० एल० चतुर्वेदी ने दे दिया है।

श्री चं० चु० देसाई ने कहा था कि अन्य लाइने बिछाने तथा संचालन सम्बन्धी अन्य कार्य करने की बजाये वर्तमान लाइनों को दोहरी करने को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये। मैं उनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं। परन्तु वास्तविकता यह है कि लाइनों को दोहरी करने पर बहुत अधिक धन खर्च होता है; एक किलोमीटर लम्बी बड़ी लाइन को दोहरी करने पर लगभग 9.5 लाख रुपये खर्च होते हैं। इसलिये हमने सब लाइनों को दोहरा करने की बजाय संकेत पद्धति इत्यादि में सुधार करके वर्तमान लाइनों से अधिकाधिक लाभ उठाने का निर्णय किया हैं। फिर भी चौथी पंचवर्षीय योजना में लगभग 17075 किलोमीटर लम्बी लाइनों को दोहरा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने दार्जिलिंग-हिमालय छोटी लाइन तथा माल-दोमोहानी लाइन का प्रश्न उठाया था। दार्जिलिंग-हिमालय छोटी लाइन बहुत अधिक घाटे में चल रही है तथा वहां

बहुत कम यातायात उपलब्ध है। पिछे उत्तर बंगाल में जो अभूतपूर्व बाढ़ आई थी उससे इस लाइन को बहुत अधिक हानि हुई थी तथा इसमें बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई थी। हम इस लाइन को पुनः चालू करना चाहते हैं। परन्तु इसका निर्माण एक नये दृष्टिकोण से किया जायेगा। हम इसे एक आदर्श लाइन बनाना चाहते हैं, ताकि अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस मामले को पर्यटन मंत्रालय को भेजा हुआ है और उनका प्रतिवेदन मिलते ही निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

जहां तक माल-दोमोहानी लाइन के सम्बन्ध है, इस लाइन के एक सैक्शन को पुनः चालू कर दिया गया है तथा उस पर रेलगाड़ियों का आना-जाना आरम्भ हो गया है। जहां तक इस लाइन के दूसरे भाग का सम्बन्ध है उस पर नदी के प्रकोप के कारण बहुत अधिक हानि हुई है तथा उस नदी का बहाव भी निश्चित नहीं है, इसलिये हम अभी तक यह निर्णय नहीं कर पाये हैं कि इस लाइन को कहां बिछाया जाये। इस मामले को सिंचाई और विद्युत मंत्रालय को सौंपा गया है तथा उनका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करना चाहता हूं। यह मामला कलकत्ता के चारों ओर वृताकार रेलवे लाइन बिछाने का है। इस मामले पर इस सभा में तथा इसके बाहर भी काफी चर्चा की गई है। पिछली बार जब यह मामला सभा में उठाया गया था, तो हमने कहा था कि इस मामले को योजना आयोग को सौंपा गया है। योजना आयोग ने इस मामले पर इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है तथा हमने उस प्रतिवेदन की जांच करली है। उस प्रतिवेदन के आधार पर योजना आयोग के साथ काफी विचार-विमर्श किया गया तथा हमने योजना आयोग को स्पष्ट तौर पर बल दिया था तथा कलकत्ता तथा बम्बई में यातायात का दबाव बहुत बढ़ गया है। हमने योजना आयोग को बताया था कि यदि कलकत्ता के चारों ओर वृत्ताकार रेलवे लाइन न बनाई गई, तो रेलवे द्वारा वर्तमान सेवाओं को जारी रखना कठिन होगा। यह खुशी की बात है कि योजना आयोग ने हमारी कठिनाइयों को महसूस किया है और वह इसके लिये आय-व्ययक में धन की व्यवस्था करने को सहमत हो गया हैं। कुल 29 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है, जिसमें से 4 करोड़ रुपये भूमि के अर्जन के लिये रखे गये हैं। इस बारे में एक मुख्य कठिनाई यह है कि यह लाइन ऐसे स्थानों से भी गुजरेगी, जहां पहले ही मकान बने हुए हैं। हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि यह लाइन ऐसे स्थानों से कम से कम गुजारी जाये, जहां पहले ही मकान बने हुए हैं, ताकि लोगों को कम से कम कठिनाई हो। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कुल जितनी भूमि की आवश्यकता होगी, उसमें विकसित क्षेत्र केवल 20-25 प्रतिशत होगा। मुझे विश्वास है कि शेष भूमि हमें सुधार न्यास द्वारा मुफ्त दे दी जायेगी और पत्तायुक्त भी अपनी तकनीकी मंजूरी जारी कर देगा। पत्तायुक्त द्वारा हमें लम्बे समय के लिये मामूली किराये पर लीज़ पर भूमि दी जायेगी।

अब मैं कर्मचारियों के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। जहां तक रेलवे के कुछ सैक्शनों पर कर्मचारियों की कमी का प्रश्न है, उसे पूरा किया जा रहा है। पहले 5 प्रतिशत कर्मचारियों की कमी थी, अब यह कमी 1.4 से 3 प्रतिशत रह गई है।

दूसरी बात 19 सितम्बर की हड़ताल से सम्बन्धित है। उस हड़ताल में कुल लगभग 90000 कर्मचारियों ने भाग लिया था, जिसमें 73000 से अधिक स्थायी कर्मचारी थे और

शेष 14,000 अस्थायी कर्मचारी थे। इस सम्बन्ध में मंत्रिमंडल द्वारा यह निर्णय किया गया था कि उन सब स्थायी अथवा गैर-स्थायी कर्मचारियों को, जिनकी केवल गैर-हाजिर होने के कारण छंटनी की गई थी, वापस काम पर ले लिया जाना चाहिये। इस निर्णय को क्रियान्वित किया गया है। अब लगभग 37000 से कुछ अधिक स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारी निलम्बित हैं, जिनमें से बहुतों को पुनः काम पर रख लिया गया है और लिया गया है और बाकियों को रख लिया जायेगा। कुछ मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं तथा न्यायालयों के निर्णय के तुरन्त बाद उनका पुनरीक्षण किया जायेगा। कुछ ऐसे भी मामले हैं, जो विभाग के विचाराधीन है। उन पर सहानुभूति पूर्ण विचार किया जायेगा तथा ऐसे कर्मचारियों को पुनः काम पर ले लिया जायेगा, जिनके दोष मामूली हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कर्मचारियों के साथ यथासम्भव अधिक से अधिक नरमी का व्यवहार किया जायेगा।

मेरा मत है कि वृताकार रेलवे लाइन से कलकत्ता की यातायात समस्या हल नहीं होगी। इससे उस समस्या के सुलझाने में सहायता जरुर मिलेगी। हमने भूमिगत रेलवे के बारे में भी योजना आयोग से बातचीत की है तथा वह इसके लिये एक पृथक राशि निर्धारित करने को सहमत हो गया है। इस वर्ष 1969-70 में न केवल कलकत्ता, बल्कि बम्बई, मद्रास और दिल्ली में भी भूमिगत रेलवे लाइनें बिछाने के लिये तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे। निर्माण कार्य चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आरम्भ किया जायगा।

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा): रेलवे बोर्ड के प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि चोरी, नक्सान, क्षति तथा माल के परिवहन में विलम्ब के लिये रेलवे द्वारा किये जा रहे प्रतिकर की राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है। वर्ष 1966-67 में रेलवे द्वारा प्रतिकर के रूप में 5.45 करोड़ रुपये दिये गये, परन्तु वर्ष 1967-68 में यह राशि बढ़ कर 7.22 करोड रुपये हो गई है। परन्तु न तो रेलवे बोर्ड के प्रतिवेदन में और न ही रेलवे मंत्री महोदय के भाषण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस बढ़ते हुए बोझ को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है। यह कोई छोटी राशि नहीं है तथा यदि प्रतिकर की राशि इस प्रकार बढ़ती रही तो वर्ष 1968-69 में यह राशि 8 अथवा 9 करोड़ रुपये हो जायेगी। हम इस बारे में संतुष्ट नहीं रह सकते तथा हमें सभी त्रुटियों को दूर करना होगा।

मेरे माननीय मित्र श्री हेम बरुआ ने रेलवे सम्पत्ति की चोरी का उल्लेख किया था। गत महीने की 22 तारीख के एक हिन्दी समाचारपत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि बलहारशा रेलवे स्टेशन पर एक माल डिब्बे को लूटा जा रहा था और जब एक रेलवे कर्मचारी ने रेलवे सुरक्षा दल को इसकी शिकायत की, तो रेलवे सुरक्षा दल द्वारा न केवल कोई कार्यवाही ही न की गई, बल्कि उस रेलवे कर्मचारी को भी डांटा गया। जब उस रेलवे कर्मचारी ने साधारण पुलिस को इसकी शिकायत की, तो उसे वहां भी यह उत्तर मिला कि इस घटना से उसका क्या सम्बन्ध है? इससे यह सिद्ध होता है कि रेलवे सुरक्षा दल तथा साधारण पुलिस के अधिकारी जिससे रेलवे सम्पत्ति की रक्षा होने की आशा की जाती है, अपना कार्य ही नहीं करते हैं, बल्कि चोरी में भी सहायता करते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें काफी समय तक एक ही स्थान पर रखा जाता है, जिससे वे स्थानीय गुंडों के साथ सम्पर्क स्थापित

कर लेते हैं। उन्हें हर छः महीने के बाद बदल दिया जाना चाहिये अन्यथा माल डिब्बों को लूटने वालों में उनका स्वार्थ पैदा हो जाता है। अन्य रेलवे कर्मचारियों को भी काफी समय तक एक ही स्थान पर नहीं रखा जाना चाहिये क्योंकि उन स्थानों में उनका निहित स्वार्थ हो जाता है तथा वे वहां के स्थानीय गुंडों और अन्य व्यक्तियों से सांठगांठ कर लेते हैं। मंत्री महोदय को इस सुझाव पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये।

नागपुर तथा कुछ अन्य स्थानों पर बड़े-बड़े यार्डों में सशस्त्र सैनिक गार्डों को तैनात किया गया है और यह देखा गया है कि उन यार्डों में रेलवे सम्पत्ति की चोरी में काफी कमी आई है।

मेरा सुझाव है कि अन्य महत्वपूर्ण रेलवे यार्डों में भी सशस्त्र सैनिक गार्डों को तैनात किया जाना चाहिये। इससे रेलवे माल की चोरी में काफी कमी आयेगी। रेलवे सुरक्षा दल अच्छा काम नहीं करता है, क्योंकि वह माल लूटने वालों से मिला हुआ है।

श्री हेम बरुआ ने मुगल सराय का भी उल्लेख किया था। यह बात सबको मालूम है कि मुगल सराय स्टेशन के यार्ड में काफी चोरी होती है और चुराया गया माल बाजारों में खुले आम बेचा जाता है। वहां सशस्त्र गार्डों को तैनात किया जाना चाहिये तथा उन्हें सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले संदिग्ध परिस्थितियों में पाये गये व्यक्तियों पर उस स्थान पर गोली चलाने का अधिकार दिया जाना चाहिये। रेलवे माल की चोरी को रोकने का केवल यही एक कारगर तरीका है।

खुली सुपर्दी प्रणाली में भी एक धोखा चल रहा है। मान लो एक पैकट किसी माल प्राप्तकर्ता को दिया जाता है और उसमें 5 जोड़े जूते गुम पाये जाते हैं, तो स्टेशन मास्टर द्वारा माल प्राप्तकर्ता को कहा जाता है कि वह यह लिख दे कि 15 जोड़े जूते कम पाये गये। इससे पांच जोड़े जूतों का लाभ प्राप्तकर्ता को होता है और 5 जोड़ों का स्टेशन मास्टर को। इस प्रकार की जो धोखादेही चल रही है, उसे रोका जाना चाहिये।

माल उतारने और चढ़ाने के मामलों में रेलवे कर्मचारियों द्वारा बड़ी लापरवाही बरती जाती है। वे माल डिब्बों का निरीक्षण नहीं करते हैं। इसके परिणामस्वरूप सम्पत्ति को क्षति पहुंचती है और रेलवे को क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित रेलवे अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये, जिनमें उनकी निष्क्रियता के कारण क्षति हुई है।

माल के लाने ले जाने में विलम्ब होने के कारण भी रेलवे को मुआवजा देना पड़ता है। चूंकि लक्ष्य अध्याधिक होता है और एक रेलवे दूसरे प्रभाग अथवा दूसरी रेलवे से मालगाड़ियों को प्राप्त नहीं करती, माल का अबाध रूप से आना-जाना नहीं होता। इसलिए विलम्ब हो जाता है और विलम्ब के लिये रेलवे को प्रतिकर देना पड़ता है। जब तक इसमें सुधार नहीं किया जाता, तब तक गाड़ियों का अबाध रूप से आना-जाना नहीं हो सकता और जब तक अबाध रूप से आना-जाना नहीं होगा तब तक परिवहन में विलम्ब को कम नहीं किया जा सकेगा।

पहले जर्नल प्रणाली का पालन किया जाता था। इस प्रणाली के अन्तर्गत गार्ड को अपने साथ एक जर्नल रखना पड़ता था जिसमें वह यह उल्लेख करता था कि कार्य भार संभालने के समय से लेकर कार्य भार सौंपने तक की अवधि में क्या-क्या हुआ। उसे अपने जर्नल में यह लिखना पड़ता था कि क्या कोई देरी हुई और यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है। जर्नल प्राप्त होने पर प्रभागीय स्तर पर उसकी जांच की जाती थी और गाड़ियों के आने-जाने में हुए विलम्ब के लिये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती थी। परन्तु आजकल जर्नल कभी-कभी रखा जाता हैं और कभी-कभी नहीं रखा जाता तथा उसकी जांच पड़ताल भी कभी-कभी ही की जाती है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यह आवश्यक है कि जर्नल प्रणाली का कठोरता से पालन किया जाना चाहिये। इस प्रणाली का बहुत लाभ है। इससे गाड़ियों के आने-जाने पर नियंत्रण रखा जा सकता हैं और विलम्ब को दूर किया जा सकता है।

मेरे माननीय मित्र श्री हेम बरुआ ने रेलवे के नियंत्रण कक्षों का भी उल्लेख किया था। आजकल गाड़ियों का नियंत्रण अनुभवहीन व्यक्तियों के हाथ में है। पहले नियंत्रण का प्रभार केवल सहायक स्टेशन मास्टरों तथा अनुभवी व्यक्तियों को सौंपा जाता था। इस समय सीधी भर्ती होती है और केवल छः महीने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद उन लोगों को इन नियंत्रणों का काम सौंप दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप परिपक्वता, सूझबूझ और अनुभव की कमी के कारण नियंत्रण ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। इस अनुभवहीनता के कारण यह होता है कि ट्रंक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को तो आधे घण्टे तक स्टेशन पर रोक लिया जाता है और मालगाड़ी को गुजार दिया जाता है। जब तक नियत्रण का काम अनुभवी व्यक्तियों को नहीं सौंपा जायेगा, तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

गार्ड के डिब्बे में सशस्त्र रक्षकों को तैनात किये जाने चाहिये। मुझे ऐसे कई मामलों की जानकारी है जिनमें गार्डों ने मुझ से शिकायत की है कि लोग रेलगाड़ी को रोक लेते हैं और माल डिब्बों को लूट लेते हैं। गार्ड अकेला होता है तथा उसे चुप रहना पड़ता है। इसलिये सरकार यदि यह चाहती है कि प्रतिकर की राशि में कमी आये, तो गार्डों के लिये सशस्त्र रक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिये। गार्ड गुंडों का मुकाबला करने का साहस तभी कर सकता है, जब उसके साथ सशस्त्र रक्षक तैनात किये जायें।

जहां तक बिना टिकट यात्रा के प्रश्न का सम्बन्ध है, बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये रेलवे कर्मचारियों पर निर्भर रहने से कोई लाभ नहीं होगा। इसे मजिस्ट्रेटों की अचानक जांच से रोका जा सकता है, जो राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की सहायता से लिये जा सकते हैं।

जहां तक गार्डों के गाड़ी के साथ चलने के भत्ते का सम्बन्ध है, श्रेणी 'ए' के गार्डों का भत्ता 3 रुपये 80 पैसे, श्रेणी "बी" के गार्डों का 3 रुपये 70 पैसे और श्रेणी "सी" का गार्डों का भत्ता 3 रुपये 60 पैसे है। श्रेणी "ए" तथा "बी" के गार्डों को यात्री तथा मेल गाड़ियों के साथ चलना होता है, जबकि श्रेणी "सी" के गार्डों को माल गाड़ियों के साथ

चलना होता है। माल गाड़ी के रुकने तथा चलने के समय की कोई जानकारी नहीं होती है। उन्हें गाड़ी रवाना होने से पहले रुकना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है तथा कभी-कभी गाड़ियों को रद्द कर दिया जाता है। श्रेणी "सी" के गार्डों को इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि श्रेणी "ए" और "बी" के गार्डों के सामने ऐसी कोई कठिनाइयां नहीं होती है। इन सब बातों को देखते हुए श्रेणी "सी" के गार्डों को जो भत्ता दिया जाता है, वह पर्याप्त नहीं है। इन सब बातों पर विचार किये बिना ही इन गार्डों के लिये 3.60 रुपये भत्ता निर्धारित किया गया है। इसे बढ़ाया जाना चाहिये। गार्डों को प्रोत्साहन देने के लिये उनकी पदोन्नति की व्यवस्था की जानी चाहिये। गार्डों की पदोन्नति की इस समय बहुत कम गुंजाइश है। पहले उन्हें नियंत्रण कक्षों में भेज दिया जाता था, परन्तु अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। "सी" श्रेणी के गार्डों की "बी" श्रेणी के गार्डों के रूप में पदोन्नति किये जाने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिये गार्डों के वेतन क्रमों को बढ़ाया जाना चाहिये, ताकि उन्हें संतोषजनक ढंग से काम करने के लिये कुछ प्रोत्साहन प्राप्त हो सके।

श्री रा० कृ० बिड़ला (झुंझनू) : श्री परिमल घोष ने अभी बताया है कि रेलवे इस वर्ष 90 लाख टन अतिरिक्त माल ढोने का प्रयत्न कर रही है। उनके भाषण से यह भी पता चलता है कि पुराने माल डिब्बों को बदलने के लिये रेलवे को इस वर्ष 8,861 नये माल डिब्बों की जरुरत होगी। बजट में 9220 माल डिब्बों की व्यवस्था की गई है। यदि मेरी जानकारी सही है तो 18 लाख टन माल ढोने के लिये लगभग 1000 माल डिब्बों की जरुरत होती है। अतः मेरी समझ में यह नहीं आता 90 लाख टन अतिरिक्त माल को कैसे ढोया जा सकेगा, जबकि केवल 9220 माल डिब्बों का आर्डर दिया जा रहा है और इनमें से 8861 माल डिब्बे पुराने माल डिब्बों की जगह पर होंगे। यदि वे सही माने में 90 लाख टन अतिरिक्त माल ढोने को तैयार है, तो उन्हें तुरन्त 10000 माल डिब्बों का आर्डर देना चाहिये। देश में माल डिब्बे बनाने के कारखानों की बुरी हालत है। माल डिब्बे बनाने वाले उन कारखानों को तुरन्त माल डिब्बे बनाने के लिये कहा जाना चाहिये।

यह एक खुशी की बात है कि रेलवे तीन महीनों की अवधि में पंजाब तथा हरियाणा से 17 लाख मीटरी टन गेहूं ढोने में सफल रही है। परन्तु इस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। यह कार्य कोयला, सीमेंट तथा सोडा ऐयस्क इत्यादि की उपेक्षा करके किया गया है। माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये और यदि यह बात सही हो तो अतिरिक्त माल डिब्बों के लिये अविलम्ब आर्डर दिया जाना चाहिये।

मैंने गत वर्ष माननीय मंत्री का ध्यान माल की ढुलाई की शोचनीय दशा की ओर दिलाया था। यह खुशी की बात है कि विरामगाम में स्थिति में काफी सुधार हुआ है परन्तु दिल्ली-सराय-रोहिला, हिसार तथा भटिंडा में कोई सुधार नहीं हुआ है। चौथी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में सीमेंट के अनेक कारखाने खोले जायेंगे। चूंकि सीमेंट का समूचा उत्पादन अकेले राजस्थान में खपना सम्भव नहीं है, इसलिये अधिकांश सीमेंट पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर में भेजी जायेगी। इसलिये यह बहुत जरुरी है कि दिल्ली-सराय-रोहिला हिसार तथा भटिंडा में माल चढ़ाने तथा उतारने की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं कुछ क्रियात्मक सुझाव देना चाहता हूं। यदि सुझावों को क्रियान्वित किया जाता है, तो मुझे आशा है कि इससे रेलवे, जनता तथा देश सबको लाभ होगा। मेरा पहला सुझाव यह है कि सौराष्ट्र क्षेत्र तथा गुजरात राज्यों में रेल गाड़ियों को कोयले की बजाय डीज़ल तेल से चलाया जाना चाहिये, क्योंकि वहां डीज़ल तेल कोयले की अपेक्षा बहुत सस्ता पड़ेगा। दूसरे इससे जो कोयला बचेगा उसका अन्यतर उपयोग किया जा सकता है। तीसरे मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि पिलानी को रेलवे द्वारा मिलाया जाना चाहिये। पिलानी एक बहुत महत्वपूर्ण नगर है। वहां विश्वविद्यालय है तथा अनुसन्धान संस्थान है। वह एक औद्योगिक महत्व का नगर है। अतः मेरा निवेदन है कि उस नगर को रेलवे द्वारा जरुर मिलाया जाना चाहिये।

प्रत्येक माननीय सदस्य को विदित है कि खेतरी परियोजना एक सरकारी क्षेत्र की परियोजना है। सरकार खेतरी तक रेलवे लाइन बिछाने की परियोजना को पहले ही मंजूर कर चुकी है। परन्तु काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। खेतरी को खेतरी परियोजना में उत्पादन आरम्भ होने से पहले रेलवे द्वारा मिलाया जाना चाहिये।

जहां तक रेलवे की वित्तीय स्थिति का सम्बन्ध है, वह बहुत संतोषजनक नहीं है। रेलवे रक्षित निधि जो 31 मार्च, 1966 को 63 करोड़ थी, अब लगभग 1 करोड़ रुपये रह गई है। विकास निधि की स्थिति और भी खराब है। विकास निधि का सारा धन खर्च किया जा चुका है और रेलवे को वित्त मंत्रालय से 45.80 करोड़ रुपये उधार लेने पड़े हैं।

विकास छूट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यद्यपि इसके लिये आय-व्ययक में 100 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया था, ताकि इस वर्ष विकास छूट के लिये केवल 95 करोड़ रुपये दिये गये हैं। बजट मे केवल 2 करोड़ रुपये की बचत दिखाई गई है। अतः यदि 5 करोड़ रुपये और विकास छूट के लिये दिये जाते तो यह बजट घाटे का बजट हो जाता। रेलवे तथा राष्ट्र के हित में यह है कि रेलवे की आस्तियों को अच्छी से अच्छी तरह रखा जाये।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Bagpat) : I am thankful to the Hon. Speaker who has given me time to express my views.

I am sorry to say that Dr. Ram Subhag Singh is not a minister of the Railway which function in our area. It is my earnest request that he may take over the administration of our railway so that I may be able to welcome him as a Railway Minister.

The S. S. Light Railway, which operates in our area, is 61 years old. It relates to the British Company. The S. S. light Railway runs from Sahadana to Saharanpur via meerut Muzzarphur nagar, Saharanpur etc. The Railway is in a very bad condition. There is not a single engine which is not less than sixty years old and the bogies are in a very old conditions. It is matter of surprise that the Government retire their employees at the age of fifty eight years whereas these engines are functioning for more than sixty years and yet there is no time-limit for their use.

The condition of the employees is much pitiable. The salary of the Fourth class employees starts from Rupees thirty and there is increment of eight annas yearly. Last year the employees gave notice of strike whereupon the officials closed the functioning of

the Railways for a month or so. I went to the Railway Minister, Labour, Minister, and the Chairman of Railway Board but all replied that they could not do in this matter. I want to say that the public and the employees are tired of it. The development of the whole area is stopped due to this. It is a matter of great regret that neither you nor the Parliament have got any right to interfere in this sorry state of affairs. Almost all the Members of Parliament had submitted a memorandum to the Railway minister and with the result the Railway Minister asked for a survey there. The Railway Minister assured that the report of the survey would be published in a six months.' I request that it may be expedited so that further action may be pursued.

I earnestly hope that the Railway Minister will give sympathetic consideration to our demand. It is my request that he may pay a visit to that area to see himself the condition there. The engines and the bogies are not in a good condition. The bogies are not in such condition as to give protection to the passengers from exposure. Inspite of this the ownerr of the Railways want to pull on this.

Member of other regions demand various facilities for their areas. Some are for doubling the lines, diesel trains etc. Mr. Parimal Ghosh was saying about the underground railway in Calcutta. So I request that due consideration may be given to the railways of my area.

I have an earnest request to Dr. Ram Subhag Singh that he may become Railway Minister of our Railway also. I hope he will say something on it and give assurance for the improvement of this railway.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैं रेलवे मंत्री महोदय को ऐसा बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूँ जिसमें आम लोग, उत्पादकों, निर्माताओं पर किराये तथा भाड़े के रूप में कर नहीं लगाया गया है, और इस बजट में बचत भी दिखलाई गई है। यह एक स्वस्थ चिन्ह है।

मुझे विश्वसनीय सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि रेलवे प्रशासन छोटी लाइनों को समाप्त करने की सोच रहा है। भारत में छोटी लाइनों की कुल लम्बाई में से दो-तिहाई मेरे राज्य में हैं, ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को आपस में जोडने में मदद मिलती हैं, हर मौसम के योग्य सड़कों के अभाव में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लोगों के आवागमन में यही उपलब्ध साधन हैं। अगर छोटी लाइनों को हटाया गया तो इसका कुप्रभाव समूचे ग्रामीण तथा शहरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

मेरे विचार में न तो भारत सरकार को और न रेलवे को जनता को प्राप्त छोटी से छोटी सुविधाओं को भी नहीं हटाना चाहिए। मुझे विश्वास हैं कि रेलवे संकुचित दृष्टिकोण से इस मामले की नहीं देखेगी अपितु सर्वप्रथम जनता की समस्याओं पर विचार करेगी, मैं यह भी कह दूं कि राज्य सरकार ने छोटी लाइनों को हटाने के विचार का विरोध किया है और मुझे आज्ञा है कि रेलवे प्रशासन इसकी उपेक्षा नहीं करेगा।

मैं भावनगर-तारापुर बड़ी लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं, यह लाइन न केवल गुजरात के लिए अपितु सारे भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे देश का अधिकांश पश्चिमी भाग का सम्बन्ध शेष भारत से हो जायेगा। जहां तक मैं समझता हूँ कि

पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों ने सर्वेक्षण कार्य समाप्त कर दिया हैं। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता होती है कि तत्कालीन रेलवे मंत्री ने इस सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र कराने में दिलचस्पी दिखाई थी मेरा अनुरोध है कि वर्त्तमान रेलवे मंत्री भी भावनगर-तारापुर बड़ी लाइन की परियोजना को अन्तिम रूप देने में शीघ्रता करें, राज्य सरकार ने भी इस सम्बन्ध में सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें इस प्रस्तावित बड़ी लाइन द्वारा अर्थव्यवस्था को मिलने वाले लाभ के बारे में कहा गया है, मुझे पूर्ण आशा है कि डा० राम सुभग सिंह इस परियोजना को हाथ में लेंगे और वहां के लोगों के अनुरोध पर समुचित ध्यान देंगे।

रेलवे अधिकारियों ने जुंद कांडला बड़ी लाइन पर हलवाद से धनगधरा तक यात्री गाड़ी चलाई है परन्तु उन्होंने धनगधरा-विरमगांव सैक्शन पर धनगधरा से आगे कोई यात्री गाड़ी नहीं चलाई है इससे यात्रियों को बड़ी असुविधा उठानी पड़ रही है। यात्रियों को धनगधरा पर गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं, मैं यह भी बता दूं कि उस सैक्शन पर माल गाड़ियां तथा विशेष गाडियां चलाई जा रही है तब क्यों नहीं यात्री गाड़ी चलाई जा सकती है ? मेरा अनुरोध है कि रेलवे अधिकारी धनगधरा से आगे यात्री गाडी चलायें।

**फिजी की स्वतंत्रता

INDEPENDENCE OF FIJI

Shri Kameshwar Singh (Khagaria): The question of the Independence of Fizi has been coming up in the United Nations for the last so many days. Sardar Swaran Singh had made a statement on 12th Oct. 1965 in the United Nations in which he said that the discussions in that Committee have exposed to the world the appIling conditions. That prevail in the remaining colonial territories and it is the work of the Special Committee that the peoples in Cononial territories have looked for freedom, for hope and for inspiration.

Shri Gare Khan had said that a delegation of U. N. should visit to Fizi for getting fact finding report. The concurrence of the administrating country should be taken in this matter. But Britain has been saying that there is no need of sending delegation there. The delegates of Britain had said in the United Nations that they could give any information and facts which were desired but there was no point of sending the delegation there. I want to remind the British Government that Mr. Attle helped in giving freedom to India. Fizi is a small island and granting freedom to her will not make any difference.

The Britishers say that about fifty one percent inhabitants are Indians. As a matter of fact they are of Indian origin but they have been therefor many generations. To maintain her hold on Fizi, Britain has been saying that they are Indian but as a matter of fact they are inhabitants of Fizi. It has been the policy of Britain to divide and rule and they want to carry on there.

**आधे घंटे की चर्चा

Half-An Hour discussion.

Many delegations of our country have gone to Fizi. I will specially asks the Foreign Minister that the reports of our delegations should be pursued. I will also request that he should try to send a U. N. delegation to Fizi for talks with Britain and Indian representative like Shri Gare Khan may be included. Even after getting Independence Indian should not keep silence on the matter of granting Independence to other countries. It is our duty to support the demand of granting Independence to small or big countries.

The United Nations have decided that the Fizi's problem will be considered in the session of 1969. I want to know the attitude of India in this respect. The Britishers look upon the every efforts and work which India does for the benefits of Fizi. Indian grant scholarships to the students of Fizi. The students come here for education and return with the noble idea of Freedom. Naturally they will take part in the freedom struggle of Fizi. Britain does not like this and as such they oppose this move of ours.

The question of granting Freedom to Fizi will be raised in the United Nations this year. The Britain, the America and the Australia will oppose it to the last end.

I do not understand that anyone thought previous to 194 that they did not want freedom. If it was true that then the agitation of 1942 would not have taken place. The same case is with Fizi. If a fact finding delegation visit that plan then the statement of U. K. will be falsified That is why the Britain do not allow any delegation to visit there. I have great hopes that our new foreign Minister Shri Dinesh Singh will do something in this respect. Before that I want to ask some questions from him.

Firstly, I want to ask that our labour Minister Shri Hathi had visited Fizi and had talks with the people of there then what report he had submitted to the Government. The Foreign Minister may please state it in clear terms. We have been saying in the United Nations that Britain wants to maintain her hold on Fizi to serve her interest.

Secondly, when Michael Stuwart, the British Foreign Secretary, visited India, then there was talks with him on Fizi. I want to know the nature of talks. My both questions may be answered categorically.

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : There can not be two opinions on what Shri Kameshwar Singh had spoken on the question of those countries which have not got independence so far. It is our duty to support in this cause of granting independence to those countries. It is open to all what efforts we have made in this respect.

Even today it has been our effort that Fizi may get independence as soon as possible but situations differ from our country to another and we have to see the demands of the people. If we ourselves try to solve the problem and think that the other country should follow it then it will not be a good thing the people of Fizi want freedom but there are some problems which they will have to solve themselves first. As soon as they solve their problems then they will take up the cause of freedom and we will fully support them. But we should give time to them to solve their problems first. When the matter was raised in the United Nations last time then it was decided that our opinion might be deferred for some time. The United Kingdom also appealed that as there were some other subjects which were under consideration. So this matter might be taken later on. We agreed upon this suggestion. When Shri Michael Stuwart came here then we had talks with him on this subject.....

Shri Kameshwar Singh : My first question has not been answered categorically. I wanted to know that what Britain had stated that the people wanted to remain under colonial system is correct or not.

Shri Dinesh Singh : Why a country would like to remain under calonialison? Such question cannot arise. As far as the visit of Shri Michael Stuwart is concerned, we had talks with him regarding the independence of Fizi. He understood our point and said that whatever efforts India had been making was commend able. We hope that they may get independence without further delay. If our talks with him succeed then Independence will come to Fizi otherwise further steps may be taken in this matter but I cannot say now the nature thereof. I want to say that our efforts aim at supporting the demands for independence to those countries which are still under the rule of colonialism

Shri Rabi Ray (Puri): I convey my thanks to Shri Kameshwar Singh who raised the question of independence of Fizi. While hearing the speech of Shri Dinesh Singh it seemed to me that he has no solid attitude towards this problem. The United Kingdom adopted a policy of Divide and rule in India and in the same way they are pursuing the same policy in Fizi also. We should mobilise the public opinion in the United Nations with the help of America and Asia against Britain on the question of granting independence to Fizi.

श्री ए० श्रीधरन (बड़ागरा) : ब्रिटेन ने भारत में भी वही दावे किये थे परन्तु जब उनको खदेडा गया तो उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी । वे यही कहानी का फिजी में पुनरावृत्ति कर रहे है, नये विदेश मत्री के आने पर मेरी यह उत्कट इच्छा थी कि वे साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध कठोर दृष्टिकोण अपनायेंगे, परन्तु इस प्रकार का उन्होंने कुछ नहीं कहा । जब तक न्याय निर्णय का अधिकार ब्रिटेन के पास है तब तक फिजी की समस्या हल नहीं हो सकती, ऐसा तभी हो सकता है जब इस समस्या को विश्व संस्था के तत्वावधान में सुलझाये जाये ।

श्री फ्रांस्मो जी सेक्वीरा (मारमागोआ) : इससे दो प्रश्न उठते हैं । प्रथम पहले हम उपनिवेशवाद के विरूद्ध बहुत कुछ कहा करते थे, देश में अब इस तरह की विचारधारा फैल रही है कि हमने अपनी समस्या को सुलझाने के बाद इस ओर दिलचस्पी लेना कम कर दिया है, मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय इस समस्या के प्रति जागरुकता बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखते हैं ?

दूसरा, हम भारतीय केवल राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्र के नहीं हैं अपितु हमारा एक वंश भी हैं । आज हमें उन स्थानों से निकाला जा रहा है, जहां हम परम्परागत रूप से बसा करते थे । हम वहां के विकास में योगदान दे सकते थे परन्तु हमें ऐसा नहीं करने दिया गया । मैं जान सकता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार भारतीय वंश की रक्षा के लिए क्या उत्तरदायित्व लेना चाहती है ? मुझे समाचारों से यह मालूम हुआ है कि ब्रिटेन फिजी को शीघ्र स्वतंत्रता इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि इस प्रकार वहां योरोपियन अल्पसंख्यक अपना प्रभुत्व खो बैठेंगे और बहुसंख्यक वर्ग अपने उचित अधिकारों का प्रयोग करने लग जायेगा ।

श्री दिनेश सिंह : मुझे समझ में नहीं आता कि श्री रवि राय के मन में अभी तक यह शंका क्यों हैं कि हम स्वतंत्रता के पक्षपाती हैं या नहीं । इस थोड़े से समय में मेरे लिए उनकी

शका को दूर करना कठिन ही है । हो सकता है कि बाद में वे यह महसूस करें कि हम उपनिवेशवाद के विरूद्ध कितना कुछ कर रहे हैं । जैसा कि श्री धरन ने कहा है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो यहां ब्रिटेन का विदेश सचिव बोल रहा है तो मैं उनको यही कहूंगा कि भारतीय संसद मे बैठे हुए है न कि हाउस आफ कामन्स में । जितना अधिक वे भारत के बारे में सोंचेगे उतना वे यहां की नीतियों के बारे में जान सकेंगे, अगर वे शान्तिपूर्वक सुनेंगे तो उनकी समझ में कुछ आ सकेगा और इस प्रकार से वे आरोप नहीं लगाएंगे । जैसा कि माननीय सदस्य इस मामले को विश्व सस्था द्वारा सुलझाने के लिए कह रहे हैं तो इस सम्बन्ध में मै उनको यह बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र इस बारे में दिलचस्पी दिखा रहा है । यह मामला उपनिवेशवाद पर विशेष समिति के अन्तर्गत है जो कि इस पर विचार कर रहा है ।

श्री सेक्वीरा ने एक महत्वपूर्ण पहलू की गलत व्याख्या की है । उन्होंने कहा है कि भारत सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह भारत वंशी लोगों के हितों की रक्षा करें, इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप विभिन्न देशों में भारत वंशी लोगों को राष्ट्रीयता का जामा पहना रहे हो ।

श्री इरास्मो डी सेक्वीरा : मंत्री महोदय ने मेरे कथन का गलत अर्थ लिया है । मेरा कहना है कि जब भारत वंशी लोगों को वंश के आधार पर निकाला जा रहा है तो सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह उनके हितों की रक्षा करें ।

श्री दिनेश सिंह : यह हमारा उत्तरदायित्व है कि जहां कहीं भी भारतीय नागरिक हों, उनके हितों की रक्षा की जाये, परन्तु अगर भारत वंशी व्यक्तियों ने अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली है तो उनके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है । क्योंकि ऐसा करने से सम्बन्धित देश उनको शका की दृष्टि से देखेंगे, इस समय उनके प्रति कुछ भी करना उचित न होगा, यह हमारा प्रयत्न रहा है कि मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर उनकी हर संभव मदद की जाये, अगर हम लोगों की राष्ट्रीयता के आधार पर सहायता न देकर वंश के आधार पर दें तो इससे उन लोगों के समक्ष भारी कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी जो इस नए घर बसाने में प्रयत्न शील हैं । मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूँ कि हम निश्चय ही मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर भारत वंशी लोगों की सहायता करेंगे और वास्तव में हम ऐसा कर भी रहे हैं । परन्तु जहां तक उनका सम्बन्धित देश में बसने का प्रश्न है, यह उन्हीं के द्वारा हो सकता है और इसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.... **(व्यवधान)**

इसके बाद लोक-सभा बुधवार 5 मार्च 1969/14 फाल्गुन 1890 के 11 बजे मध्याह्न पूर्व तक के लिए स्थगित हुई

Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock, on Wednesday, the 5th March, 1969/14 Phalguna 1890.